(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 41 वां दिवस [संख्या 29

गुरुवार

दिनांक 11 अप्रेल, 1974

विधान सभा की बैठक म०पू० 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न

तारांकित प्रश्न

[गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिचाई, यातायात, उद्योग, आयुर्वेद, अकाल सहायता, विद्युत, शिक्षा, जनसम्पर्क तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या 809

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन : मेरा भी इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव है । आपने कहा है कि इस प्रश्न पर जानकारी चाही जा रही है । इस प्रश्न का आप उत्तर दिलवा दें तो वह स्थगन प्रस्ताव इससे कवर हो जायेगा । कृपया इस प्रश्न का जवाब दिलवा दें ।

प्रश्न संख्या 810

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल !

साई डाईवरशन योजना का कार्य

811. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "साई डाईवरशन" द्वारा जवाई बांध में पानी लाने की योजना कब बनी और उसका कार्य कब चालू किया गया ?

(2) उक्त योजना पर कुल कितनी लागत लगेगी और अब तक चालू होने के पश्चात् प्रति वर्ष कितनी धनराशि का कार्य किया गया है ?

(3) व्यय की गई राशि में से वास्तविक कार्य पर कितना खर्चा हुआ और स्टाफ व अन्य व्यवस्था पर कितना खर्चा हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना की पूर्ति से पाली जिले की सिंचाई के अलावा

Page No 2

(2)

(श्री शंकर लाल)
पीने के पानी की समस्या व जवाई बांध द्वारा आवश्यकतानुसार जोधपुर पानी ले जाने की समस्या हल हो सकेगी ? यदि हां, तो योजना के कार्य को जल्दी पूरा कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : (1) यह योजना सन् 1964-65 में बनी तथा इसका कार्य नवम्बर, 69 में चालू किया गया।

(2) इस योजना पर अनुमानित संशोधित लागत 3 करोड़ 25 लाख होगी तथा अब तक प्रति वर्ष निम्न प्रकार से खर्चा हुआ है :—

वर्ष	रुपये लाखों में
1968-69	3.42
1969-70	41.91
1970-71	38.78
1971-72	36.27
1972-73	32.86
1973-74	38.30 (जनवरी, 74 तक)

इस प्रकार कुल 191.54 लाख रुपये लग चुके हैं।

(3) वास्तविक कार्य पर खर्चा निम्न प्रकार से है :—

(अ)	कार्य पर	121.10 लाख
(ब)	मशीनों पर	30.00 लाख
(स)	स्टाफ पर	10.40 लाख
(द)	अन्य व्यवस्था पर	30.00 लाख

(4) इन योजनाओं के पूरा होने पर जवाई बांध की आमद बढ़ जायेगी जिससे उससे होने वाली सिंचाई में वृद्धि होगी। कार्य आगामी दो वर्षों में ही पूरा कराने के लिए वर्ष 74-75 तथा वर्ष 75-76 में आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यहां बताया है कि 64-65 में इस की योजना बन गयी थी और इस योजना पर कार्य आरम्भ हुआ है 69 में। 4-5 साल इस योजना पर कार्य नहीं हुआ। इसकी लागत तीन करोड़ रुपया बतायी गयी है और यह भी बताया है कि यह योजना दो साल में पूरी हो जायेगी। इस साल इस योजना पर 35 लाख रुपया का प्रावधान किया गया है और गये साल 60 लाख का प्रावधान था। तो क्या इस धनराशि से दो वर्ष में इस योजना का कार्य पूरा हो जाएगा जबकि इस योजना की उपयोगिता है और इसका पानी जोधपुर-जालोर तक जायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, 64-65 में इसकी योजना बनी थी और काम 69 में शुरू हुआ है। यह एक विशेष प्रकार की योजना थी। इसके लिये पहले टनल बनायी गयी है। इसके लिये टैक्नीकल डिफिकल्टीज है। अब यह पूरी हो गयी है। यही कारण था इस पर देर से काम शुरू होने का। अब प्रारंभिक कार्य हो गया है और काम भी शुरू हो गया है। उसके बाद राज्य सरकार निश्चित रूप से इस बारे में कदम उठा रही है और प्रति वर्ष इस पर खर्चा कर रही है और अब तक कुल मिलाकर 191.54 लाख का खर्चा हो चुका है। बाकी जो कार्य बचा है वह निश्चित कार्यक्रम के अनुसार दो साल में पूरा करा दिया जायेगा। अभी इस साल 35 लाख का प्रावधान है। यह चालू योजना वर्ष में से किया गया है। इसके अतिरिक्त

(श्री हीरालाल देवपुरा)
प्लानिंग कमीशन से मीडियम प्रोजेक्ट के लिये धनराशि आयेगी। जितने मीडियम प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिये हमें 109 लाख रुपये की और आवश्यकता होगी और 75-76 तक ये सारी योजनाएं पूरी कर दी जायेंगी? जो रुपये की आवश्यकता है, हमें पूरा विश्वास है कि यह रुपया प्लानिंग कमीशन से मिलेगा और अगले दो वर्षों में हम यह कार्य पूरा करा देंगे।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि अगले दो वर्षों में यह कार्य पूरा करेंगे। गत वर्ष इसके लिये जो धनराशि का प्रावधान किया गया था उसमें से 50 लाख रुपया आप खर्च नहीं कर पाये। ज राशि सेंकशन्ड थी उसको दूसरी जगह ड[illegible] किया गया। यह कार्य धीमी प्रगति से चल रहा है और इस गति से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। धीमी प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता है। इसके लिये आप क्या उपाय सोच रहे हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष इस योजना के 70 लाख रुपया स्वीकृत था। इसलिये 50 लाख रुपया दूसरी योजना पर डाईवर्ट करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर जो आंकड़े दिये हैं वे 31 जनवरी तक के हैं। उसके बाद दो महीने में तेज गति से काम हुआ है और 57 लाख रुपया और खर्च किया गया है। इस प्रकार केवल 13 लाख रुपये बचे हैं। यह 13 लाख रुपये भी खर्च नहीं हो सके हों ऐसी बात नहीं है। ओवर आल प्लान में कटौती हुई है। तो इस योजना के व्यय में भी कटौती की गयी है और यह वह राशि है।

श्री शंकरलाल : इस बांध के बन जाने से कितनी भूमि की सिंचाई होगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस वक्त वहां पर, जवाई बांध से 25 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है। इसके बंध जाने के बाद 43 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी और जोधपुर को जो पानी दिया जा रहा है यह पूरी मात्रा में दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : आज स्थगित प्रश्न है। इसलिये पहले इनको ले लें और उसके बाद समय बचेगा तो इन प्रश्नों को ले लेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन प्रश्न जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

एडजोर्न्ड क्वेश्चन है। पहले मौका नहीं मिला है। आज फिर मौका नहीं मिलेगा। यह प्रेक्टिस है, कन्वेन्शन है। इसलिये पहले इनको प्रिफरेन्स दिया जाना चाहिये। समय मिलेगा तो इनको भी लेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों को दो भागों में बांट दिया जाये। स्थगित प्रश्नों के लिये 20 मिनिट और शेष अन्य प्रश्नों के लिये 40 मिनिट। ऐसा करने में क्या हर्ज है।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहेंगे तो स्थगित प्रश्नों को नहीं भी ले सकता हूं। हाउस चाहे तो। आज 13 सवाल हैं। एक सवाल में 3-4 मिनिट लगेंगे। इसलिये कहा है।

स्थगित प्रश्न संख्या 79

गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(अध्यक्ष)

श्री लक्ष्मीनारायण, श्री मूलचन्द सामरिया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-74)

443. श्री लक्ष्मीनारायण एवं श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील राजगढ़ (अलवर) में 1 अक्टूबर, 1973 से अब तक कितना क्रूड आयल दिया गया है ?

(2) यह क्रूड आयल कितने इंजिन्स को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है और इसका सम्बन्ध वैसे नागरिक रसद विभाग से है। उद्योग विभाग का कोई लेना-देना नहीं है। इसलिये इसका जवाब तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-74)

लोक आयुक्त को सौंपे गये मामले

505. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लोक आयुक्त कानून प्रभावशील होने के पूर्व विजिलेन्स कमीशन के अधिकार में किन किन आई०ए०एस०, आई०पी०एस० आर०ए०एस० एवं इन्जीनियर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले विचारणीय थे और उनमें से किन किन के विरुद्ध प्राइमाफेसी केस निर्धारित होगये थे।

कृपया ऐसे मामलात की सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि लोक आयुक्त कानून प्रभावशील होने के पश्चात् उपरोक्त राज्याधिकारियों के विरुद्ध चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की कार्यवाही स्थगित हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो कार्यवाही कौन कर रहा है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के संबंध में हमने आपसे अनुरोध किया था कि इसकी ग्राह्यता के बारे में पुनः विचार किया जाये। आपसे आदेश प्राप्त नहीं हुआ इसलिये उत्तर देने में असमर्थता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्राह्यता किस की ? आपने अनुरोध किया परन्तु क्या मंत्री महोदय तैयार होकर आये हैं या नहीं आये है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न लिस्ट में आ गया है तो आटोमेटिकली यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कि इट हैज बीन एडमिटेड। यह एज्यूम हो जाता है। उसके बाद में मंत्री महोदय ग्राह्यता के बारे में पुनः विचार करने का कहें तो इस पर विचार होना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके पास उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक ग्राह्यता का संबंध है लिस्ट में आने के बाद तो क्वेश्चन की

(श्री अध्यक्ष)
ग्राह्यता मानी जाती है। एडमिसिबिलिटी उसकी तय हो गई। जब कि प्रश्न छप गया और लिस्ट में आ गया तो उसकी ग्राह्यता तो हो गई। कुछ इसमें आपको कठिनाई हो उत्तर देने में तो ठीक बात है। सो फार एज दी एडमिसिबिलिटी इज कन्सर्न्ड इट इज देअर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजनैतिक कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय प्रश्न दूसरे मंत्री से संबंधित है, वह बाद में जवाब देंगे यह कहकर प्रश्न को टाल देते हैं तो राज्य सरकार तो एक है। दूसरे मंत्री के पास ट्रान्सफर कर सकते हैं। यहां पर यह कहकर प्रश्न को टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : थैंक यू। श्री सांवरमल मौर्य।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, इसमें नियम इस तरह के हैं कि जब किसी मंत्री के पास प्रश्न जाय और यदि उनके द्वारा उसका जवाब नहीं दिया जाना है तो उन्हें तुरन्त उस डिपार्टमेंट को भेज देना चाहिए और यहां पर उसका ऐतराज नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप सही फर्मा रहे हैं।

श्री सांवरमल मौर्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह उत्तर दे रहे है 505 का।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास उत्तर नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

प्रश्न संख्या 519

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-74)

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल मौर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस पर व्यवस्था तो हो जाय।

श्री अध्यक्ष : आसन की तो व्यवस्था है; वह तैयार नहीं है तो क्या करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : कितना····

श्री अध्यक्ष : नार्मली गवर्नमेंट को तैयार होकर आना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका मतलब यह है कि हम यह समझ लें कि लोक आयुक्त के पास में कोई मुकद्मा नहीं है। वह बैठे हुए हैं मौन होकर और कोई कार्य नहीं हैं उनके पास। तो ख्वामख्वाह एक्सचेकर पर यह खर्चा है इसलिए क्यों न उनको विदा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

स्थगित प्रश्न

(दि० 28-3-74)

547. **श्री मीठालाल** (लालसोट) एवं **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग

Page No 6

(6)

(श्री मीठालाल एवं श्री मूलचन्द) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं ? इनमें से कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्रियां चालू हैं और कितनी बन्द हैं ? प्रत्येक चालू फैक्ट्री के मासिक उत्पादन एवं वितरण की सूची पिछले दो वर्षों की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में सीमेंट नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में निर्मित सीमेंट अन्य प्रदेशों को काफी मात्रा में भेजा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार का इन फैक्ट्रियों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है ? यदि हां, तो फिर किन किन शर्तों के आधार पर इन फेक्ट्रियों को सस्ती दरों पर कोयला, भूमि, खान, पानी एवं बिजली आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान में कुल चार सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। सब चालू हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद, इनका उत्तर तो आया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पिछले दो वर्षों के मासिक उत्पादन तथा वितरण की सूची....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें निरुत्तर नहीं हुए हैं आपसे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर तथा बिरला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ से ही प्राप्त हुई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : बाकी नहीं हुई है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शेष दो फैक्ट्रियों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा इसके लिए एक निर्धारित मात्रा प्रति तिमाही प्राप्त होती है तथा उसी के अन्तर्गत आवंटन किया जाता है। पूरे राष्ट्र में सीमेंट की कमी होने के कारण से यह व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है।

(3) जी हां। सम्पूर्ण देश में किस सीमेन्ट फेक्ट्री को किस राज्य को कितनी सीमेंट दी जाय, यह भारत सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है।

(4) सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा सीमेंट वितरण पर भारत सरकार का ही कन्ट्रोल है। राज्य में उद्योग को सुविधा जो दी जाती है वह इसलिए दी जाती है कि राज्य में अधिक से अधिक पूंजी उद्योगों में लगायी जाय व राज्य का शीघ्र औद्योगिकरण संभव हो।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, अभी दो की तो सूची ही नहीं दी। वह देना चाहिए लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने इन फैक्ट्रियों को विशेष सुविधा दे रखी है, और भारत सरकार सीमेंट का वितरण करती है। यह जो मैंने पूछा था कि किन शर्तों के आधार पर वह दी हैं वह तो दे दीं। आप विशेष व्यवस्था बिजली की करते हैं वह इसलिए कि राज्य को विशेष सुविधा दें तो क्या आपने केन्द्रीय सरकार को

Page No 7

(7)

(श्री मीठा लाल)
इस मामले में लिखापढ़ी की है कि हमारे यहां पर सीमेंट की आवश्यकता है तो हम जिस प्रकार की जैसी सुविधा देते हैं उसके अनुसार विशेष कोटा दें । इसके लिए क्या आपने केन्द्रीय सरकार से बात की है ?

श्री अध्यक्ष : मैं बीच में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगित प्रश्न मैंने लिये हैं उनके लिए मैं इसमें यह चाहता हूं कि दो-दो सप्लीमेन्ट्रीज से ज्यादा न पूछे जायें तो वापिस सवालों पर आ जायेंगे । आम तौर से दो-दो सप्लीमेंट्री पूछ लें ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : एक प्रश्नकर्ता और एक दूसरा ।

श्री अध्यक्ष : किसी का हो ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : विशेष सुविधाएं तो राजस्थान के औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगपतियों को एट्रेक्ट करने की दृष्टि-से देते हैं ताकि हमारे यहां पर उद्योग पनपें और हमारे यहां का अनएम्प्लायमेंट का प्राब्लम साल्व हो । राजस्थान के औद्योगिक विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वह देते हैं ।

जहां तक सीमेंट के आवंटन का प्रश्न है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है । वह भारत सरकार के पास है । राज्य सरकार अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से बारबार निवेदन करती है, लेकिन सारे देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो आवंटन करती है उसके हिसाब से हमें कोटा मिलता है ।

श्री मीठालाल : जब आपने कभी केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया कि हमें विशेष कोटा आवंटन करें तो क्या जवाब मिला ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भारत सरकार से निवेदन किया गया तो सारे भारतवर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोटे का आवंटन किया है यह कहा है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा प्रश्न यह है कि ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । मैंने खास तौर से प्रार्थना की है कि दो से ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं पूछें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-74)

कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के सम्बन्ध में नियम

609. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट करने के लिये कोई नियम बनायें हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) उन्हें कम्पलसरी रिटायर करने के लिए राज्य सरकार किन मूलभूत सिद्धान्तों और मापदण्ड का पालन करती है ? उनके बारे में सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा गठित समिति उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामलों पर गौर करती है, यदि हां, तो उक्त समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

Page No 8

(8)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(4) राज्य सरकार ने गत तीन सालों में किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों को रिटायर किया है ? सूची मय पते के सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

माननीय सदस्य : इसका तो उत्तर है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : विभाग से सम्बन्ध नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूं ।

(1) जी हां, नियम की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूर्ण कर ली है, उनके सेवा अभिलेखों, गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जांच पत्रावलियां व अन्य शिकायतों की जांच के आधार पर यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि अमुक अधिकारी या कर्मचारी गण राज्य सेवा के योग्य नहीं रह गये हैं तो ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत कम्पलसरी रिटायर किया जाता है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सेवाओं की अधिकारियों के व अन्य कर्मचारियों के स्क्रीनिंग के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं जो ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों इत्यादि की जांच कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं । राज्य सेवा अधिकारियों एवं अधीनस्थ सेवा अधिकारियों के लिए गठित समितियों की सिफारिशों पर राज्य सरकार निर्णय कर उचित आदेश देती है । मन्त्रालयिक कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए गठित समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागाध्यक्ष उचित आदेश प्रसारित करते हैं । विभिन्न सेवाओं के लिए गठित समितियों की सूची संलग्न है ।

(4) सूची संलग्न है । (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अक्तूबर, 1973 से जो आपकी लिस्ट मैंने देखी है एक भी अधिकारी को कम्पलसरी रिटायर नहीं किया गया है। तो यह कम्पलसरी रिटायरमेंट की जो प्रगति है वह बहुत ही धीमी है। (हंसी) आप लिस्ट देख लें। एक भी अधिकारी को कम्पलसरी रिटायरमेंट नहीं दिया गया है । चीफ मिनिस्टर हरिदेवजी जोशी बने हैं तब से एक भी कम्पलसरी रिटायरमेंट नहीं हुआ है । इस संबंध में क्या एक्स चीफ मिनिस्टर की पालिसी को फालो करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर तो कम्पलसरी रिटायर हो गये ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप ने किसी एक भी अधिकारी को किया हो तो बता दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : श्री जी० पी० गुप्ता को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया है । रूपराम व्यास....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : डेट बता दें ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ये चाहते हैं कि अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल दें ।

एक माननीय सदस्य : आप जब से मंत्री बने, तब से सारे अधिकारियों को....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह बताना कठिन है कि 73 में कितने आदमियों को रिटायर किया गया है। कमेटी का प्रावधान है जांच करने के लिए। कमेटी की मीटिंग एक साल भर में होती है। पिछले वर्ष में जो मीटिंग होती है उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। इस वर्ष कमेटी बैठेगी..

श्री वृद्धिचन्द जैन : कब बैठेगी ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वर्ष की समाप्ति के बाद ही बैठेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शंकर लाल (पाली) : कितने विचाराधीन मामले हैं कम्पलसरी रिटायरमेंट के आपके पास ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो मामले विचाराधीन हैं कमेटी उन पर विचार करेगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मीठालाल।

श्री विजयसिंह : हर महीने मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-74)

केरोसिन की तस्करी

622. **श्री मीठालाल (लालसोट)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में केरोसिन की तस्करी, काला बाजारी व जमाखोरी के कितने कितने मामले सरकार की पकड़ में आये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त कितने मामलों में सरकार ने अन्तिम निर्णय लेकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति में जनता ने इस प्रकार के कई मामले स्थानीय व उच्च अधिकारियों के द्वारा पकड़ा कर माल बरामद करवाया ?

(4) क्या यह भी सच है कि ऐसे संगीन मामलों में भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उन्हीं एजेन्टों को लगातार कैरोसिन मिल रहा है। यदि हां तो क्यों !

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का संबंध भी उद्योग विभाग से नहीं है और जो नागरिक रसद विभाग है उससे संबंधित है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि यह व्यवस्था की जाय कि किसी महकमें से संबंधित सवाल नहीं हो तो माननीय मंत्री उसको संबंधित विभाग को ट्रान्सफर कर दें। आज आप इस बारे में यह व्यवस्था दे दें। सरकार को इस बात का डाइरेक्शन देना चाहिये कि यदि किसी महकमे का सवाल नहीं हो तो यह उसको भेज दें और यहां पर जब क्वेश्चन पूछा जाय तो यह कह दिया जाय कि हमारे महकमे का सवाल नहीं है। यह सरकार की रेस्पान्सिबिलिटी है कि उसको संबंधित मंत्री को भेजें।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : गलती यहां पर भी लगती है यदि दूसरे का

(श्री हरिदेव जोशी)
था और स्थगित प्रश्न था तो पहले ही लगा देना चाहिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपकी यूनाइटेड रेस्पान्सिबिलिटी नहीं है क्या ?

एक माननीय सदस्य : ज्वाइन्ट।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या आपकी ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है इस बात से ना नहीं कर रहा हूं... मैं नहीं, नहीं कर सकता हूं। इस प्रश्न के बारे में उद्योग विभाग से तैयार होकर नहीं आ सका, इसलिए उत्तर नहीं दिया जा सका।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में प्रश्न मंत्रालय को गया है। दूसरे मन्त्रालय से संबंधित प्रश्न था तो इस सदन में कई बार पहले यह व्यवस्था हो चुकी है। वह जिस मन्त्रालय का हो वह संबंधित मन्त्रालय को भेज दें। उसकी सूचना यहां दे दें। कई बार इस पर व्यवस्था हो चुकी है। आगे के लिये यह रहेगा कि यह प्रश्न जिस मन्त्रालय में गया है, उससे संबंधित नहीं है तो दूसरे मन्त्रालय को भेज दें और इस सचिवालय को सूचना दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस व्यवस्था के उल्लंघन पर ब्रीच आफ प्रिविलेज है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई परम्परा आपने तो बनाई नहीं, जब आप अध्यक्ष थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब आप परम्परा बना दें। भूल की है उसको सुधार दें।

श्री मीठालाल : आज यह जनरल बात है। जो रंगे हाथों पकड़ लिये गये हैं उनको द्वारा कैरोसिन और डिजल सप्लाई नहीं करें इसके बारे में सरकार निर्णय ले लें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

शहरों में किसानों के ट्रेक्टरों का चालान

661. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने ट्रेक्टर्स हैं ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाय।

(2) क्या यह सही है कि किसान जब अपना ट्रेक्टर शहरों में सामान, चारा या खाद्य पदार्थ लेकर जाते हैं तो यातायात निरीक्षक अक्सर उनके चालान भर लेते हैं? अगर हां, तो ऐसे कितने चालान राजस्थान में कोर्ट्स में पेण्डिग हैं ? जिले वाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

श्री यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): राजस्थान में कुल 19,262 ट्रेक्टर्स पंजीकृत हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। खेती से सबधित सामान लाने ले जाने पर कोई चालान यातायात निरीक्षकों द्वारा नहीं किया जाता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : क्या यह सच है कि शहरों के अन्दर जब तक किसान पुलिस वालों को पैसा नहीं दे उस वक्त तक रोज उनके चालान होते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : बिल्कुल सही है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : क्या सरकार ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स जारी करेगी कि किसानों को तंग नहीं किया जाये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय ने जिलेवार सूची तो दे दी है लेकिन मैंने यह मांग की थी कि कितने केस पेंडिंग हैं । कितने चालान भरे हैं ? वह जानकारी नहीं दी है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, सभी जिलों से सूचना प्राप्त हो गई है । कहीं भी किसी किसान के पास से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । जो किसान धन्धा करते हैं, उसके मुकदमें चले हैं । दरअसल जिन किसानों के पास ट्रेक्टर हैं, उनके चालान नहीं हुये हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : काम में आनेवाली चीजों के लिये शहरों में जाते हैं । तब उनके चालान भरते हैं । जबकि चालान कान्सटेबिल और हैड कान्सटेबिल भरते हैं । तो आप ऐसी व्यवस्था देंगे कि इस प्रकार से तंग नहीं किया जाये ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अगर नियम है, जो भी प्राइवेट ट्रेक्टर है, भाड़े पर नहीं चले । इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर ?

सुजला विज्ञान कालेज का लाइब्रेरी हॉल

665. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुजला विज्ञान कालेज में लाइब्रेरी हाल का काम अधूरा है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालेज भवन राज्य सरकार ने श्री हनुमान मल बैंगानी से डोनेशन की रकम लेकर बनाया था और भवन बनाने के पहले दानदाता और राज्य सरकार के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुये थे ? अगर हां, तो उस एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या राज्य सरकार ने दानदाता से किये गये एग्रीमेंट के अनुसार भवन का निर्माण सम्पूर्ण नहीं करवाया है ? अगर हां, तो क्या कमी रही है और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, धनाभाव के कारण कार्य पूरा न किया जा सका ।

(2) जी हां । एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) दानदाता ने केवल 4 लाख रुपये विज्ञान कालेज भवन के निर्माण हेतु देने का इकरार किया था । 2 लाख रुपये दानदाता से 2-8-67 को, 1 लाख रुपये 8-4-70 को व 50 हजार रुपये की राशि 28-6-73 को प्राप्त हुई । इस प्रकार 3 लाख 50 हजार रुपये की राशि दानदाता से प्राप्त हुई है । 50 हजार रुपये अभी दानदाता में बाकी हैं । जैसे जैसे दानदाता से राशि आती गई, भवन निर्माण पर खर्च होती गई । क्यों कि आज की महंगाई में चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं । अब कालेज भवन पर 7 लाख 58 हजार रुपये व्यय का अनुमान है । परन्तु राज्य सरकार वित्तीय कठिनाई से और राशि अपने साधनों से नहीं जुटा सकती । इस कारण 4 लाख रुपये में कालेज भवन प्लान के अनुसार निर्माण नहीं हो सकता ।

Page No 12

(12)

(शिक्षा मंत्री)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, जो दानदाता से प्राप्त हुआ है, उसका मतलब यह नहीं है कि लाइब्रेरी भवन अधूरा रहे। 10 हजार रुपये देने से ही वह पूरा हो सकता है। क्या मैं यह निवेदन करूं कि उस एग्रीमेन्ट से सरकार बन्धन में है ; क्या सरकार इस प्लान में इस कालेज भवन को पूरा कर देगी। दूसरा यह है कि लाइब्रेरी भवन के लिए सोहनलाल दुगड़ का 7 लाख रुपये का और भी डोनेशन का वचन दिया हुआ है। सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस एग्रीमेन्ट में प्रश्न कर्ता स्वयं एक विटनेस थे। राज्य सरकार ने वायदा किया था कि कालेज में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलोजी खोली जायेगी। गवर्नमेन्ट ने यह वायदा किया था कि टेक्निकल और नॉन टैक्निकल कर्जा सरकार देगी। जहां तक बिल्डिंग का प्रश्न है। दानदाता ने यह कहा था कि इसका नाम रामलाल बेगानी साइन्स कालेज होना चाहिए। जब वह अपने पिता का नाम लगाना चाहते हैं तो एग्रीमेन्ट के अनुसार 7 लाख रुपये में कमी पड़ रही है, वह हमको दे दें। हम उनको नाम लगवा दें और सुचारु रूप से चलायें।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, हम विटनेस जरूर हैं लेकिन एग्रीमेन्ट में यह नहीं है कि जितना पैसा लगायेंगे, वह दानदाता देगा। बल्कि यह है कि जो 4 लाख रुपया दे रहे हैं। उसमें इस प्रकार का जिक्र नहीं है। यह सरकार की ड्यूटी है कि वह उसको पूरा करे।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, उस वक्त दानदाता ने कहा था। उस वक्त 4 लाख का एस्टीमेट था। उस वक्त वह पूरा दे देते तो पूरा हो जाता। इस दरमियान मंहगाई आ गई है। जिससे कि यह अधूरा रह गया है।

श्री दीपंकर : आप अपने पी० डब्ल्यू० डी० की मार्फत बनवाइये। यह सरकार पर कलंक है।

श्री खेत सिंह : सरकार पर कोई कलंक नहीं। बिल्डिंग पी० डब्ल्यू० डी० की मार्फत बन रही है। दानदाता ने समय पर रकम नहीं दी। इसकी वजह से चीजों ने भाव बढ़ गये हैं। आप को पैसा दिलाना पड़ेगा।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेन्ट में कहीं नहीं है कि 4 लाख से ज्यादा रुपये दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्र ुम्न सिंह : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार की निगाह के अन्दर है और हम लोगों के देखने में ऐसे केसेज आते हैं कि बड़े बड़े धनवान और बड़े बड़े पूंजीपति कह जाते हैं कि हम पूरा पैसा दे देंगे, लेकिन एक दफा में देते नहीं है। और बाद में यह झगड़ा खड़ा होता है। क्या सरकार भविष्य में यह इरादा रखती है, जो पैसा देने की बात करते हैं वह जब तक पूरा पैसा नहीं दे देंगे तब तक उनके साथ में एग्रीमेन्ट नहीं किया जायगा ? क्या सरकार की यह नीति है ?

श्री खेतसिंह : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। भविष्य में इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक तरह से तो वह डोनेशन देकर आपका परपज सर्व करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : दो सप्लीमेन्ट्री की बात कही थी । हर स्थगित प्रश्न पर दो सप्लीमेन्ट्री करने की बात थी ताकि मूल प्रश्न भी लिये जा सकें ।

श्री केसरी मल ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-4-74)

ब्यावर लेबर कालोनी में बिजली

671. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में लेबर कालोनी को बने करीब 12 वर्ष हो गये और अभी तक इस कालोनी में बिजली नहीं लगाई जा सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में विद्युत लाइन लगाने के लिये राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से दस हजार रुपया दिया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दस हजार की रकम खर्च कर जो विद्युत लाइन खेंची गई वह गलत खींची गई है और इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने इस लाइन को काम में लेने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्या जिस अधिकारी ने यह कार्य कराया और जिस ठेकेदार ने गलत कार्य किया उसे जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) श्रम विभाग इस कालोनी में रोशनी का प्रबन्ध कब तक करा सकेगा ?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) :

(1) जी नहीं, इस बस्ती में बिजली की लाइन लगा दी गई है ।

(2) जी हां, इस कालोनी में बिजली की लाइन लगाने के लिये दस हजार की स्वीकृति दिनांक 12-9-68 को दी गई थी ।

(3) जी नहीं. 10 हजार की रकम खर्च कर जो विद्युत लाइन कालोनी में खींची गई उसके गलत होने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को विद्युत मण्डल द्वारा काम लेने से इन्कार करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः ठेकेदार अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) कालोनी में स्ट्रीट लाइट चालू है, तथा इंटरनल फिटिंग का काम भी पूरा हो चुका है । जो व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहें वह ले सकते हैं ।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा यह लाइन ठीक थी तो दूसरी लाइन म्युनिसिपैलिटी के जरिये खिचवाने की जरूरत क्यों पड़ी ? क्या यह सही है कि 13 खम्भे म्युनिसिपैलिटी की तरफ से लगाये गये ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहली लाईन जो डाली गयी उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, रेल्वे क्रासिंग से ले जानी पड़ी इसलिए देरी हुई, उसके लिए परमिशन लेने की तकलीफ थी । उसके बाद दूसरी लाइन स्वीकृत हुई और दस हजार रुपया दिया गया । दूसरी लाइन डाल दी गई है और 152 क्वार्टर हैं उनमें इन्टरनल फिटिंग हो चुका है । 16 स्ट्रीट लाइट

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
जल रही हैं और 13 आदमियों ने कनेक्शन ले लिये हैं, दूसरे लेना चाहें ले सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कह सकते हैं।

श्री केसरीमल : कनेक्शन दूसरी लाइन से लिये गये हैं, जो म्युनिसिपलिटी की तरफ से डाली गई है। पहली लाइन डाली गई है उसको मंजूर नहीं किया है; वह मकानों के ऊपर आ गई है। यह कनेक्शन दूसरी लाइन से दिये हैं। बाकी के लोगों को कनेक्शन देने की बात है उसके लिए और लाइन डालनी पड़ेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसी लाइन से कनेक्शन दिये गये हैं, 16 स्ट्रीट लाइट जल रही है और 13 क्वार्टर भी लाइटेड हैं। और कोई शिकायत हो तो मुझे कह सकते हैं, मैं जांच करवा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री अमृतलाल गहलोत।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-4-74)

राजस्थान में नियुक्त डॉक्टर

673. **श्री अमृतलाल गहलोत** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में इस समय कितने डॉक्टर टेम्प्रेरी, एडहॉक और प्रोबेशन पर कितने समय से कार्य कर रहे हैं ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर मय पद के रखें।

(2) राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार अधिकतम कितने समय तक एक डाक्टर टेम्प्रेरी, एडहॉक और प्रोबेशन पर रखा जा सकता है ?

(3) यदि कोई अधिकारी उपरोक्त रूल्स की अवहेलना का दोषी है तो उसके साथ अनुशासन भंग के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित क्या, समाप्त कर देता हूं इस सत्र के लिए तो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-4-74)

जयपुर शहर में आये सरकार के मेहमान

675. **श्री मोहम्मद गफ्फारअली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में सन् 1971-72 और 1972-73 में राज्य सरकार के कितने मेहमान आये ?

(2) जो मेहमान जयपुर में आये उनमें से कितने मेहमानों के विषय में टूरिज्म के डाइरेक्टर ने सिटी पैलेस में चार रुपये फी मेहमान का खर्च किया ? मेहमानों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे लोगों का पैसा अदा किया गया जो मेहमान की तारीफ में नहीं आते ?

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

(4) उपरोक्त वर्षों में विदेशी मेहमानों को तोहफे के तौर पर दिये जाने के लिए कितनी राशि खर्च करके राजस्थान सरकार के मेहमानों के लिए पोशाकें और दूसरी चीजें खरीदी गई ? और उनका आधार क्या था ?

(5) क्या यह सच है कि यह तोहफे बिला टेण्डर हासिल किये खरीदे गये ?

राज्य मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि इसकी सूचना पूर्ण एकत्रित नहीं हो पाई, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, यह तीन दफा स्थगित हो चुका है..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारी सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं तो हाउस को ही स्थगित किया जाय ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इतना बड़ा घोटाला है, रिश्तेदारों वगैरह को पैसा दिया गया है । आप सूचना नहीं रखना चाहते हैं । इसको दो मर्तबा स्थगित किया है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि आधा जवाब है तो आधा जवाब ही दे दें । आपने कहा है कि पूरी सूचना नहीं आयी है तो अपूर्ण ही दे दें । जितनी है वह दे दें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जितनी जानकारी आयी है वह दे दें ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यही जानकारी थी ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास पूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं होने की वजह से मैं निवेदन करूंगा कि इसे स्थगित किया जा

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हाजी जान मोहम्मद ।

प्रश्न संख्या 683

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट । श्री सुरेश चन्द । श्री हनुमान सहाय व्यास । श्री राजेन्द्र सिंह । श्री गुरदयालसिंह । श्री चुन्नीलाल इंदलिया । श्री चेतराम ।

फियेट एवं वास्पा स्कूटर का अलॉटमेंट

812. **श्री सुरेशचन्द्र, श्री हनुमान सहाय व्यास, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री गुरदयाल सिंह, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री चेतराम** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में फियेट कार व वास्पा स्कूटर का राजकीय कोटा कितना निर्धारित है तथा उक्त कोटे में से विधायकों का कितना कोटा है ?

(2) मार्च, 1972 से अब तक किन किन विधायकों को किस किस तारीख को फियेट कार व वास्पा स्कूटर अलॉट किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अलाटमेंट का सरकार द्वारा कोई आधार तय है ? यदि हां, तो वह क्या आधार है ?

(4) प्रदेश के किन किन विधायकों ने किस किस तारीख को फियेट कार व वास्पा स्कूटर के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

श्री यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल रूंगाणी) : (1) राज्य का फियेट (प्रीमियर

(यातायात मंत्री)
प्रेसीडेंट) कार व वैस्पा (बजाज) का कोटा निम्न प्रकार निर्धारित है :

श्री गुरदयाल सिंह संधु: इसकी सूची नहीं मिली है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : (1) फियेट कार (प्रीमियर प्रेसीडेंट) 25 प्रति क्वाटर ।

(2) वैस्पा (बजाज) 60 प्रति क्वाटर ।

उक्त कोटे में से विधायकों के लिये सामान्यतः दो फियेट कार और 7 वैस्पा स्कूटर प्रति क्वाटर सुरक्षित रखे जाते हैं ।

(2) मार्च, 1972 से अब तक जिन विधायकों को फियेट कार व वैस्पा स्कूटर आवंटन किये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(3) जी हां । अलाटमेंट प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने की तारीख, वाहन की आवश्यकता, पहले से कोई वाहन होना, पूर्व में राजकीय कोटा से वाहन का अलॉट होना आदि बातों का अलाटमेंट के समय ध्यान में रखा जाता है ।

(4) जिन विधायकों ने बजाज स्कूटर व प्रीमियर प्रेसीडेन्ट कार हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री राजेन्द्र सिंह : सूची नहीं मिली है ।

श्री चेतराम : सूची नहीं मिली है ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : सूची नहीं मिली है ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपके पास सूची है, वह पढ़ दीजिये ।

श्री सुरेशचन्द्र : जो सूची में फियेट कार का एलोटमेंट बताया है, 21 नाम बताये हैं, उसमें अधिकतर व्यक्ति मंत्री और भूतपूर्व मंत्री हैं, क्या यह सही है ? विरोधी दल से केवल दो सदस्य हैं । तो क्या आधार था आवश्यकता सत्ता पक्ष के लोगों को रही है और विरोधी पक्ष के लोगों को नहीं रही है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह बात नहीं है जो आप कह रहे हैं ।

श्री रामकिशन : यह ताज्जुब की बात है, दो विरोधियों ने खरीद ली । कौनसे दो विरोधियों ने कार ले ली ? कौन इस हैसियत के हैं महारावल साहब के अलावा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विरोधियों में से किस किस ने एप्लाई किया है फियेट कार के लिए ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जिन्होंने एप्लाई किया, गुमानमलजी विरोधी पक्ष के सदस्य हैं उन्होंने एप्लाई किया, मैंने फौरन दे दी . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : जोधपुर के हैं इसलिए ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : निरंजननाथजी आचार्य ने एप्लाई किया, उनको फौरन दे दी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : फियेट कार वाले चिल्ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) एक एक सदस्य बोलें, कृपया ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं यह जानकारी चाहता हूं कि किस आधार पर दिय गये ? अगर एप्लीकेशन वाइज . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रेम के आधार पर दी गई हैं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : जिन लोगों ने पहले दर्ख्वास्त दी हैं उनको पहले क्यों नहीं दी गई ? उन्हें क्यों भुला दिया गया ? किस कारण से कांग्रेस वालों को सारी दीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या आप गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को जल्दी देने का विचार रखते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं अवश्य, कोटा बढ़ेगा तो सब सदस्यों को देने की कोशिश करूंगा। एक और बात चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न उठ चुका है, मैं चाहूंगा, कई माननीय सदस्यों को वैस्पा नहीं, लम्ब्रेटा दिया जाता है तो वह रिजेक्ट करते हैं। जिन्हें भी लम्ब्रेटा मिले, आप जरूर लीजिये। जैसे जैसे कोटा आयेगा, मैं देने की कोशिश करूंगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : एप्लीकेशन-वाइज दिया जा रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष (श्री विट्ठल भाई के बोलने के लिए खड़े होने पर) : आप भी उस कैटेगरी में आते हैं। आप सुनिये। मैं कहूं, आप सुनिये। उसमें एतराज क्या है ? या नहीं सुनने का इरादा है ? एक एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछें तो उत्तर आ जायगा। सब एक साथ प्रश्न पूछते हैं तो किसी का उत्तर नहीं आयेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सबको जरूरत है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सबको सप्लीमेण्ट्री करने का मौका दिया जाय। सबको सप्लीमेण्ट्री करने हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री सुरेशचन्द : मैं यह पूछूं, मंत्री महोदय ने जवाब में बताया आधार, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने की तारीख, वाहन की आवश्यकता। मैं जानना चाहूंगा क्या यह आवन्टन किया गया है, यह प्रार्थना-पत्र की तारीख के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर किया गया है या आवश्यकता के आधार पर किया गया है ? और क्या यह सही है कि जो फियेट कार का एलाटमेंट किया गया है, माननीय गुमानमलजी और माननीय निरंजननाथजी को, 21 में से केवल 2 विरोधी पक्ष के सदस्यों को किया गया है और 19 मंत्री और भूतपूर्व मंत्रियों को किया गया है ?

श्री दीपंकर : पर्सेन्टेज इतना ही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसे आपको मैंने स्कूटर एलाट किया है, सुनिये, आपको किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कर दिया ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसका आधार था, गांव में नहीं शहर में रहते हैं। यह क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन की तारीख, या पहले कोई वाहन लिया है या नहीं। हम इन आधारों को और दूसरे आधारों को मद्देनजर रखते हुए अलाटमेंट करते हैं। मेरे ख्याल में, चूंकि कोटा कम है और ज्यादा डिमाण्ड है इसलिए अलाटमेंट में कोई न कोई निराशा या असंतोष जरूर होगा। फिर भी हम भरसक प्रयत्न करते हैं कि हर विधायक को इस आधार पर अलाटमेंट किया जाय।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री विट्ठल भाई : दस-ग्यारह साल हो गये लेकिन आज तक विरोधी पक्ष का होने के कारण नहीं दिया गया——……

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ।

(शोरगुल)

सदन के नेता महोदय, सदन के नेता महोदय ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा क्रिटिकल मामला है। मैंने पहले भी एक बार आपसे निवेदन किया था कि कार्स और स्कूटर्स आते कुछ कम हैं और माननीय सदस्यों की आवश्यकतायें ज्यादा हैं। कोशिश करते हैं सारे को देने की मगर पार नहीं पड़ती है। मैंने पहले भी एक निवेदन किया था कि इसको आप अपने हाथ में ले लें और बांट लें। शायद आपकी भी एमबैरेसिंग पोजीशन हो जाती है कि किसको दें, किसको नहीं दें। इसलिए मैं समझता हूं, जिस तरह से मकानात के एलाटमेंट के लिए हाउस कमेटी बना दी है, वैसे ही इन स्कूटर्स और कार्स को विधायकों को एलाट करने के लिए हाउस की एक कमेटी एपाइंट की जाए। सरकार के कोटा से।

कई माननीय सदस्य : बढ़िया ।

श्री मीठालाल : आर०ए०एस० व आई०ए०एस० से कम न हो।

(शोरगुल)

श्री विट्ठल भाई : 13 साल हो गए, आज तक मुझे क्वार्टर एलाट नहीं हुआ, एप्लाई किया, पक्षपात होता है। जिनको डेढ़-दो साल आए हुए हो गए उनको एलाट हो गए।

श्री अध्यक्ष : जब सदन के नेता बोलते हैं तो बीच में नहीं बोला जाता है।

श्री विट्ठल भाई : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : जब आसन कुछ कहता है तो उसको मानना चाहिए।

श्री विट्ठल भाई : आपकी पक्षपात की नीति है, आप नहीं हैं देने वाले।

श्री हरिदेव जोशी : एम०एल०एज० के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है, उसको सदन के कमेटी के डिस्पोजल पर रख देंगे और कमेटी जैसा उचित समझेगी उस प्रकार से वितरण करे।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

राज्य सरकार द्वारा जयपुर उद्योग लि० के प्रिफरेन्शियल शेयर्स की खरीद

813. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर से राज्य सरकार ने जो 75 लाख रुपए के प्रिफरेंस शेयर खरीदे थे उनकी शर्तें क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त 75 लाख रुपए की राशि के प्रिफरेन्स शेयर पर जयपुर उद्योग लिमिटेड राज्य सरकार को 3 प्रतिशत का डिविडेंड (लाभांश) 3/4 टैक्स काट कर देता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार से राज्य सरकार को लाभांशों का केवल $2\frac{1}{4}$ प्रतिशत ही प्राप्त होता है ?

(4) 75 लाख रुपए के प्रिफरेन्स शेयर खरीदने के पश्चात् क्या राज्य सरकार ने कभी जयपुर उद्योग लिमिटेड को लाभांश की दर 3 प्रतिशत से अधिक करने के लिए कहा ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

Page No 19

(19)

राज्य उद्योग मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान सरकार को आवंटित 75 लाख रुपए के प्रिफरेन्स शेयर्स तीन प्रतिशत टेक्सेबिल क्यूमूलेटिव प्रिफरेन्स शेयर्स हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। लाभांश की दर में वृद्धि प्रस्तावित करने हेतु कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। न ही लाभांश की दर में वृद्धि करने हेतु नियमान्तर्गत कंपनी को बाध्य किया जा सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला जो शर्तें तय हुई थी उस बारे में मैंने निवेदन किया था कि उसकी कापी देने का कष्ट करें। किन शर्तों पर 75 लाख रुपए इस कम्पनी को दिए गए थे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये शेयर्स राज्य सरकार ने किस साल में खरीदे या पहले जयपुर स्टेट के समय के खरीदे हुए थे तो साल बताने की कृपा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये प्रिफरेन्स शेयर्स इतने कम ब्याज पर हैं, आप इस कंपनी को अभयदान दे रहे हैं कि आगे भी इस रेट को बढ़ा नहीं सकते तो क्यों नहीं सरकार टेकओवर करके और बाकी शेयर्स को भी लेकर पूरी तरह से नेशनलाइज कर दें ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कंपनी कितने साल से घाटे में चल रही है और आगे जाकर यह कंपनी चलने वाली नहीं है और 75 लाख रुपए डूबने वाले हैं, मिलने वाले नहीं है।

श्री अध्यक्ष (श्री योगेन्द्र नाथ हांडा के खड़े होने पर) : पहले 4 का तो जवाब आ जाए।...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 5 में परमेश्वर होता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जयपुर उद्योग लिमिटेड से ये जो 75 लाख रुपए के प्रिफरेन्स शेयर्स ख़रीदे गए थे वे जयपुर स्टेट ने 1948 में खरीदे थे और जयपुर उद्योग और जयपुर सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके आधार पर 3 प्रतिशत की बात ही उसमें की गई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह बात भी बताओ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 3 प्रतिशत टैक्सेबल है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पूरा 3 प्रतिशत पड़ता है और अभी भी जो राज्य सरकार को आमदनी हो रही है और वित्त विभाग से जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर 3 प्रतिशत का डिवीडेंड मिल रहा है ? ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : पूरा पढ़ें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बोल रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अधिकारियों ने आपको गलत बता दिया होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : Dividend is @ 3%. No tax is deducted by the Co. on the shares. यह वित्त विभाग ने बताया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कुल कितनी आमदनी हुई ? अभी आप बोल रहे थे कि 3 प्रतिशत के हिसाब से····

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फिगर्स मेरे पास नहीं हैं मैंने कहा टैक्स नहीं कटता है और वित्त विभाग रिकवरी कर रहा है, टैक्स की कोई रिकवरी नहीं होती है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कितनी रिकवरी हो रही है ? रिजर्व बैंक को आप क्या दे रहे हैं ? आज जो राज्य सरकार पर कर्जा है उसका रेट आफ इन्टरेस्ट क्या देना पड़ रहा है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जो स्टेट के समय एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या राज्य सरकार उनको कैंसिल कर सकती है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं कर सकती है । एग्रीमेंट की धारा के हिसाब से कंपनी से पूछे बगैर हम शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो सही है कि कंपनी को आप इस बारे में कह नहीं सकते लेकिन क्या यह सही है कि आपके वित्त विभाग ने बार बार इस बात के लिए कहा है कि यहां से 3 प्रतिशत जो डिवीडेंड मिल रहा है उसके एवज में सरकार को 10-11 प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है, उसकी वजह से स्टेट को 7 लाख का सालाना नुकसान हो रहा है और यह बात कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, जिसमें अधिकांश शेयर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड के या राज्य सरकार के हैं और जिसमें आपका प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में है, उद्योग सचिव हैं, क्या आज तक कभी उन्होंने इन शेयर्स के बारे में 3 प्रतिशत रेट बढ़ाने के बारे में कभी बात की

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक वित्त विभाग का सवाल है, वह खुद कहता है कि अंडर दी ला no proposal for change in the terms of agreement can be moved.

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने कहा वित्त विभाग से उद्योग विभाग कहे कि रेट ऑफ इन्टरेस्ट बढ़ा दिया जाए, वहीं वित्त विभाग की राय मैंने आपको बता दी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : डिवीडेंड की बात है । रेट ऑफ इन्टररेस्ट दूसरी समस्या है, आप तो कंपनी मामलों के मास्टर हैं ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावात : रेट आफ इन्टरेस्ट तो इसमें नहीं है, इसमें प्रश्न डिवीडेण्ड का है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : राज्य सरकार जो ब्याज देती है उसमें और राज्य सरकार का जो 75 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके एवज में सरकार को 3 प्रतिशत डिवीडेन्ड मिल रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी ने 89 लाख नुकसान लास्ट इअर, 79 लाख बिफोर लास्ट इअर बताया, सीमेंट के रेट्स ऊंचे हो जायं और उनका सारा धंधा नंबर दो में चलता रहे, फैक्टरी कहती है सीमेंट फैक्ट्री का रिन्यूअल करना है और वह सारा काम खत्ते में पड़ जाएं और 75 लाख रुपए की वसूली का प्रयास न करें, शेयर्स बेचने की आप कोशिश न करें और राजस्थान की जनता

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के 75 लाख रुपए उनके हाथ में दे दिए, 37 लाख रुपए राज्य सरकार का इस कंपनी पर और बकाया है। इस कंपनी के बैलेंस-शीट के अंदर जो जय इंडस्ट्रीज है, केवल 100 रुपए कैपीटल पर बनाया गया था उसको भी आपने और कर्जे दे दिए, बीयर का कारखाना लगाने के लिए....

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी पूछें, नो स्पीच।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरकार के 75 लाख प्लस 37 लाख कुल 1.12 करोड़ कंपनी के खिलाफ बकाया है, कंपनी की हालत को देखते हुए, वह रुपया डूब रहा है, वह पैसा वसूल करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मोहन राज (बाली) : जो एग्रीमेंट जयपुर स्टेट के समय हो चुके हैं उनमें रद्दोबदल नहीं कर सकते ? मेरे ख्याल से अगर आप लॉ डिपार्टमेंट से इग्जामिन करवायें तो निश्चित बात होगी। अगर कोई बात व्यापारिक दृष्टि से अलाभप्रद और सरकार को घाटा पहुंचाने वाली हो और हम पर लागू होती रहे और एग्रीमेंट रद्दो बदल नहीं कर सकते तो यह अन-इकॉनामिक पॉलिसी होगी, स्टेट पोलिसी के खिलाफ। जहां हमारी इतनी पूंजी लगी हुई है इसके लिए जरूरी है कि सारा मामला इग्जामिन करवायें ताकि स्टेट को घाटा न लगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी जब दूसरे सप्लीमेण्ट्रीज का जवाब दे रहे हैं तो मेरे भी सवाल का जवाब उसके साथ दे दें। अध्यक्ष महोदय, यह कौन से कानून हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौनसे लॉ हैं जिसमें यह दिया हुआ है कि यह एग्रीमेन्ट चैन्ज नहीं हो सकते। यह एग्रीमेन्ट स्टेट के समय में किये हुए थे। अध्यक्ष महोदय, अनेकों स्टेट के समय के एग्रीमेन्ट्स चैन्ज हुए यह कौनसी नयी बात है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आज के युग में ऐसा कोई बैंक नहीं जो कि नौ परसेन्ट या 12 परसेन्ट से कम इन्टरेस्ट लेता हो। यह तीन परसेन्ट का तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं। आज इतने अर्से से 75 लाख रुपये गवर्नमेन्ट के जयपुर उद्योग में है। मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की इन्टरेस्ट की रेट भी तीन परसेन्ट नहीं होगी। इसलिये गवर्नमेन्ट इसको चैन्ज क्यों नहीं कर सकती है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, पहला तो यह कि हमारे कोन्सटीट्यूशन की धारा 285 के अनुसार अगर कोई स्टेट के जमाने में कोई एग्रीमेन्ट हुए तो वह राजस्थान के निर्माण होने के बाद यह राजस्थान गवर्नमेन्ट के लिये कम्पलसन नहीं है कि वह उसके किये हुए एग्रीमेन्ट्स को माने ही। ऐसे केसेज हुए हैं जिसमें दूसरी स्टेट्स के डालमिया वगैरह से इस बारे में कोर्ट केसेज हुए अगर उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया फोरमर स्टेट्स के एग्रीमेन्ट्स को मानने के लिये सक्सेसिव स्टेट बाध्य नहीं है। वह सक्सेसिव स्टेट राइट है कि वह उसे माने या नहीं माने। इसलिये मेरा प्रश्न यह है कि तीन परसेंट का जो डिबेन्चर प्रोफिट की बात है वह कहां तक जायज है इसमें कोई राजनैतिक कारण भी हो सकता है जिसके कारण आप जयपुर उद्योग को प्रोफिट देना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

चाहते हैं इसलिये राज्य सरकार ने आज तक 75 लाख रुपये की रकम को तीन परसेन्ट पर दे रखा है। दूसरा मेरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह तो सर्व विदित है कि यह जयपुर उद्योग हर महीने लाखों रुपये का फ्रोडूलेन्ट एकाउन्ट बनाकर दिखाता है जबकि यह सीमेन्ट फैक्ट्री एशिया में सबसे बड़ी है इसमें लाख रुपया हर महीने जहां लाभ होना चाहिये वहां इसमें फ्रोडूलेन्ट एकाउन्ट दिखाकर लाखों रुपयों का नुकसान राज्य सरकार व जनता को दिया जा रहा है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इनके एकाउन्ट्स को चैक कराया जाय, आडिटर्स बैठायें जाय और इन सारे एकाउन्ट्स की इन्क्वायरी करायी जाय। इसके अलावा क्या राज्य सरकार इस तीन परसेन्ट की रेट को चैन्ज करने का विचार रखती है। इस इन्टरेस्ट को आप बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्रीजी से निवेदन है कि राज्य सरकार इस जयपुर उद्योग के एकाउन्ट्स को चैक करा कर इसकी इन्क्वायरी कराकर इसको अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तीन परसेन्ट जिस जमाने में रखी गयी थी उस समय को बीते काफी लम्बा समय हो चुका है। क्या सरकार अब इसे उचित नहीं समझती कि इस रेट आँफ इन्टरेस्ट बढ़ाने के लिये राज्य सरकार और इस जयपुर उद्योग के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स बैठ कर बातचीत करके इसकी दर की वृद्धि की जाये मेरे ख्याल से तीन परसेन्ट रेट आफ इन्टरेस्ट तो बहुत कम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं इस जयपुर उद्योग ने न सिर्फ राज्य सरकार से ही 75 लाख रुपये लिये हैं और भी जगह से पैसे लिये हुए हैं। जैसे राजस्थान वित्त निगम और कई इन्स्टीट्यूशन्स से कैपीटल ली हुई है वह कितनी है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न मेरा यह अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जब से जयपुर उद्योग का मैनेजमेन्ट श्री अलोक प्रसाद जैन के हाथ में आया तब से लगातार हर महीने लाखों रुपये का घाटा झूठा दिखाया जा रहा है और वहां पर मिस मैनेजमेन्ट भी काफी हो गया है। आज वहां पर सीमेन्ट का ब्लैक बहुत भारी मात्रा में किया जा रहा है और नम्बर दो के एकाउन्ट रखे जाते हैं। पहले नम्बर में नुकसान बताया जा रहा है। इससे न केवल यह जयपुर उद्योग राज्य सरकार को ही नुकसान दे रही है पर पब्लिक को बुरी तरह से चीट कर रही है। क्या सरकार इस उद्योग के संबंध में कोई इन्क्वायरी कमीशन बैठाने का विचार रखती है जो कि इसके तमाम एकाउन्ट्स को ऑडिट करे। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, यह फैक्ट्री एशिया में सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री और उससे जहां हर माह लाखों रुपये का लाभ होता है वहां यहां पर लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। कि इसके खिलाफ में एक जांच कमीशन बैठा दें तथा इस इन्डस्ट्री को सरकार स्वयं अपने हाथ में ले।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक फैक्ट्स का सवाल है वह तो सारे उत्तर में दे दिये गये हैं इसके बारे में कुछ अलग से प्रश्न हैं जिनकी सूचनायें अभी उपलब्ध नहीं हैं। इस उद्योग ने किन किन से कितना कितना रुपया कहां से लिया है बताना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना कह सकता हू कि अगर इसकी लीगली डिवीडेन्ट रेट को बढ़ाने की कोई पोसीबिलिटी होगी तो राज्य सरकार उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रश्न संख्या 814

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट श्री गोरधनसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

सुरक्षा कोष की राशि का गबन

815. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपरिषद् जोधपुर के अध्यक्ष श्री पुंगलिया ने सुरक्षा कोष में एकत्रित की गई राशि में से भारी गबन किया ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह सही है कि उन पर गबन का आरोप लगने के पश्चात् इस गबन की जांच के लिए नगरपरिषद्, जोधपुर ने एक जांच कमेटी बनाई ? यदि हां, तो इस जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपरिषद्, जोधपुर की 5 मार्च, 1973 की मीटिंग में उस समय के अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया था कि सुरक्षा कोष के लिए कुल रसीद बुकें 120 थीं, जिसमें से केवल 111 उपलब्ध थीं ?

(4) उपरोक्त मीटिंग में क्या उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि 88,000 रुपये एकत्रित किये गये थे जिसमें से 27,000 रुपये चेकों द्वारा एकत्रित किये गये थे तथा 18,000 रुपये रसीदों द्वारा एकत्रित किया गये थे और बैंक में केवल 38,400 रुपये ही जमा कराये थे ?

(5) क्या यह सही है कि 5 मार्च, 1973 की नगरपरिषद् की मीटिंग में अध्यक्ष ने यह भी स्वीकार किया था कि चन्दा पी० डब्ल्यू० डी०, वाटर वर्क्स तथा पॉवर हाउस विभाग के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियरों द्वारा एकत्रित किया गया था ? यदि हां, तो कितना और क्या यह उचित था ?

(6) सुरक्षा कोष में श्री पुंगलिया द्वारा किये गये गबन के संबंध में राजस्थान सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : (गृह, राज्य मंत्री) : (1) इस संबंध में जोधपुर जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है।

(2) जी हां, जांच प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं गिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) तत्कालीन नगरपरिषद् के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की स्वीकारोक्ति दिनांक 5-3-73 की कार्यवाही में उल्लिखित नहीं है।

(5) तत्कालीन नगरपरिषद के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की स्वीकारोक्ति दिनांक 5-3-73 की कार्यवाही में उल्लिखित नहीं है।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

(6) जांच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जांच कितने समय से चल रही है। पिछली दफा भी सदन में मैंने प्रश्न सुरक्षा कोष की रकम के गबन के बारे में उठाया था तब भी इसका जिक्र आया था तब भी यही कहा गया था कि जांच चल रही है तो आखिर इसकी कोई निश्चित तारीख तो होगी, कब समाप्त होगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें कम से कम एक लाख रुपये का गबन हुआ है। यह सुरक्षा कोष का मामला है। यह जोधपुर के कलेक्टर कब तक यह जांच पूरी कर लेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी जांच दिनांक 16-4-73 को शुरू की गयी थी। यह तथ्य भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां ने दिया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा तो प्रश्न यह है कि इसकी जांच कब तक पूरी हो जावेगी। आप मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 16-4-73 को जांच के आदेश दिये गये थे। क्या इस जांच को पूरी करने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया था कि इतने समय में यह जांच पूरी हो जाएगी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कलेक्टर को कह दिया है कि इसकी रिपोर्ट एक महीने में भेज दी जावे, यह आदेश कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सुरक्षा कोष में और भी कई जगह इस तरह गबन हुए हैं उसकी भी जांच की जावेगी। जिस प्रकार जोधपुर की नगरपरिषद के अध्यक्ष द्वारा सुरक्षा कोष में गबन किया है उस तरह का गबन लाडनूं नगरपरिषद के अध्यक्ष ने भी सुरक्षा कोष के धन में गबन किया है लेकिन कोई जांच उसके खिलाफ में नहीं हुई है। क्या राज्य सरकार उसके खिलाफ कोई जांच करावेगी।

श्री हरिदेव जोशी : अगर गवर्नमेंट के पास कोई शिकायत आयेगी तो जरूर जांच की जावेगी।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, इसके खिलाफ में अर्जियां दी हुई हैं। डाइरेक्टर लोकल बोडीज के पास उनके खिलाफ में शिकायत पड़ी हुई है। राज्य सरकार के पास भी शिकायत भेजी गयी है पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके लिये राज्य सरकार कोई एक्शन लेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक प्रश्न और है कि क्या नगर-परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ में पहले कोई जांच कमेटी नगरपरिषद द्वारा बैठायी गयी थी और उसने जो रिपोर्ट दी थी उसको सुपर-सीड किया गया है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा कोष के अन्दर गबन के मामले के बारे में मैंने पिछली विधान सभा सत्र के समय में एक प्रश्न दिया था इस तरह का गबन उदयपुर में भी हुआ है। इसमें करीब तीन चार लाख रुपये का गबन हुआ है। उसकी रसीदें कुछ तो मैंने सदन में पेश की थी और कुछ रसीदें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में करीब 16000 ग्राम सोना सुरक्षा कोष के लिये जमा किया था उसका अभी तक कहीं भी जमा नहीं हुआ है।

Page No 25

(25)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
ट्रेजरी में वह सोना जमा नहीं हुआ था। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। क्या राज्य सरकार जहां जहां भी सुरक्षा कोष की धनराशि में गबन हुआ है वहां पर जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मेरा और प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि यह जोधपुर की नगरपरिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मदनलाल पुंगलिया ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य हैं और उनको राज्य सरकार द्वारा वहां पर मनोनीत किया गया था ? उनके बारे में जो आरोप हैं वह 73-74 की घटना के बारे में नहीं हैं। 71 से सुरक्षा कोष के मामले चल रहे हैं। यह कहा गया कि जिलाधीश स्तर परजांच हो रही है और शीघ्रता से जांच रिपोर्ट आ जायेगी यह कहने से तो इसमें से यह भावना निकलती है कि इसको शील्ड किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि नगरपरिषद के अन्दर डिस्कस होकर एक जांच कमेटी बना दी गयी। प्राइमाफेसी मान लिया। कलेक्टर ने प्राइमाफेसी मान लिया। इसको आप या तो पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिये या एन्टीकरप्शन को दीजिये। सही होगा तो चालान कर देंगे। रूलिंग पार्टी का वरिष्ठ नेता है, इसलिये आप कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। छोटे से कांग्रेस के वर्कर को तो हथकड़ी डाल कर घुमा दिया गया और वह वरिष्ठ नेता है इसलिये कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि पुंगलियाजी आर०टी०ए० के मेम्बर हैं उनके खिलाफ चार्ज आने के बाद मुकर्रर किये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक मेरी जानकारी है आर०टी०ए० और एस०टी०एज० को मैंने रिकान्स्टीट्यूट किया था इसलिये कि आर०टी०एज० और एस०टी०एज० एक बोटलनेक साबित हो रही थी इसलिये एक मेम्बर आर०टी०ए० और एक मेम्बर एस० टी०ए० बना दिया इसलिये वह जितनी अड़चन थी वह हटा दी गयी। आपने कहा कि यह इसलिये हटाये गये। यह मेरी जानकारी में था नहीं। उन पर जहां तक एक्शन का सवाल है यह सही है कि यह मामला जब मैं इस प्रश्न के उत्तर का एप्रूवल दे रहा था तब ही यह बात मेरी जानकारी में आयी। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उसी दिन जब यह शिकायत आयी ओर्डस लिख दिये थे। उनकी मर्जी भी कहीं कोई शील्ड करने की नहीं थी। यह भी कहा कि म्युनिसिपैलिटी ने प्राइमाफेसी तय कर दिया। रिकार्ड से तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई रिपोर्ट सबमिट की हो। म्युनिसिपेलिटी में वैसे के वैसे वे ही मेम्बर हैं यह भी इन्फरेन्स नहीं निकाला जा सकता कि प्राइमाफेसी केस कर दिया हो और शील्ड किया गया। कलेक्टर को एक महीने की अवधि दी गयी है कलेक्टर को एक महीने की अवधि में रिपोर्ट सबमिट करनी ही है। इस सम्बन्ध में और भी आपके पास जो भी शहादतें हों वे आप मुझे पेश कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये।)

त्रिवेणी कला संगम कोटा द्वारा आयोजित कार्यक्रम

809. श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि त्रिवेणी कला संगम, कोटा द्वारा दिनांक 16 व 17 मार्च, 74 को चंचल नाइट नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने वाले निम्न व्यक्ति थे :—

(1) श्री भागीरथ बिश्नोई, डी० आई०जी०, कोटा ।

(2) श्री मिश्रा जे०के० सिन्थेटिक्स ।

(3) श्री बब्बर, सचिव, त्रिवेणी कला संगम ?

(3) क्या यह कार्यक्रम सुचारु रूप से चला ?

(4) क्या जिन व्यक्तियों ने कार्यक्रम आयोजित किया था वे कार्यक्रम में उपस्थित रहे ?

(5) उक्त कार्यक्रम में कुल कितनी धनराशि डोनेशन, विज्ञापन तथा टिकटें बांट कर एकत्रित की गई ?

(6) क्या चंचल कलाकार उक्त तिथि को कोटा पहुंचे और उन्हें कितनी धन राशि देना स्वीकार किया गया था और कितनी दी गई ?

(7) क्या उक्त कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ पर पथराव हुआ ? क्या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया ? यदि हां, तो क्यों और पुलिस द्वारा क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । यह कार्यक्रम पहले दिनांक 16-3-74 को होना था मगर बाद में दिनांक 17-3-74 के लिए स्थगित कर दिया गया था ।

(2) जी नहीं । श्री बब्बर त्रिवेणी कला संगम, कोटा ने ही यह आयोजन किया था । श्री भागीरथ विश्नोई डी०आई०जी० कोटा एवं श्री मिश्रा जे०के सिन्थेटिक्स ने इस आयोजन में ना ही तो कोई भाग लिया और ना ही उन्होंने इस आयोजन के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी थी ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) अब तक की जानकारी के अनुसार करीब 6000) रुपये टिकट बिक्री से एकत्रित होने का अनुमान है । इस सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की तफ्तीश चालू है जिसकी समाप्ति पर ही पूर्ण आंकड़े सामने आ सकेंगे ।

(6) जी हां । कलाकार श्री चंचल दिनांक 17-3-74 की रात्रि को कोटा में ही उपस्थित थे । अभी श्री चंचल से तफ्तीश बाकी है, अतः राज्य सरकार को यह जानकारी नहीं है कि उन्हें कितना रुपया देना तय हुआ था व कितना दिया गया ?

(7) उपस्थित भीड़ ने पथराव किया था महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ । पुलिस ने पूर्व में ही महिलाओं को

(गृह मन्त्री)

कार्डन कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। पुलिस ने शांति व्यवस्था हेतु पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी।

जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी

810. श्रीमती भगवतीदेवी (भिनाय): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्थाई कर्मचारियों की जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग में प्रतिनियुक्ति की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि मार्च, 73 से पूर्व से ट्रेनिंग में सम्मिलित कर्मचारियों को पूरा वेतन ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि मार्च, 73 के बाद ऐसे ट्रेनिंग वाले कर्मचारियों को न तो वेतन दिया जा रहा है और न ही स्टाईपेन्ड, यदि हां, तो क्यों ? क्या वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के दौरान 3 वर्ष की ऐसी ट्रेनिंग में बिना आर्थिक सहयोग के ट्रेनिंग पूरी करना सम्भव होगा ?

(4) क्या इस बाबत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिये कोई नियम बना रखे हैं ? कृपया उन्हें सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। प्रतिनियुक्ति नहीं की जाती थी परन्तु कर्मचारियों को अपने काम के साथ साथ ट्रेनिंग में भी नियुक्त कर देने पर उन्हें पूरा वेतन दिया जाता रहा था।

(3) जी हां। कर्मचारियों को जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु जाने पर देय अवकाश स्वीकृत किया जाता है और उसके अनुसार ही उन्हें अवकाश वेतन प्राप्त होता है। प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व कर्मचारियों की लिखित सहमति इस प्रशिक्षण को देय अवकाश पर पूर्ण करने की ली जाती है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-74 व 3-4-74)

सरकारी कार्यालयों के लिये जयपुर में किराये पर लिये गये मकान

79. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कार्यालय कहां कहां और किन किन अधिकारियों के मकानों में कितने किराये पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कार्यालय कार्यकुशलता, काम के निपटारे और सुविधा के लिए सचिवालय के पास होने चाहिए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सचिवालय के आस पास की भूमि की बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस भूमि

Page No 28

(28)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को लेने की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में जो जो सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कार्यालय जिन जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के मकानों में जितने जितने किराये पर हैं उसकी जानकारी सलंग्न है, बाकी और जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(2) जी हां, सिद्धान्त रूप से जहां तक ऐसा करना संभव हो, यह उचित ही होगा। हालांकि धनाभाव इत्यादि कारणों से सभी हालतों में ऐसा करना सभंव नहीं है। राज्य सरकार का यह प्रयास बराबर रहा है कि जिन विभागों का सचिवालय के आस पास होना उचित और समंव है। वे सचिवालय भवन में या उसके आस पास आ जाये।

(3) सचिवालय के आस पास की किसी सरकारी भूमि का बेचान गैर सरकारी कार्यों के लिये पिछले दिनों नहीं किया गया है जहां तक सचिवालय क आस पास की निजी भूमि का संबंध है उसकी अवाप्ति के लिये कदम उठाये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-74)

स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को पेन्शन

519. **श्री सांवरमल मोर** (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार व भारत सरकार स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को मासिक सहायता पैंशन के रूप में देती है ? यदि हां, तो किन किन स्वतन्त्रता सेनानियों को कब से व कितनी राशि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या भारत सरकार से मिलने वाली पेंशन सबको मिलनी शुरू हो गई है ? अगर नहीं, तो अब कब से मिलनी शुरू हो जावेगी ?

(3) क्या कुछ ऐसे प्रार्थना-पत्र भी सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं जिनका निर्णय होना बाकी है ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र तथा किन किन के हैं तथा उनका निपटारा कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार तथा केन्द्र के लिये अलग अलग, उन स्वतंत्रता सैनानियों की सूचियां जिन्हें पेंशन मंजूर हो गयी है तथा जिन्हें पेंशन मिलने लगी है, उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, कुछ मामलों में भुगतान प्राधिकरण पत्र महालेखाकार से जारी होने शेष हैं।

(3) जी हां, केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय से वांछित सूचना प्राप्त की जा रही है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वैद्यों की वरिष्ठता सूची

814 **श्री गोरधनसिंह** (सीकर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के आयुर्वेद विभाग में

(श्री गोरधनसिंह)
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वैद्यों की अलग अलग संख्या क्या है?

(2) क्या आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वैद्यों की वरिष्ठता सूची बनाई जाकर विभागीय नियमों के आधार पर वैद्यों की पदोन्नति की जा रही है? वरिष्ठता सूचियों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि वरिष्ठता सूचियों में पक्षपात पूर्ण तरीके अपनाये गये हैं व विभागीय अधिकारियों द्वारा वरिष्ठता नियमों की अवहेलना कर कई वैद्यों को पदोन्नति दी गई है व दी जा रही है?

(4) पदोन्नति व वरिष्ठता सूची में अनियमितता व उनमें संशोधन के कितने मामले विभाग में विचाराधीन हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हो रही है तथा कब तक उन पर निर्णय की सम्भावना है?

उत्तर

(1) विभाग में श्रेणीनुसार वैद्य, हकीम, होम्योपैथिक डॉक्टर व प्राकृतिक चिकित्सकों की संख्या निम्न है:-

प्रथम ग्रेड	द्वितीय ग्रेड	तृतीय ग्रेड
39	250	1643

(2) जी हां, प्रथम ग्रेड की अन्तिम, द्वितीय व तृतीय ग्रेड की अस्थाई सूचियां प्रकाशित हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं। नियमानुसार पदोन्नतियां की जाती हैं।

(4) वैद्य प्रथम ग्रेड में 5 अपीलें प्राप्त हुई थीं जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। द्वितीय ग्रेड में एक तथा तृतीय ग्रेड में प्राप्त 112 आपत्तियों पर कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 3-4-74)

तहसील हैडक्वार्टर्स पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट

683. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार एक तहसील हैडक्वार्टर पर एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

(2) तहसील पिड़ावा के रेवेन्यू के झालावाड़ हैडक्वार्टर पर कितने केस चल रहे हैं? कौनसा केस कब दायर किया गया और उसमें कितनी पेशियां पड़ीं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) 265 केस चल रहे हैं। जिनकी तारीख दायरी व पेशी की संख्या सूची में समाविष्ट कर एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में प्रौढ़ों को शिक्षा

496. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1971-72 से 73-74 तक वर्षवार कितने कितने प्रौढ़ों

(श्री लूणाराम)

को साक्षर किया गया ? जिलेवार सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि समान अनुपात से जिलेवार साक्षर करने की योजना सरकार द्वारा बनी हुई है ? यदि हां, तो समुचित निरक्षरता का निवारण कितने वर्षों में कर दिया जावेगा ? तथा इसकी समृद्धि एवं अशिक्षा दूर करने के लिये समुचित उन्मूलन क्या आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) यदि कोई योजना नहीं है तो क्या सरकार ऐसी योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 71–72 एवं 72–73 में अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार साक्षर किये गये प्रौढ़ों की जिलेवार सूची सदन को मेज पर रख दी गई है। वर्ष 73-74 की सूचना सत्र चालू होने के कारण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(2) समान अनुपात में वित्तीय साधनों की अपर्याप्तता को दृष्टि में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा योजना सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाना अभी सम्भव नहीं है। सरकार कुछ निश्चित चयनित जिलों में प्रौढ़ साक्षरता योजना राजकीय विद्यालयों, पंचायत समितियों, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के सहयोग से क्रियान्वित कर रही है । प्रौढ़ शिक्षा हेतु पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धि होने पर निश्चित समयावधि में समूल निरक्षरता के लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी । समाज की असमृद्धि एवं अशिक्षा को दूर करने के लिये निरक्षरता का समुचित उन्मूलन करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शिक्षा विभाग समूल, निरक्षरता उन्मूलन सघन साक्षरता कार्यक्रम, टाइलेट प्रोजेक्ट तथा व्यवहारिक किसान साक्षरता आदि योजनाएं सम्पादित कर रही है । भविष्य के लिए इस कार्यक्रम की ओर अधिक प्रभावी बनाने की योजना विभाग के विचाराधीन है ।

(3) चयनित जिलों में यह योजना वर्तमान में क्रियान्वित हो रही है । अन्य जिलों में सरकार स्थानीय साधनों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु ठोस कार्यक्रम बना रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

सनातन धर्म राजकीय कालेज, ब्यावर का भवन

497. श्री केसरीमल (ब्यावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय कालेज के विद्यार्थियों की यह मांग रही है कि कालेज के कुछ कमरे और बनवाये जायें ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की ओर से उन्हें 20 हजार रुपया एकत्रित कर जमा कराने की शर्त लगाकर भवन का कार्य पूरा करने का वायदा किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर के छात्रों ने यह पैसा इकट्ठा कर कालेज के प्रिन्सीपल को दे दिया और प्रिन्सीपल ने यह पैसा किसी ऐसी मद में जमा कर दिया जो भवन बनाने के उपयोग में नहीं लिया

(श्री केसरीमल)

जा सकता ? यदि हां तो क्या राज्य सरकार उस पैसे को उक्त मद से निकाल भवन निर्माण में व्यय किये जाने की तुरन्त व्यवस्था करने जा रही है ?

(3) क्या सरकार की ओर से भी जो भवन निर्माण में सहायता देनी थी, वह राशि भी शीघ्र दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) इस राशि में से 20,000 रुपया आचार्य ने सरकारी खजाने में 27-11-72 को चालान द्वारा ऐजूकेशन के मद में जमा करा दिया। इस धन राशि के उपयोग हेतु व्यवस्था की जावेगी।

(3) सरकार ने कमरे व बरान्डा बनाने हेतु 1,74,000 रुपये की इस सत्र में स्वीकृति प्रदान की है।

सुभाष प्राथमिक शाला, श्री डूंगरगढ़

498. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सुभाष प्राथमिक शाला, श्री डूंगरगढ़ की 73-74 तक वर्षवार क्या-क्या आय किस किस से हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त संस्था की जो आय होती है उसकी संस्था की ओर से रसीद दी जाती है या नहीं ? यदि हां, तो पैरा एक में वर्णित वर्षों के लिये कितनी कितनी रसीदें किस किस नम्बर से किस किस नम्बर तक कुल कितनी कितनी रसीदें मय बुक नम्बर के काटी गईं ?

(3) उक्त संस्था द्वारा वर्षवार क्या क्या खर्च किस किस मद में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त संस्था के विद्यार्थियों से माहवारी क्या फीस ली जाती है ? कृपया वर्षवार व कक्षावार बताने की कृपा करें। इस संस्था के व्यवस्थापक कौन हैं तथा वे माहवारी क्या वेतन लेते हैं ?

(5) क्या इस संस्था का निरीक्षण एवं ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो वर्षवार निरीक्षण तथा ऑडिट जांच की सूची में निकाले गये ऐतराज बताने का कष्ट करें।

(6) उक्त संस्था में वर्षवार क्या क्या स्टाफ रहा ? मय नाम व पद।

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त श्री सुभाष उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्री डूंगरगढ़ है जिसका वर्ष 1970-71 से 73-74 तक वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है:-

व्यय का मद 1	70-71 2	71-72 3	72-73 4	73-74 5
1. शिक्षा विभाग से अनुदान	19682	26051	24176	24974
2. चन्दा	9490	13054	13218	12448
3. अध्ययन शुल्क	2577	2595	2503	2505

(शिक्षा मन्त्री)

1	2	3	4	5
4. प्रवेश शुल्क	102	109	106	70
5. प्रमाण-पत्र शुल्क	41	50	29	24
6. उद्योग आय	20	71	30	47
7. ब्याज	23	34	62	270
8. विविध	85	328	142	153
9. परीक्षा	655	620	718	651
10. खेल कूद	428	407	449	428
11. पुस्तकालय एवं वाचनालय	248	232	256	242
12. समारोह शुल्क	49	45	52	47
13. कर्जा	2200	3050	581	3000

मदवार एवं वर्षवार विवरण प्रस्तुत है।

(2) संस्था में जो भी आय होती है उसकी रसीद दी जाती है, वर्ष 70-71 से निम्नांकित पुस्तक संख्याओं की रसीदें संख्या के अनुसार संस्था द्वारा काटा जाना पाया जाता है। बु० नं० 74 र० नं० 3792 से 3997, बु० नं० 1 डी० र० नं० 31-100 बु० नं० 3 डी० र० नं० 204,205 बु० नं० 83 र० नं० 105 से 200, बु० नं० 84 र० नं० 401 से 34 तक, बु० नं० 70 र० नं० 4314, बु० नं० 3 डी० में र० नं० 206 से 211, बु० नं० 28 में र० नं० 2780 से 2781, बु० नं० 50 में र० नं० 2094 से 2096 तक, बु० नं० 70 में र० नं० 4315, बु० नं० 50 र० नं० 2097 से 2100 बु० नं० 74 में 3798 से 3800, बु० नं० 85 में 201 से 205 बु० नं० 86 में 4301 से 4305 बु० नं० 70 में 4316, बु० नं० 85 में र० नं० 206 से 228 तक, बु० नं० 86 में र० नं० 4307 से 4312, बु० नं० 76 र० नं० 4669 से 4681, बु० नं० 85 में 229 से 244 तक।

1. शिक्षा विभाग से अनुदान: बु० नं० 70 र० नं० 4314 से 4358।

2. चन्दा : बु० नं० 1 डी० में र० नं० 31 से 100 तक, बु० नं० 3 डी० में र० नं० 204 से 300 तक, बु० नं० 4 डी० में र० नं० 401 से 500 तक, बु० नं० 103 र० नं० 1301 से 1400 तक, बु० नं० 105 में र० नं० 2201 से 2300 तक बु० नं० 118 में र० नं० 3801 से 3900 तक बु० नं० 126 में 3601 से 3645 तक।

3. पाठन शुल्क : बु० नं० 83 र० नं० 105 से 200 तक, बु० नं० 84 में र० नं० 401 से 500 तक, बु० नं० 87 में र० नं० 501 से 600 तक, बु० नं० 91 में र० नं० 601 से 700 तक, बु० नं० 92 में र० नं० 801 से 900 तक, बु० नं० 93 में र० नं० 1101 से 1200 तक, बु० नं० 93 में र० नं० 901 से 1000 तक, बु० नं० 85 में र० नं० 1037 से 1100 तक, बु० नं० 96 र० नं० 1201 से 1300 तक, बु० नं० 97 में र० नं० 1501 से 1600 तक, बु० नं० 99 में र० नं० 1601 से 1700 तक, बु० नं० 110 में र० नं० 1801 से।

(शिक्षा मन्त्री)
1900 तक, बु० नं० 103 (ए) र० नं० 20 में 2001 से 2100 तक, बु० नं० 104 में र० नं० 2101 से 2200 तक, बु० नं० 106 में र० नं० 2301 से 2400 तक, बु० नं० 108 में र० नं० 2501 से 2600 तक, बु० नं० 109 में र० नं० 2601 से 2614, 31 मार्च 1972 तक, बु० नं० 109 र० नं० 2615 से 2700 तक, बु० नं० 110 में 2701 से 2800 तक, बु० नं० 111 में र० न० 2901 से 3000 तक, बु० नं० 116 में र० नं० 3401 से 3500 तक, बु० नं० 117 में र० नं० 3501 से 3600 तक, बु० नं० 118 में र० नं० 4901 से 5000 तक, बु० नं० 120 में र० नं० 4701 से से 4800 तक, बु० नं० 121 में र० नं० 4601 से 4700 तक, बु० नं० 123 में र० नं० 3201 से 3230, 31 मार्च 73 तक (73–74) बु० नं० 123 में र० नं० 3231 से 3300 तक, बु० नं० 124 में र० नं० 4501 से 4600 तक, बु० नं० 125 में र० नं० 4001 से 4100 तक, बु० नं० 128 में र० नं० 3901 से 4000 तक, बु० नं० 129 में र० नं० 3101 से 3200 तक, बु० नं० 130 में र० नं० 4201 से 4300 तक, बु० नं० 133 में र० नं० 5201 से 5300 तक, बु० नं० 134 में र० नं० 5601 से 5700 तक ।

6–प्रवेश शुल्क :— बु० नं० 74 र० नं० 3792 से 3800 तक, बु० नं० 85 में र० नं० 201 से 300 तक, बु० नं० 97 में र० नं० 1401 से 1500 तक, बु० नं० 107 में र० नं० 2401 से 2500 तक, बु० नं० 122 र० नं० 4401 से 4484 तक ।

7–प्रमाण पत्र शुल्क :— बु० नं० 50 र० नं० 2094 से 2100 तक, बु० नं० 86 र० नं० 4301 से 4400 तक, बु० नं० 114 र० नं० 4801 से 4839 तक ।

8–उद्योग आय :— बु० नं० 28 र० नं० 2781, 2783, 2787, 2789, 2792, 2794, 2796, 2798 । बु० नं० 112 र० नं० 2802, 2806, 2809, 2810, 2811, 2813, 2814 तक ।

9–ब्याज से आय :— ब्याज की आय पोस्ट आफिस व बैंक से हुई जो कि शाला रोकड़ बहियों व पास बुकों में अंकित है ।

10–विविध आय :— पास बुक नं० 28 में 2780 से 2800 तक, बु० नं० 28 (बी) में 2784 से 2788 तक, 2790 से 2791 2793, 2795, 2797, 2799, 2800 बु० नं० 112 में 2801, 2803, 2805, 2807, 2808, 2812, 2815, 2816, 2817 ।

11–छात्र कोष शुल्क :— बु० नं० 113 र० नं० 3001 से 3100 तक, बु० नं० 115 र० नं० 3301 से 3400 तक; बु० नं० 127 र० नं० 3701 से 3800 तक, बु० नं० 76 र० नं० 4661 से 4700 तक, बु० नं० 88 र० नं० 301 से 400 तक, बु० नं० 89 र० नं० 701 से 800 तक, बु० नं० 100 र० नं० 1701 से 1800 तक, बु० नं० 102 र० नं० 1901 से 2000 तक, बु० नं० 132 र० नं० 4101 से 4103 तक ।

12–कर्जा :— बु० नं० 90 र० नं० 301 से 327 तक ।

Page No 34

(57)

(शिक्षा मंत्री)

(3) संस्था का वर्षवार एवं मदवार खर्च व विवरण निम्न प्रकार रहा :—

व्यय का मद	70–71	71–72	72–73	73–74
1. वेतन भत्ता	18348–00	2001300	17713–00	.
2. मकान भत्ता	14600–00	14604–00	19689–00	38888–26
3. पी० एफ०	953–81	830–32	454–51	.
4. पुस्तकालय भत्ता	120–00	120–00	120–00	120–00
5. भवन किराया	720–00	720–00	600–00	840–00
6. बिजली पानी व्यय	360–72	577–84	471–78	350–00
7. लेखन सामग्री एवं छपाई	369–18	356–27	206–23	600–00
8. खेल कूद पर व्यय	628–80	860–35	893–88	675–00
9. सफाई भत्ता	60–00	60–00	60–00	60–00
10. पुस्तकालय वाचनालय व्यय एवं स्मारिका	419–74	1776–98	352–22	600–00
11. पाठन सामग्री पर व्यय	145–10	157–97	159–57	225–00
12. डाक खर्च	71–45	131–45	73–00	100–00
13. यात्रा भत्ता व्यय	536–02	1020–15	181–75	785–25
14. ऑडिट फीस (सी०ए०)	100-00	100-00	100-00	100-00
15. उद्योग पर व्यय	127-45	18 .-00	177-20	250-00
16. फर्नीचर मरम्मत	475-04	275-60	107-84	475-00
17. भवन मरम्मत	48-50	144-95	12-74	100-00
18. विविध व्यय	101-35	26-95	58-60	550-00
19. कार्यालय खर्च	—	143-50	82-00	100-00
20. विधि व्यय	—	156-75	—	—
21. विज्ञापन व्यय	—	—	5-00	50-00
22. परीक्षा व्यय	—	—	620-80	950-00
23. समारोह पर व्यय	—	—	86-90	1000-00

(4) वर्ष 1970-71 से 73-74 तक संस्था में वसूल की जाने वाली फीस की दरें इस प्रकार हैं :—

कक्षा	प्रवेश शुल्क प्रतिवार	पुनः प्रवेश प्रतिवार	प्रमाण-पत्र शु०प्र०वार	पाठन शुल्क माहवारी	परीक्षा शुल्क वार्षिक	पुस्तकालय वार्षिक	खेल शुल्क वार्षिक	समारोह शुल्क वार्षिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कक्षा-1	1	1	1	–	–	–	–	–
कक्षा-2	1	1	1	–	–	–	–	–

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कक्षा-3	1	1	1	—	2	—	1	—
कक्षा-4	1	1	1	—	2	1	2	—
कक्षा-5	1	1	1	—	2	1	2	—
कक्षा-6	1	1	1	2	5	2	3	00-50
कक्षा-7	1	1	1	3	5	2	3	00-50
कक्षा-8	1	1	1	4	5	2	3	00-50

उपरोक्त दरों के अनुसार संस्था में फीस वसूल की जाती है। इस संस्था के व्यवस्थापक श्री जमालद्दीन चुनगर हैं जो कि व्यवस्थापक के साथ साथ संस्था के कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला (110-230) के सहायक अध्यापक भी हैं। श्री जमालद्दीन चुनगर संस्था में सहायक अध्यापक पद का 130-00 वेतन 98-00 मंहगाई 38-00 अन्तरिम राहत कुल 266/- रुपये माहवार वेतन प्राप्त करते हैं।

(5) संस्था के लेखा हिसाब को जांच प्रति वर्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा की जाती है। अनुदान हेतु प्रतिवर्ष विभागीय नियमानुसार अंकेक्षको द्वारा भी अभिलेख की जांच सी०ए० रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। संस्था का निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। न ही किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई गई है।

(6) स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष 1970-71

क्र०सं०	नाम कर्मचारी मय पद	वेतन प्र०मा०	क्र०सं०	नाम कर्मचारी मय पद	वेतन प्र०मा०
1	2	3	1	2	3
1.	श्री दानसिंह चौधरी प्र०अ०	309-00	2.	श्री जमालद्दीन चुनगर स०अ०	228-00
3.	श्री कन्हैयालाल स०अ०	176-00	4.	श्री ओमप्रकाश जाट स०अ०	218-00
5.	श्री अजीत खां स०अ०	213-00	6.	श्री घासी राम स०अ०	223-00
7.	श्री मोहनलाल स०अ०	213-00	8.	श्री सोहनलाल स०अ०	208-00
9.	श्री किशनलाल स०अ०	208-00	10.	श्री हरिसिंह स०अ०	208-00
11.	श्री भोजराज नाई क०लि०	208-00	12.	श्री देवचन्द व्यास च०से०क०	134-00
13.	श्री भीमाराम च०से०क०	132-00			

Page No 36

वर्ष 1971-72

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	1	2	3
1.	श्री दानसिंह प्र० अ०	330·00	2.	श्री जमालद्दीन स०अ०	243·00
3.	श्री कन्हैयालाल स०अ०	193·00	4.	श्री सोहनलाल स०अ०	238-00
5.	श्री बनवारीलाल स०अ०	223-00	6.	श्री छगाराम स०अ०	223-00
7.	श्री मुगनसिंह स०अ०	238-00	8.	श्री मगनीराम स०अ०	23[illegible]-00
9.	श्री हेतराम स०अ०	223-00	10.	श्री हरिसिंह स०अ०	238-00
11.	श्री भोजराज क०लि०	223-00	12.	श्री देवचन्द चपरासी	145-00
13.	श्री भीमाराम चपरासी	143-00			

वर्ष 1972-73

1.	श्री हरपाल सिंह प्र० अ०	330–00	2.	श्री जमालद्दीन स० अ०	243–00
3.	श्री कन्हैयालाल स० अ०	196–00	4.	श्री बजरंग लाल स० अ०	253–00
5.	श्री सोहनलाल स० अ०	238–00	6.	श्री बीरबल पुनिया स० अ०	238–00
7.	श्रीमती नोजाबानो स० अ०	238–00	8.	श्री करतार सिंह स० अ०	238–00
9.	श्री सीता राम स० अ०	238–00	10.	श्री गुलाब राम स० अ०	238–00
11.	श्री भोजराज नाई क० लि०	248–00	12.	श्री देवचन्द चपरासी	157–00
13.	श्री भीमा राम चपरासी	155–00			

वर्ष 1973-74

1.	श्री शिवनाथ व्यास प्र० अ०	365–00	2	श्री जमालद्दीन स० अ०	290–00
3.	श्री कन्हैया लाल स० अ०	236–00	4	श्री नारायण चन्द्र स० अ०	222–00
5.	श्री सगीर अहमद स० अ०	277–00	6	श्री करतार सिंह स० अ०	267–00
7.	श्रीमती लज्जावती चौहान स०अ०	222–00	8.	श्री अनन्तपाल स० अ०	262–00
9	श्री महेश्वरी सिंह स० अ०	262–00	10	श्री सज्जन कुमार स० अ०	222–00
11.	श्री भीमाराम चपरासी	181–00	12.	श्री मामूदीन चपरासी	174–00

(7) संस्था का भवन किराये का है जिसका किराया रु. 60/- माहवार दिया जाता है।

एम० ए० समदानी,
विद्यालय निरीक्षक
शिक्षा विभाग, चूरू।

Page No 37

(37)

राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक

499. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा कितने प्रशिक्षक कौन कौन से खेल में नियुक्त किये गये हैं ? क्या उनके अतिरिक्त भी प्रशिक्षक हैं ? यदि हां, तो कितने और उनका नियोजक कौन है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

क्रीड़ा परिषद् में नियुक्त प्रशिक्षकों की सूची खेल के अनुसार निम्न प्रकार है:—

एथलेटिक्स	4
बेडमिन्टन	1
बास्केटबाल	3
क्रिकेट	1
साइकिलिंग	1
फुटबाल	4
जम्नास्टिक	1
हाकी	4
कबड्डी	1
तैराकी	1
टेबिल टेनिस	1
वालीबाल	3
कुश्ती	2
योग विद्या	1
कुल	28

परिषद् के साथ 15 अन्य प्रशिक्षक भी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और इनका नियोजक नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला है।

राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा स्टेडियम निर्माण के लिये दी गई राशि

500. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य क्रीड़ा परिषद् ने राज्य में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिये पिछले 10 वर्षों में किन किन को आर्थिक अनुदान दिया है ? नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या क्रीड़ा परिषद् ने खेल मैदानों के सुधार के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो क्या क्या, स्पष्ट करें ?

(3) सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर का कार्य कब से चल रहा है और अब तक उस पर कितना व्यय हो गया ?

(स्थगित किया गया)।

राजस्थान एथेलीट संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता

501. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अभी हाल ही जयपुर में आयोजित अन्तर्राज्य एथेलीट प्रतियोगिता में राज्य क्रीड़ा परिषद् ने कितनी राशि व्यय की ?

(2) क्या राज्य क्रीड़ा परिषद् ने राजस्थान एथेलीट संघ के पदाधिकारियों को उक्त प्रतियोगिता के आयोजन के लिये अग्रिम धनराशि दी थी ? यदि हां, तो कब कब व कितनी कितनी ?

Page No 38

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) राजस्थान एथेलीट संघ के कौन कौन पदाधिकारी हैं एवं उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों से उक्त प्रतियोगिता में आये एथेलीट्स के लिए भोजन व आवास की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि स्टेडियम पर उक्त प्रतियोगिता के दौरान किसी डाक्टर की ड्यूटी नहीं लगाई थी जिससे कितने ही घायल एथेलीट्स को बड़ी असुविधा हुई? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रतियोगिता में विजेताओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक देने की घोषणा तो की गई थी परन्तु उन्हें पदक नहीं दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि राजस्थान दल के सदस्यों की उपेक्षा की गई थी और उन्हें कड़ाके की सर्दी में सिर्फ बनियान ही उपलब्ध कराई गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(8) क्या यह सही है कि उक्त प्रतियोगिता के राजस्थान में आयोजन से राज्य क्रीड़ा परिषद् की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने जयपुर में हाल ही में आयोजित अन्तर्राज्य एथेलेटिक प्रतियोगिता के लिए कोई धनराशि सीधी व्यय नहीं की है। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान एमेच्योर एथेलेटिक्स संघ ने किया और परिषद् द्वारा रुपया 15,000/- का अनुदान स्वीकार किया गया है जिसमें से 11,000/- रुपये का अग्रिम भुगतान नियमानुसार किया गया है।

(2) जी हां। इसके लिये राज्य संघ को उपरोक्त अग्रिम धनराशि 11,000/- का (तारीख 30-1-74 को 5,000/-, 7-2-74 को 3,000/-, 8-2-74 को 1,000/- व 9-2-74 को 2,000/-) अनुदान दिया गया।

(3) संघ के पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह स्वयं सेवी संस्था है और स्वयं अपने पदाधिकारी चुनती है।

(4) आवास व भोजन की व्यवस्था राजस्थान एथेलीट संघ ने की थी।

(5) जहां तक परिषद् को जानकारी है एक डाक्टर व कम्पाउण्डर की सेवायें उपलब्ध थीं। अतः कोई असुविधा नहीं हुई।

(6) जी हां, पदक देने की परम्परा है परन्तु संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार पदक समय पर तैयार होकर नहीं आये।

(7) परिषद् की जानकारी के अनुसार हर एथेलीट किट में ही था।

(8) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आयोजन राज्य संघ ने ही किया था।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ठेकेदारों की बकाया

502. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिंचाई विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम समाप्त होने के दिन से एक वर्ष से अधिक कितने पुराने फाइनल बिल्स का अब तक भुगतान करना बकाया है? सूची मय ठेकेदार व काम के नाम, काम समाप्त होने के दिनांक और बकाया धनराशि का विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कामों को कितनी सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जिसका काम समाप्त होने के छः माह पश्चात् भुगतान किया जा सकता है परन्तु फाइनल बिल पेमेन्ट न होने के कारण, उसका अब तक भुगतान नहीं किया जा सका? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सत्य है कि ठेकेदारों को परेशान करने से भ्रष्टाचार बढ़ता है एवं काम अधिक मंहगे होते हैं?

(स्थगित किया गया)

विराटनगर क्षेत्र के ग्रामों को बिजली

503. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सच है कि विराटनगर (बैराठ) पंचायत समिति क्षेत्रों के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु आर०ई०सी० स्कीम का निश्चय किया जा चुका है? यदि हां, तो कब तक इस क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण हो जावेगा?

उत्तर

कोटपूतली तहसील के समस्त ग्रामों की एक रूरल इलेक्ट्रिक कापरेटिव बनाने की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से तैयार की गई है जो सरकार के विचाराधीन है। इस योजना में 16 ग्राम विराटनगर पंचायत समिति के भी हैं। इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा इसके बारे में जब तक यह स्कीम अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री डूंगरगढ़ वाया बनारिडी-बीदासर सड़क का कार्य

504. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील श्री डूंगरगढ़ से वाया बनारिडी, बीदासर रोड़ को कब तक पूरा करवा दिया जायगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को अलग अलग ठेकेदारों को ठेका दिया गया? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार को कितने कितने मील का ठेका कब दिया? किस किस ठेकेदार ने कार्य पूरा कर दिया और किस किस ठेकेदार का काम बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) डूंगरगढ़ बनारिडी, बीदासर रोड़ के 45 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर डामर

Page No 40

(40)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एवं 7 किलोमीटर मैटल रोड का निर्माण हो चुका है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में काम पूरा होने की आशा है।

(2) उक्त सड़क के किलो मीटर 0/0 से 15/0 व 30/1 से 45/0 तक का ठेका श्री बुलाकी दास चाण्डक को तथा 15/1 से 30/0 तक का कार्य सुरेश कन्सट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है। बुलाकी दास चाण्डक ने कार्य पूरा कर दिया है, तथा सुरेश कन्स-ट्रक्शन का कार्य अपूर्ण है।

राजस्थान में विद्युतीकरण

505. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अब तक किन किन शहरों, नगरों एवं गांवों में विद्युतीकरण किया गया ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान में अब तक विभिन्न जिलों में कितने प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया गया है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान में अब तक कितने प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया गया है ? पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 28 फरवरी, 1974 तक 5851 शहरों, कस्बों एवं गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या बताते हुये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभिन्न जिलों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत उपरोक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(3) राजस्थान में अब तक 18.15 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। पंचम पंचवर्षीय योजना के अंत तक यदि योजनानुसार अपेक्षित धन उपलब्ध हो गया तो 40 प्रतिशत आबादी को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)।

अलवर-हिण्डौन तथा हिण्डौन-करौली बिजली की लाइन का कार्य

506. श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर से हिन्डौन 132 के०वी० लाइन तथा हिण्डौन से करौली 33 के०वी० लाइन का कार्य चालू हो गया है ?

(2) इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

(3) क्या यह सही है कि कुड़गांव से करौली 33 के०वी० लाइन डालने की सिफा-रिश की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को आरम्भ करने की जल्दी स्वीकृति प्रदान करेगी।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर-हिन्डौन 132 के०वी० लाइन का कार्य चालू हो चुका है परन्तु हिन्डौन से करौली 32 के०वी० का निर्माण कार्य प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होने के कारण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(विद्युत मंत्री)

(2) अलवर हिण्डौन 98 किलोमीटर लम्बी लाइन के 655 में से 422 स्ट्रक्चर्स/टावर्स खड़े कर दिये गये हैं। यदि आवश्यक सामान समय पर उपलब्ध हो जावे तो इस लाइन के चालू वित्त वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। हिण्डौन—करौली लाइन के लिये अभी आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति होने पर यह कार्य 1974-75 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है।

(3) कुडगांव से करौली 33 के०वी० लाइन डालने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गंग कैनाल को नहरों में छोड़ा गया पानी

507. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंग कैनाल की कौन कौन सी नहर में सन् 72-73 व 73-74 में कितने कितने समय तक कितना कितना पानी छोड़ा गया ?

(2) क्या नहर नम्बर एफ नहर नम्बर एच से अधिक समय चलती है तथा उसमें अधिक पानी छोड़ा जाता है ? यदि हां, तो क्या एफ के प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा दवाब से यह एच से अधिक चलाई जाती है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(स्थगित किया गया)।

राजकीय जिला कृषि उत्पादन कमेटी द्वारा स्वीकृत ग्रामों में बिजली

508. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय जिला कृषि उत्पादन कमेटी द्वारा विद्युतीकरण की सिफारिश होकर आये कितने गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करवाया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

509. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं से अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक कब हुई थी ?

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के बिना कितने सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर अस्थाई आधार पर पदोन्नत किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में अभियन्ताओं के सेवा नियमों के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक के लिये अस्थाई पदोन्नति नहीं की जा सकती ?

(4) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही

Page No 42

(४२)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

है और एक साल से अधिक इस तरह अस्थाई रूप से पदोन्नति की गई नियुक्तियों को क्यों गैर कानूनी तरीके से चालू रखा जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने, पिछले दिनों राज्य सरकार के कृषि विभाग में सहायक निदेशक के पद पर हुई अस्थाई नियुक्तियों को अवैध माना है और इस विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक चार माह में बुलाने का निर्देश दिया है ?

(6) सिचाई विभाग में वर्ष 1973 में कितने सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया है ? कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखी जाय।

(7) क्या उन अस्थाई पदोन्नतियों में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये पदोन्नति में प्रदान किये संरक्षण के नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ताओं से अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति के लिये विभागीय समिति की अन्तिम बैठक सन् 1963 में हुई थी ।

(2) 96 सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर अस्थाई आधार पर पदोन्नत किया गया है सूची संलग्न है ।

(3) अस्थाई पदोन्नति एक वर्ष के लिये ही की जाती है, परन्तु लोक सेवा आयोग की सहमति (Concurrence) लेकर पदोन्नति की अवधि आगे बढ़ाई जाती है ।

(4) श्री एम० पी० रंकावत, सहायक अभियन्ता ने एक रिट याचिका हाई कोर्ट में सन् 1967 में दी थी जिसके तहत हाई कोर्ट ने दिनांक 22-11-67 को एक स्टे आर्डर दिया कि अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति नहीं की जावें । दिनांक 20-9-73 को केस की हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद श्री रंकावत का केस खारिज कर दिया गया । अब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र ही बुलाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(5) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(6) 13 सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 1973 में अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया, सूची संलग्न है ।

(7) अस्थाई पदोन्नतिओं पर यह नियम लागू नहीं होता है । अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बालिया ग्राम में बांध का निर्माण कार्य

510. **श्री भोमा राम** (डीडवाना) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि नागौर जिले की डीडवाना तहसील के गांव बालिया में एक बान्ध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था ? तथा अब इस बान्ध का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य

(श्री भोमाराम)

पर अब तक कितना खर्चा हुआ है और कितना खर्चा पूर्ण करने में लगेगा ?

उत्तर

नागौर जिले की डीडवाना तहसील के गांव बालिया का कार्य, बान्ध एवं वेस्ट वीयर के नीचे नींव के लिए भूमि की उचित पड़त न मिलने के कारण, बान्ध एवं वेस्ट-वीयर के डिजाइन में परिवर्तन करने हेतु रोक दिया गया था जो कि समुचित संशोधन करके दिनांक 15-3-74 से दोबारा शुरू करवा दिया गया है। इस कार्य पर दिनांक 28-2-74 तक कुल 34439 रु० व्यय हुए हैं और शेष कार्य को पूर्ण करवाने हेतु 2,12,000 रु० और व्यय होने की संभावना है।

नर्सिग सुपरिन्टेन्डेन्ट को बकाया वेतन

511. श्री केशर देव (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री कल्याण अस्पताल सीकर की श्रीमती एस० बाजपेई नर्सिग सुपरिन्टेन्डेन्ट को पिछले 11 माह से (तारीख 15-3-73 से) वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, मामला विचाराधीन है।

चूरू के डाक्टर की टी० ए० की बकाया राशि

512. श्री करनसिंह (डीग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 217.80 रुपये का टी० ए० बिल नं० टी० बी० 19 तारीख 29-3-68 डाक्टर बांके बिहारी का माह नवम्बर 67 का ट्रेजरी, चूरू के पास होने पर इसकी किसी दूसरे व्यक्ति ने धनराशि प्राप्त की ? यदि हां, तो जिसने की, उसका नाम क्या है और उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि यह धन राशि आज तक डॉक्टर बांके बिहारी को नहीं मिली ? यदि हां, तो यह धनराशि सही तौर पर कहां पर है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त टी० ए० बिल की राशि का वितरण न करके गलत राशि का भुगतान डॉ० सक्सेना को करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि गलत राशि के वितरण करने के प्रयत्न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, डॉ० बांके बिहारी के बिल की रकम रु० 217–80 श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, जिला परिवार नियोजन संस्थान, चूरू ने बैंक से उठाकर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जरिये ड्राफ्ट भुगतान करने हेतु भेजा था। इस मामले में कौन दोषी है, यह निदेशालय में विचाराधीन है।

(2) जी हां। यह रकम राज्य कोष में चालान नम्बर 6 दिनांक 8-11-73 के द्वारा राज्य सरकार के आदेश संख्या

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) .
24 (17) एम० परिका 68, दिनांक 28-3-73 द्वारा जमा करवा दी गई क्योंकि डॉ० बांके बिहारी लाल ने उक्त राशि इस कार्यालय के वार बार सूचित करने पर भी लेने से मना कर दिया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

बड़ा क्षेत्र एवं देवखेड़ा ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग

513. श्री कशरी मल (ब्यावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जवाजा पंचायत समिति के बड़ा क्षेत्र तथा देवखेड़ा गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग वहां की जनता द्वारा बार बार की जा रही है और भवन भी बनाकर देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में ये केन्द्र स्थापित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य की योजनानुसार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। जिसके अनुसार जवाजा पंचायत समिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाजा में स्थापित किया जा चुका है। अतः अब और केन्द्र खोलने पर विचार नहीं किया जा सकता।

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

514. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1973 को लोक आयुक्त की नियुक्ति संबंधी अध्यादेश जारी किया गया था ?

(2) क्या उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं तो क्यों नहीं तथा अब कब बनाने का विचार रखती है ?

(3) क्या इस अध्यादेश ने बाद में अधिनियम का रूप ले लिया था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक नियम नहीं बनाये गये हैं ?

(5) क्या नियमों के अभाव में लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त के मध्य कार्य सम्पादन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं-राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश 1973 दिनांक 24 जनवरी, 1973 को प्रस्थापित किया गया था।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1974 बन गये हैं। शेष नियम सरकार के विचाराधीन हैं।

(5) जी नहीं।

Page No 45

(45)

सरकारी कार्यालयों आदि के लिये जोधपुर में किराये पर लिये गये भवन

515. **श्री अमृत लाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जोधपुर नगर में कौन कौन से राज्य सरकार के कार्यालय एवं अन्य राजकीय संस्थान, उपक्रम इत्यादि किराये के मकानों में कार्य कर रहे हैं जिनका किराया राज्य सरकार एवं संबंधित उपक्रम चुकाते हैं ? कृपया पूर्ण सूची किराये की राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(स्थगित किया गया)

शाहपुरा में तेल की बिक्री के लिये नियुक्त डीलर

516. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (वैराठ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले को शाहपुरा क्रय विक्रय सहकार समिति इन्डियन आयल कारपोरेशन की सब-एजेन्ट रही है ? यदि नहीं तो पिछले 15 वर्षों में इस समिति द्वारा किस किस वर्ष में केरोसिन तेल का वितरण किया है ? क्या यह सच है कि यह तेल आई० ओ० सी० द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो फिर इस समिति के क्षेत्र में व्यक्तिगत डीलर नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या इस समिति को केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, आयल आदि की एजेन्सी दिलाये जाने हेतु सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

डग के पास बलाई की हत्या का मामला

517. **श्री ओंकार लाल चौहान** (डग सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डग से 4 मील दूरी पर श्री बाघा बलाई व्यक्ति की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी नहीं । जांच से बाघा बलाई द्वारा आत्महत्या करना पाया गया । अतः दिनांक 31-12-73 को अन्तिम रिपोर्ट दी गई है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-74 एवं 30-3-74)

उद्योगपतियों को ऋण

125. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना ऋण किस किस उद्योगपति को दिया गया और उनमें कितना कितना रुपया बाकी है व कितना वसूल हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जिन उद्योगों ने वक्त पर रुपया अदा नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या क्या कदम उठायें हैं ?

(स्थगित किया गया) ।

Page No 46

(५८)

स्थगित प्रश्न
(दि० 13-3-74 एवं 3-4-74)

उद्योगों के लिए आवेदन-पत्र

126. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम को 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में कितने आवेदन-पत्र जिलेवार प्राप्त हुए हैं ? इनमें से कितने स्वीकार तथा अन्य आवेदन-पत्र के अस्वीकार होने के क्या कारण हैं ?

(2) बाड़मेर जिले से किन किन उद्योगों के आवेदन-पत्र स्वीकार हुए हैं और उन्हें क्या सहायता मिली है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)।

स्थगित प्रश्न
(दि० 14-3-74)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य पर व्यय की गई धन राशि

157. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1949-50 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितनी धनराशि जयपुर एवं जोधपुर नगरों में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत पर अलग अलग व्यय की ? प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) वित्तीय वर्ष 1949-50 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितनी धनराशि जयपुर एवं जोधपुर नगरों में गन्दे और बरसाती पानी के नल व नालों के निर्माण एवं पुराने नल व नालों की मरम्मत पर अलग अलग व्यय की ? प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया) ।

स्थगित प्रश्न
(दि० 14-3-74 एवं 30-3-74)

लघु उद्योग समिति-सवाई माधोपुर द्वारा कोयला व चद्दरों का आवंटन

166. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी 1973 से अब तक सवाई माधोपुर जिला लघु उद्योग समिति द्वारा जिले के उद्योगों हेतु कितना कितना कोयला व चद्दरें आदि भेजने की मांग की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त मांग के आधार पर कोयला चद्दर भेज दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा आवंटित कोयला व चद्दर भी जिला उद्योगों को प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला वितरण समिति द्वारा 1750 टन वार्षिक चद्दरों की मांग की गई थी। कोयले के सम्बन्ध में कोई मांग समिति द्वारा नहीं भेजी गई।

(2) जी नहीं। स्टील प्रायरटी कमेटी कलकत्ता द्वारा सवाई माधोपुर में स्थित

(उद्योग मन्त्री)
उद्योगों की क्षमता का 10% प्रायरन व इस्पात के लिये प्राथमिकता प्राप्त होना है।

(3) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न
(दि० 12-3-74)
समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई छात्रवृति

285. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा गत दस वर्षों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित-जन जाति के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति दी गई ? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में हर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इससे शिक्षा में अवरोध उत्पन्न नहीं होता ?

(स्थगित किया गया)।

स्थगित प्रश्न
(दि० 21-3-74 एवं 3-4-74)
अकाल सहायता कार्य स्थलों पर पड़ा हुआ सामान

293. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1967-68 से लेकर अब तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गये उन अकाल सहायता कार्य स्थलों पर कितना कितना सामान कितनी राशि का किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है ? प्रत्येक सहायता कार्य स्थल पर पड़े सामान को अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान की देख रेख के लिए सहायता विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है ?

(स्थगित किया गया)।

स्थगित प्रश्न
(दि० 27-3-74)
पुलिस विभाग में पदोन्नति का आधार

364. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस विभाग में पदोन्नति का क्या आधार है ?

(2) फरवरी सन् 1974 तक वरिष्ठता के आधार पर किन किन लोगों की पदोन्नति हुई ? कृपया फरवरी, 1964 के बाद का ब्यौरा जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस विभाग में वरिष्ठता के अलावा अन्य किसी आधार पर भी पदोन्नति हुई ? यदि हां, तो पदोन्नति का आधार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति सीधी कर सकता है ? यदि हां, तो क्या विभागीय लोगों की पदोन्नति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता ?

(5) पुलिस विभाग द्वारा फरवरी, 1964 से फरवरी, 1974 तक कितने सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्तियां की गई ? जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 48

(48)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(6) इनमें कितने कम्पीटीशन से व कितने डाइरेक्ट लिए गए ? दोनों प्रकार की सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या 1964 से अब तक सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति हेतु परीक्षाएं हर वर्ष होती रही हैं ?

(8) यदि नहीं, तो इससे दावेदार लोगों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा गया ?

(स्थगित किया गया)।

स्थगित प्रश्न

(दि० 3-4-74)

मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में नियुक्त डाक्टर

428. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं उनके अधीनस्थ अस्पतालों में कितने डाक्टर नियुक्त हैं ?

(2) ऐसे डाक्टरों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें जो गत 5 वर्षों से या इससे अधिक एक ही नगर में कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं उनके अधीनस्थ अस्पतालों में कुल 713 डाक्टर कार्यरत हैं।

(2) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं उनके अधीनस्थ अस्पतालों में पांच वर्ष या इससे अधिक कार्यरत डाक्टरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित प्रश्न

(दि० 3-4-74)

जिला गंगानगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नियुक्तियां

429. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान पथ परिवहन निगम जिला गंगानगर में 1 जनवरी, 1971 से लेकर आज तक कितने चालक, परिचालक, मैकेनिक, क्लीनर, क्लर्क तथा चैकर आदि नियुक्त किये गये हैं ? उनके नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, जाति का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उक्त कर्मचारियों में से कितनों को सेवा मुक्त किया गया तथा कितनों का अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया ? पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि पूर्व में श्री महादेव प्रसाद बंका, भूतपूर्व विधायक द्वारा जयपुर में जहरीली शराब पीने के कारण होने वाली मृत्यु की घटनाओं को लेकर किये जा रहे अनशन के विषय में सर्वश्री मोहम्मद गफ्फार अली,

(श्री अध्यक्ष)

गिरधारीलाल भार्गव, केदारनाथ, निरंजननाथ आचार्य, गुरदयाल सिंह संधु आदि, सदस्य विधान सभा ने कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी । इसी सम्बन्ध में आज भी सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य, गिरधारीलाल भार्गव, केदारनाथ, रामकिशन, उम्मेदीलाल, रामलाल (बाड़ी), मनोहरलाल, अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है । श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने भी आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानें उचित स्थानों पर न खोलने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों ने भी इस प्रश्न पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाने की मांग की है । इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने के बाद सदन में विचार भी व्यक्त किये गये थे । उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज भी स्थगन प्रस्ताव थे । अतः मैं राज्य सरकार से, मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे आज ही वक्तव्य दें ।

2. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 1-11-73 से राजस्थान के उपलोकायुक्त द्वारा सतर्कता आयोग के 12 स्थायी कर्मचारियों को सरप्लस कर देने के विषय में । यह प्रश्न हाल की किसी अविलम्बनीय लोकमहत्व की घटना से सम्बन्धित नहीं है ।

3. श्री अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के शाहपुरा के किसानों को बिजली का कनेक्शन न देने के विषय में । यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का भी नहीं है ।

4. श्री मीठालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जनरल मैनेजर तथा उनके पुत्र द्वारा जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम के एक गांव के एक परिवार के कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के विषय में । यह प्रश्न अस्पष्ट है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है ।

5. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीनमाल के एस०डी०ओ० द्वारा 400 फौजदारी मुकदमे जल्दबाजी में फैसला कर देने के विषय में । इस प्रस्ताव में न्यायपालिका के विषय में आरोप लगाया गया है ।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

एक और निवेदन है कि जिन पर वक्तव्य देने के लिये कहा है उनके अलावा उन स्थगन प्रस्तावों पर न बोलें जो वक्तव्य से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि ऐसे मामले नोटिस में लाये जायं और वे इन पर कार्यवाही करेंगे । अध्यक्ष महोदय, भीनमाल के एस०डी०ओ० के द्वारा जो मामले, उनके द्वारा क्या निर्णय दिये गये उन पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा किन्तु कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने की घोषणा हो चुकी है, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का अमेन्डमेंट हो चुका था, विधान सभा में भी घोषणा हो चुकी थी, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि 300 400 केसेज, मुकदमे जिन पर तारीख पेशियां पड़ चुकी थीं, किसी की एक महीने की, किसी की दो महीने की और किसी में 15 दिन की

(श्री गुमानमल लोढा)

और ये सब मामले न्यायपालिका को जाने वाले थे क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के अनुसार उसको नाजायज तरीके से और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से उनके फैसले किये गये। फैसलों के बारे में मैं कोई निवेदन नहीं करना चाहता हूं। 300 - 400 मुकदमों में रातोंरात फैसले कर दिये गये मेरे पास वारन्ट गिरफ्तारी है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। एस०डी०एम० ने खाली वारन्ट पर अपने दस्तखत कर रखे हैं सिर्फ गैर तरीके से धन प्राप्त करने के लिये। सब-इन्सपेक्टर जाय और गिरफ्तार करके ले आये। उप-जिलाधीश, न्यायपालिका, भीनमाल और दस्तखत हैं रामप्रकाश जोशी।

श्री लक्ष्मणसिंह : शेम शेम।

श्री गुमानमल लोढा : इससे बढ़कर सभ्य समाज में कानून का हनन नहीं हो सकता है। इस प्रकार कानून का हनन पहले भी किसी ने नहीं किया। पुराने कोतवाल भी नहीं कर सकते थे। थानेदार नाम भर दे श्रीमान् हरिदेवजी जोशी। वह थानेदार हरिदेवजी जोशी के पास जावेगा। स्पीकर साहब का नाम भर दे। वह थानेदार स्पीकर साहब के पास जावेगा। उनकी वारन्ट गिरफ्तारी के दस्तखत किये गये हैं। यह मामला मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सारे मामले की पूरी जांच करायेंगे। यह बहुत सेन्सेशनल डिस्क्लोजर है। आज तक ऐसा मामला नहीं हुआ। 13-14 ऐसे बनाये हैं। इससे पहले भी मैंने एक लैटर प्रस्तुत किया था जिसमें लिखा था कि यह एस०डी०एम०, भीनमाल है जिसने मुझे आकर कहा कि चश्मदीद गवाह बनो नहीं तो तुम्हारी कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट खराब कर दूंगा। मैं इसकी सर्टिफाइड कापी पेश की थी। पर खेद है कि उस पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई।

बिना नाम पता भरे कोरा वारन्ट का कागज दस्तखत करके दे दिये तो कानून का तो राज समाप्त हो गया। यह न्यायपालिका की हत्या है। प्रशासन और मंत्रियों के लिये चुनौती है। मैं इनको सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के पटल पर रक्खे गये)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह एक बहुत ही सनसनीखेज प्रसंग आपने रखा है। यद्यपि आपने उस पर सरकार को वक्तव्य देने के लिये नहीं कहा। फिर भी यह सरकार के लिये अनिवार्य हो जाता है कि इस पर वह अपना स्पष्टीकरण दे और तुरन्त दे। ये 13-14 हैं, एक दो नहीं। ये स्वयं में इस बात के प्रमाण हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच आज करें और शाम तक अपना स्पष्टीकरण सदन में दें। यह सरकार के विरुद्ध सीधा आरोप है।

यह मेरा खयाल है कि सदन के आज दिन तक के इतिहास में यह अपने ढंग का पहला प्रसंग है। पहला उदाहरण है। यह सरकार के प्रशासन और जूडीसियरी के सेपरेशन के बारे में शंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्यायपालिका पर गम्भीर आघात है। इसका तुरन्त निराकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न सदन में आया है और जो तथ्य रखे गये हैं वास्तव में काफी गम्भीर हैं। ये 15-

(श्री लक्ष्मणसिंह)

20 फार्म हैं। सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन पर समुचित कार्यवाही करे। बस मैं इतना ही कहूंगा।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडा भीम तहसील में गोकुलपुरा ग्राम है। वहां उम्मेदी पटेल की खेती की जमीन है। उस पर दावा कर रहे हैं भगवानदासजी जोशी, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जनरल मैनेजर हैं। उनके पुत्र हैं सुरेशचन्द्रजी जोशी। दोनों ने उस जमीन पर अपना नाजायज कब्जा दिखा कर आतंक पैदा करने के लिये स्थानीय पुलिस को प्रभाव में लेकर उस किसान को ही नहीं उसके सारे परिवार को जिस ढंग से जबर्दस्ती नाजायज तरीके से थाने में बुलाकर लिखा-पढ़ी कराकर नाजायज नामान्तरण करा कर थाने में ही उम्मेदी पटेल को इस बुरी तरह से पिटवाया गया, इस बुरी तरह से बिजली के शाक लगवाये कि वह किसान मर गया। इसके बाद भी इन लोगों ने इस परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। उस मृत किसान के लड़के को 107 में वारन्ट इश्यू करके गिरफ्तार करवा लिया, जो कि जमानती वारन्ट होता है, पर पुलिस के जरिये बिना जमानती वारन्ट के उसे गिरफ्तार करवा दिया। औरतों तक को थाने में बुला कर तंग किया जा रहा है। उन पर कई तरह के जुर्म लगाकर उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तरह तरह से आतंकित करके उनको परेशान और हैरान किया जा रहा है।

मैं इस मामले में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से एक प्रभावशाली आदमी अपने प्रभाव से पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर जो घृणित हरकतें कर रहा है उसके विरुद्ध तुरन्त जांच करके सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

उस जमीन पर आज भी उस परिवार का अधिकार है। उनकी फसल खड़ी है। पर उनको पुलिस द्वारा बराबर दबाया जा रहा है। मैं सरकार को सावधान करता हूं कि इसी तरह से इन प्रभावशाली आदमियों का दमनचक्र पुलिस के मार्फत निर्दोष किसानों पर होता रहा तो किसी दिन किसानों में बलवा हो जावेगा जिसे बाद में सम्भालना राज्य सरकार के लिये मुश्किल हो जावेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग द्वारा....

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया न कि आपका भी उसमें आ जावेगा।

(श्री भानुकुमार शास्त्री के बोलने के लिये खड़ा होने पर)।

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनाया है जिसे उस पर न बोलें। जिसको सुनाया है उस पर बोल दीजिये।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों ने पैसा जमा करा दिया। सब कुछ कर दिया पर फिर भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। लाइन डाल दी है टैक्स जमा है। फिर क्या कारण है कनेक्शन नहीं देने का? इससे किसानों का बड़ा भारी नुकसान हो गया है। फसल पानी के अभाव में बहुत अधिक खराब हो गई। इस स्थिति में विभाग जो इस तरह से रोड़े अटकाता है उसे दूर किया जाय। सामान की कमी है तो उसकी व्यवस्था की जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था। विजिलेन्स कमीशन जब एबोलिश हुआ और लोकायुक्त की नियुक्ति हुई तो लोकायुक्त ने अपने चोइस

Page No 52

(श्री भानु कुमार शास्त्री)

के अनुसार कुछ कर्मचारियों को रख लिया और बाकी को सरप्लस घोषित कर दिया। कुछ समय के बाद उनको जी०ए०डी० में भेज दिया गया। अब जो लोग आठ-दस साल से विजिलेन्स कमीशन में काम कर रहे थे उनके आठ-दस साल बाद जी०ए०डी० में जाने के कारण प्रमोशन में उनको नुकसान हो रहा है। आखिर में लोकायुक्त ने जी० ए०डी को लिखा है कि सरकार यदि चाहे तो उन सरप्लस घोषित लोगों को वापिस उनके आफिस में भेज दे। उनको इसमें आपत्ति नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी बात है तो उन सभी लोगों को जो सरप्लस घोषित कर दिये गये हैं वहां भेज दिया जाय ताकि उनको वरिष्ठता और आर्थिक दृष्टि से भी कोई नुकसान न हो।

कार्य सूची में दिये गये विषयों पर विचार के लिए समय का विभाजन

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचना करनी है कि आज की कार्य सूची में जो विषय रखे गये हैं उनके लिये सदन में सभी दलों के नेताओं के परामर्श से मैंने निम्नांकित समय निर्धारित किया है :

(1) विशेषाधिकार प्रश्न	15 मिनिट	12.30 बजे से 12.45 बजे
(2) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	1 घण्टा	12.45 से 1.45
(3) राज्य सरकार की ओर से दो वक्तव्य	आधा घंटा	1.45 से 2.15
(4) खाद्य नीति पर बहस	ढाई घंटे	2.15 से 4.45
(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता विषयक सरकारी संकल्प	आधा घण्टा	4.45 से 5.15
(6) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक	दो घंटा	5.15 से 7.15
(7) अतिरेक की मांगें व तत् सम्बन्धी विनियोग विधेयक	आधा घन्टा	7.15 से 7.45

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय-सीमा का पालन करने की कृपा करें।

अब खाद्यान्न के सम्बन्ध में जो वक्तव्य होगा विरोधी दल के सदस्यों के लिये सवा घंटे का समय होगा और सरकारी पक्ष से जो बोलेंगे उनके लिये भी सवा घंटे का समय होगा उसमें सरकार का उत्तर भी शामिल होगा।

आम तौर से विरोधी पक्ष के नेता लोगों में से खुद बोलें या किसी और को बुलावें इस अवधि में एक एक बोल लें या सभी बोल लें। एक एक दल के हिस्से में वैसे 15-15 मिनिट का समय आता है। मेरी तरफ से

(श्री अध्यक्ष)
दोनों पक्षों के लिये सवा-सवा घंटे का समय है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सारा समय कितने बजे खत्म हो जावेगा ।

श्री राम किशन : इन्विटेशन भी सदस्यों को मिले हैं इससे अभी से चिन्ता हो गई मालूम होता है ।

श्री अध्यक्ष : चिन्तामुक्ति करनी तो आपका ही काम है ।

श्री राम किशन : सदन में ब्राह्मण ज्यादा हैं । यह सरकार की तरफ से जान बूझकर सदन को जल्दी स्थगित कराने की चाल दिखती है ।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार प्रश्न ।

माननीय सदस्य श्री मो० गफ्फार अली ने पत्रिका "क्रास एग्जामिनेशन" के विशेषांक मार्च, 1974 में प्रकाशित एक लेख पर उक्त पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है ।

मैंने प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाने के लिये अपनी सम्मति दे दी है । अतः मैं श्री मोहम्मद गफ्फार अली से निवेदन करता हूं कि वे अपने इस विशेषाधिकार प्रश्न को उठाने के लिये सदन से अनुमति मांगें ।

याचिकाओं का उपस्थापन एवं सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फार अली । विशेषाधिकार प्रश्न ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 160 के अन्तर्गत "क्रास एग्जामिनेशन" पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की आज्ञा चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(सदन की मौन स्वीकृति)

चूंकि सदन द्वारा इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दी गई है अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को जांच एवं अनुसन्धान के लिये सुपुर्द करता हूं जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री भूरा राम । (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय मैं जनता कालोनी, जयपुर में गटर लाइन डलवाने, नालियां बनवाने तथा बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था करवाने से सम्बन्धित पांच याचिकाओं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सचिव ।

श्री रामजी लाल गुप्ता (सचिव, विधान सभा) अध्यक्ष महोदय मैं वर्तमान

(५४)

(श्री रामजीलाल गुप्ता)
सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है—

(1) राजस्थान विनियोग (सं० 1) विधेयक, 1974

(2) राजस्थान विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1974

(3) राजस्थान यात्री एवं माल कराारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974

(4) राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा, राजस्व मंत्री जी ।

श्री मूल चन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना संख्या प० 6 (9) राज–ग्रुप—4/73, दिनांक 20-10-73 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री शिव चरण माथुर (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बेरोजगार इन्जीनियरों की मांगें मंजूर न होने से उत्पन्न स्थिति पर आयोजना (जन शक्ति विभाग) मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री चन्दन मल बैद (जन शक्ति मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने बेरोजगार अभियान्त्रिकी स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों को राहत देने हेतु वर्ष 1971 से पूल गठन योजना लागू की थी । पूल गठन योजना के नियमों के अन्तर्गत एक हजार राजस्थानी बेरोजगार सिविल, विद्युत् एवं यान्त्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों तथा कृषि अभियान्त्रिकी स्नातकों को 3 वर्ष या जब तक रोजगार न मिल जावे, जो भी अवधि कम हो वृत्तिका देने का प्रावधान है । इसके अन्तर्गत बेरोजगार अभियान्त्रिकी स्नातक को 250 रु० एवं डिप्लोमाधारी को 150 रु० मासिक वृत्तिका दी जाती है और उनको कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों में लगा दिया जाता है (चूंकि मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 450 अभियान्त्रिकी स्नातक एवं पोलिटेक्निकों से 550 डिप्लोमाधारी प्रतिवर्ष पास होते हैं, इन सबको राज्य सरकार के विभागों में ही रोजगार देना सम्भव नहीं हो सकता है ।

वर्ष 1971–72 के दौरान राज्य सरकार द्वारा यह आशा व्यक्त की गई थी कि इस अवधि में इन लोगों को आवश्यक अनुभव प्राप्त हो जाने से सरकार या अन्य संस्थाओं में रोजगार मिल सकेंगे अथवा वे कोई खुद का धन्धा शुरु कर सकेंगे । परन्तु बेरोजगार इन्जीनियर एवं डिप्लोमाधारी स्वयं के रोजगार प्रारम्भ करने के लिये विशेष उत्सुक प्रतीत नहीं हैं । वर्ष 1973–74 में "हाफ ए मिलियन जाब्स प्रोग्राम" के अन्तर्गत स्वयं के रोजगार स्थापित करने के लिये विभिन्न

(श्री चन्दनमल बैद)

योजनायें प्रारम्भ की गई थीं जो निम्न प्रकार हैं –

(1) कृषि सेवा केन्द्र खोलना,

(2) औद्योगिक सहकारी समितियां बनाना,

(3) लघुसिंचाई योजना के निर्माण काय के लिये सहकारी समितियां बनाना।

(4) छोटे उद्योग धन्धों की इकाइयां खोलना इत्यादि।

स्वंय के व्यवसाय प्रारम्भ करने में अब तक सबसे बड़ी बाधा बैंकों से ऋण लेते समय 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक स्वयं के अंशदान लगाने की रहती थी परन्तु इस बाधा को दूर करने के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग द्वारा समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक एवं व्यवसायिक बैंकों को यह आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं कि तकनीकी योग्य व्यक्तियों को स्वयं के व्यवसाय प्रारम्भ करने के हेतु 2 लाख रुपये तक की स्थिर पून्जी के ऋण हेतु कोई भी अंशदान नहीं मांगा जावे। इसके अतिरिक्त स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये कच्चे माल की सुगमतापूर्वक उपलब्धि, औद्योगिक क्षेत्र में बना हुआ रोड उपलब्ध कराना, तकनीकी उपकरण व मशीनों के क्रय की उचित व्यवस्था एवं तकनीकी सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करने की विभिन्न सुविधायें देने की भी व्यवस्था की गई थी। परन्तु इन व्यक्तियों द्वारा कोई लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया गया। यहां तक कि कुछ प्रशि की योजनाओं में जिनमें वर्ष 1973-74 में एक स्नातक को 400 रु० व डिप्लोमाधारी को 250 रुपये प्रति माह वृत्तिका देने का प्रावधान था व वर्ष 1974-75 से नियमित रोजगार प्रदान करने का आश्वासन भी था, कई बार नियुक्ति आदेश प्रदान करने के उपरान्त भी इन व्यक्तियों ने कार्य करना पसन्द नहीं किया। उदाहरणार्थ विकास विभाग द्वारा संचालित 'रूरल हाउस साइट्स' योजना के अन्तर्गत तीन बार 30-30 डिप्लोमाधारियों को नियुक्ति आदेश प्रदान किये गये थे परन्तु केवल 12 व्यक्तियों ने ही इस योजना में अपना कार्यभार सम्भाला है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, से वर्ष 1973-74 के प्रारम्भ में सड़कों के सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान की योजना के अन्तर्गत 88 सिविल स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों की नियुक्त की गई थी परन्तु उनमें से 41 व्यक्ति त्याग पत्र देकर छोड़ गये, काफी प्रयास के फलस्वरूप वर्ष 1973-74 में हाफ ए मिलियन जाब्स प्रोग्राम्स के अन्तर्गत निम्न अन्य योजनाओं में भी बेरोजगार अभियांत्रिक स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों को कार्य पर लगाया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मन्डल द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 58 व्यक्तियों को लगाया गया है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित सड़क यातायात की सुविधाओं में प्रसार की योजनाओं के अन्तर्गत 57 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया है।

(3) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा संचालित कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत 60 व्यक्तियों को लगाया गया है। अभी तक बैंकें भूमि क्रय करने हेतु कोई ऋण नहीं देती थीं जिसके कारण ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को सेवा केन्द्र खोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस कठिनाई को दूर करने हेतु 17 लाख रुपया राजस्थान राज्य कृषि उद्योग

(श्री चन्दनमल बैद)

निगम को दे दिया गया है जो कि ऐसे व्यक्तियों के लिये केवल साढ़े तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण के रूप में देने का प्रावधान है। इस ऋण की अदायगी बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी के पश्चात् ही प्रारम्भ होगी।

(4) उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक इकाइयों की गणना के अन्तर्गत 143 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया है।

राज्य की योजनाओं के आकार को ध्यान में रखते हुवे प्रतिशत 1000 व्यक्यिों को भविष्य में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियमित रोजगार दिया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

अकाल राहत कार्यों से मुक्त समस्त यक्तियों को एवं वर्ष 1972 तक के पास शुदा अन्य व्यक्तियों को जिन्होंने जन शक्ति विभाग में पंजीकरण करा लिया था, पूलगठन योजना के नियमानुसार पूल के अन्तर्गत ले लिया गया था। वर्ष 1973-74 में 686 (126 स्नातक एवं 560 डिप्लोमाधारी) व्यक्तियों को पूलगठन योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिये लगाया गया था परन्तु अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 303 (61 स्नातकों एवं 242 डिप्लोमाधारियों) ने ही जोईन किया है। अकाल राहत से कार्य मुक्त हुये व्यक्तियों को एडहाक नियुक्तियों में प्राथमिकता देने हेतु साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के राहत कार्य के अनुभव के लिये 10 प्रतिशत वेटेज देने के आदेश भी राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों को जारी किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जन शक्ति विभाग में जो भी बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक एवं डिप्लोमाधारी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, राज्य सरकार की सहायता चाहता है को पंजीकृत किया जाता है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों के 1523 स्नातक एवं डिप्लोमाधारी जन शक्ति विभाग में पंजीकृत हैं। इन व्यक्तियों में से ही रिक्त पदों के लिये एडहाक नियुक्ति करने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। ऐसे आदेश माह जनवरी, 1974 में समस्त राजकीय विभागों को एवं स्वायत्त संस्थाओं को पुनः प्रसारित किये जा चुके हैं। जन शक्ति विभाग के रोस्टर में से ही नियमित एवं स्थाई नियुक्तियां की जा सकती हैं या नहीं, यह विषय अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है और संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को विभिन्न धाराओं को एवं कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए इस मसले पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

वर्ष 1973 के पास शुदा बेरोजगार अभियान्त्रिक स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित कानपुर एप्रेन्टिस स्कीम में भेजने का निश्चय किया गया था। इस योजना को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा समायोजित (कोआरडीनेट) किया गया था। वहां से प्राप्त सूचना के अनुसार 178 व्यक्ति तो साक्षात्कार में ही उपस्थित नहीं हुए। फिर भी 129 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है। इस योजना में भी स्नातक इन्जीनियर को 250 रु० व डिप्लोमाधारी को 150 रु० मासिक वृत्तिका 2 वर्ष के लिए दी जाती है।

बेरोजगार अभियान्त्रिकी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों को क्रमश: 400 रु० व 300 रु० मासिक वृत्तिका देने पर प्रतिवर्ष

(श्री चन्दनमल वैद)

40 लाख रुपये चाहिये जब कि अभी तक 24 लाख रुपये का ही प्रावधान है। अतः राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्तमान में वृत्तिका की दरों में वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है। इसके बजाय राज्य सरकार स्वयं के बेरोजगार प्रारम्भ करने के लिये हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ज्यादा पसन्द करेगा ताकि बेरोजगारों की समस्या का कुछ स्थाई निराकरण हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने बेरोजगार इन्जोनियर्स के लिए पूल बनाकर उनको स्थाई रूप से काम देने के लिए तीन वर्ष का वायदा किया था और उसमें इस बीच में डिप्लोमाधारियों को 150 रुपया और स्नातकों को 250 रुपया महीने देने की घोषणा की। निवेदन करना यह है कि सरकार आज तक इन लोगों को स्थाई रूप से रोजगार नहीं दे सकी। इसी प्रकार का सवाल हमने गत सत्र में भी रखा था तो 25 मई, 1972 को इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान में जहां कहीं भी इनसे संबंधित रिक्त स्थान होंगे इनको प्राथमिकता दी जायेगी, इनकी नियुक्ति की जायेगी-ऐसा आश्वासन गृह राज्य मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल ने दिया था। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आश्वासन देने के बावजूद भी सरकार इस ओर किसी प्रकार का प्रयास नहीं कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों में पिछली बार इनको लगाया गया और फरवरी, 1973 से लेकर सितम्बर, 1973 तक इन लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ राजस्थान में जो अकाल पड़ा था वहां काम किया और काम करने के बाद ईमानदारी का परिणाम यह निकला कि वह आज पुनः बेरोजगार हो गए हैं। इनके मन में अनिश्चितता है कि इनको रोजगार कब मिलेगा। यह उनके मन में शंका पैदा हो रही है और वह बराबर दर-दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। अकाल राहत कार्यों के समाप्त होने के बाद यह होना चाहिए था कि राज्य सरकार को इन सबको जो हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है वहां पर ट्रान्सफर कर देना चाहिए था और मैं समझता हूं कि वहां से इनकी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इनका जहां उपयोग हो सकता था जैसे विद्युत् विभाग है तो विद्युत् विभाग में इनका नाम भेजा और राज्य सरकार ने कहा कि इस संबंध में विद्युत् विभाग कार्यवाही करे। लेकिन विद्युत् विभाग राज्य सरकार का आदेश है उसका उल्लंघन करके जो डिप्लोमाधारी हैं इनको कहा जा रहा है कि पहले लिखित परीक्षा दो और जब लिखित परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारा इन्टरव्यू होगा। मेरा निवेदन है कि रिटन परीक्षा लेना साक्षात्कार से पहले लेना उससे यह होगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकार इस विद्युत् विभाग पर नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूल के जो इन्जोनियर्स हैं इनको मंहगाई भत्ता 150 रुपया और 250 रुपया दिया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्षमा करें एक मिनट के लिए। मैं निवेदन कर रहा था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर एक घंटा रख रहे हैं और 6 माननीय सदस्य हैं। तो माननीय सदस्यों को 8-8 मिनट इस तरह से 48

Page No 58

(श्री अध्यक्ष)
मिनट हो गए और 10 मिनट का जवाब मंत्री महोदय का होगा।

श्री रामकिशन : 2 मिनट कहां गए ?

श्री अध्यक्ष : भूलचूक के।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं चाहूंगा कि इस संबंध में मैं भी कुछ जानकारी सदन के समक्ष रखू ...

श्री अध्यक्ष : समय रहा तो आपको भी समय दे देंगे। इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने इसे पहले भी रखा था और एक बार डिबेट भी हुई थी।

श्री अध्यक्ष : बाद में देख लेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पूल के इन्जीनियर्स को जो आज मंहगाई भत्ता मिल रहा है वह 1970 के आधार पर मिल रहा है। 1970 के बाद राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ गया, केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ गया और मैं समझता हूं कि 1970 के आधार पर इनको 150 रुपया और 250 रुपया दिया जाये वह भी मंहगाई के युग में चना खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा कि इनको अन्य उद्योगों में लगाया जायेगा। कृषि सेवा केन्द्र खोलने के लिए राजस्थान एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने 200 इन्जीनियर्स को प्रशिक्षण दिया और उसके बाद यह हुआ कि इसके बावजूद भी 50-60 कृषि सेवा केन्द्र ही लगा सके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने पूरा प्रयास नहीं किया है। इस प्रकार से 200 लोगों को प्रशिक्षण देना और 50-60 लोगों के लिए भी सुविधायें नहीं जुटाना मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के लिए खेदजनक बात है।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको कर्जा आसानी से नहीं मिलता है। विश्व बैंक से जो कर्जा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है और काफी कागजों की खाना पूर्ति करने के बाद भी नहीं मिलता और उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये लोग कहीं अपना उद्योग लगाना चाहें तो इनको भूमि भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है और जहां तक ट्रेक्टर वगैरह खरीदने का प्रश्न है तो कृषि उद्योग निगम इनको ट्रेक्टर प्राथमिकता के आधार पर देगा वह नहीं देता है।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

बल्कि ट्रेक्टरों का जो स्पेयर सामान है उसके लिए धरोहर जमा करानी पड़ती है। जब वह पहले ही बेरोजगार हैं तो मैं समझता हूं कि धरोहर कहां से आयेगी ? एक हजार रुपया या पांच सौ रुपया धरोहर की राशि इनके पास नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं पिछली बार भी ये लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री हरिदेवजी जोशी से मिले और उन्होंने कहा कि मुझे इन्जीनियर्स के बारे में सहानुभूति है और मैं विचार कर रहा हूं और जहां कहीं भी उनके लिए स्थान होंगे मैं लिखूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि मिलने के बावजूद भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि उद्योग लगाने के बारे में जो अपना निजी उद्योग लगाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि उनको भी किस प्रकार का मार्गदर्शन मिलना चाहिए, किस प्रकार की सहूलियतें मिलनी चाहिएं वह नहीं मिल रही हैं बल्कि वह लोग आज भी इस राज्य में जो इन्जीनियर्स काम पर लगे हुए थे 1973 में एक डी०पी०सी० की मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि कितने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स होने चाहिए, नम्बर आफ पोस्ट्स कितनी होनी चाहिए, मैरिट्स लिस्ट बनानी चाहिए - जो लोग लगे हुए हैं उनको भी राज्य सरकार की 1973 की डी०पी०सी० की नीति के अनुसार बेरोजगार किया जा रहा है और जिन तीन व्यक्तियों पर सारी लिस्ट में से हैं उन पर विभिन्न प्रकार के केसेज चल रहे हैं एक महानुभाव पर और उनको भी कई प्रकार से आज

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

बेरोजगार किया जा रहा है। अन्त में जो लोग उद्योग में लगे हैं, लघु उद्योग में हैं उनको भी किसी प्रकार का पैसा नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की सलाह और सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उद्योग विभाग में जो इंजीनियर्स लगे हुए हैं उनके मन में आज असंतोष बना हुआ है। अन्त में आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यही निवेदन करूंगा कि जो चार सौ इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने अकाल राहत में कार्य किया है और राज्य सरकार ने समय समय पर जिनको रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया है। कर्जा दिलाने का आश्वासन दिया है, उनके लिए कृषि केन्द्र खोलने का आश्वासन दिया है, उनको जमीन देने का आश्वासन दिया है, उनको धन देने का आश्वासन दिया है, उन सब में भयंकर असंतोष है इसलिए राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय एक निश्चित तारीख की घोषणा करें कि कौन सी तारीख तक वह जो बेरोजगार राजस्थान के इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने सेवा की है, उनको निश्चित रूप से काम में लगा देंगे ताकि उनके मस्तिष्क में संतोष हो और बेरोजगार इंजीनियरों को काम मिल सके, जन शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी, बेरोजगार इंजीनियर्स को बसाने के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा उसमें राज्य सरकार का एप्रोच हाफ हार्टेड है और हर साल यही स्टेटमेंट कुछ मोडीफिकेशन के साथ आता है। 25 मई, 1973 को लास्ट स्टेटमेंट श्रीमती कमलाजी ने यह दिया था लास्ट ईयर। उसमें एक तो सेल्फ एम्प्लायमेंट की स्कीम थी, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में था, पूल में रजिस्टर की बात थी जिसको आपने भी कहा है। मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि सन् 71 में पूल का गठन किया और उसमें आपकी सूचना के मुताबिक 1500 आदमी रजिस्टर हो गए। अब डेढ सौ रुपया तो डिप्लोमा होल्डर्स को और ढाई सौ रुपया डिग्री होल्डर्स को देते हैं। जो लोग डिग्री होल्डर्स हैं वे 75 से 85 परसेंट मार्क लाने के बाद एडमिट होते हैं और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वे 55 से 65 परसेंट मार्क लाने पर एडमीशन होता है उनका। इसलिए इनकी इन्टेलीजेंस का कोई क्राइटेरिया तय नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए था कि राज्य सरकार ने जिनको पूल में रजिस्टर कर दिया, शामिल हो गए पूल में, उसके बाद 71 के बाद

(श्री केदारनाथ)

जितने डिपार्टमेंट में वेकेन्सीज हुई हैं इन पूल वालों को एब्जोर्ब करते। इनकी सीनियोरिटी-कम-मेरिट लिस्ट बना लें और लिस्ट बना कर जैसे 2 वेकेंसी पैदा होती जाय इनको एब्जोर्ब करते जावें तो आज तक यह मसला हल हो जाता। यह ठीक है कि सारे लोगों को एब्जार्ब करने की केपेसिटी नहीं है, पहले पचास से ढाई सौ किया, पांच सौ किया। लेकिन सारे लोगों को एब्जार्ब नहीं कर सकते हाफ-ए-मिलियन जोब के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने कहा कि इनको प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दीजिए, पैसा हम देंगे और उसके बाद आप जोब्स का इन्तजाम कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दो जगह के लिए आपने कहा कि विकास डिपार्टमेंट ने योजना बनाई लेकिन वहां लोग नहीं गए, जोधपुर में भी लोग नहीं गए, यह आपके स्टेटमेंट में हैं। मैं यह समझता हूं कि आपने जिन लोगों को पूल में लेकर फैमिन के काम में लगा दिया, उसके बाद दो महीने तक घर पर बैठा दिया और फिर पूल में ले गए और इस फैमिन के दौरान में रोडवेज कारपोरेशन में जितनी वेकेंसी हुई, उनको फिलअप कर दी गई और ये फैमिन में काम करते रहे, उनको मौका नहीं मिला इनमें आने का। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एडवरटाईजमेंट कर दिया, एग्जामिनेशन कण्डक्ट करने का, इण्टरव्यू के द्वारा फिलअप करने का शुरू कर दिया है। जो लोग पूल में हैं 71 से और जिन्होंने 66 में पास किया, 67 में पास किया और 70 में पास किया, इन लोगों को बिना एग्जामिनेशन कण्डक्ट कराए ले लेना चाहिए। आपने उनका काम देख लिया, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग उन्होंने ले ली, तीन साल तक काम करवा लिया आपने तो अब उनको पहले चांस मिलना चाहिए। कोई एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, केवल पूल में रजिस्टर हैं उनकी आप सीनियोरिटी-कम-मेरिट लिस्ट बना लें, फैमिन में काम कर चुके हैं उनके वर्किंग के बारे में आपको मालूम पड़ चुका है तो अब इन लोगों का एग्जामिनेशन होना जरूरी नहीं है।

अब अध्यक्ष महोदय, अगर 71 के बाद यदि एक सिस्टेमेटिक अप्रोच आपका होता और मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है इस बात को, माना कि राज्य सरकार की लिमिटेशन्स हैं अपने आदमी ज्यादा लेने में लेकिन आपके डिपार्टमेंट में जितने आज तक अपोइन्टमेंट हुए हैं उनमें अगर देखें तो सही तौर पर राजस्थान के कितने लोगों को कितना चांस मिला है और बाहर के लोग कितने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में यह हो गया, कर्नाटक में यह हो गया, तमिलनाडु में हो गया, हरियाणा और पंजाब में हो गया, उन्होंने बैठ कर तय कर लिया कि हम अपने सन आफ सायल हैं, जिन लोगों ने डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है, बी०एससी० साइंस हैं, साइंस ग्रेज्यूएट्स हैं इन लोगों को अपने यहां प्रिफरेंस देंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आज हमारे यहां कितने लोग बाहर के आ गए हैं। यह कांस्टीट्यूशनली पाबन्दी है यह मैं मानता हूं लेकिन दूसरी स्टेट्स ने अपने यहां पर किया है तो आपको भी राजस्थान में अपना मोड आफ रिक्रूटमेंट, अपना मोड आफ सलेक्शन बदलना पड़ेगा, जैसे दूसरी स्टेटों ने किया है। हमारे लोग बाहर जाकर नौकरी प्राप्त नहीं कर सकें तो आप अपने हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स को हिदायत दीजिए कि आयन्दा जो भी हमारे लोग हैं, जो यहां के बोनाफाईड लोग हैं, जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किया है उनको आप पहले चांस नौकरी में देंगे।

(श्री केदारनाथ)

अब अध्यक्ष महोदय, पी०डब्ल्यू०डी० में हाफ-ए-मिलियन जोब के अन्तर्गत कुछ जूनियर इंजीनियर्स को लिया जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा हासिल किया उनके लिए डिप्टी सेक्रेट्री अपोइन्टमेंट ने चीफ इंजीनियर को कहा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कमिटमेंट किया है स्टेटमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कि जिन लोगों ने 73 में हाफ-ए-मिलियन जोब में लिया है उनको 74 यानि इस साल में भी उनको काम पर रखा जाएगा। अब आप डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स को तो रखें रहे हैं लेकिन जो साइंस ग्रेज्यूएट हैं उनको नहीं ले रहे हैं यह डिस्क्रिमिनेशन बदलने की जरूरत है।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि आज के युग में आप डेढ़ सौ रुपये डिप्लोमा होल्डर्स को और ढाई सौ रुपया इंजीनियर्स को दे रहे हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं अब आप देखिए कि डेढ़ सौ रुपये में डिप्लोमा होल्डर घर के बाहर जाएगा और किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लें तो क्या यह डेढ सौ रुपये उनके लिए सफिशियेंट हैं। अब डेढ सौ रुपये में काम करके क्या उनमें आगे जाकर शक्ति रह सकेगी कि वे एग्जामिनेशन में कोम्पीट कर सकें। यही कारण है कि एम्पलायमेंट की सारी की सारी स्कीमें फेल हो रही हैं। आपने एम्पलायमेंट के लिए एग्रो सर्विस सेंटर की योजना ली और आपने कहा कि ट्रैक्टर देंगे। ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट मिलते नहीं, ट्रेक्टर उनको मिलते नहीं, खाद उनको आपने दिया है, लेकिन हर साल जितने ढाई सौ, पांच सौ इंजीनियर निकल रहे हैं यह बात सही है कि सबको आप काम नहीं दे सकते लेकिन आप उनको ट्रैक्टर और स्पेयर पार्ट भी नहीं दे पायेंगे और केवल खाद से वे अपना काम नहीं चला सकेंगे। केवल खाद से गजारा कर पायें यह बड़ी मुश्किल चीज है। आपने कहा कि गांवों में कोआपरेटिव सोसायटी कोंस्टीट्यूट करें और देहातों में पैसा देंगे वह स्कीम भी फेल हो गई। ऐसे ही मिनरल डवलपमेंट की स्कीम बनाई वह भी फेल हो गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जूनियर डाक्टर्स की तनख्वाह बढ़ा दी उनका डी०ए० बढ़ रहा है, प्राईसेज भी बढ़ रही हैं तो जब आपने 71 में 150 रुपया देना मंजूर किया था उसके बाद जितनी प्राईज बढ़ी हैं उसी के प्रपोर्शनेट में इन्क्रीज कर दें यह एक डिमाण्ड है। दूसरा जो पूल में हैं उनको अपोइन्टमेंट में प्रिफरेंस दें, उनकी सीनियोरिटी कम मैरिट लिस्ट बना लें और उसके आधार पर उनको एब्जोर्ब कीजिए तभी जाकर इनकी समस्या का समाधान हो सकेगा और यह मालूम हो सकेगा कि राज्य सरकार इन बेरोजगार इंजीनियर्स को बसाने को कटिबद्ध है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है मैं समझता हूं कि उससे वर्तमान में जो चिन्ता बेरोजगार इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स में है, उनकी चिंता का समाधान नहीं हो पाया है। मेरा यह निवेदन है कि जो फोरीमाल के बराबर ये इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स चाहते हैं। एक तो जो लोग इस पूल में हैं सन् 71 से उनके दिमागों में यह अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है कि इन लोगों को कभी भी नौकरी में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हर साल नए लोग, हमारे स्नातक और डिप्लोमाधारी आयेंगे और जो लोग मैरिट लिस्ट में मार्क के हिसाब से पीछे हैं तो हर साल जो लोग नए आयेंगे, उसमें वे पीछे रहते चले जायेंगे और इसलिए जो बाद में पास

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
होने वाले हैं उन लोगों को नौकरी का मौका मिलता रहेगा और उनको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की चिन्ता उनके दिमाग में व्याप्त है। पहले यह बात नहीं थी कि सभी फर्स्ट डिविजन ही हों लेकिन जितने भी पहले लोग थे चाहे फर्स्ट डिविजन हों या सैकण्ड डिविजन हों काम दिया गया था इसलिए अगले साल आने वालों को कोम्पीट नहीं करना पड़ता था, परन्तु इन बेरोजगारों की अवस्था की वजह से यह स्थिति बन रही है। 71 वाले अभी तक वेटिंग लिस्ट में हैं, उससे पहले के भी शायद लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और बाद वालों को मौका मिल जाता है। इसलिए उनकी तरफ से एक सजेशन यह है कि जो लोग पूल में हैं और फैमिन वर्क्स में भेजे गए, उन लोगों का एक पैनल बना लिया जाय क्योंकि न केवल पूल में बल्कि प्रेक्टिकल वर्क सर्विस में रह कर इन्होंने किया है और उसमें मैं समझता हूं काफी जस्टिफिकेशन है और इस बेसिस पर, उनकी मैरिट बेसिस पर, उनकी सोनियोरिटी लिस्ट बना दी जाये और उसमें दूसरे जो लोग उस पैनल में रजिस्टर्ड हैं, काम पर नहीं लग पाये हैं, फैमिन में नहीं थे उनका भी इस तरह से पेनल बेसिस पर बना दिया जाये। उनका कहना है कि हम सब लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाये और जो नये पास होने वाले आवें उनको मौका बाद में आवे। जो फर्स्ट क्लास आवें उनके लिये इससे दरवाजे बंद हो जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि एक रोज़नेबल प्रोपोर्शन इन दोनों के अन्दर मुकर्रर कर दिया जाये जिससे आपको कान्स्टीट्युशनल दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल 14 वाइलेट नहीं होगा। डिपार्टमेन्ट प्रोमोशन 50 परसेन्ट आप करते हैं और 50 परसेन्ट आप फ्रेश लेते हैं। मैं समझता हूं कि 50/60 का रेशो कम से कम आप तय कर दें। पुरानी लिस्ट में से और जो नये आये हैं इन लोगों में से रख दिया जाये। पहले फैमिन वाले हैं उनमें से 50-50 के हिसाब से, इस तरह से लिया जावे तो उसमें उनकी कुछ समस्या का समाधान हो जावेगा। मंत्री महोदय के वक्तव्य में इस बात को कहा गया है कि एड हॉक अपाइन्टमेन्ट में हम इन लोगों को लगा देंगे लेकिन स्थायी पदों के लिये अभी यह मामला विचाराधीन है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर गंभीरता से विचार करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जो जस्टिफाइड, एप्रेहेन्सिव मांगें हैं उनका समाधान हो सके।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह बात हमको माननी चाहिये कि वह जो हमारे बेस्ट ब्रेन हैं, इन्जीनियर्स या डिप्लोमा होल्डर्स, जैसा कि अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ये हमारी सोसाइटी के बेस्ट ब्रेन हैं। बराबर यह मांग उठ रही है कि शिक्षा एम्पलायमेन्ट ओरियेन्टेड होनी चाहिये। इससे ज्यादा एम्पलायमेन्ट ओरियेन्टेड शिक्षा क्या होगी कि इंजीनियर, डाक्टर को हम बनावें और इन इन्जीनियर, डाक्टर को हम काम नहीं दे सकें। तो दोष उनका नहीं है। दोष हमारी व्यवस्था का है। जहां आज रोगी को डाक्टर की जरूरत है, और डाक्टर को रोजगार की जरूरत है, हम दोनों को ही काम नहीं दे पा रहे हैं। इन्जीनियर को काम की जरूरत है और इन्जीनियर को काम नहीं दे सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रेस्पान्सबिलिटी समाज की है, स्टेट की है इन नौजवानों को काम देना। गवर्नमेंट को इसकी एक नीति स्वीकार करनी चाहिये। इस बात को देखते हुए भी कि आज हिन्दुस्तान में आक्रोश है। नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है, इस असेम्बली और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पालियामेन्टरी सिस्टम के प्रति नौजवानों में आक्रोश है। लोगों के अन्दर एक कन्टेम्प्ट की भावना पैदा होती जा रही है। इसलिये उनको समझने की कोशिश करें। सोसाइटी, स्टेट इन लोगों को इम्पलायमेन्ट दे। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। कान्स्टीट्युशनल गारन्टी है। इन स्थितियों को अवाइड करना है और गवर्नमेन्ट ने तीन साल की जो लिमिट लगा रखी है उसको हटा कर यह डिक्लेअर करना चाहिये कि जो भी बेरोजगार इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक वह बेरोजगारी का सब्सटेन्शियल अलाउन्स देगी ....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा हिस्सा भी इनको दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : यह दो मिनिट पहले की इन्टीमेशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि 71 में स्कीम बनी उसमें केवल तीन वर्ष के लिये उनको स्टाइपन्ड देने का प्रोविजन रखा है। इसके बदले, तीन साल के बजाय जब तक कि इन लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकें तब तक के लिये इस स्कीम को एक्स्टेन्ड किया जाये।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि अभी कुछ स्कीम्स हाफ–ए–मिलियन जॉब के तहत एक्स्टेन्ड की है और इससे एम्पलायमेन्ट अपारचुनिटिज बढ़ी हैं। इसके अन्दर पूरे के पूरे लोग नहीं आये। जो लोग आये उन में से कुछ लोग छोड़ कर चले गये। मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर से यह मानना चाहिये कि जो लोग काम छोड़ कर चले गये उनमें गलती नहीं है। आपकी जो स्कीम हैं, उसमें खामियां हैं, कमियां है जिसको अमेन्ड करने की आवश्यकता है। एक तो यह निवेदन करूंगा कि स्कीम्स में मिनीमम पे स्केल इन्जीनियर्स के लिये हो, डिप्लोमा होल्डर्स के लिये हो। पे स्केल हो, वह मिनीमम पे स्केल रखना चाहिये और जो उनमें इन्क्रीमेन्ट की रेट्स हैं उसके हिसाब से भी उसमें हो और यह सब इसमें रखा जाना चाहिये और जो पीरियड यह है उसको भी सरकारी नौकरी में शुमार किया जाना चाहिये। अगर इस तरह से इनकी पे स्केल्स बना दी जाये और जो परमानेन्ट सर्विस की पे स्केल है उनमें कोई अन्तर न हो तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि यह समस्या हल न हो। सरकार इनको बिजलीघर में, वाटर वर्क्स में, पी० डब्ल्यू० डी० में और किसी डिपार्टमेन्ट में, रोडवेज में, कहीं पर भी आप काम पर लगा सकते है। सर्वे का काम हमें कराना है। यह एक अच्छा इनवेस्टमेन्ट है। हमारे इन्जीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स का अच्छा यूटिलाजेशन है। इसलिये इस स्कीम को चेन्ज करने की जरूरत है। यह कम्प्रेहेन्सिव है।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक स्टाइपेंड का स्टेन्डर्ड आपने 150 रुपया, 250 रुपया रखा है। अब इस स्टेंडर्ड में आपको चेन्ज करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। मैं समझता हूं कि यह जो 150 / 250 है इसके साथ में डी० ए० शामिल नहीं है। यह एक स्टाइपन्ड है। 150 रुपये से अधिक आपका जो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट है, जो आपका

Page No 64

(64)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चपरासी है, उसको भी इससे अधिक मिलता है। आपके डिप्लोमा होल्डर को चपरासी से कम पैसा मिले। जो आपका इन्जीनियर है उसको आप 250 रुपया देते हैं जो आपके फोर्थ क्लास सर्वेन्ट या क्लास थ्री के बराबर है। तो किसी भी हालत में इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। यहां भी प्राइसेज का सवाल है। प्राइसेज ऊंची होती जा रही हैं। तो इसके लिये भी जस्टिफाइड ग्राउण्ड है। मैं यह मांग करता हूं कि आप इसको रिवाइज करें। आज रिवीजन हर मामले में हो रहा है। दिल्ली के अन्दर ऑल इंडिया लेविल पर मेडिकल डिपार्टमेन्ट के डॉक्टर्स ने, इन्टरनीज ने गत 95 दिनों से हड़ताल कर रखी थी। वह अभी अभी खत्म हुई है। समझौते के अनुसार जिन लोगों को पहले 300 रुपया मिलता था अब उनको 500 रुपया मिलेगा और आगे टाइम के स्केल के हिसाब से उनको एडजस्ट किया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी बात है। जो हमारे अच्छे ब्रेन हैं, जो हमारे चुने हुए नौजवान हैं, जिनको हमने इम्पलायमेन्ट ओरियन्टेड एज्युकेशन दिया है जिनसे हमें हिन्दुस्तान के निर्माण में काम लेना है, उनके बारे में हम विचार करें और जो 300/400 रुपये की उनकी मांग है वह वाजिब है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अभी इसमें 26 लाख का प्रोविजन है तो इसमें 40 लाख का खर्चा होगा। तो यह 14 लाख का अधिक खर्चा करना अधिक अच्छा इनवेस्टमेन्ट है। यह इनवेस्टमेन्ट अन-प्रोडक्टिव नहीं है। अगर आप इन लोगों को काम दें तो अल्टीमेटली वह काम आगे प्रोडक्शन के ही काम आने वाला है। आर० एस० ई० बी० में कितने ही ऐसे गांव हैं जिनका कि अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है जहां कि पोटेन्शियलिटी है। तो इन सब की इसके अन्दर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी अखबारों में पढ़ने को मिला कि राजस्थान ही इंडिया में एक ऐसा प्रान्त है जहां की बिजली फालतू है और दूसरे प्रान्तों में नहीं है। मैं समझता हूं कि कई जगह हम ट्रान्समीशन लाइन नहीं डाल पाये हैं, डिस्ट्रीब्युशन लाइन नहीं डाल पाये हैं और इनके लिये सर्वे नहीं करवा रहे हैं और इसी कारण से हम इस फालतू बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे ये इन्जीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स बेकार हैं उनसे यह काम नहीं लें और दूसरी तरफ यह हमारी जो एनर्जी है उसको सरप्लस कहकर अपनी स्टेट से बाहर ले जाने की अनावश्यक तौर से मौका दें, यह हमारा बेड प्लानिंग है, यह सही तरीके से संतुलित कार्य नहीं करने का नतीजा है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से इन तमाम बातों को सोचा जाय।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सैल्फ एम्प्लायमेन्ट की स्कीम्स हैं उनको तो आपने ब्यूरोक्रैसी के भरोसे के ऊपर पूरे तरीके से छोड़ दिया है। इसके बजाय तो आप कोई ऐसी संस्था बना दें, कोई भी इस प्रकार की मशीनरी क्रियेट कर दें ताकि इस प्रकार से हमारे नौजवानों को और मारा मारा न फिरना पड़े। डाक्टर्स का मैंने देखा है। डाक्टर्स को इस किस्म की दिक्कत नहीं होती है। डाक्टर एप्लाई करे तो 7500 रुपये की राशि उसको घर बैठे मिल जाती है, इन्जीनियर्स के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। कुछ केसेज ऐसे नोटिस में आये हैं कि जहां पर इन्जीनियर्स कलेक्टर्स के पास जमीन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिए जाते जाते थक गये, बैंकों में लोन के लिए जाते जाते थक गये, और ट्रैक्टर्स के एलाटमेन्ट के लिए जाते जाते थक गये, आखिर वह निराश होकर घर पर बैठे हुए हैं ! इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको सही तरीके से टेकल करना चाहिए । मैं यह पसन्द नहीं करता हूं कि इनको किसी किस्म का भी एम्प्लायमेन्ट इन लोगों को दिया जाय । कई क्षेत्रों से यह सुझाव आये हैं कि इनको राशन की दुकानें एलाट कर दी जायं । डाक्टर्स और इन्जीनियर्स से राशन की दुकानें लगायेंगे तो मैं समझता हूं कि इन लोगों के मैरिट्स और जिस तरीके की योग्यता है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करके हम उसको वेस्ट ही कर रहे हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से विचार करे और इसका निर्णय करे ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशन ।(अनुपस्थित)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु ।(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट ।

श्री अध्यक्ष : इसमें 5 मिनिट का सवाल नहीं है । जिनके नाम हैं उनको ही कहना है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स जो इन्जीनियर्स हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं थोड़े से शब्दों में कुछेक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । एक तो हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त माना जाता है, और इस पिछड़े हुए प्रदेश के अन्दर भी बड़ी कठिनाइयों के साथ अभिभावक माता पिता आज के इस कठिन युग के अन्दर हजारों रुपये खर्च करके अपने बच्चों को टेक्नोलाजी की शिक्षा देते हैं । और शिक्षा करने के बाद हरेक को यह आशा उत्पन्न होती है कि बच्चा डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होने के बाद किसी अच्छे पद के ऊपर जाकर राजकीय सर्विस के माध्यम से देश की सेवा करने में अपना सहयोग देगा लेकिन जब यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कई वर्ष निकल जाने के बाद भी उन लोगों के सामने जब किसी भी तरीके से सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है, ऐसे टेक्निशियन्स को भी नहीं मिलता है, और बेकार किसी एक स्थान पर पड़ा पड़ा अपने जीवन के भविष्य को अन्धकार की दशा में देखता है तो मैं समझता हूं कि केवल राज्य के लिए नहीं सारे देश के लिए यह एक दुर्भाग्य का दिन होगा । आज हमारे इन टेक्निशियन्स को हम अपने कामों पर नहीं लगाकर, और उनको बेकारी के रास्ते पर छोड़कर सड़कों पर निराश का जीवन बिताने के लिए बाध्य करें तो देश के लिए और राज्य के लिए एक निकट सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो यह अनएम्लायमेंट का है, बेकारी का है । राज्य सरकार भी सही नीति चाहती है, मैं यह नहीं कहता कि नहीं चाहती है, कोई भी राज्य सरकार यह नहीं चाहेगी कि हमारे राज्य के अन्दर बेकार पड़े हों और हमारे पास स्थान रिक्त हों और न रखें, लेकिन मैं व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । राज्य सरकार चाहती है कि हम काम में लगा देंगे । माननीय

Page No 66

(66)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

मंत्री महोदय ने यह आज बताया है कि हाफ-ए मिलियन स्कीम में विद्युत् विभाग, निर्माण विभाग में हमने कई इन्जीनियर्स को इन्वाइट किया । कुछ इन्जीनियर्स ने सर्विस की ओर कई इन्जीनियर्स छोड़कर चले गये । मैं इस पर यह पूछना चाहूंगा कि नियुक्त किये हुए इन्जीनियर्स में उस पूल के अन्दर से आपने रखे ? उसके अन्दर से एक भी इन्जीनियर भागा ? मैं समझता हूं कि नहीं भागा है । आपने जो एक पूल बनाया है वह इसलिए बनाया है कि उनको उसमें तब तक रखा जाय जब तक कि उनको सर्विस न मिले । यदि आपके यहां जगह खाली होती हैं सर्विसेज में (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) स्थान रिक्त होते हैं तो इस पूल में से इन्जीनियर्स को लेकर अपने स्थान पर लगा दें । मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति आपने इन्जीनियर्स में लगाये हैं पूल में से एक भी नहीं लगाया है । राज्य सरकार ने जो इन्जीनियर्स लगाये हैं वह इसलिए छोड़ भागे हैं क्योंकि उनको जगह की कोई गारन्टी नहीं थी । जिसको जगह की गारन्टी नहीं होगी वह आपके यहां सर्विस पर नहीं रहेंगे । जहां कहीं अच्छी जगह मिलेगी चले जायेंगे या राज्य सरकार की सर्विस छोड़कर अपना धन्धा करने लगेंगे ।

जहां तक राज्य सरकार की सेल्फ एम्प्लायमेंट का प्रस्ताव है उसका अवसर भी इन्जीनियर्स को नहीं मिलता है । कई जगह पर ट्रैक्टर्स की एजेन्सी और ट्रैक्टर्स के माध्यम से चलने वाले फार्म्स के अन्दर जो कृषि फार्म है, खेती है और कई अन्य इस प्रकार के साधन हैं यदि राज्य सरकार चाहे तो उन पर भी इनको काम पर लगाया जा सकता है ।

दूसरा जब से यह पूल बना है तब से लेकर जिन विभागों में मसलन पी० डब्ल्यू० डी० विद्युत् विभाग, इरिगेशन विभाग जहां जहां भी टेक्निशियन्स की आवश्यकता पड़ती है, उनमें, राज्य सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि इन विभागों में आज तक कितनी नई नियुक्तियां हुई हैं और उनमें कितने इन्जीनियर्स का पूल में से बनाया है, कितने पर्सेन्टेज उसमें से नियुक्तियां की हैं ? (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि जो इन्जीनियर्स पूल में से हैं उनमें से कुछ पर्सेन्टेज लें । इनको प्राथमिकता देंगे और प्राथमिकता देकर सर्विस में लेंगे । यदि इसका इम्प्लीमेन्टेशन, इसकी क्रियान्विति साथ साथ में होती तो मैं समझता हूं कि आज तक यह समस्या हल हो जाती । जब इस प्रकार का प्रश्न विधान सभा के पटल पर आता है तो आप घोषणा कर देते हैं, लेकिन उन घोषणाओं की कोई क्रियान्विति नहीं होती है । गत वर्ष भी इसी सदन कि पटल पर इन्जीनियर्स के बारे में मोशन्स के माध्यम से प्रश्न उठा था तो राज्य सरकार ने सदन के पटल पर घोषणा की थी और श्रीमती कमला बेनीवाल ने यह आश्वासन दिया था कि हम आने वाले वर्ष में इन इनजीनियर्स को प्राथमिकत देंगे, लेकिन उनको कोई प्राथमिकता नहीं दी गई । उसके बाद पावर विभाग में इन्जीनियर्स लिये गये । उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पी० डब्ल्यू० डी०, विद्युत् विभाग के अन्दर जो जो स्थान रिक्त हुए हैं तो पूल वाले उनसे वंचित रह गये हैं । (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों ने घंटी पर बोलना बन्द कर दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

....यह आने वाली एक इन्टेलेक्यूअल पीढ़ी है उस पीढ़ी को निराशा के रास्ते पर नहीं फेंकें। यह नया खतरा राज्य के लिए मोल न लें, न उसके जीवन से खेलने का खतरा मोल लें। पूल में से लेने का एक पर्सेन्टेज निर्धारित करें और तमाम अपने स्थानों पर लेने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता इन्जीनियरों की बेकारी के लिए प्रकट की गई है, उससे मैं सहमत हूं। जितनी माननीय सदस्यों को चिन्ता है, उतनी सरकार को भी है। हमारे जो बेरोजगार इन्जीनियर हैं, हम उनको काम दे सकें। जल्दी से जल्दी उनको एम्प्लायमेन्ट दे सकें। इसलिए मैंने कहा कि जो एक हजार इन्जीनियर और डिप्लोमाधारी निकले हैं, उनको नियोजन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने आप में उनको अपार्चुनिटी दें। उनको सुविधाएं उपलब्ध करायें। उनको 2 लाख रुपया बैंक से बगैर किसी मार्जन मनी के मिल सकेगा। अगर वह कोई दूसरी नौकरी नहीं करते हैं। अगर कोई दूसरा लेता है तो उसको सिक्युरिटी देनी पड़ती है। लेकिन भारत सरकार के इस लोन में मार्जन मनी, नहीं देनी पड़ती है। उनकी सेक्युरिटी सरकार देती है। उनको कोई परेशानी नहीं है। साढ़े तीन परसेंन्ट जमीन खरीदने के लिए दे दें। उनकी अदायगी जो बैंक से ऋण लेंगे, उससे होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इन्जीनियर हैं वह सेल्फ एम्प्लायमेन्ट में आयें। जितने लोग निकल रहे हैं, इन्जीनियर और डिप्लोमाधारी, उतनी नौकरियां नहीं मिलती हैं। हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह सेल्फ इम्प्लायमेन्ट के रास्ते पर जायें। जो उनको अनुभव प्राप्त होते हैं। वह वह प्राप्त करके सेल्फ एम्प्लायमेन्ट के रास्ते पर जायें। वह सेल्फ इम्प्लायमेन्ट स्कीम अपने आप लगायें। इससे उनको ज्यादा पैदा होगा। एक यह शंका प्रकट की गई है कि जो फैमिन में लगे हुये थे, उनको हमारी सरकार नौकरियों में लगाने के लिए 10 मार्क्स रखे हैं। किसी को अगर 70 मिले और उनको 60 मिलते हैं तो पहले उनको स्थान मिलेगा दूसरा यह है कि जो एड होक वर्कचार्ज होंगे वह रोस्टर बना रखा है। उसमें से होंगे। जितने कारपोरेशन हैं, जैसे रोडवेज ट्रांसपोर्ट, मिनरल डेवलपमेन्ट, राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, जिप्सम, हाउसिंग बोर्ड, एग्रो इण्डस्ट्रीज हैं। जितने भी ये अपाइण्टमेन्ट करें, उनको हमारे रोस्टर से ही लेना होगा। अगर कोई भी डिपार्टमेन्ट नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिन्होंने हमारे प्रदेश से पास किया है, उनको रेग्युलर एम्प्लायमेन्ट देनी होगी। उनको उसमें प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन आर्टिकल 16 हमारे कार्य में बाधा डालती है। जब तक वह मौजूद है, लोगों को खुला एम्प्लायमेन्ट प्राप्त है। हम इसके लिए चिन्तित हैं। मुख्य मन्त्रीजी भी इसके लिए चिन्तित हैं। किसी तरीके से रास्ता निकले जिससे आर्टिकल 16 के बजाय जो हमारे प्रदेश के इन्जीनियर हैं, उनको हम रेग्युलर एम्प्लायमेन्ट दे सकें। इसके लिए हम गम्भीरता से

(श्री चन्दनमल बैद)

सोच रहे हैं। सम्भव है, कोई रास्ता निकल सका तो निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जिनके बारे में मैं पहले ही अर्ज चुका हूं। उनको मैं दुहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक बार फिर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार खुद चिन्तित है। जितने भी इन्जीनियर और डिप्लोमाधारी हैं, उनको सरकार जल्दी से जल्दी रोजगार मुहय्या करा सके। उनके लिए साधन जुटा सके कि वह जल्दी से जल्दी सेल्फ एम्प्लायमेन्ट में लग जायें। हमारे लिए वही अच्छा है। सन् 73 तक जो भी इन्जीनियरी पास किये हैं, वह सारे के सारे पूल में शामिल कर लिये जायेंगे। सन् 73 तक पास लोगों में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो पूल में नहीं आजायेगा। हमारा पूल एक हजार का पूल है। सन् 73 तक एक हजार से कम ही होते हैं। इसलिए सारे के सारे 73 तक जिन्होंने पास किया है, उनको पूल में शामिल कर लिया जाएगा। यह शुरू कर दिया गया है। अगले महीने तक हम कर लेंगे। उनको स्टाइपेण्ड देना शुरू कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे एम्प्लायमेन्ट हैं, उनमें उनको स्थान दिया जाये। जिनका आधार होता है, उनका एम्प्लायमेन्ट हो जाता है। कुछ को यह स्कॉलरशिप होगी। एम्प्लायमेन्ट के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। माननीय मन्त्री महोदय यह घोषणा करें जहां जो 5 साल से हैं, उनको उसी प्रकार से दे दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि क्लर्कों के लिए जो अकाल में लगाये हुए थे, उनके बारे में अखबारों में यह निकला था कि उन लोगों को अपाइन्टमेन्ट में प्रायोरिटी दी जायेगी। कोई केस आ जायेगा उसके मुकाबले में। फिर यह कहा है, मैं पढ़ कर सुनाता हूं। अकाल राहत कार्यों पर लाखों कर्मचारी काम करते थे। राजस्थान राज्य कर्मचारियों की विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि अकाल राहत कार्य 1 जनवरी, 74 से समाप्त कर दिया गया है। उन लोगों को सरकारी नौकरियां देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, वह यही है, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है। जिन इन्जीनियर और डिप्लोमाधारी ने काम किया है, उनको प्रिफरेंस दिया जायेगा। इस इण्टेशन में कहीं कोई गलती नहीं है। इस बारे में कई कान्स्टीट्यूशनल दिक्कतें भी हैं। दूसरे स्थानों में सुविधाएं हैं। वहां भाषा को लेकर वह कर सकते हैं। हमारे लिए दिक्कतें हैं। वह माननीय सदस्य भी महसूस करते हैं गवर्नमेन्ट इस बारे में सोच रही है कि किस प्रकार से मदद की जाये। कोई मार्ग ढूंढना है। हम देख रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: बाहर वालों के अलावा अन्दर वालों को डिपार्टमेन्ट का कर देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें हम देखकर सोचेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ....

श्री हरिदेव जोशी : अब इस बात को क्या डिस्कस करते हैं। छोड़िये।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति के गठन विषयक प्रस्ताव एवं उसका प्रारण

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मार्च में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति के नाम से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में नई समिति का प्रावधान किया गया था। अब इस समिति को दो पृथक समितियों के रूप में विभाजित करने का प्रस्ताव है जो अपने अपने स्तर पर इन जातियों के कल्याण कार्यों की समुचित देख रेख कर सकें। अतः इस सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 253-गा तथा 253-घा के स्थान पर निम्नांकित नियम प्रतिस्थापित किये जावें तथा दो नये नियम 253-चा तथा 253-छा जोड़े जायें :

अनुसूचित जाति कल्याण समिति

253-गा-**समिति का गठन:** (1) अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यों की देख रेख के लिए एक समिति होगी।

(2) समिति में तेरह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं मनोनीत किया जावेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

श्री रामकिशन : यह ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उम्मीद रखी है कि सम्भावना हो सकती है। इससे डांगी साहब संतुष्ट नहीं होने वाले हैं।

श्री खेतसिंह : 25.-घा-**समिति के कृत्य** :— समिति राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऊंट की पूंछ के पीछे कब तक चलाते रहेंगे।

श्री खेतसिंह : अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति।

253-चा-**समिति का गठन**:—(1) अनुसूचित जन जाति के कल्याण कार्यों की देख रेख के लिये एक समिति होगी।

(2) समिति में तेरह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं मनोनीत किया जावेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

253. छा-**समिति के कृत्य** : समिति राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करेगी।

श्री केदार नाथ : इस बात में बड़े फर्टाइल हैं।

Page No 70

(८०)

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस समिति का नाम दिया है, इसका नाम विधायक कल्याण समिति हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह सुझाव दूंगा कि जो इन दो समिति के सदस्य हो जांय, उनको मिनिस्टर की उम्मीदवारी छोड़नी पड़ेगी। यह हो जाय फिर तो विरोधी पक्ष के ही सदस्य बन सकेंगे, उधर के नहीं बनेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय शेरगढ़ से आने वाले सदस्य ने अब तक जो समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सम्बन्ध में एक ही थी, उसका विभाजन करके दो समिति अलग अलग, अनुसूचित जाति कल्याण समिति और अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति के सम्बन्ध में किया है और तत्सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दिया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री रामकिशन : इस काम में हम बिल्कुल शांत हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

श्री रामकिशन : इससे इन जातियों का कल्याण नहीं होने वाला है। कुछ विधायकों का कल्याण जरूर हो जायगा।

राजकीय कर्मचारियों के केन्द्र के समान महंगाई भत्ते की मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो जाय तो उस वक्तव्य से पहले एक सूचना सदन को दे दूं क्योंकि सदन स्थगित होने को है, वह यह है कि तारीख 1-1-74 को भारत सरकार ने जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लाईज को डी० ए० की चौथी किश्त दी है, उसके अनुरूप ही राज्य सरकार ने अपने एम्प्लाईज को चौथी किश्त देने का फैसला किया है।

इससे राज्य सरकार पर 1974-75 में 3.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा पड़ेगा और पहली तीन किश्त डी०ए० की मिला कर इस साल यह खर्चा लगभग 14 करोड़ हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : जब सूचना देने की बात है सदन में तो मैं भी एक सूचना दे देना उचित समझता हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव, जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा ने जोधपुर में मारपीट के सम्बन्ध में दिया था, उस पर जानकारी मैंने चाही थी, उसका उत्तर मुझे अभी अभी सरकार की ओर से मिला है कि इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए जांच ऑफिसर मुकर्रर करने का फैसला किया है। यह मैंने सदन की जानकारी के लिए निवेदन किया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में यह सूचना दी थी कि अगर उचित कार्यवाही नहीं होगी तो मैं अन्य कार्यवाही करने के लिए बाध्य होऊंगा, और धरने के लिए निवेदन किया था। आपने कहा, जांच के आदेश देने का सरकार ने फैसला किया है तो मैं समझता हूं, यह पर्याप्त होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : थोड़ा तो कायम रहिये।

श्री रामकिशन : आज के आखिर दिन यह कार्यवाही हो जाती तो यह ऐतिहासिक कार्य होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत बड़ा संकट टल गया। इस सदन के सदस्यों का बहुत बड़ा संकट टल गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप धरना चालू कीजिये, मैं सम्भालने आता रहूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : धरना करवाना, भूख हड़ताल मत करवाना।

शासकीय वक्तव्य

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20 मार्च, 1974 को सदन में श्री चन्द्र प्रकाश जिलाधीश, अलवर द्वारा अपने बंगले में अफीम की खेती करने का प्रश्न उठाया गया था। मुख्य मंत्री महोदय ने तत्काल उप-महानिरीक्षक, आरक्षी, अजमेर रेंज को जांच के लिए अलवर भिजवाया। डी० आई० जी० रेंज शीघ्र ही अलवर पहुंचे। उन्होंने जिलाधीश के बंगले का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी, अलवर को भी तकनीकी राय के लिए मौके पर बुला लिया। बंगले का निरीक्षण करने पर डी० आई० जी० ने यह पाया कि एक छोटी सी क्यारी जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग गज भी मुश्किल से था, में कुछ पोस्त के पौधे थे। पोस्त के पौधे क्यारी में अव्यवस्थित ढंग से लगे हुए थे। पोस्त के डोडे सूखे हुए थे और बहुत छोटे भी थे जिनसे न तो दूध निकलने की सम्भावना थी और न ही निकाले जाने के निशान थे। जिला कृषि अधिकारी अलवर से उन्होंने मौके पर ही तकनीकी राय प्राप्त की वह निम्न प्रकार है :

"Looking to the unsystematic, untended and uncared for nature of the growth no extraction of opium milk could ever have been possible. The size of the poppy capsule is also too small. To me it so appears that poppy seeds were thrown in the bed in a very casual manner. This could hardly be termed as poppy cultivation."

डी० आई० जी० ने जो प्रतिवेदन सरकार को दिया उसमें उन्होंने यह अंकित किया कि:—

"In my opinion as the mensrea is conspicuous by its very absence, no offence is made out by this petty act of growing poppy in a small bed for purposes of poppy flower decoration and cooking vegetable dishes (and not for extract opium milk).

राज्य सरकार ने प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर विधि विभाग से राय ली है जिसके अनुसार मेन्सरिआ के अभाव में कोई अपराध नहीं बनता।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो चार स्पष्टीकरण चाहूंगा इस सम्बन्ध में। यह अफीम की खेती का मामला है, अलवर के जिलाधीश श्री चन्द्र प्रकाश जी के द्वारा अपने सरकारी बंगले मे पहली बार नहीं बल्कि पिछले कई सालों, दो तीन सालों से खेती की जा रही है, वह मैं सदन में लाया था ...

श्री चेतराम : दो तीन साल से तो वह वहां थे ही नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गत वर्ष थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि जांच के ऊपर पोपी के पौधे वहां पर पाये गये

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और उसका एरिया मैं जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वह बहुत छोटा एरिया में था, 12 बाई 20 . . .

श्री हरिदेव जोशी : 12 बाई 10।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 12 स्क्वायर यार्ड।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 12 स्क्वायर यार्ड। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर बतला दें कि यह किस प्रकार से था, कितने स्क्वायर यार्ड या कितने फीट में था। यह बताने का कष्ट करेंगे . . .

कई माननीय सदस्य : बता दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनिट ठहर जाइये। इसकी लम्बाई चौड़ाई जानना चाहूंगा, जो डी०आई०जी० साहब ने जाकर जानकारी की है, उसमें लिखी हुई है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर जिनेवा कन्वेन्शन के बाद में और दुनियां के मुल्कों ने डेन्जर्स ड्रग्स एक्ट बनाया, डेन्जर्स ड्रग्स एक्ट के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा, डेन्जर्स ड्रग्स एक्ट बना, वह राजस्थान में लागू है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जो लीग ऑफ नेशन्स का 27 सितम्बर, 1923 को जिनेवा कन्वेन्शन हुआ और 19 फरवरी, 1925 को रिजोल्यूशन वहां बना, हिन्दुस्तान की सरकार ने बनाया, अध्यक्ष महोदय, इसके अनुसार डेन्जर्स ड्रग्स एक्ट के अन्दर धारा 5 विद्यमान है जिसमें यह लिखा हुआ है :

"No one shall cultivate the poppy of opium save in accordance with the rules made under sub-section (2) and with the condition of any license for that purpose which he may be required to obtain under these rules."

और इसका उल्लंघन करने पर यह प्रावधान है कि धारा 15 व धारा 11 के अन्दर:

"Whoever in contravention of section 5 or any rule made under that section or any condition of a license granted thereunder cultivates the poppy or manufacturers opium shall be punishable with imprisonment which may extend three years with fine or without fine."

इसके साथ में जिस प्रेमिसेज में यह कल्टीवेशन होता है, वह सेक्शन 15 के अन्दर उसके लिए अलग पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। मुख्य मंत्री भी विराजमान हैं और मंत्री महोदय भी हैं, जब तक रूल्स के अनुसार कोई लाइसेंस हो, किचिन गार्डन के रूप में बनाये या अफीम की खेती करके अफीम का फ्लावर शो करना चाहे या अन्य प्रकार का एक्सक्यूज करना चाहे तो सेक्शन 5 में जुर्म हो गया। अलवर के जिलाधीश कानून की निगाह में अपराधी हैं और यह तीन साल के कारावास का नान-बेलएबल अपराध है और गिरफ्तारी का वारंट जारी करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। यदि उनके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो वारंट जारी करके, उसको हथकड़ी लगाकर न्यायालय के सामने सुपुर्द करते। कितना मेन्सेरिया है या नहीं, क्वान्टिटी पर्याप्त है या नहीं, यह राज्य सरकार की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है, यह इस बात का जो कन्फेशन है कि उन्होंने जुर्म किया। कल मुख्य मंत्री ने कहा, मुझे इस बात का दंभ है कि मेरे ऊपर किसी का असर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नहीं होता। मुझे इस बात की खुशी है, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, वह भी अलवर के संदर्भ में था। यदि मुख्य मंत्री किसी के असर में नहीं आते और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जुर्म किया गया है। अभी समाचार पत्रों में आया है कि विदेश में एक मजिस्ट्रेट ने अपने आप को कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की सजा में जुर्माना किया। उन्होंने कहा मैं लेट आया और उस कारण से मैंने कोर्ट का कन्टेम्प्ट किया है इसलिए मैं अपने पर इतना फाइन करता हूं। खैर वह तो एक आदर्श उदाहरण है, उस सीमा तक हम नहीं पहुंच सकते लेकिन मुख्य मंत्री दंभ करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी कथनी और करनी के अन्दर अन्तर न हो और सदन में प्रमाण देना चाहते हैं तो उनके लिए यह उचित था कि उनका प्रासीक्यूशन करे। उसके बाद में मजिस्ट्रेट निर्णय करता है मेनसेरिया है या नहीं। मैंने यह नहीं सुना कि इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उनमें मेनसेरिया देखा जाए और निर्णय किया जाए कि मेनसेरिया था या नहीं। यह कहकर जानबूझकर राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारी को शील्ड करने का प्रयास किया है। एक राज्य का जिलाधीश, जो प्रोटेक्टर होना चाहिए, जिसका इस ड्रग्स एक्ट के अंदर प्रावधान है, वह वारंट जारी करेगा, गिरफ्तारी करेगा, वह सर्च और सीजर करेगा, प्रासीक्यूट करेगा, वह मुकदमा चलाएगा। रक्षक यदि भक्षक बन जाए, प्रोटेक्टर खुद ला का ब्रीच करे और सरकार उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अलावा जो ओप्यम एक्ट है उसका मैं यहां हवाला देना उचित समझता हूं।

श्री चेतराम : जो मंत्रियों की कोठियां होती हैं या अधिकारियों की कोठी होती है उनके मेन्टेनेन्स की जिम्मेवारी अधिकारी की होती है या विभाग की होती है?

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इंडियन ओप्यम एक्ट मे सेक्शन 2 क्लाज ई में लिखा है। आपने कहा कि कैप्सूल इतने छोटे थे जिनसे एक्सट्रेक्शन नहीं होता है, शायद माइक्रोस्कोप लगाकर कैप्सूल्स को इग्जैमिन किया होगा। तो सेक्शन 2 सब-क्लाज ई में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि पोपी का कल्टीवेशन होने के बाद में पोपी से एक्सट्रेक्शन हो सके या नहीं, वह आवश्यक नहीं है और इसी संदर्भ में इण्डियन ओप्यम एक्ट का सेक्शन 11 और सेक्शन 15 यहां पढ़ने का कष्ट करें तो सेक्शन 11 में स्पष्ट लिखा हुआ है और सेक्शन 15 में लिखा हुआ है।

(घंटी)

एक मिनट। मैं कानून की धारा पाइंट आउट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फर्स्ट बैल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं विचहंटिंग या परसीक्यूशन किसी व्यवस्था का नहीं करना चाहता, हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष व्यक्ति को खामखां परेशान किया जाए लेकिन, मैं अलवर जिलाधीश को व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं, मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, न मेरे दल से कभी उनका क्लेश हुआ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब वह बाड़मेर में थे?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं नहीं जानता। कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति कितना

Page No 74

(74)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ही बड़ा हो, हमारे मुख्य मंत्री यदि उनको शील्ड करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से धारणायें बनती हैं। अफीम की खेती नहीं पकड़ी जाती तो ठीक है। जब भानुकुमारजी ने प्रश्न उठाया था तो मैंने भी कहा कि मुख्य मंत्री ने अच्छा काम किया, डी० आई० जी० को भेजा लेकिन उसके बाद में उनके दिमाग में यह भावना आ गई कि कलेक्टर और प्रासीक्यूशन ? कलेक्टर और उसके खिलाफ मुकदमा और हथकड़ी ? यह नहीं हो सकता तो उन्होंने सोचा रास्ता क्या निकालें तो वहां के कृषि अधिकारी को एक्सपर्ट बनाया गया। मजिस्ट्रेट इसका फैसला देगा। कल्टीवेशन तो हो गया, पौधे वहां पाए गए पोपी के, उनमें से एक्सट्रेक्शन हो सकेगा या नहीं लेकिन पोपी का पाया जाना, कल्टीवेशन में किसी भी रूप में एक फूल भी मिल जाए तो लॉ की तारीफ में वह जुर्म बन गया। मजिस्ट्रेट महोदय उन्होंने प्रोबेशनर्स आफेंडर्स एक्ट में छोड़ दें, एडमानीशन कर दें वह दूसरी बात है। कहते हैं कि मेनसेरिया नहीं था वह भी दूसरी बात है। मजिस्ट्रेट यदि फैसला करता कि मेनसेरिया नहीं था लेकिन आपके ला डिपार्टमेंट और डी० आई० जी० और कृषि अधिकारी ने यह रिपोर्ट दे दी, यह मामला बहुत गंभीर है इस रूप में कि रूल आफ ला का वायोलेशन एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया, उसके लिए आप एग्जेम्पलरी कार्यवाही करें। आपने उसका ट्रांसफर कर दिया वह पनिशमेंट नहीं है, आपने उसको एग्रो-इंडस्ट्रीज निगम में लगा दिया, उनके खिलाफ डी० ई० प्रारंभ नहीं की, डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रारंभ नहीं की, यह भी जांच नहीं की कि जिलाधीश के रैंक का आदमी यह नहीं जाने कि पोपी को उगाना संगीन जुर्म है और वह उस इलाके के रहने वाले हैं। झालावाड़ में....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रताप सिंह ग्रामीण एक छोटा सा पौधा लगा दे तो वारंट पहुंच जाए, जेल के ताले उसके लिए खुल जायेंगे लेकिन माननीय जिलाधीश को सम्मान के साथ अलवर से लाकर जयपुर में बिठा दिया गया, केवल ट्रांसफर किया गया। मुख्य मंत्री का यह टेस्ट केस है, नई सरकार के सामने यह पहला केस आया है और देश की जनता देखना चाहेगी कि इस टेस्ट केस में मुख्य मंत्री किस प्रकार कसौटी पर उतरते हैं। क्या होगा ? दूध का दूध पानी का पानी, मजिस्ट्रेट के सामने सौंप दें, आप उनको अरेस्ट करें या नहीं, बेलेबल या नान-बेलेबल, कुछ भी किया जाए, मैं नहीं प्रेस करता कि उनको हथकड़ी डालें जेल में रखें। लेकिन यह एक टेस्ट केस है। उस कलेक्टर को प्रोसीक्यूट किया जाय। उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाकर खड़ा किया जाय। मजिस्ट्रेट से उस केस का फैसला लिया जाय। बाकी आप उस कलेक्टर को गिरफ्तार नहीं करें, मुझे उसकी चिन्ता नहीं, आप उसको ससपेन्ड नहीं करें मुझे उसकी चिन्ता नहीं लेकिन रूल का वाइलेशन हुआ है, कलेक्टर ने अफीम की खेती की है, और उसका अपराध सिद्ध हो गया है कि उसने अफीम की खेती की है। अगर आप उसको सजा नहीं देते हैं तो आप ही नहीं बल्कि हम सभी दोषी हैं। और आने वाला इतिहास इस बात के लिये साक्षी हो जायेगा। जब यह कहा जायेगा कि राजस्थान सरकार ने एक अफीम की खेती करने वाले दोषी अधिकारी को दण्डित नहीं किया। एक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कलेक्टर को अध्यक्ष महोदय रंगे हाथ अफीम की खेती करते हुए पकना चाहे उसका यह एक्शन अपने घर के शो के लिये ही था। आपने एक एग्रीकल्चर आफिसर से उसकी जांच करायी। उसके हिसाब से चाहे कोई एक्शन नहीं बनता हो लेकिन कानून की निगाहों में अगर एक व्यक्ति एक पौधा या दो पौधा भी उगाता है तो वह कानून के अन्तर्गत अपराधी है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वहां पर डी० आई० जी० को भेजा। एग्रीकल्चर आफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी। यह क्या बात है अध्यक्ष महोदय एग्रीकल्चर आफिसर जजमेन्ट देने वाला कौन है? जजमेन्ट आप और हम नहीं दे सकते। जजमेन्ट तो कोर्ट के द्वारा होना चाहिये। वह नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में यह साफ बात लिखी हुई है कि कलेक्टर के बंगले में 15 बाई 9 फीट की क्यारी में अफीम का बौना पौधा पाया गया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। काफी समय हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करूंगा वह यह है कि जब वहां पर इन्वेस्टीगेशन करने गये तब वहां पर जो अफीम के पौधे उगाये गये थे उसके 10 फोटो लिये गये अध्यक्ष महोदय 15 इन्टू 9 फीट के पौधे थे। डी० आई० जी० और एस० पी० ने कलेक्टर को कहा कि आप इन पौधों को सुरक्षित रखना लेकिन डी० आई० जी० पी० के ऐसा कहने के बावजूद भी कलेक्टर साहब ने उन पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया और जो उनके खिलाफ और भी एवीडेन्स होती थी उन एवीडेन्स को डेस्ट्रोय किया गया। ऐसा करने से वह एवीडेन्स एक्ट के सेक्सन 213 के अन्तर्गत और क्रिमीनल हो गया। इसके साथ साथ वह डेन्जर्स ड्रग्स एक्ट का भी मजरिम है उसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये सिर्फ आप एक ट्रासंफर कर देते हैं ट्रान्सफर इज नो पनिशमेन्ट। आपको उसका प्रोसीक्यूशन करना चाहिये। आप उसको हारबर मत कीजिये। अगर आप उसको शील्ड करते हैं हारबर करते हैं तो आप भी उसमें को-एक्यूजड हो जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह आज राजस्थान सरकार की परीक्षा का समय है। इसलिये मैंने जो कुछ कानूनी मुद्दे आपके सामने उठाये हैं उन पर आप अपनी घोषित नीति जो भी हो उसके अनुसार कार्य करें यह आपकी मर्जी है लेकिन ऐसे टेस्ट केसेज में आपको कलेक्टर को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना चाहिये और वहां से वह चाहे जमानत पर छूट जाये और उसके बाद में जो भी फैसला मजिस्ट्रेट दे वही मान्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं उनका भी मन्त्रीजी अपने जो भी उत्तर दें उसमें स्पष्टीकरण कर दें। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर जिले में कलेक्टर के बंगले के इर्दगिर्द एक दो बीघा जमीन होती है। उस जमीन पर यह कलेक्टर लोग कभी मक्का उगाते हैं, कभी सब्जी उगाते हैं, कभी बाजरा उगाते हैं कभी उस जमीन में आधा बीघा में साग सब्जी उगा देते हैं इसके बारे में कई बार सदन में चर्चायें भी उठी हैं तो अगर आप इसका

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

स्पष्टीकरण सदन में करदें कि कलेक्टर अपने बंगले के अहाते में कोई चीज की खेती कर सकता है ? अध्यक्ष महोदय, हर एक कलेक्टर के खिलाफ में ऐसी बात होती है। तो एक तो इस बारे में राज्य सरकार अपना स्पष्टीकरण करदे । दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो प्रोसीक्यूशन, मजिस्ट्रेट से फैसला तक बात पहुंचादी । उसे गिरफ्तार भी करें, जमानत पर छोड़ दे, चाहे पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई हो । आपने सारी बातों का जायजा ले लिया लेकिन राज्य सरकार इनके जायजे पर एक्शन क्या लेती है यह सोचने का विषय है । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर एक आई० ए० एस० आफिसर इस तरह की खेती करते हैं अपने बंगले में अफीम के पौधे उगाता है तो क्या उसके खिलाफ में राज्य सरकार कोई डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी भी करवाना उचित नहीं समझती ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूं । मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो अपना वक्तव्य दिया उसको मैंने बहुत ही ध्यान से सुना । उस स्टेटमेन्ट में आपने यह माना है कि कलेक्टर अलवर ने अपने बंगले के अन्दर अफीम की खेती 12 स्क्वायर यार्ड में की चाहे वह उनके किचन के पास ही थोड़े ही एरिया में हो । अगर ऐसा है तो अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है । यह बात नहीं होनी चाहिये थी । एक कलेक्टर के पद का आदमी अगर इस तरह कोई बात करता है तो कम से कम सरकार की तरफ से यह तो होना चाहिये था कि उस आई० ए० एस० अधिकारी को ताड़ना दी गयी या उसने यह काम किया वह अनुचित किया । उसके खिलाफ में राज्य सरकार को चाहिये था कि कोई जांच बैठाते पर अगर सरकार इस बारे में मौन रहती है तो मैं समझता हूं कि सरकार का इम्प्रेशन जनता पर अच्छा नहीं पड़ता । अगर बड़े अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं जो कि कानूनी अपराध हो और अगर आप उस पर मौन धारण करते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, मुझे एक दफा की बात याद आती है कि एक दफा डूंगरपुर के अन्दर एक व्यक्ति ने अफीम की खेती की थी । उस व्यक्ति ने 8–10 पौधे अफीम के लगा लिये थे । जब पुलिस को पता चला तो साहब वहां पर सभी कार्यवाही हुई । उसे गिरफ्तार भी किया गया और उसको सजा भी दी गयी । इस मामले में आप कलेक्टर को बड़ा अधिकारी समझ कर उसके खिलाफ में कोई एक्शन लें या नहीं लें यह सरकार की मर्जी पर मैं छोड़ता हूं । लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि सिर्फ कलेक्टर की इस गैर कानूनी हरकत के लिये आप उस व्यक्ति का सिर्फ तबादला ही करें और कोई एक्शन उसके खिलाफ में नहीं लेते हैं तो अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुःखद घटना क्या हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को कम से कम उस आई० ए० एस० अधिकारी को कानून की अवहेलना करने के लिये ताड़ना तो देनी चाहिये कि वह भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करे। उसे हिदायत तो देते । लेकिन आपने उसे ताडना नहीं देकर उसका सिर्फ तबादला कर दिया । यह तबादला तो कोई सजा नहीं हुई ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं हर एक को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। काफी समय हो गया है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिये कि अभी तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आना है। उस पर भी लोग बोलेंगे उसमें भी समय लगेगा। इधर यह स्टेटमेन्ट आया है उसके लिये सिर्फ 15 मिनिट रखे गये थे। उसके अब 25 मिनिट हो गये हैं। खैर मैं आपको तो इजाजत दे देता हूं। पर आप संक्षेप में कहें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सदन में स्थगन प्रस्ताव आया और उस पर मुख्य मन्त्रीजी ने अपना स्टेटमेन्ट दिया और उस पर डी० आई० जी० से कार्यवाही करने के लिये भेजा उसके लिये तो वे राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ में यह पूछना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार की मनशा सिर्फ कलेक्टर को बचाना ही है तो बात दूसरी है अगर आपको एक्शन लेने की तराजू गरीब आदमी के लिये दूसरी है और अधिकारी के लिये दूसरी तो अध्यक्ष महोदय, यह तो जनता के साथ अन्याय होगा। मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने उस आई० ए० एस० अधिकारी के खिलाफ में एक्शन क्या लिया? अध्यक्ष महोदय, अगर कलेक्टर ने सिर्फ डेकोरेशन के लिये ही अपने अहाते में अफीम की खेती की हो लेकिन क्या आपने इसके लिये सेन्ट्रल एक्साइज के इन्सपेक्टर को उसको जानकारी दी क्या? अगर दी तो उस पर सेन्ट्रल एक्साइज इन्सपेक्टर ने क्या कार्यवाही की? अगर नहीं तो क्यों नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय मैंने जैसे ही सदन के अन्दर कलेक्टर अलवर के खिलाफ इस बात को सुना उसके बाद शायद एक ही मिनिट मैंने खोया होगा और उसी वक्त मैंने डी० आई० जी० को बुला कर इसकी जांच करने के लिये तुरन्त अलवर भेजा इसके साथ साथ जो भी वाजिब हिदायतें देनी चाहिये थीं मैंने सभी उनको दे दी। यह चीज इससे स्पष्ट हो जाती है कि गवर्नमेन्ट का इन्टेन्शन इस केस में क्या था? किसी को बचाने का था या नहीं। अब गवर्नमेन्ट के समक्ष जो भी फैक्ट्स आये हैं उस पर एडवाईज लेना जरूरी होता है। अब गवर्नमेन्ट यह एडवाइज किससे ले। आपने तो एक प्रकार से इस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया और उसके लिये बहुत ही सीरियस वे में एलीगेशन्स भी गवर्नमेन्ट पर लगाये। जब कि मैंने डी० आई० जी० पी० को इसके लिये तुरन्त ही जांच करने के लिये भेज दिया था। डी० आई० जी० वहां गये और उन्होंने देखा कि कलेक्टर अलवर के बंगले के अहाते में चार गज बाई तीन गज के एरिया में अफीम की खेती की हुई है। डी० आई० जी० पी० ने अपनी रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट पर गवर्नमेन्ट किससे गाइड हो? क्योंकि एक डी० आई० जी० ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ओपीनियन दी वह ओपीनियन जो कुछ भी बने उस पर क्या एक्शन लेना चाहिये या नहीं लेना चाहिये या किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिये इसमें गवर्नमेन्ट किससे गाइड हो? अब उसमें ब्रीच ऑफ लॉ हुआ या नहीं यह देखने के लिये हम किससे गाइड हों तो मेरी समझ में तो इसमें लॉ डिपार्टमेन्ट से ही गाइड होना चाहिये। अब लॉ डिपार्टमेन्ट क्या ओपीनियन देता है। वैसे तो एक जूनियर आफिसर जो भी ओपीनियन देता है उसको भी गवर्नमेन्ट

(श्री हरिदेव जोशी)

मानती है । इस केस में कलेक्टर इनवोल्ड है और डी० आई० जी० ने रिपोर्ट में अपनी ओपीनियन दी है । उस पर जो लॉ डिपार्टमेन्ट राय देगा उसी के अनुसार कार्यवाही होगी किन्तु एक सीनियर आई० ए० एस० आफिसर के खिलाफ शिकायत थी इसलिये डी० आई० जी० को भेजा गया । उन्होंने ओपीनियन दी । गवर्नमेन्ट को एक प्रकार से राय दी रिपोर्ट के साथ में । उसके बाद उसको लॉ डिपार्टमेन्ट के पास भेजा गया । उसने मेन्सेरिया कह कर इसको ओफेन्स नहीं मानने की वात कही । यह एक चीज है जिसको गवर्नमेन्ट ने सदन के समक्ष रखा है ।

मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें डिफ्रेन्स ओफ ओपीनियन हो सकती है किन्तु गवर्नमेन्ट का कभी भी यह इन्टेन्शन नहीं है कि वह किसी अफसर को शील्ड करे, अथवा बचाने की कोशिश करे । माननीय सदस्य ने जो एक बहुत बड़े वकील हैं, एक प्रकार की राय दी है । एक माननीय सदस्य ने एक दूसरा प्रश्न भी उठाया है । मैंने जहां तक देखने की कोशिश की है कल्टीवेशन ओफ ओपियम इज ए सोर्ट ओफ मैन्युफेक्चर ऑफ ओपियम । यदि ओपियम का मैन्युफेक्चर के लिये कल्टीवेशन किया जाय तो ओफेन्स बनता है । अगर ओपियम एक्स्ट्रेक्ट करने के लिये, मिल्क को एक्स्ट्रेक्ट करने के लिये किसी प्रकार किया हो तो ऑफेन्स बनता है और मिल्क एक्स्ट्रेक्ट करके नहीं किया है तो लॉ डिपार्टमेन्ट की जो ओपिनियन ली गयी है, वह यह है कि यह ओफेन्स नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढा : एक सैकिन्ड के लिये कहना चाहता हूं । जिस भावना से आप कह रहे हैं डेन्जरस ड्रग्स के प्रोविजन हैं, अपने यहां के आफिसर्स सब बराबर हैं, इसलिये आप इसमें एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लें, सी० बी० आई० से ओपिनियन लें कि ओफेन्स बनता है या नहीं ।

श्री हरिदेव जोशी : जो कुछ भी है । आपने फरमाया इस लाइट में भी देखने की कोशिश करूंगा । जो मुझे इसमें एडवाइस दी गयी है वह यही है कि यह ओफेन्स नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा वक्तव्य ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री रामकिशन : ठंड ज्यादा है ।

श्री हरिदेव जोशी : ठंड ठीक लगती है । गर्मी ठीक नहीं लगती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-3-74 को विधान सभा प्रांगण में भारतीय साम्यवादी पार्टी के माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र नाथजी हांडा ने माननीय वित्त मंत्रीजी के विरुद्ध चूरू जिले में सीमेन्ट आवटंन के सिलसिले में कुछ आरोप लगाये थे । माननीय सदस्य हांडाजी ने यह कहा था कि श्रीमती झूमर देवी को गवर्नमेन्ट ने 1500 कट्टे सीमेन्ट अलॉट कर दिया जो नियमों के विरुद्ध है और उन्हें सीमेन्ट इसलिये अलॉट किया गया कि श्रीमती झूमर देवी श्री चन्दन मलजी बैद की साली हैं । उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा था कि श्रीमती झूमर देवी ने अपनी एप्लीकेशन के साथ में श्री चन्दन मलजी बैद के जयपुर स्थित निवास का एड्रेस भी दिया है और इन्फरेन्स उसका यह था कि उनकी सिफारिश से उन्हें इस प्रकार से सीमेन्ट दे दिया जो

(श्री हरिदेव जोशी)

अनुचित है और पक्षपात के रूप में मालूम पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपको खयाल होगा सदन में कुछ चीजों को लेकर बहुत ही उग्रता भी आ गयी थी । श्री चन्दन मलजी सदन में उस समय नहीं थे, आकर के माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा था उसको कान्ट्राडिक्ट किया था और यह कहा था कि श्रीमती झूमर देवी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मेरी साली नहीं है । न मैंने इस चीज की सिफारिश की थीं और न मैं जानता हूं । माननीय सदस्य ने असर्ट किया था । इस चीज को सुन कर उन्होंने मुझ से कहा था और यह चाहा गया था कि गवर्नमेन्ट इसकी जांच करे तुरन्त ही उसी दिन चीफ सेक्रेट्री ने कलेक्टर को टेलीफोन किया और यह कहा कि वे उन सारे कागजातों को और फाइल्स को अपने कब्जे में ले लें । कलेक्टर ने तुरन्त ही इत्तला दी कि मैंने उन सारे कागजात को कब्जे में ले लिया है और सील कर दिया है । कलेक्टर को यह भी हिदायत दी कि गजेटेड अफसर के साथ उसी दिन रवाना कर दे और ट्रेजरी ओफिसर जो गजटेड ओफिसर हैं, उन कागजात को लेकर आयें । जब वे रवाना हुए तो चीफ सेक्रेटरी ने इस प्रकार की हिदायत दी कि मैंने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर ने जिसने डील किया हो वह भी यहां आ जाय ताकि उनसे भी इन सारी चीजों की जानकारी मिले ।

अध्यक्ष महोदय, जब वे सारे कागज यहां आये तो मैंने उन सारे कागजों को देखा । उन कागजों से यह मालूम पड़ता है कि एक श्रीमती झूमर देवी ने अपने मकान के लिये सिमेन्ट देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया वे श्रीमती झूमर देवी आम तौर पर कलकत्ते में अपने पति के साथ रहती हैं । पर यहां पर मकान बनाने के लिये आयी हैं । उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर को एप्लीकेशन दी । डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर ने उसे तहसीलदार के पास भेज दिया । तहसीलदार ने यह वेरीफाई किया कि वह मकान बना रही हैं और उन्हें इतने सीमेंट की आवश्यकता है । उस दिन डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर वहां नहीं थे तो असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर ने, सहायक जिला अधिकारी चूरू ने सिफारिश का एक लेटर बिडला सीमेंट फेक्ट्री को लिखा कि आप गवर्नमेंट कोटा से बाहर इन्हें 1500 कट्टे सीमेंट देवें । वे कागजात यहां पर बिड़ला सीमेंट फेक्ट्री के प्रतिनिधि के पास आये । जो जयपुर स्थित है । और उन्होंने प्रिन्सिपल्स के पास में इसको भेजा यह कह कर कि गवर्नमेंट ओफ इन्डिया के जो नियम हैं इस सिलसिले में उसके अनुसार तो हम इतना सीमेंट दे नहीं सकते इस बाबत मैं क्या किया जाना चाहिये । एक रजिस्ट्री लेटर से उन्होंने उनको भेजा । वहां से उनका जवाब आया कि रूल्स में कोई चेन्ज नहीं हुआ है और हम उन्हें इस प्रकार का सीमेंट नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती झूमरदेवी ने अपनी एप्लीकेशन के साथ में 17,850 रुपये का एक डिमान्ड ड्राफ्ट भेजा उसकी कीमत के तौर पर । यहां के प्रतिनिधि एक मिस्टर शर्मा हैं । उन्होंने उस डिमाण्ड ड्राफ्ट को श्रीमती झूमरदेवी के प्रतिनिधि को, जो उसे लेकर आया था, वापस लौटा दिया और कह दिया कि आपको सीमेंट नहीं दी जा सकती ।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, एप्लीकेशन जो श्रीमती झूमरदेवी ने दी थी उस के ऊपर कहीं भी श्री चन्दनमलजी बैंद के मकान का एड्रेस अथवा उनका उल्लेख नहीं है, सिवाय अपने खुद के मकान के एड्रेस के जो सरदारशहर का है ।

इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, श्रीमती झूमरदेवी से भी पूछा गया कि आप श्री चन्दनमलजी बैंद की साली हैं या क्या हैं ।

श्री रामकिशन : साली हैं, यह सीधा पूछा था ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां । इस पर उसने एफीडेविट दिया है और कैटेगरिकली लिख कर दिया है कि मैं चन्दनमलजी बैंद की न तो साली हूं न और कोई मेरा उनसे रिश्ता है और इस प्रकार से बहुत स्पष्ट कर दिया है ।

इस पर अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हांडाजी से चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखकर पूछा कि आपने इस प्रकार से एलीगेशन वित्त मन्त्रीजी पर लगाये थे उस पर जो कागजात देखे हैं उनमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि श्री चन्दनमलजी बैंद की मार्फत सीमेंट चाही है अथवा जो आपने कहा है वह सही है । आपने जो कहा है वह ठीक नहीं है । इसलिये अब आपको क्या कहना है इस सिलसिले में उन्होंने एक रिमाइण्डर और भेज दिया । उनका जवाब नहीं आया था । तभी आज सवेरे जब कि मैं सदन में आ रहा था उस समय उनका एक जवाब चीफ सेक्रेटरी को मिला है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उस बाबत में तो कुछ नहीं कहा जो यहां कहा था कि उनकी एप्लीकेशन के ऊपर चन्दनमलजी बैंद के मकान का एड्रेस दिया गया है जिससे इनफरेन्स निकलता हो कि उनकी सिफारिश थी । यह भी उन्होंने नहीं कहा कि जो मैंने साली कहा था वह है । उन्होंने यह कहा कि मुझे अमुक अमुक लोगों ने कहा है कि यह चन्दनमलजी बैंद के ननिहाल के दूर के रिश्ते में बहन होती हैं ।

अब चूंकि सदन में आते हुए ही मुझे यह मिला था मैंने चन्दनमलजी बैंद से पूछा अब स्टेटमेंट में तो यह लिखा है कि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि यह जवाब मुझे यहां आते समय मिला है तो मैं उसे उस रूप में ही कह रहा हूं ।

मैंने चन्दनमलजी से पूछा । उन्होंने कहा कि मुझे अपने ननिहाल की दो एक पीढ़ियां तो याद हैं । परनाना तक की पीढियां याद हैं । एक मंगलचन्दजी थे जो उनके परनाना थे । उनके भैरोंदानजी और भीष्म चन्दजी पुत्र थे । भैरोंदानजी उनके नाना थे भैरोंदानजी के सोहनलालजी, धरमचन्दजी, मंजुला ये संतानें थीं । भीखमचन्दजी के चम्पालालजी, मूलचन्दजी और केसरदेवीजी ये सन्तानें थीं । अब इनमें से श्रीमती झूमरदेवी कहां आती हैं ।

इसलिये इस सारी चीज से मैं यह कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य को जो सूचना दी गई है वह किन्हीं गलत धारणाओं पर आधारित है । सबसे पहली चीज तो यह है कि सीमेंट अलॉट नहीं किया गया था । सीमेंट गवर्नमेंट कोटे से बाहर अगर कम्पनी दे सके तो दे । यह एक प्रकार से सिफारिश की गई थी गवर्नमेंट के कोटे से देने की बात नहीं है ।

अब रहा सवाल यह कि इस प्रकार की सिफारिश डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को

Page No 81

(81)

(श्री हरिदेव जोशी)

करनी चाहिये थी या नहीं । तो यह पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार से कई सिफारिशें उन्होंने की हैं और वे बराबर करते रहे हैं । मुझे इस फाइल से यह भी मालूम पड़ता है कि दूसरे जिलों में भी यही प्रैक्टिस है कि वे लोग आवश्यकता वालों को गुड विल में कई चिट्ठियां इस प्रकार की सिफारिश की लिख देते हैं कि गवर्नमेंट कोटा से नहीं देकर अपने स्टॉक में से दे सकते हैं तो दे दें । अर्थात् गवर्नमेंट कोटा से नहीं दे सकते कम्पनी, फ़ैक्ट्री दे तो हमें ऐतराज नहीं है । इससे निष्कर्ष यह निकलता है इसके बावजूद भी मैं ऐसा समझता हूं कि चन्दनमलजी ने अगर सिफारिश की होती तो यह रिक्वेस्ट टर्न डाउन होने का प्रश्न क्यों पैदा होता ।

दूसरी चीज यह है कि जैसी सूचना थी कि श्रीमती झूमरदेवी ने चन्दनमलजी का जयविलास फलां फलां रोड का एड्रेस दिया है तो यह बात भी इस रिकार्ड से कतई सही मालूम नहीं पड़ती है । यह ओरिजिनल एप्लीकेशन है और उस पर उसका अपने शहर का एड्रेस है । उसी पर सारा नोटिंग डी०एस०ओ० का और तहसीलदार का है । नोट शीट्स भी है इसलिये जो माननीय सदस्य को इत्तिला मिली थी, वह सही नहीं मालूम पड़ती है ।

तीसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिश्ते की बात है । इम्फेटिकली कहा था कि वह साली हैं । मैंने उस प्रोसीडिंग्स को भी पढ़ने की कोशिश की है । अच्छी नहीं है प्रोसीडिंग । उसको पढ़ने की कोशिश की थी । माननीय सदस्य ने यहां पर यह कहा कि वे उनकी साली हैं मैं कहता हूं, यह है वह है । प्रोसीडिंग्स से यह भी लगता है कि एक बार वे उठकर बाहर भी गये । बाहर किसी से बात की और आकर यह कहा कि मैंने वेरीफ़ाई कर लिया है और मैं कहता हूं जो मैंने पहले कहा है उसको दोहराता हूं । तो अगर यह बात है तो यह एस्टेब्लिश नहीं होती है कि श्रीमती झूमर देवी श्री चंदनमलजी वैद की साली हैं ।

अब वह जो बता रहे हैं कि घीया परिवार में है । ननिहाल वाले घीया परिवार में हैं तो घीया तो कितने ही हो सकते हैं । आपके भी अध्यक्ष महोदय, व्यास अगर सभी रिश्तेदार होते हों तो अलग बात है ।

इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अग्रवाल हैं तो क्या सारे अग्रवाल उनके भाई भतीजे हो गये । इसी तरह सभी हांडा आपके रिश्तेदार हो जावेंगे तो भी मामला गड़बड़ है ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : वे तो जातिवाद मानते ही नहीं । उनके लिये तो सभी रिश्तेदार हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : तो अध्यक्ष महोदय, मुझे ये सब चीजें देखने और फाइल टटोलने, के बाद लगता है कि गलत सूत्रों के आधार पर यह बात उन्होंने इस सदन में उठाई थी ।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, दस तारीख को मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैंने अगस्त से लेकर 10 मार्च 74 तक चूरू जिले के अन्दर कलेक्टर के द्वारा इस प्रकार की जितनी भी स्पेशल रिकमण्डेशन्स की गई हैं उनकी जानकारी मांगी थी । अब जितने जोर से माननीय मुख्यमंत्रीजी ने माननीय चन्दनमलजी वैद को डिफेण्ड किया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है, मैं समझता हूं कि अगर यही था तो उस दिन इस तरह की जानकारी सदन में क्यों नहीं दी गई। आज कह रहे हैं कि यह परम्परा सारे जिलों में है।

श्री अध्यक्ष : सदन में जो चर्चा हुई उसी पर तो दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने लिस्ट चाही थी, मुझे कोई लिस्ट नहीं दी गई इसके अलावा यह कहा गया कि सीमेंट दिया ही नहीं गया। यह जानकारी भी सदन में उस दिन नहीं आई।

चीफ सेक्रेटरी के पत्र के सम्बन्ध में कहा गया। 26 मार्च को चीफ सेक्रेटरी ने मुझे लिखा। मैंने उनको जांच करने के लिये कहा। यह भी कहा कि मुझे एक नहीं चूरू के अनेक लोगों के साइण्ड लैटर मिले हैं और वे ओरिजिनल मैंने दे दिये हैं मुख्यमंत्री को मिलते ही दे दिये हैं। उनको मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको ये पत्र प्राप्त हुये हैं····

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके पत्र को पढ़कर नहीं सुनाया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर वे रेफर नहीं करते है तो मैं पढ़ता ही नहीं··

श्री अध्यक्ष : पत्र आप मुझे दे दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: राष्ट्रीय सेवा संघ दल है: एक भगवान दास, सोसलिस्ट पार्टी के मंत्री हैं, लेख राम, सरपंच हैं लेख नाथ, मंत्री किसान सभा, सत्य नारायण शर्मा वार्ड नं० 15 के मेम्बर हैं और एक पत्र सोहन लाल, संचालक, राष्ट्रीय सेवा संघ। इस पत्र पर अनेक ह ़ ़ ार हैं, भंवर लाल माली, आसाराम, हीरा ़ ़ (हस्ताक्षर अस्पष्ट होने से पढ़ नहीं स ़ ।) चयन राम है, राम लाल है····

(शोर गुल, व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय इस प्रकार अस्पष्ट होने के कारण नहीं पढ़े जाते हैं बाकी काफी लम्बे चौड़े हस्ताक्षर हैं जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया है अध्यक्ष महोदय, कि वह ननिहाल से उनकी बहिन लगती हैं और धीया परिवार के थोड़े लोग सरदार शहर में रहते हैं, कोई ज्यादा लोग नहीं हैं माननीय मुख्य मंत्री जी जांच करवा लें, कहां तक तथ्य पूर्ण है।

(व्यवधान, अश्रव्य, घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा: आपके द्वारा इसी सदन के अन्दर यह प्रस्ताव रखा गया था कि एक पांच सदस्यों की कमेटी बना ली जाय और कमेटी सरदार शहर में जाय और जांच कर ले और अध्यक्ष महोदय, आपके सजेशन के अन्दर हाउस ने उस कमेटी को करीब करीब स्वीकार कर लिया था। माननीय राम किशन जी ने इस बात का प्रस्ताव रखा था और आपने उस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा था और राम किशन जी ने रिक्वेस्ट की थी····

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा: सारा का सारा रेकार्ड आप अपने तहवील में ले लें मेरी समझ में नहीं आता माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने क्यों मानने से इन्कार कर दिया जबकि सारा का सारा हाउस इस बात के लिये एक मत था । मेरे पास इनफरमेशन है झूमर देवी को 1500 थैले सीमेन्ट के रिकमन्डेशन किये । मेरे पास सूचना है एक नहीं अनेक लोगों की रिकमन्डेशन अस्वीकृत कर दी गई । अगर सारा रेकार्ड अपने कब्जे में लेते और एक कमेटी बनाई होती जिसको अस्वीकार करने का मैं कोई तथ्य नहीं समझता हूं तो निश्चित रूप से सदन के सामने सही बात आती । अब उस ड्राफ्ट को अस्वीकृत कर दिया । झूमर देवी की दरख्वास्त को बिड़ला जी ने स्वीकृत कर दिया किस हालत में कर दिया । उस ड्राफ्ट के ऊपर बैदजी के घर का एड्रेस है । ये सारे के सारे तथ्य सदन में आ नहीं पाये । यह उसी रूप में आते अगर आपने सदन की एक कमेटी बनाई होती । 1500 थैलों की रिकमन्डेशन चाहे डी० एस० ओ० करे, कलेक्टर करे और चाहे तहसीलदार करे । आज राजस्थान में एक थैले की । रिकमन्डेशन नहीं होती । आज सीमेन्ट प्राप्त कर्ता के सामने कठिनाई हो रही है और झूमर देवी को सरदार शहर में बन रहे मकान के लिये 1500 थले का इन्तजाम डी० एस० ओ० करता है और तहसीलदारों के मारफत करता है ।

मैं अध्यक्ष महोदय, इसको साधारण बात नहीं मानता हूं इसके पीछे सीधीसादी बात है स्ट्रांग रिकमन्डेशन हो सकती है और फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे आखिर मैंने कौनसा इतना बड़ा उत्तर मांगा था । केवल यही मांगा था कि स्पेशल रिकमन्डेशन कितने केसेज में की गई है और वह भी अगस्त से लेकर मार्च 74 तक की गई है । अगर इस प्रश्न का टोटल-डिटेल में उत्तर आता तो काफी तथ्य सदन के सामने आ सकते थे प्रकाश पड़ सकता था ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

किस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री ने तथ्य रखे हैं और वह मेरी बात को गलत सिद्ध नहीं करते हैं जो बात रखी है माननीय चन्दनमलजी ने कि मेरे किसी प्रकार क सम्बन्ध नहीं हैं । मेरी किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, यह बात सिद्ध नहीं कर पाये हैं और किसी प्रकार भी एस्टब्लिश नहीं कर पाये हैं...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह बात जो सदन में लाई गई उसमें मुख्य बात तो यह है कि एक व्यक्ति को 1500 थैले सीमेंट की सिफारिश की जानी...

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उस समय अलाटमेंट कहां था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सुन लीजिये । दूसरी बात श्री चन्दनमलजी का उनसे सम्बन्ध है, वे इस बात को पुष्ट करने के लिये उसको अनुचित बताते हैं । यह किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है । जो मुख्य बात जनता में अखरने वाली है वह यह है कि एक व्यक्ति को...

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं एक व्यक्ति को 1500 बोरी सीमेंट की सिफारिश किये

Page No 84

(84)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जाना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने उत्तर में इस बात को नहीं कहा है कि ये उसको उचित प्रेक्टिस माने या न माने । उनकी जानकारी में यह प्रेक्टिस नहीं है । आइन्दा यह मानी जाती रहेगी या नहीं रहेगी, इसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, यह स्टेटमेंट...

(बीच में व्यवधान होने पर)

मेरी बात को पूरी सुन लीजिये। मैं समझता हूं कि 1500 कट्टे सीमेंट के किसी को दिये गये और उस डी. एस. ओ. ने दिये । सामान्य आदमी की सिफारिश होती तो ये कट्टे सीमेंट के मिलने वाले नहीं थे । और अगर सामान्य आदमी की सिफारिश से दिये होते तो किसी एक्स, वाई, जेड, को भी मिल जाते । सामान्य आदमी की सिफारिश से डी०एस० ओ० चिट्ठी लिखे यह अपने आप में इन्टरफियरेन्स करने के लिये बात काफी है । माननीय चन्दनमलजी ने उस दिन सदन में एक्सपर्सन किया और इन्होंने यह कहा है यह मेरी साली नहीं है और वे किसी रूप में जानते तक नहीं हैं । वे आज भी कह रहे हैं। यह बात समझ में आने की कम लगती है कि सरदारशहर जैसे कस्बे में जिसकी आबादी 25–30 हजार की हो...

श्री चन्दनमल बैद : 40 हजार ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 40 हजार की बताई जाती है । माननीय चन्दनमल-जी वहां से चुनाव लड़कर आते हैं। हाउस टू हाउस कनवेसिंग के लिये, वोट लेने के लिये जाते होंगे...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वह कलकत्ता रहती हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कलकत्ता रहती हों, कहीं रहती हों । 40 हजार के कस्बे में एक ऐसा आदमी, जिसका सार्वजनिक जीवन 30 वर्ष से अधिक का हो, वह व्यक्ति अपने कस्बे के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को और इम्पॉर्टेन्ट लोगों को...

(व्यवधान...)

अगर प्रवासी हो तो प्रवासी इने गिने होते हैं और होंगे इसलिये जैन कम्युनिटी में प्रवासी लोग और उसमें एक ऐसी महिला जो इतना बड़ा मकान बनाये और उससे फाईनेन्स मिनिस्टर इगनोरेन्स जाहिर करें कि वे उनको जानते तक नहीं हैं । सामान्य तौर से मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती है । जो व्यक्ति चुनाव लड़े और उस जाति का हो, उस शहर का रहने वाला हो और 30 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हो इतना इगनोरेन्ट बने और इतनी इम्पारटेन्ट महिला की जानकारी नहीं हो....

(अश्रव्य, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मोहन बाई अग्रवाल है, अलवर में आप जानते हैं? आपके घर से 20 घर दूर है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस तरीके से इसमें व्यवधान डालकर...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मोहन बाई अग्रवाल है अलवर में, आप जानते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोहन बाई अग्रवाल है, मैं जानता हूं दीवान चन्द के घर में है और कहिये ....

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान होने पर). आर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दीवान चन्द के घर में है। मैं जानता हूं, आप कहिये...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय ये तो ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक लास्ट पाइन्ट और है अध्यक्ष महोदय । मोहन बाई अग्रवाल को जानता हूं । दीवान चन्द की की लड़की है । बोलिये कहिये.. बोलिये आप जानते हैं कि नहीं उसे । आप भी वकील है, मैं भी वकील हूं...

तो अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात यह कहना चाहता था कि माननीय सदस्य ने कुछ लोगों के जो वहां के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको चिट्ठी उनके दस्तखतों से दी है। उसमें एक ड्राफ्ट भी है और उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं उनकी बहन लगती हूं। 'दैट इट नीड्स ए थोरो इन्क्वायरी' और उस दिन भी यह कहा था और आज भी कहता हूं कि अगर सदन में इस बात को पूरी तरह से और सन्तुष्ट करना चाहते हैं तो आप एक निष्पक्ष इन्क्वायरी कराइये वरना ऐसे तथ्य भी सामने आये हैं और उस दिन भी कहा था यहां पर आकर कुछ चेन्ज हुआ हो यह बात नहीं है लेकिन वहां पर जो एप्लीकेशन शुरू की थी उसमें चेन्ज एड्रेस वगैरह में चेन्ज—ऐसी चीजें होना नामुमकिन नहीं है आपके डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से बातें की जाती हैं। केवल इस बुनियाद पर कि कलेक्टर ने नैक्स्ट डे सारा रेकार्ड ले लिया वह दूसरी बात है। कल तो यह कह दिया गया कि हमारे पास इनफार्मेशन नहीं है और आज मुख्य मंत्री जी सारे इनफार्मेशन के ऊपर जवाब दे रहे हैं। सारी फाइलें उनके पास मौजूद हैं वह बताते हैं सारी एप्लीकेशन्स में पहले भी रिकमन्डेशन किया है तो यह हाउस के साथ कैसा व्यवहार है और अध्यक्ष महोदय उसी बेसिस पर कल इनफार्मेशन दी जा सकती थी। उसी बेसिस पर कहा है कि मैंने देखा है और लोगों को भी इस तरह की दी गयी है तो इस तरह हाउस को डाज करने की कोशिश की जाये यह उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो प्रश्न रख दूं ।

श्री अध्यक्ष : नो, नो ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: लीगल हैं।

श्री अध्यक्ष : नो लीगल क्वेश्चन । 'आई विल नाट अलाऊ' ।

मुख्यमंत्री जी ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कुछ भी बात कहने की मन्शा लेकर नहीं चल रहा हूं और न सदन को डाज ही करना चाहता हूं । फेक्ट्स जो भी यहां इस सदन में कहे गये थे वह यह थे कि तारीख 14-3-74 को ड्राफ्ट वापिस लौटाया गया है । 5 मार्च, 1974 को डी० एस० ओ० ने जो रिकमन्डेशन की थी उसको टर्न-डाउन करके ड्राफ्ट लौटाने की

(श्री हरिदेव जोशी)

तारीख है वह है 5 मार्च, 1974 और यह ओरीजिनल पेपर्स हैं। लेने वाले के दस्तखत हैं हरी स्याही से और सारे के सारे कागज हैं और माननीय सदस्य ने यहां पर 14-3-74 को यह एलीगेशन्स लगाये हैं। इसके माने तो बहुत साफ हो जाते हैं कि आपके कुछ भी कहने से पहले सब कुछ गवर्नमेंट की ओर से किया जाना चाहिए था अथवा उस कम्पनी को करना चाहिए था वह वह कर चुकी थी। यहां पर कहने के बाद में कुछ हुआ हो ऐसी चीज नहीं है।

अब रह जाता है सवाल यह कि इन्होंने सिफारिश की। यह मुख्य प्रश्न है। मैंने प्रोसीडिंग्स देखी और आप प्रोसीडिंग्स को फिर पढ़ लें। माननीय सदस्य ने अलाटमेंट कहा 'इट वाज नाट एन अलॉटमेंट, इट वाज ए रिकमन्डेशन' नम्बर वन और अध्यक्ष महोदय, अब यह हाउस में इनफर्मेशन आई या नहीं, मगर फेक्ट्स सामने रख रहा हूं। वह यह हैं कि 5000 बोरी सीमेंट की सिफारिश 25-1-74 को की गयी उसी दफ्तर से। 15-2-74 को 225 बोरी की सिफारिश की गयी ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : किस को ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो केवल यहां बोलने के लिहाज से कह रहा हूं। सारी फाइल और सारे कागज देखने पड़ेंगे, और 33 टन की सिफारिश की गयी 15-2-74 को, 10 टन की सिफारिश की गयी 19-2-74 को, 15 टन की सिफारिश की गयी 16-2-74 को और 400 कट्टों की सिफारिश की गयी 31-2-74 को और एक बगैर तादाद की ही सिफारिश की गयी थी कि इनकी एप्लीकेशन है यह कर दी। यह बिना तादाद के अन्दर हुआ है। ओरीजिनल एप्लीकेशन झूमर देवी की, ड्राफ्ट का नम्बर जो आपने कहा है वह सही है और ओरीजिनल एप्लीकेशन के ऊपर तहसीलदार के, सबके सारी की सारी प्रासीडिंग और नोट सारा का सारा यहां है। माननीय सदस्य ने असर्ट किया था उस दिन आप याद कीजिए और वह यह किया था कि झूमरदेवी श्री चन्दनमलजी बैद की साली हैं और साली के ऊपर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। इन्होंने कहा कि मेरी तो एक ही साली है और वह कलकत्ता में है और आपने खुद बारबार असर्ट किया है कि नहीं साली है। ....

श्री गुमानमल लोढा : अब कोई तरीका है क्या साली बनाने का ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनकी नहीं बनती तो × × × 1500 थैलों के लिए आप भी स्ट्रेस कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं किसी महिला के बारे में और किसी भी सम्भ्रान्त महिला के बारे में ऐसा नहीं कहता।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द × × × प्रोसीडिंग्स में से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : 'दे शुड बी एक्सपन्ज्ड',।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा तो निवेदन एक ही है और वह यह है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ भी यहां कहा या वह चीज जो कही और फेक्ट्स हैं वह टैली नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना देने

× × × ये शब्द माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाले गए।

Page No 87

(87)

(श्री हरिदेव जोशी)
वाले ने गलत सूचना दी है और जिसने सूचना दी है वह भी मेरी जानकारी में आ गया है । ....

श्री मनोहरलाल गुप्ता : उसकी खैर नहीं है !

श्री हरिदेव जोशी : वह सूचना गलत दी गयी है, यही प्रार्थना करना चाहता हूं । बाकी तो मैं क्या कहूं ।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री जी ।

श्री शंकरसिंह रावत : एक निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : नो, नो ।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़ा होने पर) नहीं, नहीं, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

यातायात मंत्री जी ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-3-74 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की एक यात्री बस जो जोधपुर से जयपुर आ रही थी, प्रातः करीब 5 व 6 बजे के बीच जब महलां से एक मील पूर्व पहुंची तो कुछ पैदल जाती हुई साध्वियों के ऊपर से निकल गई, जिसके कारण साध्वी चन्द्र प्रभाजी व चारुशील जी घटनास्थल पर ही मर गई तथा साध्वी कल्पशिलाजी व मजदूर लल्लू के गंभीर चोटें आई । ये 5 साध्वी जिनके साथ मजदूर श्री गोविन्द राम व लल्लू ब्राह्मण थे, अपने लकड़ी के ठेले में सामान सहित दूदू की ओर जा रहे थे ।

उस रोज दुर्घटना की सूचना प्रातः 6 बजे पुलिस थाना दूदू पर प्राप्त हुई । जिस पर ए० एस० आई० तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया । उनके पहुंचने से पूर्व पुलिस थाना बगरू पर भी इसकी सूचना पहुंच चुकी थी । जिन्होंने घायल मजदूर लल्लू एवं साध्वी कल्पशिलाजी को जयपुर अस्पताल ट्रक से रवाना कर दिया । मजदूर लल्लू की रास्ते में मृत्यु हो गई तथा कल्पशिला जी को जयपुर एस० एम० एस० अस्पताल में भर्ती करवाया गया ।

ए० एस० आई० पुलिस थाना दूदू ने मौके पर पहुंच कर साध्वी प्रियदर्शना जी से मालूमात की जिससे पाया गया कि बस नं० आर० एस० एम० 8497 जिससे कि यह दुर्घटना घटी, को अब्दुल सत्तार ड्राईवर चला रहा था । जिन्होंने गलत साइड जाकर साध्वियों के टक्कर मारी । जिस पर अभियोग संख्या 26 दिनांक 14-3-74 धारा 304 ए, आई० पी० सी० पुलिस थाना दूदू पर पंजीबद्ध किया गया तथा बस ड्राइवर अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया गया ।

दुर्घटना के समय यात्री बस में बैठे हुए सर्व श्री रामसिंह सदस्य, विधान सभा, मनोहर सिंह, नगर दंडनायक, श्री नरपत सिंह भंडारी, उप-सचिव, आर० एस० ई० बी० एवं बनवारी लाल, प्राईवेट सेक्रेट्री खाद्य एवं कृषि मंत्री के भी बयान लिये गये । जिनके बयानात से पाया गया कि ड्राइवर को रास्ते में कई बार नींद का झोंका आया । जिसको यात्रियों ने सतर्कता से गाड़ी चलाने की कई बार चेतावनी दी परन्तु फिर भी इस स्थान पर पहुंचते पहुंचते यह दुर्घटना घट गई । अपराधी भी यह मानता है कि दुर्घटना उसकी नींद आ जाने के कारण हुई है । मुकद्दमे की अभी तफतीश जारी है ।

Page No 88

(88)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

अभियुक्त अभी तक ज्युडीशियल कस्टडी सांभर में है। अन्य यात्री जो बस में थे, उनकी तलाशी जारी है। जहां तक अन्य बस के द्वारा घायल व्यक्तियों को नहीं लाने का सवाल है, के बारे में जांच की जा रही है और इसकी सूचना अलग से प्रेषित की जायेगी।

एक्सीडेंट की बस के तुरन्त बाद बस नम्बर 3443 व 8482 घटना स्थल से गुजरी इन बसों के अन्दर अधिकतर यात्रियों को बैठाया जाकर जयपुर लाये गये व मृतकों को पुलिस की जांच से पूर्व घटना स्थल से हटाना सम्भव नहीं था। घायलों को नहीं लाने के लिए सम्बन्धित चालकों और परिचालकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हों यह देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट में रात्रि सेवाओं के वाहनों की गति सीमा उनमें लिए जाने वाले चालकों की योग्यता और ड्यूटी व समय आदि पर की गई विस्तृत सिफारिशों को निगम शीघ्र ही क्रियान्वित कर देगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य····

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समय दे रहा हूं। इस बीच में कुछ घोषणायें कर देना चाहता हूं।

वित्तीय समितियों के सभापतियों की नियुक्ति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 183 (1) के अन्तर्गत मैं श्रीमती प्रभा मिश्रा को जनलेखा समिति, 1974–75 का सभापति, श्री पूनमचन्द विश्नोई को प्राक्कलन समिति, 1974–75 का सभापति तथा श्री शंकरलाल (पाली) को राजकीय उपक्रम समिति, 1974–75 का सभापति नियुक्त करता हूं।

अध्यक्ष द्वारा नामजद की जाने वाली समितियां

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 245 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं:—

1. श्री गंगाराम चौधरी
2. श्री रणजीत सिंह
3. श्री शंकर लाल जाट
4. श्री जवाहरलाल
5. श्रीमती भगवती देवी
6. श्रीमती समुन्दर कंवर
7. श्री चिमन सिंह भाटी
8. श्री मोहम्मद उस्मान
9. श्री दीपंकर
10. श्री बनवारी लाल (धौलपुर)
11. श्री करण सिंह
12. श्री रामलाल बाड़ी
13. श्री हनुमान सहाय

प्रक्रिया के नियम 183 (1) के अन्तर्गत मैं श्री गंगाराम चौधरी को उक्त समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

नियम समिति

प्रक्रिया-तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 247 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित माननीय सदस्यों को नियम समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं:—

1. श्री नारायण सिंह मसूदा
2. श्री बी० एन० जोशी

Page No 89

(89)

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री माणक चन्द सोगानी
4. श्री सम्पतराम
5. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
6. श्री फूलचन्द जैन
7. श्री शांतिलाल कोठारी
8. श्री गिरधारी लाल व्यास
9. श्री पुखराज कालानी
10. श्री लक्ष्मण सिंह
11. प्रोफेसर केदार नाथ
12. श्री मो० गफ्फार अली
13. श्री झाबर मल सूंण्डा

इसके अध्यक्ष पदेन सभापति होंगे।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 239 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित माननीय सदस्यों को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के लिए सदस्य मनोनीत करता हूं:—

1. श्री निरंजन नाथ आचार्य
2. श्री शोभाराम
3. श्री मनोहर कोठारी
4. श्री भंवर सिंह
5. श्री राम रघुनाथ
6. श्री जय किशनलाल
7. श्री भीमराज
8. श्री किशन मोटवानी
9. श्री जगमोहनसिंह
10. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल
11. श्री राजेन्द्र भारतीय
12. श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री निरंजननाथ आचार्य सभापति होंगे।

गृह समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 249 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित माननीय सदस्यों को गृह समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं:—

1. श्री मोहरसिंह
2. श्री मनफूलराम
3. श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी
4. श्री भोपाल सिंह
5. श्री बीरबल
6. श्री सुखलाल सणेचा
7. श्री मालाराम
8. श्री गोरधंन सिंह
9. श्री विशम्भर दयाल बोहरा

श्री मोहरसिंह इसके सभापति होंगे।

याचिका समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 227 के अन्तर्गत मैं याचिका समिति के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों को समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं:—

1. श्री गुमानमल लोढा
2. श्री रामकुमार मीणा
3. श्री शिव नारायण
4. श्री देवी लाल मीणा
5. श्री जेठमल आर्य
6. श्री गोपीलाल
7. श्री चतुर्भुज
8. श्री जैसाराम
9. श्री भैरूलाल
10. श्री हाजी जान मोहम्मद
11. श्री रामेश्वर लाल चौधरी
12. श्री राजेन्द्रसिंह
13. श्री रामसिंह कुड़ी

इस समिति के अध्यक्ष श्री गुमानमल लोढा होंगे।

Page No 90

(90)

(श्री अध्यक्ष)

विशेषाधिकार समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 224 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं:—

1. श्री यशवन्तसिंह नाहर
2. श्री शीशराम ओला
3. श्री अब्दुल हादी
4. श्री कालूराम आर्य
5. श्री शंकरसिंह रावत
6. श्री हुकमसिंह
7. श्री नारायण सिंह (दांता)
8. श्री नानालाल
9. श्री गणेशलाल
10. श्री गोपाल सिंह
11. श्री विट्ठल भाई
12. श्री सुरेन्द्र शर्मा

प्रक्रिया के नियम 183 (1) के अन्तर्गत मैं श्री यशवन्तसिंह नाहर को उक्त समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

पुस्तकालय समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 253 के अन्तर्गत मैं निम्नांकित माननीय सदस्यों को पुस्तकालय समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं :—

1. श्री श्रीराम गोटेवाला
2. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा
3. श्री ललितसिंह
4. श्री हरिसिंह बेगूं
5. श्री मीठालाल

श्री श्रीराम गोटेवाला समिति के सभापति होंगे।

अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 253 (च) के अन्तर्गत मैं निम्नांकित माननीय सदस्यों को अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं :—

1. श्री भीखाभाई
2. श्री वृद्धिचन्द्र जैन
3. श्री रामचन्द्र रौत
4. श्री रामचन्द्र पटेल
5. श्री हरलाल मीणा
6. श्री भूराराम
7. श्री राम गोपाल मीणा
8. श्री लालाराम
9. श्री चेतराम
10. श्री रमेशचन्द्र सैनिक
11. श्री अलखाराम
12. श्री हरिकिशन
13. श्री रामेश्वर लाल (गुढा)

श्री भीखाभाई अध्यक्ष होंगे।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 253 (ग) के अन्तर्गत मैं निम्नांकित माननीय सदस्यों को अनुसूचित जाति कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं :—

1. श्री दिनेशराय डांगी
2. श्री रावतराम
3. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया
4. श्री भरतलाल
5. श्री विरदाराम
6. श्री सुन्दरलाल
7. श्रीमती जमना सोलंकी

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री जेठमल बरवड़
9. श्री भूरा (शाहपुरा)
10. श्री राम गोपाल सिसोदिया
11. श्री नत्थासिंह
12. श्री बेगाराम
13. श्री उम्मेदीलाल

श्री दिनेशराय डांगी इस समिति के सभापति होंगे ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय यातायात मंत्रीजी ने जो इस दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया····

(समय 2.36 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जो उन्होंने कार्यवाही की उसमें मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत ही भयंकर दुघटना थी जिसमें समाज को धार्मिक शिक्षा और उपदेश देने वाली साध्वीजी का प्राणान्त केवल बस चालक की गलती के कारण से हो गया । और एक मजदूर लल्लू लाल जो उनके साथ में था, वह भी उसमें चल बसा । माननीय मंत्री महोदय ने इसकी जांच करवा कर जो दूसरे भविष्य में दुर्घटनाएं रिकरेंस न हों उसके लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है वह भी संतोषजनक है । परन्तु एक बात मैं विशेषतौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह पहलू मानवीय है । और वह पहलू यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसी दुर्घटनाओं के अन्दर जो व्यक्ति अकारण ही मर जाता है, उनके दुर्भाग्यपूर्ण परिवार वालों को मुआवजा या कम्पन्सेशन के रूप में कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, यह हमको पता है और माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं, हवाई जहाज से कोई दुर्घटना में कोई व्यक्ति मारा जाय तो कम्पन्सेशन या मुआवजा एक लाख रुपया मिलता है । रेलवे के अन्दर इसी साल संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि रेल्वे दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति को पचास हजार या इसके लगभग मिलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मृत्यु-मृत्यु है और दुर्घटना दुर्घटना है । हवाई जहाज में जाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि बड़े तबके का हो, प्रभावशाली हो, सम्पन्न हो और बस में जाने वाला व्यक्ति या बस के नीचे कुचला जाने वाला व्यक्ति कुछ साधारण हो, उनमें किसी प्रकार का भेद हो लेकिन उन बच्चों ने क्या कसूर किया, लल्लूलाल के जिनका पिता मजूरी करने गया था और चल बसा । मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से आज इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत अधिक कार्यवाही है, लेकिन अगर वे एक्स-ग्रेशिया कोई घोषणा कर सकें इस सम्बन्ध के अन्दर तो उचित ही नहीं बल्कि इस भावना से, जिस भावना से उन्होंने वक्तव्य दिया है और जिस तत्परता से उन्होंने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही की है, उसके अनुकूल होगा । और इसके साथ में ही, इस दुर्घटना के अन्दर जितनी भी साध्वियां हैं, उनमें से एक का ट्रीटमेंन्ट हो रहा है, उस ट्रीटमेंट में पूरी सहायता दी जावे और सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करायी जावें । आर्थिक रूप से और अन्य रूप से यह भी आवश्यक है । मैं यह समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय यह विवाद तर्क देने या तकरीर करने का नहीं है । ऐसी कोई बात नहीं है । केवल राहत मात्र देने की आवश्यकता है । मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ के अन्दर माननीय मंत्री

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

महोदय सदन को अवगत कराऐंगे कि उनके ट्रीटमेंट के बारे में क्या सहायता दी जा रही है या दी जा सकती है। लल्लूलाल मजदूर मर गया, कुचल गया। बस रोंग साइड थी और उसको कुचला गया है। यह माननीय मंत्री महोदय ने; स्वयं ने अपनी इन्क्वायरी की फाइन्डिग्स में माना है। तो लल्लूलाल के परिवार को सहायता और दूसरी सुविधाएं देने का उचित प्रावधान किया जाना चाहिये और भविष्य में भी मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय कम से कम ऐसी आवश्यकता पैदा न करें कि बस एक्सीडेन्ट के मुकदमों कि वे ट्रिब्युनल के अन्दर जावे, क्लेम हो, लिटिगेशन हो और वे लम्बे समय तक चलें जहां डिपार्टमेन्ट यह प्राइमा फेसी मान ले कि दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है, ड्राईवर की गलती से मृत्यु हुई है, तो आपको चाहिये। कि परमानेन्ट तौर पर इसका एक शिड्यल बना कर रखें। ताकि लिटिगेशन कम हो। इससे मृत व्यक्तियों के परिवारों को सुविधा मिलेगी और मुकदमों का भी शीघ्रातिशीघ्र निपटारा होगा। इस हेतु ध्यान आकर्षित करता हुआ, भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो ऐसे कदम उठाने का सुझाव देता हूं और यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि रात्रि में जो बस चलें उनमें दो ड्राईवरों को रखा जाये। इससे दुर्घटनाएं कम होगी। आशा है आप इस पर विचार करेंगे और कम्पनसेशन के बारे में एक्स-ग्रेशिया या जो सहायता हो सकती है; उसके बारे में घोषणा करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

केवल तीन माननीय सदस्य हैं। श्री गुमान मल जी, श्री अजीतसिंह जी और एक अन्य सदस्य, तीन हैं। आपका नाम नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने भी लिख कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि इसके मानवीय पक्ष पर भी विचार हो। जो दुर्घटना हुई है वह दुखद घटना है। इस दुर्घटना के दिन ही 15 तारीख को एक कमेटी मुकर्रर कर दी गयी थी और उस कमेटी की सिफारिश भी आ गई है। उसमें सारी की सारी व्यवस्था कैसे होनी चाहिये, सुझाव हैं। उस रिपोर्ट को मान लिया गया है। वैसे राजस्थान में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा दुर्घटनाएं बहुत कम हमारे यहां पर घटती हैं। समय की कमी है इसलिये इसके विस्तृत ब्यौरे पर मैं नहीं जाना चाहूंगा।

कम्पनसेशन का जहां तक सवाल है माननीय गुमानमल जी लोढ़ा स्वयं वकील हैं। इसके बारे में काफी रोक है कठिनाई है। फिर जो लल्लूलाल इस दुर्घटना में मृतक है उसके लिये 5 हजार रुपया एक्स-ग्रेशिया कम्पनसेशन का अनाउन्स करता हूं। फ्री मेडिकल ऐड भी दी जायेगी। इस बारे में आगे क्या नीति होगी, चूंकि कानून काफी उलझा हुआ है, तो भी हम इसकी एक नीति बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी दुर्घटना घटी है उसके प्रति मानवीय सहानुभूति है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा–खाद्य समस्या

श्री उपाध्यक्ष : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा।

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री रामकिशन : पहले खाद्य मंत्री महोदय का वक्तव्य होगा । खाद्य मंत्री महोदय स्टेटमेंट दें फिर इस पर बहस होगी । सभी पार्टीज को समय दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खाद्य मंत्री जी ।

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीगण सदन से इस तरह से भाग जाते हैं जिस प्रकार कि प्राथमिक शाला के छात्र भाग जाते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जवाब देने के लिये भाग कर आ रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : माननीय सदस्य शायद अच्छी शाला में मास्टर रहे हैं ।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी ने दिनांक 28 मार्च, 1974 को संसद् में आने वाली 1974-75 की रबी सीजन के लिये गेहूं की खरीद और बिक्री की दरों के बारे में घोषणा की थी ।

इसके पहले दिनांक 16 मार्च, 1974 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों से दिल्ली में विचार विमर्श किया गया । इस विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि आने वाली रबी सीजन में गेहूं की खरीद सार्वजनिक ऐजेन्सियों के द्वारा करने का प्रबन्ध जारी रखा जावें । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सहकारी थोक व्यापारियों को भी बाजार से माल खरीदने की इजाजत दी जावे । इस नीति के अनुसार ऐसे थोक व्यापारी एक निश्चित् लाइसेन्स की प्रणाली के अन्तर्गत काम करेंगे ।

प्रत्येक प्रान्त पूर्व की भांति अलग अलग गेहूं का जोन माना जायेगा और इस प्रणाली से एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में गेहूं बिना राजकीय अनुआज्ञा के नहीं भेजा जा सकेगा । यह भी निर्णय लिया गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में ऐसे सब व्यक्तिगत एवं सहकारी थोक व्यापारियों से 50 प्रतिशत गेहूं की लेवी उनकी प्रतिदिन की खरीद में से वसूल की जावे । यह माल सरकार 105) रुपये प्रति क्विन्टल की निश्चित् दर से जो कि फेयेर एवरेज क्वालिटी गेहूं के लिये होगी, से वसूल करेगी । गेहूं की इस प्रकार वसूली देने के पश्चात् ऐसे व्यापारियों को छूट होगी कि वे बाकी 50 प्रतिशत माल संबंधित राज्य के अन्दर कहीं भी बेच सकेंगे । यदि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाना चाहेंगे तो उन्हें सक्षम अधिकारियों से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी । इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार रबी सीजन 1974-75 में हर किस्म का गेहूं 105/-रुपये प्रति क्विन्टल की दर कृषकों से फेयर एवरेज क्वालिटी के आधार पर खरीदेगी ।

देश की खाद्य नीति एकरूपता बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती है । और इस प्रकार की नीति निर्धारण के पूर्व भारत सरकार सभी राज्यों से विस्तृत विचार विमर्श करती है । राष्ट्रीय खाद्य नीति के निश्चित होने के पश्चात् यह प्रत्येक प्रान्त की जिम्मेदारी होती है कि वह उसी के अनुसार अपने क्षेत्र में कार्य करे । भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित उक्त नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस प्रान्त के लिये आने वाली रबी सीजन की नीति का निर्धारण किया है । अतः अब राजस्थान के अन्दर सभी लाइसेन्सशुदा व्यापारियों पर उनकी प्रतिदिन की खरीद पर 50 प्रतिशत लेवी ली जायेगी । यह लेवी प्रान्त के प्रत्येक

(श्री शिवचरण माथुर)

जिले पर लागू होगी तथा राज्य की सभी मंडियों, सब यार्डस् तथा अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर अनाज के खरीद की व्यवस्था की जायगी। साथ ही प्रबन्ध किया जायेगा कि सभी आमद वाली मंडियों से राज्य सरकार की मनोनीत ऐजेन्सियां कृषकों से भी सीधे 105।- रुपये प्रति क्विन्टल की दर से गेहूं खरीदने का इन्तजाम रखें जिससे कि असामाजिक तत्व गेहूं की दर 105/- रुपये प्रति क्वीन्टल की दर से कम कृषकों को नहीं दे। सदा की भांति लेवी की वसूली एवं खुले बाजार से खरीद के लिये अधिकाधिक सहकारी समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

उपरोक्त नीति की क्रियान्विति के लिये यह आवश्यक होगा कि राजस्थान व्हीट रेगूलेशन आफ ट्रेड आर्डर, 1973 में कुछ परिवर्तन किये जायें जिससे कि लाइसेन्सशुदा व्यक्ति, व्यापारी तथा सहकारी समितियां गेहूं का थोक धन्धा कर सके। इस नीति के क्रियान्वयन में समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली गलत कार्यवाही के खिलाफ आवश्यक सतर्कता बरतने की दृष्टि से राज्य सरकार अपनी प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी और ऐसे कदम उठायेगी जिससे कि राज्य के बाहर गेहूं की तस्करी नहीं हो सके। इस नीति को सफलतापूर्वक चलाने के लिये प्रत्येक स्तर पर जनता का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार राज्यस्तर पर, जिलास्तर एवं मंडीस्तर पर वर्तमान में गठित समितियों को सुदृढ़ करेगी तथा आवश्यकतानुसार नई समितियां बनायेगी। इन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जायेगा जो कृषकों, व्यापारियों, सहकारी समितियों तथा उपभोक्ताओं आदि का प्रतिनिधित्व करते हों। यह समितियां समय समय पर बैठकें करेंगी और इस बात का ध्यान रखेंगी कि इस नीति के अनुसार कार्यवाही हो। इन समितियों का यह भी दायित्व होगा कि वह इस योजना में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु अपने सुझाव दें।

मैं उक्त संदर्भ में यह कहना आवश्यक समझता हूं कि वर्तमान नीति के निर्धारण के पीछे मूलतः भावना जनता को अनाज की उपलब्धि ठीक दामों पर कराना है। राज्य सरकार की यह मान्यता है कि पूर्व में घोषित अनाज के व्यापार को हाथ में लेने की नीति सही है और आवश्यकता के अनुसार इन नीतियों में समयानुकूल परिवर्तन करना अपनी नीतियों से पीछे जाना नहीं माना जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आत्मसन्तोष की बात है।

श्री शिवचरण माथुर : आप सुन लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आई डोन्ट थिंक मनिस्टर एग्रीज विद दिस।

श्री शिवचरण माथुर : राज्य सरकार का सदव यह प्रयत्न रहेगा कि वह इस नीति की सफलता के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का मुकाबला करे तथा ऐसे लोगों के प्रति सतर्कता बरते जो स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर जनता का शोषण करने का प्रयत्न करते हैं।

व्यापारियों को थोक व्यापार में पुनः लेने के लिए जो एक अवसर फिर से दिया गया है उसके साथ ही उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार की नीति के अनुसार सही एवं ठीक ढंग से काम करें और उपभोक्ताओं को

(श्री शिवचरण माथुर)

राहत दें । यदि व्यापारियों ने सरकार को उचित रूप से सहयोग नहीं दिया तो राज्य सरकार का यह स्पष्ट मत है कि वह गेहूं का थोक व्यापार पुनः अपने हाथ में लेने में नहीं हिचकिचायेगी ।

श्री मीठालाल : ले लो ।

श्री शिवचरण माथुर : राज्य सरकार की यह नीति विभिन्न दृष्टिकोणों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है । उसकी यह मान्यता है कि खाद्य नीति के क्रियान्विति के लिए राज्य के सभी लोगों, राजनैतिक दल आदि से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे राज्य सरकार की उपरोक्त खाद्य नीति को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दें ।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था की है कि इस बहस के लिए ढाई घंटे का समय निर्धारित किया है । सरकारी पक्ष के लिए सवा घंटा और विरोधी पक्ष के लिए सवा घंटा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप अपने भाषण को समय-सीमा के अन्दर रखें ।

श्री मीठालाल : इसमें उपाध्यक्ष महोदय, अलग अलग पार्टीज का भी कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 20-20 मिनिट की व्यवस्था पहले दी जा चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की घोषणा के बाद से लगातार इस बात का प्रयास करती रही कि विधान सभा का सत्र समाप्त हुए तो ऐसी परिस्थिति न बने कि उनको किसी प्रकार से यहां पर खाद्य नीति का विवेचन करना पड़े । उनको इसके अन्दर मजबूरी और झेंप हुई जो कि अस्वभाविक भी नहीं है । आमूलचूल परिवर्तन की बात कहने वाले माननीय मंत्रीजी और प्रगतिशीलता और राष्ट्रीयकरण के बाजे बजाने वाली केन्द्रीय सरकार जब थोक व्यापारियों के सामने दिल्ली में चारों खाने चित्त होगई, और उन्होंने वहां पर आल इंडिया होलसेल ट्रेडर्स या फेडरेशन या जो भी उनकी जमात थी उसके साथ में नेगोसियेशन्स करके जिस समय रिट्रीट करने का निर्णय लिया यह स्पष्ट होगया कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार न तो उपभोक्ता के, न कृषक या काश्तकार के या धान पैदा करने वाले कृषक के और न राज्य सरकार की आम नीतियां को विचार करके कोई निर्णय लेती है। इस निर्णय के साथ में लगी हुई केन्द्र के अन्दर एक बहुत बड़ी सौदेबाजी है जो केन्द्रीय सरकार से थोक व्यापारियों के साथ में की और जिसमें उपभोक्ताओं और सारे नागरिकों की उपेक्षा की गई । उसको राहत देने की जगह के ऊपर धान की कीमत को बढ़ा करके उसके ऊपर इस कमरतोड़ महंगाई के सम्बन्ध में आघात किया । मैं इसलिए यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने वही शब्द दोहराये जो केन्द्र के मंत्री ने ....

एक माननीय सदस्य : शिक्षा नहीं खाद्य मंत्री ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप शिक्षा मंत्री बता रहे हैं । आप भी चारों खाने चित्त नहीं हैं क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको पता नहीं है कि वह शिक्षित हैं आप भले ही उनको अशिक्षित कहें। वह शिक्षा मंत्री रह चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भूल से वह कह गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय गोटेवाला।

श्री रामकिशन : अब वह गोटेवाले नहीं हैं जवाहरात वाले हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हाण्डा साहब तो मुझे लंगोटेवाला कहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं और वर्तमान भोजन मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आपने वही शब्द जो केन्द्र के माननीय मंत्रीजी ने कहे दोहरा दिये हैं कि हम पीछे नहीं हटे हैं। हम आगे बढ़े हैं। हमारी मूल नीति से नहीं डिगे हैं, उस पर कायम हैं। मोर्चे टूटते जा रहे हैं, सैनिक हताश हो रहे हैं, सारे का सारा सामान समाप्त हो रहा है और फिर भी वह कह रहे हैं। फौजें कट गई हैं, समान समाप्त हो गया है, सारे भू-भाग पर कब्जा हो गया है, लेकिन मोर्चे पर हम कायम हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पुरानी नीतियों पर फिर वापिस कायम हैं। इस तरह से हम पिछली लड़ाई में सुनते आ रहे थे। मैं उनको दाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने कम से कम हिम्मत तो की, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शर्म की बात नहीं होना चाहिए यदि जनतंत्र के युग के अन्दर कोई यह कह दे कि बहादुरी के साथ में पीछे हटते जा रहे हैं जिसकी कहानियां हमें पिछले युद्ध की मालूम हैं। लेकिन हमारे मंत्रीजी कायरता के साथ पीछे हटे हैं। थोक व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं के लिए कोई कार्यवाही करते तो समझ में आता। उपभोक्ताओं के लिए, काश्तकारों को यदि किसी प्रकार की राहत देने की कार्यवाही वह करते तो वह समझ में आता। जन-कल्याणकारी कदम उठाया और कदम उठाने में....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप भी लड़खड़ा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो गेहूं 90 रुपये क्विन्टल में डाइरेक्ट मिलता था वह 90 रु० से 95 हुआ, 100 हुआ। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अन्दर आज इस नई नीति के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, 125 रुपये और 130 रुपये क्विन्टल तक देने की बात कही है। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उपभोक्ताओं को और सारे नागरिकों को इस बात से क्या राहत हुई और कहां राहत मिली। उन्होंने घोषणा कर दी कि थोक व्यापारियों से लेवी ले लेंगे 50 पर्सेन्ट और 105 रुपये के अन्दर हम लेंगे उनसे और हम अपेक्षा करते हैं कि 150 रुपये से ऊपर नहीं जायगा। यह उनकी आकांक्षा और अपेक्षा है, लेकिन कानूनी आधार क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, अगर 110 रुपये में दे जायेंगे तो ओपन बाजार में धान किस भाव बिकेगा। आज मार्केट के अन्दर गेहूं जोधपुर में 160 और 170 रुपये बिक रहा है। आपने नई नीति जो निर्धारित की है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके कारण यह और भावना फैल गई है कि राज्य सरकार जो पहले चल रही थी उसको छोड़ रही है। मंत्री महोदय ने एक बात छिपाई हैं बड़ी तरकीब के साथ में, होशियारी के साथ में जिसको आज सदन के प्रागण में कहने की हिम्मत या हिमाकत नहीं कर सके हैं कि इस नीति में सबसे बड़ी जो चीज की गई है कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अन्दर आज जितनी दुकानें हैं, जिस क्वान्टिटी में धान दिया जा रहा है, जहां से दिया जा रहा है, जो सिस्टम आज लागू है, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सदन के इस सत्र के समाप्त होने के बाद में केन्द्र की घोषित नीति के अनुसार उन दुकानों का नम्बर नहीं बढ़ा करके 3 किलो धान के बजाय 8 किलो और 6 किलो कर दें, और संदेह इस बात का है। माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में इस बात की घोषणा कर दें कि 8 किलो या 10 किलो धान पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में, वितरण में रखना चाहते हैं और आज जितनी दुकानें हैं उनका नम्बर इतना बढ़ जायगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भ्रम दूर हो जायगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने जो घोषणा की है उसके अनुसार पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में दुकानें आगे बढ़ाने की बात छोड़ दी और जितना नम्बर आज है उसको इन्क्रीज नहीं करेंगे तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री शिवचरण माथुर : हो गया साहब कोरम।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आनेवालों को बैठ जाने दीजिये। (विराम) अब शुरू कीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सस्ते अनाज की दुकानें करीब दो लाख हैं। थोक व्यापारियों के 50% धान देने के बाद में बाजार में किसी भी भाव में यह बेचें। इसकी उनको छूट दे दी है। गेहूं 91 और 125 रु०। ये तीन बातें मिली हैं। जो विनाशकारी नीति के रूप में केन्द्रीय सरकार के सामने आई हैं, जिनको राज्य सरकार भी लागू करने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता को सस्ता धान मिले। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि धान पैदा करने वाले काश्तकार को अपने धान की उचित कीमत मिले। उनको यूरिया खाद, डीजल, क्रूड ऑयल समय पर उचित कीमत में मिले। ये मूल बातें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सारा सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए। उपभोक्ता को सही कीमत में धान मिल जाये। किसान को अपनी उपज का मुआवजा मिल जाये। हालांकि, उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों बातें जन-कल्याणकारी हैं। इस राज्य के अन्दर उनको तिलांजलि दे दी गई है। इस नीति से न तो उपभोक्ता को सस्ता धान मिलेगा और न काश्तकार को उचित मूल्य मिलेगा। मैं निवेदन करूं कि जैसी कि आपकी पहले नीति थी जिसको कि आपने हेण्ड्सअप कर दिया है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि केन्द्र से हो गया है।

श्री दीपंकर : आप इसको पहले ही नहीं होने देना चाहते थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कोई अव्यवहारिक नीति बनायेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, केवल नारेबाजी से कोई नीति सफल नहीं हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि धरती स्वर्ग बन जाये पर हो नहीं सकती है। इसलिए राष्ट्रीयकरण की नीति बनाना बिना किसी स्टाक के यह सम्भव नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी, 1973 को

Page No 98

(98)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कानपुर में भारतीय जनसंघ ने इस बारे में चेतावनी दी थी। उसके बाद 21 अप्रैल 73 को बम्बई में भी कहा है, फिर 16 जुलाई को कहा है कि सरकार न जो नीति बनाई है वह रचनात्मक नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने यह नीति त्याग करने का कबूल किया है, यह अव्यवहारिक नीति थी। लेकिन इसमें व्यापारियों के हाथ में खुलकर उनको छूट दी है। वह चाहे जैसे करें। 50% लेवी उनको देनी पड़ेगी। उन्होंने स्थिति को और खराब कर दिया है। मैं निवेदन करूं कि हमारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ने घोटाले किये हैं। हमारी सरकार ने सैकड़ों रूल्स और अमेण्डमेण्ट्स निकाले लेवी के लिए, प्रोक्योरमेन्ट के लिए लेकिन उनको आगे बढ़ाते रहे, और यहां का सारा का सारा अनाज निकल गया। मेरा यह कहना है कि धान के बारे में जो नीति राष्ट्रीयकरण की केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत की है, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, यह तो मैं कहूंगा कि उन्होंने स्वीकार कर ली है। लेकिन उन्होंने जो रास्ते निकाले हैं या जो साधन हैं, ऐसी मेरी मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज खेती के लिये किसानों को खाद, डीजल, क्रूड आॅयल, उचित मात्रा में मिल जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैंने बार बार निवेदन किया है, बार बार कहा है। 105 रु० में लेने की जो बात कही है वह 105 रु० में यह बन नहीं सकता है, क्योंकि किसान को खेती के लिए, खाद के लिए, क्रूड आॅयल के लिए, डीजल के लिए पैसा देना पड़ता है। यह 105 रु० में मुहैया होगा नहीं। काश्तकार अपना पेट काट कर धान मुहैय्या नहीं कर सकता है। अब उन्होंने 86 रु० में कहा था उस समय हमने 105 रु० कहा था। उसके बाद में प्राइस इन्डेक्स और बढ़ा। अब इन्होंने 105 रु० स्वीकार किया है, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। 120 रु० के करीब मिलना चाहिए। तो मेरा निवेदन है. . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप 120 रु० में लो और उपभोक्ता को 100 रु० में दो। यह जेब से लगता है, उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन मैंने कहा है कि गरीब तबके के लोगों को देने के लिए यह सब्सीडाइज करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम योजना बना सकते हैं तो उनको सब्सीडाइज करके धान कम कीमत पर मुहैया करना होगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। जो आराम से आपके इस राज्य में लिये जा सकते हैं। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी नीति यह है कि हम किनारे खड़े हो जायेंगे। हमने खुला कर दिया है, मुहैया नहीं करा सकते हैं। 10 किलो की मांग करते हैं तो कहेंगे कि दूकान पर जाओ हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। कोई भी गुड गवर्नमेन्ट, गवर्नमेन्ट आॅफ दी पीपल ऐसा नहीं कर सकती है। राज्य सरकार को मेरा यह कहना है कि 60% से ज्यादा गरीब लोग हैं, कम इनकम के लोग हैं। उनको सस्ती कीमत में देने का प्रावधान होगा। और 125 रुपये भाव बढ़ा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 105, 125, 130 – इसमें 25 रुपये खाद्य निगम का खर्चा है, यह मुनाफाखोरी के कारण है, भ्रष्टाचार के कारण से है। खाद्य व्यापारियों का एक डेपुटेशन आया था, और एक एडजोर्नमेंट

Page No 99

(९९)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मोशन भी आया था, जिसमें यह बताया था कि 80 रुपये प्रति क्विन्टल देते हैं, राशन विक्रेता को 80 पैसे, प्रति क्विन्टल कमीशन के रूप में देते हैं। यह बहुत कम है। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि कमीशन तीन रुपये कर दिया जाय, चार रुपये कर दिया जाय एक व्यापारी को एक क्विन्टल धान को बेचने के लिए। तीन चार रुपये की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह भी अपर्याप्त है, जब कि खाद्य निगम एक क्विन्टल पर 25 रुपये कमीशन लेता है जिसको वह प्रशासनिक व्यय कहता है, वह एक क्विन्टल पर 25 रुपये आता है। यह केवल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की कार्य-कुशलता की कमी के कारण है, प्रशासन के अन्दर भ्रष्टाचार के कारण है। और मैं आपको कहूंगा कि योजना की कमी के कारण है। एक प्रकार से खाद्य निगम के ऊपर जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसका जिस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए उसके न होने के कारण से लगता है.....

श्री **उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह 25 रुपये प्रति क्विन्टल उपभोक्ता को देने पड़ते हैं। यह अनावश्यक है। खाद्य निगम जो है, मैं समझता हूं कि केन्द्र से यह खाद्य निगम का काम प्रदेश को दे देना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि प्रदेश खाद्य निगम का प्रशासन चलाये, उसमें इकोनोमी करे, और 25 रुपये एक क्विन्टल पर जो खर्चा लगता है, इसको कम करके पांच रुपये प्रति क्विन्टल पर लाये।

मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकरण असफल हुआ है। राष्ट्रीयकरण सफल हो भी नहीं सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का मिला जुला शासन है, बंगाल में सी० पी० आई० और सी० पी० एम० ने मिल कर शासन किया, वहां सी०पी० आई० के सपोर्ट से शासन किया, लेकिन चावल का राष्ट्रीयकरण वहां नहीं किया। मेरा निवेदन है कि जब तक एडीक्वेट मात्रा में धान नहीं मिल सके तब तक केवल नारा लगाने से काम चल नहीं सकता है। लेकिन हमारे ऊपर, राजस्थान के ऊपर, अन्य प्रदेशों के ऊपर केन्द्र ने जबर्दस्ती यह राष्ट्रीयकरण थोप दिया, और वह विफल हो गया। मेरा निवेदन है, अब जो नीति केन्द्रीय सरकार ने हमारे सामने रखी है, उससे उपभोक्ता पर वजन बढ़ा है, कृषकों के साथ में विश्वासघात किया गया है, कृषकों को पूरी कीमत नहीं दी गई है। इसलिए इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री **उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ...सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। मैं संक्षेप में खत्म कर दूंगा। खाद्य का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, होना यह चाहिए कि खाद्य पर पूरी डिबेट की जाय।

श्री दीपंकर : अन्त में यह कह दीजिये कि आपके दल ने फेल किया है इस राष्ट्रीय-करण नीति को।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कांग्रेस के काले कारनामों से राष्ट्रीयकरण की नीति विफल हो गई, और

Page No 100

(100)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कांग्रेस के लोगों ने जानते हुए भी इस नीति को अपनाया, जो सफल होने वाली नहीं थी····

श्री दीपंकर : नहीं, सोच समझ कर ठीक तरीके से अपनाई ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : "अब उसकी विरोधी पक्ष पर जिम्मेदारी डालें, तो मैं समझता हूं, इससे बढ़ कर और गैर जिम्मेदारी की बात हो नहीं सकती है। मैं जानना चाहता हूं, कहां विरोधी दल आड़े आया, कहां विरोधी पक्ष ने रुकावट डाली आपकी नीति के अन्दर ? आपने प्रोक्योरमेंट करने के अन्दर साथ दिया नहीं····

श्री दीपंकर : कांग्रेस के एम० एल० एज० ने साथ दिया है। कुलक वर्ग ने आन्दोलन करवाया ।

श्री गुमानमल लोढ़ा आपका खुद का कहना है कि कुलक लॉबी है । आपकी नाक के नीचे जो काश्तकार हैं, वह प्रोक्योरमेंट में फूड ग्रेन देते नहीं हैं । माननीय मंत्री कुलक लॉबी से क्या बंधे हुए थे ? मुख्य मंत्री ने चुनाव के समय कहा कि फूड ग्रेन के राष्ट्रीयकरण को प्रदेश के अन्दर कुलक लॉबी विफल कर रही है । यह कुलक लॉबी कहां है ? किसमें है ? यह कांग्रेस में है या दूसरी पार्टी में है ? हमारे दल में गैर काश्तकार हैं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके यहां तो आप जैसे गरीब लोग हैं ।

श्री दीपंकर : आपके दल में तो बड़े बड़े अनबान हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप स्वयं देखें, यह उनका एलीगेशन है या यह उनका कन्फेशन है । यह कांग्रेस की नीति विफल हुई, इसलिए कि मैं मानता हूं कि यह बात इम्प्रेक्टिकेबल थी । अगर प्रेक्टिकेबल थी तो अब क्यों रिट्रीट करते हैं ? अब कहते हैं कि कुलक लॉबी के कारण से यह नीति विफल हुई । मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह झूठी बातें जनता को क्यों कहते हैं ? प्रधान मंत्री ने अभी कहा कि अगली साल के लिए धान पर्याप्त है । यह भी झूठा नारा लगाया है, जब कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें लिखा है, भारतवर्ष की जनता अगली साल पूरा धान उत्पादन न होने के कारण मुश्किल से गुजार पायेगी । लेकिन हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं, वर्स्ट डेज हेव गोन । देअर विल बी प्लेन्टी आफ फूड-ग्रेन नाउ । लेकिन शिवचरण जी को खड़े होकर लोग कहते हैं कि धान अधिक दो, तो वह कहते हैं कि धान नहीं है । मैं नहीं दे सकता हूं तीन किलो से अधिक । तीन किलो से अधिक गवर्नमेन्ट नहीं दे सकती । अब दीपंकर जी बतायें कि खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार नहीं देती है या जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के गोदामों में अनाज छिपाया हुआ है····

श्री दीपंकर : हम लोगों को बहकाने का धन्धा नहीं करते हैं । आप करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अपने पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपनी गलती को स्वीकार न करके, अपनी विफलता को स्वीकार न करके विरोधी पक्ष के ऊपर दोषारोपण करते हैं । चाहिए तो यह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

था, प्रधान मंत्री स्वयं कहती, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ब्लन्डर किया है। गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी, धान पूरा उपलब्ध नहीं था, बफर स्टाक नहीं था, बाहर से अनाज ला नहीं सकते थे। अब आप रूस से अनाज मंगायेंगे, बहुत अच्छा है। जो चीज रूस अमेरिका से मंगाता है, रूस से आप यहां पर मंगायें। वहां भी अनाज मंहगा हो गया है। इस प्रकार आपकी नीति प्रेक्टिकेबल नहीं है। आप दोष किसको देते हैं? आपको मास मेन्डेट मिला है, आप यह घोषणा करते हैं। ठीक है, मिला है, लेकिन कैसे मिला है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। आप प्रोक्योरमेंट में इन्टरफियरेंस की बात करके, उसकी आड़ लेकर आपने मुंह को छिपा लें, कोई बात नहीं, आप विरोधी पक्ष पर डालें, प्रोक्योरमेंट की बात, तो आप सुन लें, मुख्य मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी सुन लें, इसके जो कारण हैं वह आज दीवार पर लिखे हुए हैं। जो सही बात है उससे आप आंख मूंद लें, शुतुर्मुग की तरह मुंह छिपा लें, ऊपर देखें नहीं, नीचे देखते रहें। फिर गुजरात में जो घटना हुई, उड़ीसा में जो घटना हुई, बिहार में जो घटना हुई, उसके लिए जयप्रकाश नारायण पर दोष डालते रहें, प्रधान मंत्री उन पर कितना ही आक्षेप लगाती रहें, कुछ भी कहती रहें, लेकिन गुजरात के मंत्रिमण्डल को परास्त होना पड़ा, बिहार के मंत्रिमण्डल को इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति है आस पास....

श्री श्रीराम गोटेवाला : ग्रोन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर! आपकी बहस अनाज के बारे में सीमित रहनी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज के दिन ऐसी ही स्थिति बनेगी राजस्थान में, जो बिहार में बनी, गुजरात में बनी। आप मास मेन्डेट लेकर आये हैं तो इस डेमोक्रेटिक सैट अप में आपकी रेस्पान्सिबिलिटी है कि पूरा-पूरा धान मुहैया करें, और सस्ती कीमत पर करें....

श्री दीपंकर : प्रतिक्रियावादी लोग हैं, यह कई प्रकार की गड़बड़ी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से पहले भी निवेदन किया, एक मिनिट, इस तरह बीच में व्यवधान न डालें। मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप सीट पर बैठे बैठे कहते हैं, यह नियमों के विपरीत नी है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह प्रिविलेज है, यह समझते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच बीच में बोलते हैं, कई बार मैं कह चुका हूं, मैं फिर नम्र निवेदन करूंगा, कम से कम इसमें सुधार करें। आप इससे इस सदन की परम्पराओं को धीरे धीरे पनपाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं – यह मैं समझ नहीं सकता। मेरा हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है, मैं समझता हूं, इस पर आप गौर करेंगे और पूरी तरह से अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे।

श्री दीपंकर : मैं आसन की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। लेकिन माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण कराने का और बीच में बोलने का अधिकार है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप सुन लीजिये। आपकी विफलता के लिए विरोधी पक्ष

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
जिम्मेदारी नहीं है । आपकी अव्यवहारिक नीति थी, और अदूरदर्शिता के कारण आप उसको पूरा नहीं कर सके, तो आपकी जिम्मेदारी है । आप में साहस है, आपमें हिम्मत है तो आपको खड़े होकर कहना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है । हमने एक एक्सपेरीमेंट किया था, वह विफल हो गया । बच्चा भी धीमे-धीमे लड़खड़ाता है गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है । लेकिन आपमें हिम्मत नहीं है, आपमें ताकत नहीं है । आप चाहते हैं कि जनता के सामने कह दें, सबकी विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी है । धान के राष्ट्रीयकरण की नीति फेल हो गई तो विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी है, बरसात नहीं आई तो विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी है, बाढ़ आ गई तो विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी है । इस प्रकार जनता को बरगलाने की बात, जो जिम्मेदार सदस्य यहां बैठे हैं, वह कहते हैं । मैं कह सकता हूं कि यह बचकानी हरकत है, यह आपके लिए शोभा की बात नहीं है. . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो नीति राष्ट्रीयकरण की थी उन्होंने छोड़ दी, जहां तक सैद्धान्तिक रूप से छोड़ी, मैं समझता हूं कि उन्होंने ठीक किया । लेकिन इसके बाद में जो उन्होंने आज नीति अपनाई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कारण नहीं कि कोई यह कहे, या तो राष्ट्रीय हो, या राष्ट्रीयकरण नहीं हो, दोनों में से एक हो सकता है । यह न तरीका है और न तर्क है, न युक्ति है । नीति यह होनी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, जिससे उपभोक्ता को सस्ता नाज मिले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आजादी के 25 वर्ष के बाद भी आपने गरीबों के लिए, फिक्स्ड इन्कम ग्रुप्स के लिए कुछ नहीं किया । जोधपुर रियासत के दिनों में महाराजा के दिनों में रेलवे कर्मचारियों को, फिक्स्ड इन्कम ग्रुप्स को फेयर प्राइस शॉप्स पर हर चीज सस्ती मिलती थी । उस जमाने में कोआपरेटिव स्टोर्स थे । इसी प्रकार आप भी फिक्स्ड इन्कम ग्रुप्स जैसे सरकारी कर्मचारी हैं उनको आवश्यक वस्तुएं मुहैया कर, सब्सीडाइज किया जाए । तो धान और भोजन सबसे अधिक प्रमुख है । लेकिन आप सब्सीडी नहीं देते और खाद्य निगम जैसे भ्रष्टाचारी महकमे को प्रति क्विंटल 28 या 30 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज देकर बाजार में धान बेचते हैं । जयपुर में जो धान बिक रहा है उसका नमूना गिरधारीलाल जी लाए हैं, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हमेशा प्रस्तुत करते रहते है । आपने कीमत तय कर दी कि हम थोक व्यापारी से 105/- में लेंगे, वर्स्ट से वर्स्ट क्वालिटी आपको मिलेगी । होलसेलर राज्य सरकार को 105/- में जो 50 पर्सेंट देगा, वह बहुत बुरी क्वालिटी देगा, अच्छी क्वालिटी आपने नहीं रखी । आपके पास कानन है। आप नियंत्रण कर सकते हैं। राष्ट्रीयकरण की नीति के विफल होने से पहले राज्य सरकार डी० आई० आर० व एसेन्शियल कॉमोडिटीज एक्ट के नीचे कीमत निश्चित कर सकती थी, आज भी कर सकती है व्यापारी से कह सकती है कि आपको यह धान 110-115 रु० में बेचना पड़ेगा । सरकार के पास पॉवर्स हैं, आप रेग्यूलेट कर सकते हैं और करना चाहिये और फिक्स्ड इन्कम ग्रुप्स को सब्सीडाइज करें

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं उनको सबसीडाइज करें। जो पहले कीमत थी अधिक से अधिक

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

....100 रुपये क्विंटल में धान मुहैया कराना चाहिए एक व्यक्ति को 10 किलो न कि तीन किलो। यह कर्त्तव्य राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए नहीं तो असंतोष बढ़ेगा और धान के साथ जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कोयला, तेल, वनस्पति, घासलेट उनको मुहैया कराना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। मुझे दुःख है कि खाद्य मंत्री ने केवल गेहूं कि बात कह कर सारी बातों को छोड़ दिया। आवश्यकता इस बात की थी कि जनता को बताते, आज सत्र समाप्त हो रहा है, कि आने वाले समय में एक व्यक्ति को कितना घासलेट मिलेगा। आज एक महीने में एक लिटर भी नहीं मिलता। इस कारण से विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती, मकानों में चिराग नहीं जलते, लोग परेशान हैं। हमने पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन आप उस समय समझ नहीं सके। आप जिद्द पर थे। अब बात समझ में आई लेकिन फिर जो दूसरी गलती है, इट इज वर्स्ट एण्ड यू आर इन कॉलेबोरेशन विथ बिग बिजनेसमैन, विथ दी होलसेलर्स। मेरा स्पष्ट आरोप है कि आप बड़े व्यापारियों के साथ में षड्यंत्र करके, उनके हाथ में हाथ मिलाकर, उपभोक्ता का शोषण करना चाहते हैं, किसानों का शोषण करना चाहते हैं जिसका हर स्तर पर विरोध किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम किशन।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्षजी, जब गेहूं के थोक व्यापार को सरकार के हाथ में लिए जाने का एलान किया गया था उस वक्त हमने इसका स्वागत किया था। उस वक्त राज्य सरकार के सामने हमने कुछ सुझाव भी रखे थे, और हमें अफसोस है कि उन सुझावों पर राज्य सरकार ने कोई गौर नहीं किया और खाली नीति का एलान करके संतुष्ट हो गई। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस नीति का सरकार ने एलान किया था उस नीति से आप हट गए और इस तरह जनता के साथ धोखा किया। मेरी मान्यता यह है कि उस वक्त तक कोई भी ताकत आपकी नीतियों को विफल नहीं करतीं जब तक बीच में बैठने वाले जयचंद पैदा नहीं होते हों। मेरी मान्यता है कि यदि 100 जयचंद आयें चाहे अमरीका का रुपया आये, वे भी समाजवाद की प्रगति को रोक नहीं सकते। कितना ही जनता को भड़काने की कोशिश करें, लेकिन इस कुलक लॉबी के लोग, हमारे आस्तीन के सांप, आपके रैंक एण्ड फाइल के धनी किसान इस स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। आप किसी को दोष नहीं दे सकते : आपके घुटने टिके हैं व्यापारी, काला बाजार करने वाले और जमाखोरों के सामने। मुझे मालूम हुआ है कि हमारा एक नौजवान जो कांग्रेस में है, उन्होंने कहा कि यह सफलता व असफलता तो बाद में होगी, आप को तो जनसंघ को गजरा पहनाना चाहिए। हार पहनाना चाहिए। उन्होंने हिम्मत से यह कहा। कल जो

(3.27 म०प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

Page No 104

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मंत्रीजी को हार पहनाना चाहिए था वह मुख्य मंत्री स्वतंत्र पार्टी व जनसंघ के लीडर्स को पहनाते क्योंकि सफलता उनकी हुई है। आज जिस तरह से उनकी सफलता हुई है और चोरबाजारों के सामने आपके घुटने टिके हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि आप दयानतदारी के साथ उस नीति को नहीं अपनाना चाहते थे जिस नीति का एलान किया गया था।

जिस समय यह तय हुआ था मैंने सुझाव दिया था कि आप साइंटिफिक तरीके से लेवी का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करें, लेकिन दुःख की बात है कि इस शासन में बैठे लोगों ने षडयंत्र रचा वह यह कि यूनिफार्म लेवी ली जाए याने छोटे, मध्यम व बड़े किसान से वही लेवी ली जाय। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि आप छोटे किसानों को लेवी से एक्जेम्पट करें मध्यम किसान से थोड़ीसी लेवी ली जाए और जिस धनी किसान के पास 50 क्विन्टल या उससे अधिक है, उससे उसकी जरूरत के बाद जितना गल्ला बचता है, वह उससे ले लिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दयानतदारी के साथ इस चीज पर अमल किया गया? आपने षड्यंत्र रचा कि इस तरह की लेवी लगायें जिससे छोटा किसान विद्रोह करे, हर जगह आक्रोश हो, छोटे किसान को सामने रखकर धनी किसान को लाभ पहुंचाया जाए। छोटे किसान को कितनी पैदावार मिलती है जो वह आपको लेवी देगा? लेकिन यह भी आपकी साजिश थी, आप चाहते थे कि इस नीति को विफल करें। उस वक्त समाजवाद का नारा लगाकर आप आए थे और इस उम्मीद पर हमने भी आपको समर्थन दिया था। आज तमाम वामपंथियों ने आह्वान किया है। आपकी नीति में यह हमारी मांग शामिल होगी कि चाहे मोटा गल्ला हो चाहे गेहूं चाहे ज्वार चाहे बाजरा ये सब आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। न सिर्फ समाजवादी देशों में बल्कि पूंजीवादी देशों में यह जो गल्ले का व्यापार होता है, सरकार के हाथ में होता है। कोई जरूरी नहीं है कि खाली समाजवादी देशों में होता हो, लेकिन आपकी नीतियां यह हैं कि आप ब्लैक मार्केटियर्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यहां बैठी हुई कुलक लॉबी हर प्रोग्रेसिव मेजर को खतम करना चाहती है। हमने सुझाव दिया था कि आप साइंटीफिक बेसिस पर लेवी लीजिए, आपने उस नीति का बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। आपका कहना है कि 105) में किसान से लेकर और इश्यू प्राइस 125) रखेंगे तो क्या 135) रुपए में उपभोक्ता बाजार में खरीद सकेगा जिसकी 100) में भी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है? क्या यह अफसोस की बात नहीं है? आप व्यापारी से 105 के भाव लेंगे और 125 रुपये क्विन्टल के भाव आप बेचेंगे या 135 रुपये क्विन्टल के भाव आप बेचेंगे तो आप बताये कि इसको गरीब आदमी कैसे खरीद सकेगा? इसके अलावा अभी भरतपुर में हमारे देश के फूड मिनिस्टर जनाब फकरूदीन अली अहमद साहब पधारे थे तो उन्होंने कहा कि काश्तकार से व्यापारी जितना भी अनाज लेगा उसमें से एक चौथाई सरकार को देने के बाद वह तीन चौथाई अपने पास रखेगा और वह अनाज वह 150 रुपये क्विन्टल से ज्यादा नहीं बचेगा। तो सभापति महोदय हो सकता है वह तीन चौथाई अनाज जो भी होगा वह छुपा कर व्यापारी रख देगा और फिर आपके सप्लाई के अधिकारियों के साथ मिलकर ब्लेक में बेचेगा। इसलिये मैं आपको नजारिश करता हूं कि आपने जो अनरस्ट

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ट्रेडर्स पर लेवी लगायी है उसमें आपको यह व्यापारी एक क्विन्टल अनाज भी लाकर नहीं देने वाले हैं जैसा कि पहले आपने व्यापारी पर लेवी के लिये आदेश दिया था तो उसने तो यह कह दिया कि यह अनाज तो मेरा नहीं है यह तो काश्तकार का है। मुझे तो सिर्फ बेचने में आना दो चार आने या एक क्विन्टल पर एक रुपया मिलता है। मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी गलत नीतियों को छोड़ दीजिये वरना आपको एक क्विन्टल गल्ला भी नहीं मिलने वाला है। यह आपकी ट्रेडर्स से लेवी लेने की नीति बहुत ही खतरनाक साबित होगी। इससे आपकी नीतियां समाजवाद के विरोध में जायेंगी। आप अपनी घोषित नीतियों से बिट्रेयल कर रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आपने जनता से वायदे किये हैं जो मेन्डेट आपने जनता से लिया है उसको अगर आप बिट्रे करते हैं तो आपको अपने मंत्रीपद से इस्तिफा देना चाहिये और फिर चुनाव लड़कर आना चाहिये। नहीं तो अवाम आपकी इस नीति का जबरदस्त विरोध करेगी। अवाम आपको इस बिट्रेयल के लिये माफ नहीं करेगी। चाहे आपके सर्वोदयी नेता कुछ भी नारे लगायें, चाहे आपके जनसंघ वाले कुछ भी नारे लगायें, लेकिन अवाम इन प्रतिक्रियावादी लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। वह हमारे यहां समाजवाद लाने में कोई प्रकार का रोड़ा नहीं लगा सकेंगी। उस रोड़े को समाप्त कर दिया जायेगा। हम उसे खतम कर देंगे। आपने जो सर्वोदयी नेता और जनसंघ का चोला पहन लिया है, आप व्यापारियों से मिल गये हैं, आप ब्लेक मारकेटियर्स से मिलकर सांठ-गांठ करके आप मुनाफाखोरों को बढावा देना चाहते हैं और आप इन लोगों को साथ लेकर जनता का खून चूसना चाहते हैं वह कभी बरदाश्त नहीं किया जावेगा।

आपने अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसमें आपने यह बिलकुल नहीं बताया कि आप किस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे मजदूर और जो कारखाने के अन्दर काम लोग करते है उन्हें किस प्रकार अनाज दिलायेंगे यह नहीं बताया आपने। किस प्रकार आप गावों में गल्ला पहुंचायेंगे यह भी नहीं बताया आपने। जैसा कि अभी सदन में माननीय सदस्य श्री लोढ़ा साहब ने कहा कि आपने काला बाजारी करने वाले और व्यापारियों के सामने घुटने टेक दिये हैं यह चर्चा सही है। आपने इन व्यापारियों के साथ, इन ब्लेकमारकेटियर्स के साथ साजबाज की है। इससे अवाम में भारी रोष फैला हुआ है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि वह जरा ठन्डे दिमाग से सोचें और बाद में यह तय करें कि आप इन प्रतिक्रियावादियों से किस प्रकार निपटेंगे।

इसके अलावा आप यह भी बतावें कि आप लेवी काश्तकार से कैसे लेंगे? उसके बदले में काश्तकार को क्या इनपुट्स देने जा रहे है? मैं आपको इतना जरूर गुजारिश कर देना चाहता हूं कि आप इन लोगों के साथ साज-बाज करके ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। ये थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। समाजवाद को आप आने से रोक नहीं सकेंगे। आप के अन्दर कुछ जयचन्द बैठे हुए हैं। उन्हें आप में से समाप्त करिये। आपने किसान पर लेवी लगादी हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आप जनरल लेवी मत लगाइये। जिसके पास ज्यादा अनाज है और धनी किसान है उससे आप ज्यादा लेवी लेवो। आज, सभापति महोदय, यहां पर काफी भारी हवा फैली हुई है कि राशन से गेहूं नहीं मिल रहा है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या राशन की दुकान से राशन नहीं मिलेगा? क्यों? मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात तो नहीं है। तो इस

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

प्रकार का आतंक यहां पर फैला हुआ है। सभापति महोदय, मेरी गुजारिश यह है कि आपने जो एग्रीमेन्ट इन ब्लेकमार्केटियर्स से किया है वह हमारे सामने सदन में रखें ताकि हमें मालूम होवे कि असलियत क्या है। अगर आप सदन के सामने उसे खोलकर नहीं कहते तो मैं आपसे इतना गुजारिश किये चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ आपने एग्रीमेंट किया है वह आपको कुछ भी निहाल नहीं करने वाले हैं। आपको इन लोगों से कुछ भी लेवी नहीं मिलने वाली है। आप किस प्रकार अपना टार्गेट पूरा करेंगे यह तो आप जानें? अगर आपको पूरी लेवी नहीं मिली तो आप देख लेना कि अभी जो फसल आयी और इसके एक दो महीने बाद यही गेहूं 160 से 200 रुपये क्विन्टल तक पहुंच जावेंगे और आप इस भाव को बढ़ने से रोक नहीं सकेंगे, इसलिये गुजारिश किये चाहता हूं कि आप भावों को बान्ध दें। तथा काश्तकार को ऐसी इम्पीटस दें कि वह आपको गल्ला सहर्ष दे दे। उसके लिये आप वाजिब दामों पर खाद, बिजली, पानी, लोहा, सीमेन्ट आदि की व्यवस्था कर अगर आप यह करेंगे तो किसान अपनी सहूलियत पाने पर आपको भी लेवी देगा वरना आप जिन लोगों के साथ हो रहे हैं वह हमेशा से ही फितरताना ही रहे हैं। उनसे आप दूर रहिये। मैं तो आपको आगाह करना चाहता हूं। अगर आप समाजवादी नीतियों से दूर जायेंगे तो हम आपको इतना आगाह कर देना चाहते हैं कि हम आपको इस तरह की कार्यवाही नहीं करने देंगे।

इसके साथ-साथ हम आपसे यह भी मांग करेंगे कि आप वल्नरेबल सेक्शन को किस तरह अनाज मुहैया करायेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि आप जनता को 12 किलो गेहूं दिलावें चाहे आप 12 किलो गेहूं कहीं से लावें। इसके अलावा जो आपने 105 रुपये क्विन्टल के भाव से जो अनाज खरीदने की बात की वह तो ठीक है लेकिन आप जनता को किस भाव से देने जा रहे हैं? अगर आप ठीक भावों से नहीं देंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आपका विरोध करेगी। यह इसलिये कहना पड़ता है, सभापति महोदय कि दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार ने जिस नीति का एलान किया था उससे वह हट रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है। इसके लिये कांग्रेस के अन्दर जो आस्तीन के सांप कुलक लौबी वाले लोग हैं वह जिम्मेदार है। सभापति महोदय, मैं चेतावनी देता हूं कि अगर बढ़ते हुए भावों पर अंकुश नहीं रखा गया तो यहां पर बगावत होगी और वह बगावत ऐसी होगी जो कि खुले आम बगावत होगी। उसमें हम राजस्थान की ईंट से ईंट बजा देंगे हम किसी को आपकी गलत नीतियों के कारण मरते नहीं देख सकते। हम आपको इस तरह से महलों में नहीं रहने देंगे। हम लोगों की प्रौपर्टी नहीं लूटेंगे लेकिन हम आपके खेत और खलिहान में जो भी अनाज है उस पर जबर्दस्ती कब्जा कर लेंगे। इसलिये मैं, सभापति महोदय, मंत्रीजी को खास तौर से गुजारिश किये चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से व्यापारियों को जनता का खून चूसने की खुली छूट देंगे तो इसका नजला आप पर उतरेगा। आपकी कुर्सी हिल जायेगी, और मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि आपके पैर डगमगा जायेंगे जिसको आप बरदाश्त नहीं कर सकेंगे।

तो, मंत्री महोदय, आपका बयान आया है वह बहुत सेटिस्फेक्टरी नहीं है। इन तमाम चीजों पर गौर करें और जवाब दें कि कितनी राशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, किस तरह से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किस तरह से गल्ला वसूल करना चाहते हैं व्यापारी से।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बाजार में आ जाय यह जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एजेन्सी है तो उसमें आप पब्लिक को इन्वोल्व कीजिये ताकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वे अनुचित फायदा नहीं उठा सकें व्यापारियों से मिल कर। किस तरह से किसान को फायदा पहुंच सकता है। मंत्री महोदय, आपने जो कदम पहले उठाया था वह बहुत सराहनीय कदम था लेकिन जिस कम हिम्मती से आपने उसको वापिस लिया है उसके लिए इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जनता बदला लेगी और यह बरदाश्त नहीं करेंगी कि लोग गलियों में, कूचों में मरें। 135) और 150) क्विन्टल में कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। न कोई मुलाजिम खरीद सकता है न कोई मध्यमश्रेणी का व्यक्ति खरीद सकता है किसको बेचेंगे ?

वाम पक्षी दलों का एलान है। आंखे खोल कर देखिये और कानों से सुनिये। यह देखिये कि जो तजवीज रखी गयी है कि 100 से ऊपर के नोट हैं उनका सरक्यूलेशन खत्म कर देना चाहिये ताकि बड़े बड़े लोगों ने जो आर्थिक ढांचा बना रखा है वह खत्म हो। अफसोस की बात है कि आपके बीच में बैठने वाले तमाम नीतियों का विरोध करके डाइनोमाइट करके खत्म करना चाहते हैं वे। ऐसे तत्व हैं जो आपके लिये खतरनाक बने हुए हैं। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा आप प्रगतिशील नीति रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी नहीं चले तो आपको इसको छोड़ देना चाहिये। आप अपने खयालात को प्रोटेक्ट करेंगे। समाजवादी तरीके का कदम उठायेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे कदम नहीं उठे हैं। मैं आपकी नीति की पुरजोर भर्त्सना करता हूं, मजम्मत करता हूं। आप वक्त की आवाज को देखें और सुनें। आगे क्या हालात होने वाले हैं। फसल के बाद भी लोगों की हालत खराब हुई तो पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। मंत्रिमंडल की होगी, शासक दल की होगी और बड़ी 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि फासिज्म सिर उठाये। बिहार में क्या हो रहा है? आपकी गलत नीतियों के कारण ही उनको मौका मिल रहा है। आप उन लोगों के हाथों में मत खेलिये। ये डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुख पर जब बन्दी लगा रहे हैं, तो मैं एक शेर कह देता हूं, "ज़बांबन्दी हमें तस्लीम है, लेकिन लोगों की जबां पर, उस इन्सान का क्या होगा..."

श्री सभापति : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : सभापति महोदय, कहावत है कि देर आयद दुरुस्त आयद। हमारी सरकार राष्ट्रीयकरण के मामले पर एक बात पर चली है और उसका उसको नतीजा मिल चुका है। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रतिक्रियावादी फासिस्ट जो कुछ भी कह कर जो कुछ भी इशारा किया है वह माननीय सदस्य भी सोचेंगे कि जब से राष्ट्रीयकरण का कदम सरकार ने उठाया है और जिन जनप्रतिनिधियों को प्रतिक्रियावादी कहा जा रहा है उन ने तो शुरू से ही कहा था कि सरकार का यह गलत कदम है और सरकार इसको सम्हालने में बिल्कुल सक्षम नहीं है और इस पर पुनर्विचार करके फ्री ट्रेड कर दे, उसको अपने हाथ में लेने से उसको पश्चताप करना पड़ेगा। एक साल के बाद उसी नीति पर आ गये हैं। राष्ट्रीयकरण को सरकार को वापिस लेना पड़ा है। मैं इसको सरकार का सराहनीय कदम मानता हूं।

Page No 108

(108)

(श्री मीठालाल)

कुछ हमारे जन प्रतिनिधि और नेता हैं वे कभी कभी बहुत स्टेटमेन्ट निकालते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि आपको हटा देंगे। जो केन्द्रीय सरकार की नीतियां होती हैं वे यहां पे सुना देते हैं। प्रधान मंत्री ने स्टेटमेन्ट दिया और मंत्री महोदय ने उसको यहां पर सुना दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं मोशन करता हूं कि सरकार की इस नीति पर वोट ले लिये जायं।

श्री सभापति : यह वोट का समय नहीं है।

श्री रामकिशन : दरवाजें सब बन्द करवा दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चौ तरफ से दरवाजे बन्द करने की आज्ञा दीजिये।

श्री रामकिशन : क्लोजर मूव कर रहे हैं। वोट ले लीजिये।

श्री मीठालाल : हमारी सरकार कहती है कि हम इस व्यापार को वापिस अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकिचायेंगे। इस तरह से स्टेटमेन्ट देते हैं। एक साल में ही असलियत मालूम हो गयी है। कभी सोचा भी है कि इस प्रकार के स्टेटमेन्ट क्यों दे रहे हैं। किस कारण से राष्ट्रीयकरण को वापिस लिया? इसलिये कि आप इसमें फेल हो गये पूरी तरह से। आप किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सके इसलिये आप अपनी इस नीति में परिवर्तन ला रहे हैं। व्यापारियों ने तो बहुत कहा कि 5 लाख आदमी इससे बेकार हो जावेंगे। विरोधी पक्ष ने कहा। लेकिन आप कब मानने वाले थे। आप को तो समाजवाद का ढिंढोरा पीटना था। एक साल के बाद में आपको अक्ल आयी और चावल के बारे में भी आपको इसलिये विचार त्यागना पड़ा। राष्ट्रीयकरण को आपने वापिस लिया यह मैं एक सराहनीय कदम मानता हूं और इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, 105 और 125 रु० की रेट बांधी है किसानों के हित में। मैं इसको सही मानता हूं। उपभोक्ताओं को जरूर ज्यादा कठिनाई आवेगी और मंहगा पड़ेगा। 105 की रेट रखी है लेकिन गेहूं की भिन्न भिन्न किस्में हैं इस ओर आपने खयाल नहीं किया। यह पहले करना चाहिये था। ये खामियां रह गयी हैं। कौनसे गेहूं को कौनसी रेट दी जावेगी। व्यापारी किस भाव में बेच सकेगा आप इस के लिये अपनी नीति की घोषणा नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल में पड़ जावेंगे। किसानों को मूल्य दिया इसको मैं उचित मानता हूं। उचित भी उस हालत में कि डीजल, खाद वगैरा आवश्यक चीजें आप उनको उचित मात्रा में उपलब्ध करायेंगे तब ये रेट्स ठीक हैं। यदि इसकी आप व्यवस्था नहीं करते हैं तो 105 की रेट रखी है वह पर्याप्त नहीं रहेगी। मैं यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने व्यापारियों से 50 परसेन्ट की लेवी रखी है। आपको यह मालूम होना चाहिये कि आखिर व्यापारी गेहूं लेकर जायगा कहां। 105 में व्यापारी आपको देकर किस जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बेच सकेगा? किसानों पर क्या पाबन्दी रहेगी? उपभोक्ता 150 रुपये में व्यापारी से खरीदेगा तो किसान क्यों नहीं उपभोक्ता को 150, 160 में दे देगा। वह निश्चित रूप से उस भाव पर

Page No 109

(109)

(श्री मीठालाल)

आ जावेगा। कुछ व्यापारी किसानों के नाम से गल्ला बेच सकते हैं यह मैं मानता हूं। आपने 105 में लेने का जो टारगेट बनाया है उससे आपको लेवी प्राप्त नहीं होगी। इससे तो अच्छा है कि आप सीमा बांध कर खुले बाजार में खरीदें तो अच्छा है। 105 की लेवी पर यदि आप आश्रित रहेंगे तो मुझे पूरी शंका है कि वह प्राप्त नहीं होगी।

सभापति महोदय, उस स्थिति में लेवी प्राप्त नहीं होगी, आप कहेंगे फिर कि व्यापारी दोषी हैं। आपने 105 के भाव बान्धे हैं पर इस भाव पर तब न गेहुं मिलेगा, न वह व्यापार करेगा। इसलिये गेहूं के व्यापार के करने की तो बहुत कम उम्मीद है उन बड़े व्यापारियों द्वारा। हां, छोटे व्यापारी किसानों से मिलकर जरूर करेंगे पर तब आपके ये भाव 105 के टिक नहीं पावेंगे। ऐसी सूरत में आपको किसी भी सूरत में लेवी मिलनी नहीं है। आप भाव बान्धते ही क्यों हैं। आप भी खुले बाजार में अन्य व्यापारियों की तरह आवें। और बजाय लेवी लेने के खुद खरीदें कम्पीटीशन में आकर।

दूसरा सभापति महोदय, सरकार के पास प्रचार प्रसार के अपने साधन ह, अखबार हैं रेडियो हैं। इससे अपनी सारी अकर्मण्यता, अपने प्रशासन की सारी भ्रष्टता आदि का सारा दोष व्यापारियों के मत्थे मढ़ देते हैं। आज सरकार व्यापारी को ही दोषी मानती है और उसी तरह से अपने प्रचार के साधनों द्वारा जनता से भी मनवाती है। इस बारे में सोचना पड़ेगा। आप चोर व्यापारियों को अवश्य सजा दीजिये। पर आप अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को भी उतनी ही सख्त सजा दीजिये वे भी उनके सहचारी हैं। और इनके साथ आप अपने को भी सुधारिये। चुनाव के लिये पैसे के लिये इन चोर व्यापारियों और भ्रष्टाचारी अधिकारियों की मिली भगत के सामने हाथ मत पसारिये। उनसे भीख मत मांगिये। आप अगर इनसे पैसा मांगेंगे तो किस मुंह से इनको सजा देंगे। आप ने खूब प्रचारित किया कि चोर व्यापारियों को हथकड़ी पहना कर निकालेंगे। निकाला एक को भी आपने ? हम चाहते हैं चोर हों उनको आप हथकड़ी डाल कर घुमाइये, जो चाहें सजा दीजिये। पर जो रंगे हाथों आपके अधिकारी भी पकड़े जाते हैं उनको भी ऐसी सजा दीजिये कि वे याद रक्खें और अगले अधिकारियों को सबक मिले, उनमें भय व्याप्त हो जाय। वे भ्रष्टाचार करना भूल जायं। इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण ही आपकी नीति भी फेल होती है। इनके साथ भी सख्ती से पेश आवेंगे तभी आपकी नीति भी सफल हो सकेगी।

व्यापारियों को आप अपने विश्वास में लें। जैसे आप कई मामलों में कई तरह की मीटिंगें करते हैं वैसे अपने अधिकारियों को कहिये कि वे इन व्यापारियों के साथ भी मीटिंगों में बठें, उनको बुलावें, उनकी कठिनाइयों को आप समझें अपनी कठिनाइयां उनको समझावें और सोच समझकर ईमानदारी से जनहित में काम करें। तब आपका विश्वास जनता में जमेगा। व्यापारियों और अधिकारियों में भी विश्वास पैदा होगा परस्पर।

आपने 105 में किसानों से खरीद के भाव रक्खे हैं और बेचने के 125 और 130 रक्खे हैं। मैं समझता हूं कि यह फरक वितरण में 25130 रुपये का बोझा उपभोक्ता के

Page No 110

(११०)

(श्री मीठालाल)

लिये बहुत अधिक होगा। यह आपका 25.30 रुपया प्रति क्विन्टल का वितरण का खर्चा सबको अखरने वाला है। आप इसे कम करिये। यह देखिये कि यह किस तरह से कम हो सकता है।

सभापति महोदय, आपने व्यापार किया। गये साल आपने इसमें तीन करोड़ का घाटा उठाया गल्ले के व्यापार में। इसलिये यह भी सम्भावना है कि इस बारे में किसानों से और बड़े व्यापारियों से लेवी लेने के चक्कर में फिर आप सेल्स टैक्स के घाटे में न चले जावें।

आपने एनफोर्समेन्ट आफिसर लगा रक्खे हैं। पर सारे के सारे शहरों में लगा रक्खे हैं। गांवों में और छोटे कस्बों में नहीं पहुंच पाये हैं। 52 में से 47 जयपुर में थे और बाकी पांच सारे जयपुर जिले में। अभी थोड़े बाहर तहसील हैड क्वार्टरों पर लगाये हैं। पर जो छापा मारने में विशेष दक्ष हैं उनको आप गांवों में और तहसील हैड क्वार्टरों पर भी भेजें ताकि वहां भी थोड़ी उनकी धाक से जमाखोर बदमाश व्यापारी डरने लगें। नाजायज काम करने वाले डरें और पकड़ में भी आवें। होशियार पकड़ने वालों को बाहर भी भेजें ताकि वहां भी सतर्कता आवे। अभी जो हमारे एन्फोर्समेन्ट आफिसर देहातों में और तहसीलों में हैं वे सब के सब फेल हुए हैं। नाजायज काम करने वालों के साथ मिलीभगत कर लेने के कारण। एक भी केस उन्होंने नहीं पकड़ा।

एक माननीय सदस्य : मालामाल हो गये वे। सबसे होशियार हैं वे।

श्री मीठालाल : राशन की दुकानों पर कतारें लगती हैं। कैरोसिन की देख लें दूसरी चीजों की देख लें। पर जैसी सरकार की खुद की नीति भी है कि एक लाख फेयर प्राइस शाप्स की जगह दो लाख करनी हैं। तो आप इनकी संख्या बढ़ावें ताकि भीड और लम्बी कतारों में लोगों का व्यर्थ समय जाया न होवे। गत बार भी मैंने कुछ सुझाव इस बारे में दिये थे। पर आपने माने नहीं। हाई कोर्ट से स्टे आया तब अब आपने माना है। जैसे वनस्पति। आपने जयपुर से बाहर राजस्थान में जाने पर रोक लगा दी। जिलाधीश ने नहीं माना। व्यापारी कोर्ट में गये और स्टे ले आये। अब स्टे आपकी छाती पर रख रखा है वह।

मोटे अनाज के बारे में कहा आपने कि यह बाहर नहीं जाना चाहिये। अग्रवाल साहब कह रहे थे मोटा अनाज मिलना चाहिये। पर कुछ जिलों में आज भी खुद सरकार का आर्डर होने के उपरान्त भी जाने नहीं देते। पर आज बाहर जा रहा है। और इसमें भी आज किसी शहर से जा रहा है किसी से नहीं जा रहा है। आपके अधिकारियों की चान्दी हो रही है। भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है।

गत बार मैंने कहा कि दाल मिलों आदि का चावल मिलों का प्रोडक्शन कम हो गया है। उनको पूरा रॉ मेटीरियल दीजिये। पर आप नहीं माने। कच्चे माल की उनको जितनी आवश्यकता है उतने की छूट उनको दीजिये। उस समय फरमाया भी था कि विचार करेंगे और यह छूट दे देंगे।

मैं तो सीमा के लिये भी निवेदन नहीं कर रहा हूं कि आप कोई अधिक सीमा बान्धें। आप तो यह कर दीजिये कि पिछले साल जितना उनका कन्जम्पशन था उतना उनके

(श्री मीठालाल)

रिकार्ड से देखकर दे दीजिये । बस और कुछ नहीं करना है । ज्यादा मत दीजिये । गत साल का रिकार्ड आपके अधिकारी उठाकर देख लेंगे ।

इसके अतिरिक्त जो 150 क्विन्टल की मात्रा से अधिक को आपने सीज किया उनमें से 10 तारीख के आर्डर में सीज को आपने 17 तारीख तक छोड़ दिया जाय यह आर्डर निकाला । पर कुछ माल जो इससे पहले सीज किया हुआ था व्यापारियों का। चूंकि उन व्यापारियों ने तिथि घटाई बढ़ाई नहीं आपने शहरों में तो जल्दी कर लिया इसलिये दस तारीख की बात कह दी पर और जगह देर से किया और दस तारीख से पहले का सीज किया पड़ा था उसे भी आप रिलीज करने के आर्डर निकालें या कन्ट्रोल रेट पर विकवायें । कुछ करें उनके लिये भी । सीज न पड़ा रहने दें ज्यादा दिन नहीं तो वह अनाज खराब हो जावेगा ।

सभापति महोदय, अन्त में यह निवेदन और करनी है कि आपने अपनी भूल स्वीकार करके जो राष्ट्रीयकरण समाप्त करने के कदम उठाये हैं वे सराहनीय हैं । पर फिर कहीं ऐसा न हो कि आप अपने गलत सलाहकारों के चक्कर में आकर फिर दूसरा गलत रुख अख्तियार कर लें। आपने इस एक साल में अपनी गलत नीति के कारण तकलीफ पब्लिक को भी दी है नुकसान भी हुआ है, हजारों आदमी मारे भी गये हैं उस सबके लिये जिम्मेदार आप अकेले हैं और आपकी गलत नीति है । यह स्पष्ट है । या आपके वे गलत सलाहकार हैं जो इधर बैठे हैं । एक साल गलती की आपने । काफी लोगों को नुकसान हुआ । अब भविष्य में उससे सबक ले लें तब भी सोचा जा सकता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया । भविष्य में विवेक पूर्ण रुख अख्तियार करें । मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन : कांग्रेस की तरफ से केवल जवाब ही आयेगा या कोई बोलेगा भी ?

सभापति महोदय, माननीय खाद्य मंत्रीजी ने जो भारत सरकार की नई खाद्य नीति है उस पर जो कुछ कहा है, उसके बारे में मैं सोचता हूं कहा क्या जाय यानि, कोई नीति हो, कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कुछ सुझाव भी दिये जा सकते हैं लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो उसमें क्या कहा जाय और क्या नहीं कहा जाय, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । आखिर जब गेहूं और चावल के व्यापार का कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था तो उसके पीछे उद्देश्य था कि उपभोक्ता को सस्ती कीमत पर गेहूं और चावल मिल जाय और किसान का शोषण भी न हो – दोनों विचार थे । अब चावल का तो वे प्रारम्भ में ही छोड़ गये । और गेहूं का व्यापार जो अपने हाथ में लिया उससे न तो उपभोक्ता का हित साधन हो सका और न ही किसान का हित साधन हो सका ।

अब जो नई खाद्य नीति का एलान किया गया, इसका असर क्या होगा यह देखने की चीज है पर मैं यह कहकर छोड़ दूं तो भी उचित नहीं है । आपने सरेन्डर कर दिया, सरेन्डर तो वह करता है जिनके पास कुछ है आपके पास तो कुछ है ही नहीं ।

(श्री रामकिशन)

आखिर राष्ट्रीयकरण कोई शौक नहीं है, राष्ट्रीयकरण कोई नुमाइश नहीं है, राष्ट्रीयकरण सरकार को चलाने की एक जरूरत है। राष्ट्रीयकरण की भावना हम दो उद्देश्यों करते हैं – सरकार जब कोई व्यापार को अपने हाथ में लेती है तो दो उद्देश्य होते हैं या तो किसी चीज की कमी होती है तब या जब सरकार के दूसरे लोग चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तब सरकार बीच में आती है या जब सरकार शोषण को समाप्त करना चाहती है तो सम्पूर्ण कार्यक्रम को हाथ में लेती है। अब इन दोनों दृष्टियों से देखें तो दोनों नीतियों के अनुसार विशेषकर गेहूं से सम्बन्धित आपकी नीति इससे कोई उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा आज इस देश में मजदूर संगठित है, कर्मचारी संगठित है कुछ मायने में किसान भी संगठित है, अगर संगठित नहीं है तो उपभोक्ता संगठित नहीं है, उपभोक्ता को ज्ञान भी नहीं है। आज उपभोक्ता का इतना बड़ा शोषण इस सरकार के रहते हुये हुआ है जितना कि अंग्रेजों के राज्य में भी कभी नहीं हुआ। माननीय खाद्य मंत्री जी आप जो इस व्यापार के बीच में आये हैं तो आशा थी कि उपभोक्ता को कुछ मदद कर पायेंगे, कम आमदनी वालों की मदद कर पायें, वह खतम हो गई। अब यह कहते हैं दुबारा इस कार्यक्रम को चलायेंगे तो जो तथ्य माननीय मीठा लाल जी ने रखे, चाहे वह स्वतन्त्र पार्टी की वाणी हो उनको देखते हुए आपके पास छंटाक भर अनाज आने वाला नहीं है, आपको व्यापारी देने वाले नहीं हैं। अब इसके भी कारण हैं। एक तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वे गेहूं के झगड़े में पड़ेंगे ही नहीं। जब मुनाफा बड़े व्यापारी सरसों में कमा लेंगे, मंगफली में कमा लेंगे, तिलहन में कमा लेंगे तो फिर गेहूं के झंझट में क्यों पड़ेंगे। राज्य के वितरण के लिये जितना स्टाक रख पायेंगे वह नहीं कर पायेंगे। गांवों में बड़े बड़े किसान स्टाक कर लेंगे और राजस्थान के उपभोक्ता को भूखों मार देंगे, उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसी आपके पास कोई तैयारी नही है जिसका कोई तर्कसंगत आधार हो। कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि कितना गेहूं उपलब्ध हो जायगा, यह भी नहीं है तो फिर आपका कहना क्या है?

मैंने माननीय जनसंघ के सदस्यों के विचार भी सुने, स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों के भी विचार सुने, सभी दल के सदस्यों के विचार जाने लेकिन जनसंघ के विचार कोई विचार नहीं हैं, जनसंघ एक ऐसी बड़ी विचित्र पार्टी है इस दुनियां में उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। इस जैसी पार्टी अभी कोई आई ही नहीं है। चर्चा करते हैं किसान को दो 125 रु० क्विन्टल और जयपुर में बेच दो 85 रु० क्विन्टल। बाहर से गेहूं लाओ मत, अमरिका से गेहूं मंगावो मत, इसका क्या अर्थ है। कोई तर्क देते नहीं और कहते हैं बाकी बचे पैसों को सरकार सब्सीडाइज करे और इस मायने में सारे हिन्दुस्तान का हिसाब लगाते हैं 400 करोड़ यानि चार अरब रुपया। कम आमदनी वाले कितने लोग हैं अगर सरकारी आंकड़ों को भी सही मान लें तो 28 करोड़ पूरे हिन्दुस्तान में हैं और 1 करोड़ 57 लाख लोग राजस्थान में हैं जो गरीबी के नीचे रहते हैं। अगर सस्ते दर पर गेहूं उनको उपलब्ध कराया तो राजस्थान के एक्सचेकर पर कितना असर पड़ता है यह उनको मालूम नहीं और अगर ऐसा कोई दर्शन बता दें तो उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती

(श्री रामकिशन)

है, कोई दल नहीं हो सकता है लेकिन दोनों बातों को एक साथ कहा जाय यह बिलकुल तर्क संगत नहीं है। मैं इस मायने में स्वतन्त्र पार्टी को ज्यादा ईमानदार मानता हूं जो यह चाहते हैं कि बंधन रहित व्यापार रहने दें। उनकी दृष्टि गलत है या सही है, मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर केवल यही कहूंगा कि दृष्टिकोण तो गलत अवश्य है लेकिन वे खुलकर कहते हैं और बन्धन रहित व्यापार चाहते हैं। यह दृष्टिकोण कि 10 किलो अनाज दिला दें तो मेरा कहना यह है कि जब अनाज आयेगा ही नहीं तो फिर दिला कहां से देंगे।

राष्ट्रीयकरण मत करो तो राष्ट्रीयकरण क्या है ? जब सरकार व्यापार करेगी नहीं तो फिर उपभोक्ता के लिये सस्ते दर पर अनाज कहां से दे पायेंगे। जनसंघ दल तो भीतर में या तो राष्ट्रीयकरण का समर्थक है—विरोध भी नहीं करता, समर्थन भी नहीं करता और सुझाव देने को तैयार है तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा न जनसंघ की कोई धारणा है, न कम्युनिस्ट पार्टी की कोई धारणा है। आज असल में जो सम्पूर्ण समाधान है वह तो यह है कि अनाज का सम्पूर्ण व्यापार अपने हाथ में लें। केवल इतना नहीं कि कभी चावल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कभी गेहूं का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कभी मूंगफली का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसा करने से व्यापारी के मन में लोभ रहेगा, बेईमानी रहेगी। क्योंकि जिस व्यापार को आप छोड़ेंगे, उसी व्यापार को व्यापारी करने लग जायेंगे और कोई सम्पूर्ण समाधान नहीं निकलेगा।

हां, इसमें यह अवश्य मानना पड़ेगा कि आपका सरकारी तन्त्र भ्रष्ट है लेकिन समस्या का समाधान है, सम्पूर्ण व्यापार को अपने हाथ में लेना। दूसरा सवाल यह है कि अकेले किसान को दबा नहीं सकते हैं। दोनों चीजों के साथ साथ चलना पड़ेगा, केवल किसान के उत्पादन के राष्ट्रीयकरण से काम चलने वाला नहीं है। कारखानों की बनी चीजें सस्ती नहीं होंगी, मंहगी ही रहेगी तो भी आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। किसान का सारा व्यापार हाथ में लेते हैं तो एक ही तरीका बढ़िया हो सकता है। हालांकि शिवचरण जी की बस की नहीं है, कांग्रेस की बस की नहीं है, केन्द्रीय सरकार की बस की नहीं है।

फसल के टाइम पर जो कीमतें हैं, फसल के टाइम पर जो भाव है, सरकार उन भावों पर खरीदे। खरीदने का अधिकार केवल सरकार का हो उसमें खर्च निकाल कर, मैं समझता हूं 10) रु० क्विन्टल से ज्यादा खर्च नहीं आता है, किसी भी हालत में और फिर जनता में वितरित कर दें। असल में सम्पूर्ण व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले और 10 या 12 रुपये के फर्क से ज्यादा आपका आयेगा नहीं। जब सरकार सम्पूर्ण अनाज के व्यापार को हाथ में लेगी तो कारखाने में बनी हुई चीजों के दाम भी तय करने होंगे। खाद और बीज के भाव भी तय कर लें। इसका यही एक मात्र दीर्घकालीन इलाज है। दोनों व्यापार को सरकार हाथ में ले। लेकिन आप उस तरह चलने को तैयार नहीं हैं, आपके दल की कोई योजना नहीं है। आपके दल की योजना तो यह है कि चुनाव के दिन आये तो एक – दो नारे दे दें और गरीबों को बहका कर वोट ले लें। उसका परिणाम क्या होगा, इसका आपको चिन्तन नहीं है।

(श्री रामकिशन)

आज खाद्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है । । उधर वाले गंभीर होते तो मैं यह आशा कर सकता था कि आपका दल कोई सुझाव देता लेकिन आपके दल के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके दल के भी आप उधर अकेले बैठे हैं, एक सभापति जी हैं।

श्री रामकिशन: और दो आपके दल के लोगों को बुलाने गये हैं । मैंने कहा महत्व-पूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, उनको बुला कर लावो । तो आपके दल की क्या निष्ठा है, आपके दल की मैं समझता हूं कोई निष्ठा नहीं है । न समाजवाद से आपको कोई मतलब है, न राष्ट्रीयकरण से आपको कोई मतलब है, न सरकारी व्यापार से आपका कोई मतलब है – आपका मतलब है किसी तरह वोट मिल जाय । आपने जो नई खाद्य नीति का एलान किया है उससे कैसे सुलझेंगे, मैं समझता हूं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी का दल प्रतिक्रियावादी है, मेरा मानना है आज कांग्रेस से अधिक कोई प्रतिक्रियावादी दल नहीं है । क्यों, कांग्रेस के किसी माननीय सदस्य ने 150) रु० क्विन्टल से नीचे के भाव की नहीं कही है । किसी का प्रस्ताव आप बता दें ? अगर कोई प्रतिक्रियावादी दल है तो कांग्रेस है जो 150)रु० क्विन्टल की बात कहते हैं । मैं यह समझ पा रहा हूं आज जो सफलतायें हैं भले ही वे विरोधियों को गाली देकर अपने आपकी तसल्ली कर लें कि कांग्रेस दल को विरोधियों ने असफल कर दिया । जनसंघ की आपके सामने क्या बिसात है, हमारी आपके सामने क्या स्थिति है, स्वतन्त्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के कुल मिलाकर 15–20 लोग हैं हमारा राज्य में असर नहीं है, हमारा राज्य में कोई प्रभाव नहीं है । हम तो यह भी कहने की स्थिति में नहीं हैं किसान से कि वे अपनी फसल को वेचे नहीं । हम तो बहुत थोड़ी तादाद में हैं इसलिये आपके कहने में कोई तर्क नहीं है । अगर यह नीति असफल हुई है तो इसके कारण हम नहीं हो सकते । जैसा आप अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मंढते हैं ।

आपका यह मामला असफल क्यों हुआ ? आखिर आपकी कोई नीति थी वसूली की ? आपने एलान कर दिया कि हम लेवी लगायेंगे और जब टाइम आया तो तारीखें बढ़ाते रहे । एक बार मई की कहा, फिर जून की कहा, फिर जुलाई की कहा, फिर अगस्त की कहा और फिर नवम्बर में जाकर कह दिया कि छूट है कोई कहीं भी जाकर बेच दे । गरीब किसान जो थे उन्होंने बेच दिया और मालदार किसानों को आपने छूट दे दी । आप खुद सोचें कि किसने असफल किया है ? आप दूसरे लोगों पर इसकी असफलता का दोष लगाते हैं जब कि आपने खुद ने ही इसको असफल किया है । जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी विचार के मोर्चे पर शायद आपके खिलाफ हैं लेकिन आचरण के मोर्चे पर आपने इसको असफल किया है । दूसरे लोगों ने सहयोग देने की कोशिश की, सुझाव देने की कोशिश की तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपके बस का मामला नहीं है । आपके बस का नहीं है और कांग्रेस पार्टी ऐसी डाइनेमिक पार्टी नहीं है । कांग्रेस पार्टी यहां की बड़ी कमजोर पार्टी है और ऐसी पार्टी नहीं है कि जो संघर्ष कर सके । प्रधान मंत्री जी ने ऐलान कर दिया और आपने यहां आकर सुना दिया । जिस

(श्री रामकिशन)

दिन अखबार में समाचार आया था उस दिन हमने कहा था कि इस पर चर्चा हो जाये। इस पर मंत्री महोदय ने कहा था कि नहीं, नहीं अभी तो मैं विचार विमर्श करूंगा। जो अखबार का भाषण है वही आपने सुना दिया। आपने क्या केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श किया? क्या मंत्रिमण्डल ने कोई विचार विमर्श किया? बस प्रधान मंत्री का इशारा हुआ, उनका ऐलान हुआ और आपने उसको सुना दिया। उसके बाद आपने कोई केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श नहीं किया। अब चूंकि लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं तो व्यापारियों से पैसा लेने की जरूरत आ गयी तो उन्होंने इस तरह का ऐलान कर दिया कि हम इसको वापिस भी ले रहे हैं और यदि जरूरत हुई तो शुरू भी कर देंगे। व्यापारियों होशियार हो जाओ। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। आप यह समझ रहे हैं कि इसको दुबारा सरकार अपने हाथ में ले ले तो मेरी तो निश्चित धारणा है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो मैं खाद्य मंत्री जी, केवल चिन्ता ही व्यक्त कर सकता हूं। आपको कोई सुझाव दें तो उसका असर आप पर होने वाला नहीं है। केन्द्रीय सरकार से कोई बात आप मनवा नहीं सकते। अगर आप निवेदन करें भी तो आपके पास रखा क्या है। जनसंघ के माननीय सदस्य कह रहे थे कि 10 किलो दो, स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्यों ने कहा कि 12 किलो दो। वह तो 2 किलो और आगे बढ़ गये तो मैं और 2 किलो आगे बढ़ जाता हूं और कहता हूं कि 14 किलो दो। अगर ऐसे ही कहने से मान जायें तो मैं 14 किलो की कहूंगा तो दीपंकर जी 16 किलो की कहेंगे और फिर वृद्धिचन्द जी 18 किलो की कहेंगे। सब प्रगतिशील हो जायेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इतनी रद्दी सरकार की नीति है कि जितने भी दुनियां के देश हैं मैं समझता हूं कि इतनी रद्दी सरकार, इतनी झूंठी सरकार शायद दुनिया में कहीं नहीं है। एक अजीब ढंग की सरकार है जो कभी कुछ कहती है और कभी कुछ कहती है। यदि किसी चीज में सफलता मिल जाये तो उसका श्रेय अपने ऊपर और असफलता दूसरों के ऊपर। तो जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर आप अमल नहीं कर पायेंगे। आपसे राशन की मांग करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि आपके पास तीन किलो भी नहीं रहने वाला है। कोई व्यापारी आपको देने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो यह सोचना है कि जितनी भी आपकी राशन वाली दुकानें हैं इनको भी आप बन्द करदो और जनता के भरोसे पर जैसी पहले से परम्परा चली आ रही है और जैसे भगवान के भरोसे पर समाज चलता था वैसे ही चलने दें। इससे ज्यादा आपसे अपेक्षा नहीं है। सरकार की कोई नीति नहीं है और आपने खुद ने माना है कि न हमारी नीति है, न हमारा कार्यक्रम है कौन देगा, कितना देगा, कैसे इकट्ठा होगा यह जानकारी भी नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

है। जो वक्तव्य 8 दिन पहले हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा था वही आपने सुना दिया। अगर इसको वैसे ही आप छपवा देते और माननीय सदस्यों में वितरित कर देते तो सदन का समय भी बच जाता।

श्री झाबरमल सूंडा : सभापति महोदय, यह बहुत अहम मसला है इसलिए मैं भी कुछ कह देता हूं।

श्री सभापति : 4।। बजे डिबेट समाप्त हो जायेगी।

श्री झाबरमल सूंडा: दो एक बात कहूंगा। कार्यक्रम का जहां तक सवाल है प्रोडक्शन''

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, हमारे दल का भी तो समय निर्धारित है ?

श्री झाबरमल सूंडा : प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ायेंगे, उपभोक्ता को सामान नहीं पहुंचायेंगे और बीच की कड़ी जो व्यापारी था उसको एबालिश करके नई स्थिति पैदा करदी । यह तीनों चीजें सभापति महोदय, ऐसी हैं कि जिसमें सरकार को खुद को सोचना पड़ेगा। इस देश में जो प्रोडक्शन की स्थिति है उसमें लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, विदेशों से जब अनाज मंगाने की बात आई तो शास्त्री जी ने कहा कि हम बाहर से नहीं लेंगे और रेल्वे लाइन के सहारे भी प्रोडक्शन के लिए एलान कर दिया था। रेल की पटरी के बीच में जो थोड़ी सी जमीन है वहां भी प्रोडक्शन शुरू होगा। अब इसके बाद नयी नीति में कुछ भी ऐसी चीज नहीं रखी कि जिससे प्रोडक्शन में कुछ भी वृद्धि हो सके। कभी एलान संसद् में कर देते हैं, कभी यहां कर देते हैं कि इतने लाख टन उत्पादन हो रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी किसान को नहीं मालूम कि उसके खेत पर कितना अनाज होगा। आप किसान से निश्चित आंकड़े प्रोडक्शन के नहीं ले सकते। यह सरकार झूठे आंकड़े पेश कर देती है, यही सबसे बड़ी समस्या है इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह झूठी घोषणायें नहीं करें कि हमारे यहां इतना पैदा होने वाला है। दो महीने पहले आप कहेंगे कि इतना नहीं हुआ, शीत लहर आई और उसके बाद सूखी लहर आई जिसका किसी को भी पता नहीं। सरकार को पता ही नहीं यह सूखी हवा अभी दस दिन पहले चली और जितना अनाज था उसका 50 प्रतिशत उसने खतम कर दिया। कहीं ओले गिर गए। तो मैं कहता हूं कि प्रोडक्शन के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए और झूठी घोषणायें नहीं करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि उपभोक्ताओं के पास अनाज पहुंचाने का अमोघ शस्त्र था राष्ट्रीयकरण और उसमें यह फेल हो गए। अब फेल किन कारणों से हो गए यह सब जानते हैं। इनके बूते की बात नहीं है। प्रोडक्शन नहीं है और वितरण प्रणाली में जो सरकारी स्टाफ है वह ईमानदार नहीं है। तो दोनों ही चीजें सामने आकर टकरा गयीं। न तो ईमानदारी से वितरण कर सके और न प्रोडक्शन ही कर सके।

अब सभापति महोदय, लेवी लगी मैंने इसका विरोध भी किया था और मैं अब भी विरोध करता हूं क्योंकि सरकार ने अब ऐसी नीति अपनाई है कि किसान से 105 रुपये में लेना चाहती है। 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद और वह किसान ऊपर देखता रहता है कि हवा कैसी चल रही है, वातावरण कैसा चल रहा है। 8 महीने के बाद वह अनाज को अपने घर में कड़ी मेहनत करने के बाद लाता है और उसको आप 105 रुपया देते हैं। मैं सभापति महोदय, दावे के साथ कहता हूं कि आप किसी भी बड़े अधिकारी को भेज दें–मैं तो हिसाब रखने वाला नहीं हूं। मैंने अपने पड़ोसी से गेहूं का हिसाब लिया। उसने 40 बीघा कच्ची जमीन पर अनाज पैदा किया और उसको वह 150 रुपये के भाव का पड़ता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अभी डिटेल देने की बात नहीं है। और इस तरह से उसको 1500 रुपये का घाटा हुआ। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि

(श्री रामकिशन)

40 बीघा में उसने गेहूं पैदा किया और उसको 1500 रुपयों का घाटा हुआ 8 महीने में और इसके विपरीत आपने व्यापारियों को कह दिया कि वह 105 रुपये में लेकर मर्जी आये तो 150 रुपये के भाव से दे दें। यानी इस हाथ लिया और उस हाथ बेच दिया, 105 रुपये में लिया और 150 के भाव में बेच दिया तो 50 रुपये का मुनाफा। तो मैं यह कह रहा हूं कि उपभोक्ता को जरूर परेशानी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसान को आप उचित मूल्य नहीं देंगे तब तक अनाज मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि ऐसे किसान बहुत कम हैं जिनके पास अनाज बहुत है। दूसरी बात यह है कि आपका पाला पड़ा बिजनेस क्लास से कि 50 परसेन्ट लेवी के रूप में देंगे। यह क्लास ऐसी है कि जो किसी के भी काबू में नहीं आई। भारत के व्यापारियों ने तो विदेशियों के छक्के छुड़ा दिये। मैं यह कहता हूं कि इन्होंने जो एजेंन्सी कायम की है न तो अनाज मिलने वाला है और न प्रोडक्शन ही बढ़ने वाला है। उपभोक्ता के पास अनाज कैसे पहुंचेगा और न उसकी व्यवस्था ही की। आप न तो अनाज देने की स्थिति में हैं और न किसान को सन्तुष्ट करने की स्थिति में हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि एक दफा आप फेल हो गए और बारबार फेल होने की नौबत नहीं आये इसलिए आप पुनर्विचार ऐसा करें कि जिससे सभी लोगों को फायदा हो सके।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय

श्री सभापति : केवल तीन मिनिट। आपके बाद रघुनाथजी।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, एक नीति की बात कह रहा हूं। हमारे दल की नीति की बात तो हम ही कहेंगे, मंत्रीजी तो सरकारी नीति की बात कहेंगे।

सभापति महोदय, जो मंत्री महोदय ने नाज के भावों को स्थिर करने के लिए मौजूदा परिस्थिति में जो राष्ट्रीयकरण की नीति में ढील देने की घोषणा की उसके लिए कांग्रेस दल का कड़ा उपहास उडाया गया और यह कहा गया है कि उनकी कोई नीति नहीं थी, उनका कोई समाजवाद में विश्वास नहीं था। उन्होंने किसी के कहने से कर दिया और पूंजीपतियों से मिल कर, दुकानदारों से मिल कर कोई लोक सभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह एक तरह का राजनैतिक आरोप है। राजनैतिक ईर्षा है, इसके पीछे आधार कुछ भी नहीं है। हमारी एक राष्ट्रीय संस्था है और हमने जो भी लोक सभा का या धारा सभाओं का चुनाव जीता है उनके पीछे जनता का विश्वास है, साधारण लोगों का विश्वास है, काश्तकार लोगों का विश्वास है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने अच्छी तरह से भारत के समाज की आर्थिक तंत्र को समझा है, हमने उसकी बाधाओं को समझा है। यह माना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रम नहीं करते और ज्यादा साधनों का उपभोग करते हैं और कुछ ज्यादा श्रम करते हैं लेकिन साधनाहीन हैं उनको उचित साधन मिलने चाहिए और इन सबका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हमारे दल ने हमारी राष्ट्रीय नीति बनाई और इन्दिरा गांधी ने नीति निर्देश दिया और इस ओर खास तौर से कदम उठाये हैं। हमने राष्ट्रीयकरण की नीति को अपना कर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने कुछ कम्पनियों के लिए कदम उठाए

(श्री दीपंकर)

और हमने यह भी माना कि इसमें शुरूआत के तौर पर अभी हम एकाध आइटम लें। लेने के वक्त हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी आज भी स्पष्ट है हम यह नहीं मानते कि राष्ट्रीयकरण की नीति में किसी प्रकार की गलती की है। राष्ट्रीयकरण की नीति को हम आज भी मानते हैं और हमारे रामकिशनजी ने भी इस नीति को मंजूर किया है कि आगे आने वाले समय में सम्पूर्ण धान का राष्ट्रीयकरण करना होगा अगर हमें समाजवाद लाना है, परन्तु इस बीच में जो दूसरे लोग हैं, जो दल हैं जो यहां लेवी लगाते हैं तो उसके विरुद्ध आन्दोलन करके विरोध करते हैं इधर काश्तकार को बहकाते हैं। आज हमारे देश का सबसे दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में काश्तकार संगठित नहीं है। दुर्भाग्य हमारे देश का है, सभापति महोदय, कि इस देश की साधारण से साधारण, मिडिल श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग अभी तक समझ नहीं पाये हैं। जो पूंजीपति लोग हैं वे इस देश के अर्थ तंत्र पर छाये हुए हैं, उनको पूरी तरह से दूर करने में सरकार का सहयोग करें, जो प्रगतिशील नीतियां हैं हमारे दल की उनको लागू करने में सहयोग करें, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम यह देखते हैं कि यहां पर दो सौ रुपये महीने पाने वाला एक बाबू भी वही भाषा बोलता है जो एक करोड़पति बोलता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीयकरण से पूर्ण नहीं हुआ है जब कि हमारा उसमें अटूट विश्वास है और इसमें हमको लोगों को साथ लेकर चलना होगा। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश के अन्दर प्रतिक्रियावादी लोगों ने, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी ने इस तरीके से लोगों में एक वातावरण पैदा किया, एक अवस्था पैदा करने की चेष्टा की, काश्तकारों को बहकाया, उपभोक्ताओं को बहकाया और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ वातावरण शहरों में बन जाता है उसी को एक राष्ट्रीय हालात और उसी को राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप मान लेते हैं। हिन्दुस्तान गांवों का देश है और गांवों में कहीं पर भी इस प्रकार के आन्दोलन नहीं हैं, कहीं पर ऐसा नहीं है कि भाव ऐसे हो गए, कोई चीज नहीं मिली और उसके कारण काश्तकारों ने प्रदर्शन किया हो। काश्तकार बिल्कुल शांत है। वह जानता है कि देश में आहिस्ता आहिस्ता अर्थ तंत्र सुधर रहा है और उसको इन्दिरा गांधी में अटूट विश्वास है। वह चाहता है कि देश आगे बढ़े। हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं और यहां अखबारों के आधार पर बोल देते हैं कि ऐसी घोषणा कर दी, वैसी घोषणा कर दी।

(समय 4.25 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

जो कुछ ढील दी गई है उसको प्रतिक्रियावादी आदमी फैला कर समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। वे पूरी कोशिश करते हैं कि काश्तकार यह नहीं समझ सकें कि तुमको जो प्रोडक्शन है उसकी कीमत मिलेगी। हम यह मानते हैं कि काश्तकारों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि तुमको पूरी कीमत मिलेगी और हर तरह से उपभोक्ता को भी समझाया जाएगा कि उसको उचित कीमत पर अनाज मिलेगा। कांग्रेस की नीति अर्थतंत्र पर जो बोझ पैदा हो गया है उससे दूर भागने की नीति नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय नीति है और देश को कल्याणकारी राज्य के रूप में आगे बढ़ाने

(श्री दीपंकर)

का कार्यक्रम अगर किसी के पास है तो वह कांग्रेस पार्टी के पास में है और उसको आगे वाले समय में पूरा करना है और इसमें ही पार्टी का विश्वास जमने वाला है। उसी से प्रगति होने वाली है। हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति यह है कि हम पूरी तरह से उपभोक्ता को उचित मूल्य पर अनाज दें और काश्तकार को उचित मूल्य मिलें और बिचौलियों को समाप्त करें। परन्तु दुर्भाग्य है कि समाज के अन्दर आर्थिक नीति इस तरह की घर किए हुए है, मिडिल मैन है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी नीति में सम्मिलित कर सकें। समाज में ऐसा प्रचार करें कि हमारी राष्ट्रीय नीति से ही समाजवाद आ सकता है। दुर्भाग्य है कि लोग कांग्रेस की नीतियों को समझने नहीं देते। जो कुछ लेवी लगाई गई उसका विरोध किया गया और यह प्रचार किया गया कि छोटे छोटे काश्तकारों से लेवी ले रहे हैं। जबकि आज भी हम यह मान कर चलते हैं कि छोटे काश्तकारों से लेवी नहीं लेंगे। हमारे यहां से स्पष्ट हो गया है कि उसी से लेवी लेंगे जिसके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है। हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो विरोधी दल ने हो हल्ला मचा कर इसको सफल नहीं होने दिया और दूसरी ओर जो सरकारी मशीनरी है उसका भी सहयोग जितना मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। इसी वजह से हमें सोचना पड़ा है और हमें कुछ कदम पीछे लेने पड़े हैं। परन्तु यह कदम पीछे लेने का मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा दल राष्ट्रीयकरण नहीं चाहता है या उपभोक्ता का भला नहीं चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस बारे में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर और जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्त्ताओं का चिंतन है और सही चिंतन है और हमारे कार्यकर्त्ता अभी भी इस मायने में एकजुट होकर चलना चाहते हैं। पूरी तरह से समस्या का समाधान करने में एक जुट होकर चलना चाहते हैं। केवल सरकार को बदनाम करने की गरज से, जिनके पास कोई आर्थिक धरातल नहीं है, राष्ट्रीय नीति नहीं है, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी वाले इस प्रकार जो देश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, वह हटने वाला नहीं है। जो जिम्मेदारी जनता ने हमारी सरकार पर और हमारे दल पर डाली है उसको अवश्य निभायेंगे।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी वक्तव्य पढ कर सरकार की ओर से मंत्री महोदय ने सूचना दी है वह आज की परिस्थिति में, आज की विकट स्थिति में उचित है और वह आगे बढ़ते हुए कदम को रोका नहीं है, पीछे नहीं हटे हैं बल्कि उसको सुधारने के लिए एक ठहराव है। हम अपने राष्ट्रीयकरण की नीति में आगे बढते जायेंगे और आगे जाकर जरूर सफल होंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : सभापतिजी, 28 मार्च, 1974 को संसद में हिन्दुस्तान के खाद्य मंत्रीजी ने यह संशोधन किया कि वर्तमान में जो हमारी खाद्य की नीति है उसमें संशोधन किया गया है। इसमें हिन्दुस्तान का जो हमारा कृषि प्राईस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कमीशन है, उसकी रिपोर्ट का आधार था और मुख्य मंत्रियों ने सभी बातों का विचार विमर्श करके देश की परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए, जो आज के हालात हैं, उसके अन्दर जो नीति की घोषणा की है यह बिल्कुल उचित है और उसी का एक परिणाम है कि जहां देश के अन्दर त्राहि त्राहि मच रही थी, गिरधारी लालजी भार्गव माननीय सदस्य हल्ला किया करते थे कि दस किलो दो, बारह किलो दो, आज हम देखते हैं कि जगह जगह पर अनाज के ढेर लगे हुए हैं अनाज के और बाजार में पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलने लग गया है, यह इसी का परिणाम है । इस चीज को देखते हुए यह समय समय पर रिव्यू किया जाता है, नीति में संशोधन किया जाता है और देश के उत्पादन में काश्तकार की जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, देश का उत्पादन है, फूड कारपोरेशन की एक्टीविटीज हैं, ये सारी चीजें देखते हुए ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को अपनी उपज का दाम मिल सके और जो नीचे तबके के गरीब लोग हैं उनको सस्ता अनाज मिल सके इस पर राज्य सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है । जिन लोगों को ऊंचे दामों पर अनाज आसानी से मिल सकता है उनको राशन कार्ड नहीं देने की आवश्यकता नहीं हो यह भी विचार किया जा सकता है । आज की देश की परिस्थिति को देखते हुए यह करना आवश्यक था और ठीक किया गया है अब····

माननीय सभापति जी इस नीति की घोषणा कर दी गयी है परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जरूर एक बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । मैंने इस सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया था और मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय का हुक्म भी है कि इस बारे में मैं बोल सकता हूं । अभी हमारे सांचौर, सेवाड़ियां में पशु मेला हुआ था और वहां पर हजारों किसान एकत्रित हुए थे । मंत्री महोदय का कार्यक्रम भी था किन्तु दुर्भाग्यवश वे वहां पर नहीं पहुंच सके । वहां के गांवों में 100 रुपया और उससे नीचे वहां के मनी लेन्डर्स, किसानों से गेहूं ले रहे हैं । काश्तकार उनसे दबा हुआ है । यह इत्तिला आई है कि 75 रुपया क्विन्टल तक इन लोगों ने गेहूं इकट्ठा कर लिया है । यह एक तथ्य है । आप चाहे तो इसकी जांच कर सकते हैं । यह हमें हजारों काश्तकारों ने बताया है । यहां पर भी मैंने यह बात कही है । आप व्यवस्था करिये । जहां पर गेहूं पैदा होता है उसके 5–10 मील के रेडियस पर 105 रुपया प्रति क्विन्टल खरीदने की व्यवस्था करिये, क्रय केन्द्र खोलिये । खरीदने वाला, तोलने वाला एक एक आदमी चाहिये । यह व्यवस्था फिलहाल आप कर दीजिये । यह आपकी मार्फत सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि कितने दिनों में यह व्यवस्था आप कर देंगे । मैंने बराबर यहां पर निवेदन किया है । सुखाड़िया जी मुख्य मंत्री थे उनसे भी निवेदन किया था । उन्होंने भी अचम्भा किया । मीनिमम प्राइस सपोर्ट काश्तकार को मिलना चाहिये । सांचौर में सबसे ज्यादा बाजरे का प्रोक्योरमेन्ट हुआ है । समय पर व्यवस्था करें तो यह व्यवस्था हो सकती है । 15-20 दिन बाद में जायें तो कुछ नहीं होगा । व्यापारी, मनी लेन्डर्स जो वहां पर बैठे हैं उन्होंने गेहूं लेना शुरू कर दिया है । वही व्हीट वे एफ० सी० आई० वालों को काश्तकारों के नाम से देंगे । यह आपका कसूर है । आपकी व्यवस्था का कसूर है । मैंने पहले भी राज्य

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। हम बाजरा ज्यादा वसूल करना चाहते थे। एफ० सी० आई० समय पर पैसा नहीं दे सके। समय पर सेन्टर कायम नहीं कर सके। माननीय सदस्य गिरधारी लालजी यह बात सुन कर ताज्जब करेंगे। अब मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें। एफ० सी० आई० और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को कान्फीडेन्स में लें। पैरेलल दुकानें खोलें। एफ० सी० आई० की वर्किंग की पार्लियामेन्ट में भी आलोचना हुई है। हमारा भी यही अनुभव है। वह समय पर पैसा नहीं दे सकती है। एजेन्ट की मारफत काम करती है। क्यों काम करती है? उसके पास क्वालिटी इन्सपेक्टर मौजूद है। पैसा भी मौजूद है तो एफ० सी० आई० डिपार्टमेन्टली काम क्यों नहीं करती है। बीच वाली ऐजेन्सी क्यों है? एजेन्ट भी ऐसे मकर्रर करती है जो उनकी मर्जी माफिक काम करे। हम कहते हैं तो सुनते नहीं हैं। बाडमेर कलेक्टर साहब ने एक जिला कमेटी, तहसील कमेटी नियुक्त की तो वहां पर अच्छी तरह से लेवी की वसूली हुई। कोई कठिनाई नहीं हुई। सभापति महोदय, आप ताज्जब करेंगे। जिन लोगों ने बाजरा तुलवाया है, वहां के लोगों की शिकायत है कि उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। यह क्या व्यवस्था है? अभी तक पैसा नहीं मिला है। स्पेशल सेक्रेटरी, रीजनल मैनेजर ने कहा कि अब शिकायत नहीं आयेगी। परन्तु यह उनके वस का भी रोग नहीं है। यह एजेन्ट की बीमारी है। यही हाई टाइम है। डिपार्टमेन्टली प्रोक्योरमेन्ट होना चाहिये। मौके पर व्यवस्था न हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे स्वयं इसको देखें। मेरे क्षेत्र में जो गांव हैं सांचोर, भवातड़ा, डूठवा, चीतलवाना, झाब आदि ये गांव ऐसे हैं जहां कि व्हीट पैदा होता है। ये व्हीट वाले गांव हैं। 15/20 हजार बोरी व्हीट यहां पर इकट्ठा हो सकता है। ट्रान्सपोर्ट फिर करवा दीजिये। इसमें भी क्या दिक्कत है। आप तो दुकानें खोल कर गेहूं लेना शुरू कर दीजिये। आज 75 रुपया क्विन्टल व्यापारियों ने लेना शुरू कर दिया है। क्या आप इसकी जांच करेंगे। समय पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कुछ दिनों आप एक्सपैरिमेन्ट वेसिस पर खरीद-दारी करें। डिपार्टमेन्टली खरीद करना चाहिये। यह जो एजेन्ट की बीमारी है, उसको समाप्त करना चाहिये। एफ० सी० आई० के ऐजेन्ट के पास पैसा नहीं है। एफ० सी० आई के गोदाम में वोरियां पहुंचने के वाद वे पैसा देते हैं और वह भी बैंक से उठाना होता है। यह एजेन्सी क्या बीमारी है। इसको आप क्यों बीच में रखना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इसकी व्यवस्था करे। आप डाइरेक्ट एजेन्सी से व्हीट क्यों नहीं लेते हैं? मैं जिला जालौर और विशेषत: तहसील सांचोर की जिम्मे-दारी लेने को तैयार हूं। वहां पर केन्द्र खोल कर खरीददारी की व्यवस्था करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्जीमम प्रोक्योर-मेन्ट वहां से हो सकता है क्योंकि मनी लैन्डर्स काश्तकारों को कम पैसा दे रहे हैं और वे काश्तकारों का शोषण कर रहे हैं। 105 में आप डाइरेक्ट पर्चेज शुरू कर दें। आप लाइसेन्स के जरिये इसको रेगुलरेट करना चाहते हैं। फेयर प्राइस के आधार पर आपने इस वार उनको मौका दिया है। व्यापारी भी कह रहे थे उनका व्यापार समाप्त हो रहा है। इन सब का कन्सीडरेशन करके सरकार ने उनको एक मौका

(122)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

फिर दिया है। अब अगर वे ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर उन्होंने काश्तकारों का शोषण किया, बदमाशी की तो उनको पनिशमेन्ट दिया जा सकता है। परन्तु जो समाज का ढांचा है उसमें करप्शन है। आज बोम्बे में व्यापारी गेहूं 5 रुपया किलो बेच रहा है। जगह जगह उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसको समाप्त कर सरकार ने जो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है वह ठीक है। अब सरकार के हाथ मजबूत किये जायें। इस रेट पर दुकानें खोली जावें और डाइरेक्ट माल लिया जाये। जनसंघ दल उनकी तारीफ करता है। वे कितने ईमानदार हैं, अब उनकी परीक्षा है। अगर ठीक तरह से काम नहीं किया तो उनको सीवर पनिशमेन्ट दिया जाये। अगर कोआपरेट नहीं करते हैं, अड़चन डालते हैं, बाधा पैदा करते हैं, हमारे किसानों का शोषण करते हैं तो उनको सजा दी जानी चाहिये। जो गलतियां रह गई हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिये। एफ० सी० आई० और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की जितनी कैपेसिटी है उनके अनुसार खरीद की व्यवस्था करनी चाहिये। यह गेहूं निकलने का समय है। अगर दुकानें ज्यादा से ज्यादा खोली जायें तो हम क्षेत्र में जाकर किसानों को कहेंगे। वे 105 रुपया क्विन्टल में डाइरेक्ट सप्लाई करने को तैयार हैं। परन्तु सरकार की ओर से खरीद की समय पर व्यवस्था की जानी चाहिये। शीघ्र ही केन्द्र जो गांव मैंने बताये हैं वहां पर खोल देने चाहिये। कलेक्टर एडवाईजरी कमेटी, जिला कमेटी तहसील कमेटी बना दें वे सहयोग देंगी। बीच में किसी को नहीं आने दें। जो क्षेत्र सरप्लस है वहां सरकार केन्द्र खोले, यह मैं चाहूंगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री): सभापति जी भारत सरकार द्वारा घोषित रबी के सीजन में गेहूं की खरीद-बिक्री की जो नीति है उसको मैंने यहां पर रखा। उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। एक तरफ जनसंघ के माननीय सदस्य श्री गुमानमल जी लोढा ने इस नीति की आलोचना की और कुछ व्यवहारिक सुझाव दिये। मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी भी अगर सरकार में आ जाये तो उनका पालन सम्भव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कभी आएगी भी नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : चूंकि कभी गवर्नमेन्ट बनाना नहीं, कभी राज्य करना नहीं है इसलिये अव्यवहारिक सुझाव देने में उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। चाहे उसका मतलब निकलता हो या नहीं निकलता हो। एक तरफ जहां यह कहते हैं, किसानों के लिये भाव कम है, उसको अधिक बढ़ाने की बात कहते हैं दूसरी तरफ उपभोक्ता को उससे कम भाव पर अनाज मिलना चाहिये, यह कहते हैं। 400 करोड़ की सब्सीडी देने की बात भी कहते हैं। उन्होंने हिसाब नहीं लगाया। कितना बड़ा फर्क है। इससे बढ़कर भाव किसान को देना चाहते हैं और कम भाव पर उपभोक्ता को देना चाहते हैं और 400 करोड़ की सब्सीडी देना चाहते हैं। सब्सीडी देने का मतलब है हिन्दुस्तान की जनता पर टैक्स का और भार डाला जाये। आखिर इसके लिये टैक्स लगाना पड़ेगा। आखिर कहीं न कहीं गवर्नमेन्ट को टैक्स लगाकर यह सब्सीडी की राशि लेनी होगी। मैं समझता हूं केवल

(श्री शिवचरण माथुर)

सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनका धर्म, कर्तव्य है और इसी आधार पर इन उन्होंने नीतियों की आलोचना की है।

स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्यों ने हमारी इस नीति का स्वागत किया है लेकिन मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस भ्रम में कभी न रहें कि हमने जो हमारी समाजवाद की नीतियां हैं, राष्ट्रीयकरण की जो नीतियां हैं उनको त्याग दिया है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मैंने अपने बयान में भी इस बात को कहा है कि यह वास्तविकता की बात है। आज की जो मांग है। समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम अपनी नीतियों में ढिलाई लाये हैं और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन किया हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 25-26 साल से इस देश की हुकुमत कांग्रेस के हाथ में रही है, और उसके पहले कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रही है लेकिन सिद्धान्तों की दृढ़ता रही है। हमने मूल सिद्धान्तों पर दृढ़ता रखी है। समाजवाद की बात को लेकर और राष्ट्रीयकरण की बात को लेकर खास तौर से प्रचार किया है और मौकों पर कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी आम जनता के हित में और जनता की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से तो ढिलाई देने में हिचकिचाहट नहीं की है। माननीय सदस्य ने कहा कि 50 बार फूड ग्रेन्स आर्डर में चेन्जेज किये गये हैं। मैं निश्चित रूप से कह चुका हूं कि अरबन एरियाज के लिए अगर समय समय पर हम आर्डर्स में चैन्ज नहीं करते तो अरबन एरियाज में गेहूं की उपलब्धि समय पर नहीं हो सकती थी। भारत सरकार से हमें गेहूं केवल 15 हजार टन मिलता था, पिछले महीने से 18 हजार टन हुआ है। उसमें आम लोगों को, प्रति यूनिट, प्रति व्यक्ति कितना दे सकते हैं इसका हिसाब लगा लें। समय समय पर आवश्यकता को देखते हुए जब महसूस किया कि खोलने से अनाज आ सकता है तो खोल दिया। जहां पर हमने यह महसूस किया कि अधिक भाव बढ़ रहे हैं तो होर्डिंग पर सीमा लगा दी और उसको निश्चित कर दिया। जहां पर यह बात महसूस की गई कि किसानों के जरिये से अनाज मिलता है तो उसकी पाबन्दी को हटाने की बात की है। सरकार ने वास्तविकता के आधार पर, मौके की आवश्यकता को समझते हुए उसको किया है। किसी भी अच्छी सरकार के लिए बहुत जरूरी बात है कि वह समय के साथ चले और आवश्यकता के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करे। और उसी आधार को ध्यान में रखते हुए इस बार भी गेहूं की खरीद और बिक्री के लिए नई नीति घोषित की है। उसके करने का आधार यह है कि ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह नीति है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : बड़े पैमाने पर नाज को अपने हाथ में रखकर भावों को सब्सिडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मतलब यह है कि राज्य में मंहगाई काफी बढ़ रही है फिर सब्सिडाइज करके बहुत बड़ा टैक्स का बर्डन जनता पर लादना वह उपयुक्त बात नहीं है। इसलिए आज एक ऐसी व्यवस्था करके आप चलेंगे कि समाजवाद के आधार पर समाज के ऐसे अंग के लिए जिनके पास आज आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको खिलाने के लिए कुछ स्टाक बनायें और स्टाक बनाने के बाद हम ऐसी व्यवस्था कर सकें कि जिसका असर यह हो कि आम तौर से अनाज की उपलब्धि हो इस बात को ध्यान

Page No 124

(१२४)

(श्री शिवचरण माथुर)

में रखते हुए यह सोचा गया है कि जो हमारी मंडियां हैं, सब-यार्डस हैं उनके अलावा स्पेसिफाइड यार्डस भी होंगे जहां पर मंडियां नहीं हैं, या सब-यार्डस नहीं हैं, जैसा कि माननीय विश्नोई जी ने कहा, जहां पर गेहूं की आमद हो सकती हैं सरकार नोटिफाई करके आवश्यकता के अनुसार पांइट बढ़ा सकती है। ऐसे स्थानों पर जितनी भी परचेजेज होगी उन सारी परचेजेज पर सरकार 50 पर्सेन्ट ले 105 रु० प्रति क्विन्टल के भाव से लेकर बाकी को खुले बाजार में बेचने की छूट देना चाहती है। इसमें बुरी बात नहीं है। खुले बाजार में बेचने की छूट देने का मतलब यह नहीं है कि भाव एकदम ऊंचे बढ़ जांय। इतने ही ऊंचे बढ़ाये जायं कि बाजार भाव और लेवी के भावों में एक संतुलन रहे। भारत सरकार सोच रही है उसके लिये भी एडेक्वेट मेकेनिज्म तैयार करने की बात। उसी आधार पर राज्य सरकार आगे बढ़ना चाहती है। यह निश्चित है कि 105 रु० प्रति क्विन्टल के भाव से 50 पर्सेन्ट लेवी लेंगे, और व्यापारियों पर वह लेवी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए यह हमने मौका दिया है, अवसर दिया है कि वह ईमानदारी से उचित मुनाफा लेकर सरकार के साथ में सहयोग करें, और सरकार से सहयोग करने का मतलब यह है कि जनता को राहत दें· · · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : व्यापारी भी कभी ईमानदार साबित हुए हैं। कोई व्यापारी ईमानदार साबित हुआ है अभी तक ?

श्री शिवचरण माथुर : हर आदमी जब तक बेईमान साबित न हो जाय तब तक ईमानदार है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बेईमान तो साबित हो चुके हैं कई मर्तबा।

श्री मोठालाल : ठेका तो इन्होंने ही ले रखा है ईमानदारी का।

श्री शिवचरण माथुर: फिर उनको अच्छा अवसर दिया है कि वे अपने ट्रेडिशन को बतायें, और जनता के सामने यह बताने की कोशिश करें कि वाजिब मुनाफा लेकर सही तरीके से अनाज को इकट्ठा करके जनता में वितरित करें। जो ट्रेडिशन बना आ रहा है व्यापार करने का उसमें हम इन्टरफियर नहीं करना चाहते हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल जो गेहूं का व्यापार हमने लिया तो सारे के सारे ट्रेड को समाप्त नहीं किया। हमने थोक व्यापार को समाप्त किया, जो गेहूं का होलसेल ट्रेड था उसको समाप्त किया। गांवों के व्यापारियों को रखा और शहरों के रिटेलर व्यापारियों को सुविधाएं दी हैं कि वे नाज की खरीद और बेचान कर सकते थे। तो कुल मिलाकर छोटे व्यापारियों को समाप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की गई। हमने तो यह कोशिश की है कि बड़े व्यापारी जिनके पास में पैसों का खजाना है उनको काबू में इतना रखा है कि पैसों के आधार पर वह नाज को होर्ड न करें और समाज में ऐसी स्थिति पैदा न करें कि नाज भंडारों में पड़ा रहे और लोग भूखों मर जायं, वह इस तरह से न कर सके। छोटे व्यापारियों को खुली छूट है कि जिस प्रकार के भाव हों उस पर खरीदे और आम लोगों को सप्लाई करें। यह भी बात की है कि छोटे व्यापारियों को आगे करके जनता को राहत देने की बात की है। हमने स्टट्यूटरी राशनिंग नहीं किया था और हर आदमी को राशन शाप से सप्लाई करने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर नहीं ली थी। बाजार में नाज मिल रहा था।

(श्री शिवचरण माथुर)

यह सुविधा दी थी जिसके कारण बाजार में नाज मिल रहा था, और उसी कारण से लोगों में बेचैनी नहीं थी। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे दूसरे प्रान्तों में कोई भी स्थिति बनी हो, लेकिन राजस्थान में व्यवहारिक नीतियों के आधार पर हमने कदम उठाये हैं। सख्ती करने की आवश्यकता हुई तो व्यापारियों के साथ में सख्ती की है। जहां छूट देने की आवश्यकता हुई है तो आवश्यकता के आधार पर छूट भी दी है ताकि बाजार में नाज निकले। हमारा केवल आधार यह था कि लोगों को नाज मिले।

श्री मूलचन्द सामरिया : नाज मिला और खूब मिला।

श्री शिवचरण माथुर : आज भी मिल रहा है।

(4.45 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मुझे यह निवेदन करना था कि नीति जो कुछ हमने बदली है तो उस नीति के संबंध में कम्युनिस्ट साथी यह न समझें कि हम लोग जो हमारी बेसिक नीति है, मूल नीति है समाजवाद की और राष्ट्रीयकरण की, उससे हटे हैं। पिछले वर्ष गेहूं के व्यापार को अपने हाथ में लिया था तो आप लोग भूल जाते हैं कि ऐसी स्थिति में लिया था जब कि सारे देश में अकाल था, बहुत से जिलों में अकाल था और कम से कम 90 मिलियन लोगों यानी नौ करोड़ लोगों को अनाज स्केयरसिटी इफेक्टेड एरिया को देना पड़ा। इसके अलावा दूसरे वर्कर्स को 12 करोड़ आदमियों को नाज सप्लाई करना पड़ा। हम लोग गेहूं के व्यापार को हाथ में नहीं लेते और स्टाक नहीं बना पाते तो शायद इतने लोगों को नहीं खिला पाते। जो कुछ थोड़ा बहुत लोगों को नाज दिया उससे लोगों को सहारा मिला।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि नाज की शार्टेज कोई हिन्दुस्तान में ही नहीं है। आज सारी दुनिया में नाज की शार्टेज का प्राब्लम है और आसानी से हल नहीं हो रहा है। यह वास्तविकता है . . .

श्री रामकिशन : यह बचाव बहुत बढ़िया है।

श्री शिवचरण माथुर : बचाव की बात नहीं है। हकीकत है। अफ्रिका के देशों को आप देखलें कि अफ्रीका में नाज की कमी से हजारों, लाखों आदमी मर गये, लेकिन हमारे देश में आज सरकार ने ऐसी स्थिति नहीं आने दी . . . . .

श्री मूलचन्द सामरिया : गुजरात तो आपने देख लिया है।

श्री शिवचरण माथुर : गुजरात में कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा है।

श्री दीपंकर : गुजरात तो प्रतिक्रियावादियों का गढ़ था।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सारे राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल आदि सरप्लस और डेफिसिट स्टेट्स ने एक मीटिंग में बात की और अपने अलग अलग अनुभव और अपनी अपनी स्टेट की जो दिक्कतें थीं उन सारी दिक्कतों का एक ओवरआल एस्टीमेट लेकर सारे देश के लिए नीति निर्धारित की है। आज राजस्थान यदि अपनी एक आइसोलेटेड वे में नीति बनाकर चले तो मैं समझता हूं कि

(श्री शिवचरण माथुर)

चल नहीं सकता है। आज सारे देश की एक इन्टेग्रेटेड पिक्चर है और उस इन्टेग्रेटेड पिक्चर से हम बन्धे हुए हैं। कई चीजें हमारे यहां पैदा होती हैं तो दूसरी जगहों पर दूसरी चीजें पैदा होती हैं। जो देश में पैदा नहीं होती हैं वह बाहर से मंगानी पड़ती हैं। हमारे यहां पर जो चीज ज्यादा पैदा होती है तो दूसरे हिस्सों को भेजना पड़ता है। आज देश की इन्टेग्रेटेड पिक्चर को लेकर चलना पड़ता है। केवल हमारे स्वार्थों की पूर्ति ही हमारी नीति का आधार नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री ने नीतियां हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की हैं। इन नीतियों के पीछे एक बहुत बड़ी चीज यह है कि हर आदमी को उससे लाभ पहुंचे, मुनाफा हो। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में बैठकर प्रधान मंत्री ने अपनी तरफ से निर्णय ले लिया हो या फखरुद्दीन साहब ने अपनी तरफ से निर्णय ले लिया हो। सारे देश के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में उनके अलग अलग अनुभवों को सुनकर और जो कुछ भी कठिनाइयां आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज की हालत में जो व्यवहारिक हो सकती हैं उनको देखकर नीतियों की घोषणा की गई है, और मैं समझता हूं कि इस नीति में किसी प्रकार की खराबी नहीं है। आज हमें सोचना यह है कि इस नीति को घोषित करने के बाद में जो कुछ भी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं उनको किस प्रकार से दूर करने की कोशिश करें। आज विरोधी दल के माननीय सदस्य चाहे सरकारीकरण की नीति हो और चाहे कोई नीति हो उनको तो उसका विरोध करना है और उसमें छूट दे दें तो उसका विरोध करना है। आप एक तरफ तो ठीक से चलें।

श्री झाबरमल सूंडा : आप हमसे सलाह नहीं करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह सलाह ही तो है।

श्री झाबरमल सूंडा : यह सलाह नहीं। यहां पर आप बात मानने को तैयार नहीं हैं। आप टेबल पर बैठकर सलाह करें।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के इस सत्र में इस खाद्य नीति के सम्बन्ध में विचार और चर्चा करने के जितने मौके हमको मिले हैं उतने पहले नहीं मिले होंगे। एक दिन तो खुलकर डिबेट हुई है। आपके सुझाव भी आये हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने उनको माना है?

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये आप।

इस सदन में बैठकर सबसे अधिक मौका आप को मिलता है। इस पक्ष से तो इतने नहीं बोलते हैं। सबसे अधिक मौका विरोधी पक्ष को मिलता है। लेकिन कृपा करके आप केवल विरोध की नीति न रखकर अपने सुझाव भी दें। अगर रचनात्मक दृष्टिकोण आते हैं तो सरकार उनको निश्चित रूप से अपनायेगी। लेकिन होता यह है कि विरोध के खातिर विरोध होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं जो समाजवाद में विश्वास रखने वाले सदस्य हैं और जो समाजवाद में विश्वास नहीं रखने वाले सदस्य हैं, दोनों को ही कहूंगा, इस नीति को आज की वास्तविकता के सन्दर्भ में बढ़ाने की कोशिश कीजिये। सरकार की मूल नीति यह है कि उपभोक्ता को अनाज उपलब्ध हो। किसानों को भी उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। जो प्राइस निर्धारित की गई थी, उससे अधिक उनको दिया

(श्री शिवचरण माथुर)

गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि किसानों को इनपुट्स मिलना चाहिए। उसको दिलाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन आज इन चीजों की शार्टेज है। खाद, डीजल, क्रूड-आयल, इनकी आज शार्टेज है। हम कोशिश करते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक इनपुट्स दिये जायें। हम फिर से विश्वास दिला कर चलना चाहते हैं कि देहात में जो चीजें दी जानी चाहिए, उनकी सही वितरण व्यवस्था करके चलें। यहां पर एफ०सी०आई० के बारे में कहा गया है। इसको डिपार्टमेंट में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें समय कुछ ज्यादा ही लगेगा। इसको भी एग्जामिन कर लिया गया है। जहां तक माननीय विश्नोई जी ने कहा है उनके यहां गेहूं 105 रुपये से नीचे के भावों से व्यापारी खरीद रहे हैं। यदि उनके इलाके में यह स्थिति है तो एफ०सी०आई० के जरिये से हम 105 रुपये में जल्दी से जल्दी खरीदने की व्यवस्था कर देंगे। जो सारे सुझाव दिये हैं, उनको वहां ध्यान में रखते हुये फौरन ही सरकार की तरफ से खुले बाजार में अनाज के लिये हम व्यवस्था करना चाहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं। मंत्रिमण्डल में एक दो दिन हुये, दे दिया गया है। एक दो माइनर डिटेल हैं। 105 रुपये से नीचे आपने कर दिया है। वहां एफ०सी०आई० के जरिये से खरीदने की आज भी हमारी तैयारी है। मैं निवेदन करूंगा, जो नीति आज की हालत देखते हुये सरकार ने अपनाई है। क्योंकि विरोध करने के लिए ही विरोध करना ठीक नहीं है। यदि उनकी व्यवस्था ठीक रहे तो मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, वह कितना सहयोग सरकार को देते हैं। यदि सहयोग किया। पूरी तौर से ईमानदारी से काम किया तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी जो आवश्यकताएं होंगी, उपलब्ध कराई जायेंगी। लेकिन उन्होंने सहूलियत की आड़ में सरकार के साथ में नान कोआपरेशन शुरू किया तो मैंने वक्तव्य में कहा है, हमें सख्त से सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमने यह देख लिया है कि व्यापारी हमें सहयोग नहीं करे और हम खड़े देखते रहें। यह नहीं हो सकता है। व्यापारी हमें सहयोग करते हैं तो हम सहूलियत देने को तैयार हैं। इसमें किसी को बेईमान नहीं समझा गया है। हर आदमी बेईमान हो, यह नहीं है। लेकिन यह सही है कि बहुत से आदमी जो कि ओवरनाइट में लखपति बनना चाहते हैं। रातभर में लखपति बनने की प्रवृत्ति है। उसके अगेंस्ट में सरकार को सेफ गार्ड रखना पड़ता है। इसको रोकना चाहिए। सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मेरी ओर से इस बारे में कोई कसर नहीं रखी जायेगी। मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नई नीति का आप समर्थन करें।

शासकीय संकल्प

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 478 (क) के संदर्भ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के प्रति निदेश का अर्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निदेश।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं।

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 478 के खण्ड (क) के अनुसरण में यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श पश्चात्, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि राजस्थान राज्य के बारे में उक्त संहिता की धारा 108, 109 एवं 110 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के प्रति निदेश का अर्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निदेश लगाया जायेगा।"

श्री रामकिशन : हाउस में सारी धारायें आपने बचा दी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति है कि बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री केदारनाथ : मेरा यह निवेदन है कि आपने यह 8,9 और 10 छोड़ दी हैं। 345 क्यों छोड़ दी है। वह ज्यादा इम्पार्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, 478 के तहत लैंगवेज यह है :

"If the State Legislature by a resolution so requires, the State Government may, after consultation with the High Court, by notification direct that:—

(a) reference in Sections 108, 109 and 110 to a Judicial Magistrate of the first class shall be construed as references to an Executive Magistrate."

लेकिन यह जो एतराज कर रहे थे, उसका सब सेक्शन 2 और है, वह है [बी :

"(b) references in Sections 14 and 147 an Executive Magistrate shall be construed as references to a Judicial Magistrate of the first class."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह तो सरकार की नीति है, सदन यह तय करे। मैं इससे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं 100 ए, 109,110 में जुडिसियल मजिस्ट्रेट—इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। अभी न तो जुडिसियल मजिस्ट्रेट ही हैं, एक साधारण व्यवहारिक बात है, जुडिसियल मजिस्ट्रेट नहीं हैं, इसलिए हमने कह दिया, यह अधिकार दे दिया असेम्बली को, वह चाहे जब तक हमारे पास रह जाने चाहिए, थोड़ा बहुत का नहीं है, लेकिन दस वर्ष नहीं निकल जायं, 15 वर्ष नहीं निकल जायं। हम यह चाहते हैं, तब तक जो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्क कर रहे हैं, 108, 109, 110 जुडिसियल मजिस्ट्रेट से मतलब रखते हैं, लेकिन 145 में, 147 में इस क्रिमिनल प्रासीजर कोड के तहत अधिकार दे दिया गया है एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही मिलने चाहिए। हम अगर इतने एडवान्स हो जायं कि उनकी जगह जुडिसियल मजिस्ट्रेट होते जायं, 108, 109 , 110 में जुडिसियल मजिस्ट्रेट हो जाय। लेकिन जुडिसियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहे हैं तो सब सेक्शन बी को लेने की आवश्यकता नहीं है। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा, कृपा करके ला मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया, आप जवाब दे दें....

श्री उपाध्यक्ष : नामिनेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अपनी तरफ से बोलने की इजाजत चाहता हूं, मंत्री महोदय

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

को एतराज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, सब-सेक्शन (4) है of Section 3. सेक्शन 3 का सब-सेक्शन (4) है:-

"(4) where, under any law, other than this Code, the functions exercisable by a Magistrate relate to matters—

(a) which involve the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decisions which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial or would have the effect of sending him for trial before any Court, they shall, subject to the provisions of this Code be exercisable by a Judicial Magistrate, or

(b) which are administrative or executive in nature, such as, the granting of a licence, the suspension or cancellation of a licence, sanctioning a prosecution or withdrawing from a prosecution, they shall, subject as aforesaid, be exercisable by an Executive Magistrate."

इस लॉ में तो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहुत सीमित कर दिया गया है सबजेक्ट टू दा प्रोविजन्स ऑफ कोड, फिर दफा 145 में, 146 में एप्लीकेशन ऑफ एवीडेंस भी है, प्रापर्टी का निर्णय भी होता है, जजमेंट होता है, सबजेक्ट टू सम अदर जजमेंट ऑफ कोर्ट। मैं चाहता यह था, एक बहुत बड़ा आदर्श हम रखें, जुडिसियरी से एक्जीक्यूटिव का हम सेपरेशन करें। लेकिन हमारी कठिनाई है, अभाव है, मुश्किलात हैं—इसलिये एक प्राविजन फिलहाल दिया है, सैकिण्ड प्राविजन अभी तक एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सौंप रखा है वह उसके हाथ में चलता रहे। मैं अपनी तरफ से यह कह कर बन्द करूंगा, 108, 109, 110 का जो अब तक रवैय्या रहा है, अब तक नम्बर ऑफ केसेज देखते आये हैं, कोई बहुत बड़ी कार खड़ी है, एक आदमी बैठ कर कार की तरफ देख रहा है। उसको पुलिस ने उठाया, पुलिस थाने में डाल दिया और फिर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया। उसका जजमेंट एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। उसे छः महीने की जेल हो जायेगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। हमारे देश में भिखमंगों का अभाव नहीं है, रोटी मांगने जाते हैं। किसी तरफ भी देख लें, वहीं नजर आते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, आज की अवस्था को मानते हुए कल हमें निर्णय लेना पड़ेगा और वापिस विथड्रा करेंगे तो वह जल्दी विथड्रा कर लें। यह कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री केदार नाथ : 109, 110 को विथड्रा कर लें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वापिस जुडिसियल मजिस्ट्रेट के पास जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नाहर साहब में व्यंग्यपूर्ण भाषण की भावना के समर्थन में मैं भी कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय यह धारा 109, 110 कानून के राज के ऊपर एक कलंक है, एक धब्बा है। यह ठीक है कि शायद इसकी गहराई में जाकर हम इसका विश्लेषण करने के लिये बैठे भी नहीं है और उतना समय और मानस भी नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा मिस यूज होता है पावर्स का, पुलिस के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा,

Page No 130

(130)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक्जीक्यूटिव के द्वारा गरीब तबके के लोगों और निस्सहाय लोगों के विरुद्ध, राजनैतिक विद्वेष निकालने के लिये और सब-इन्सपेक्टर पुलिस, कान्सटेबल द्वारा व्यक्तिगत विद्वेष निकालने के लिये। भ्रष्टाचार के लिये किसी सेक्शन का दुरुपयोग होता है, किसी सेक्शन को हथियार बनाकर दुरुपयोग किया जाता है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 109 और 110 है। सेक्शन 109 के अन्दर, 110 के अन्दर सही स्थिति यह है कि राह में चलते हुए, कान्सस्टेबल पुलिस का चाहे जिस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर ले जाते हैं कि आपका जरिया आवास नहीं है, किसी प्रकार का आपके खाने, पीने रहने का साधन नहीं है। आप साबित करें। उसे लाकर कैद खाने में डाल देता है, पुलिस थाने में। मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो जाता है। मजिस्ट्रेट पूछता है साबित करो, तुम्हारे पास खाने का क्या जरिया है। आजाद हिन्दुस्तान में 25-27 साल के बाद ऐसा प्रावधान रखना उस इन्सान के लिये जिसके खाने पीने, रहने का जरिया नहीं है-यह सबसे ज्यादा कलंक हमारी आजादी की उपलब्धियों के ऊपर नहीं है? मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, यह जले पर नमक छिड़कने के बराबर है, जो प्रावधान रखा है, इसको भी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास रख दिया जाय। इसके पीछे मतलब यह है, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस प्रकार सत्ता का अंग बन कर, हाथ बन कर, एडमिनिस्ट्रेशन का लिम्ब बन कर, प्रशासन का हथियार बन कर जनता के ऊपर, कानून के ऊपर हमला करता है, किस प्रकार उसका दुरुपयोग करता है। इसके कारण यह प्रावधान रखा गया है उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक्जीक्यूटिव और जुडिसियरी के सेपरेशन के बहुत बाजे बजाये, राजस्थान में बाफना कमीशन बनाया, जस्टिस बाफना थे, उनको काम दिया गया, कई साल तक उन्होंने रिपोर्ट लिखी। उसके बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बार बार इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है, राजस्थान में हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया है। न मालूम इसे कितनी बात दोहराया है और इस बार भी बजट भाषण में कहा। उसके बाद कानून मंत्री ने बिना कानून की बात कही। लेकिन उसके बाद यह आपके सामने आता है, 109, 110 न्यायपालिका से कार्यपालिका लेना चाहती है। माननीय कानून मंत्री ने कह दिया, संकल्प पारित दिया जाय। वह कारण बताते....

श्री रामकिशन : उन्हें पता ही नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : कारण बता दें, कारण में तर्क नहीं होता, युक्ति नहीं होती लॉजिक नहीं होता, लेकिन कहने के लिये कुछ कहते। लेकिन दो शब्द भी इसके बारे में नहीं कह सकें, क्यों चाहते हैं पावर? क्यों चाहते हैं जब ढोल पीट रहे हैं, हमने न्यायपालिका को कार्यपालिका को सेपरेट कर दिया है? केन्द्र में क्रिमिनल प्रासीजर कोड का अमेंडमेंट हुआ, उसके लिये सलेक्शन कमेटी बनी। उस सलेक्ट कमेटी ने भी भर्त्सना की है। हमने जब से, हमेशा से जो मिसयूज ऑफ पावर है, उसको खत्म कर दिया, तो क्रिमिनल प्रासीजर कोड से इसे निकाल देना चाहिये, समाप्त कर देना चाहिये। लेकिन उनको जुडिसियल मजिस्ट्रेट से हटा कर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देना चाहते हैं, तो कितनी बड़ी विडम्बना है, मंत्री जी कारण बताते, तर्क देते, विवेचन करते-अच्छी या बुरी तर्क संगत कसौटी पर उतारते। लेकिन यह नहीं। वह बोल नहीं सकते, वह समझते हैं, संकल्प रख

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दिया, हाथ खड़े कर दिये, पास हो जायेगा। आप क्यों चाहते हैं? नाहर साहब ने कहा, भिखमंगे बहुत हैं, भिखमंगों के लिये इन्तजाम कर सकें। उन्होंने यह भी कह दिया, जुडिसियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। थोड़े से जुडिसियल मजिस्ट्रेट हैं, और होते होते तैयार होंगे। यह कारण उन्होंने कहा, यह उनके दिल में था नहीं। वह रेडिकल करना चाहते हैं मंत्री महोदय, के संकल्प को, इसलिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया, ताकि ज्यादा एम्फेसिस हो, जुडिसियल मजिस्ट्रेट बन जांय, हाई कोर्ट के माध्यम से इनकी नियुक्ति हो जाय, जुडिसियल मजिस्ट्रेट दूसरे आफेंस ट्राई करेंगे, क्रिमिनल प्रासीजर के दूसरे सेक्शन को इम्पलीमेंट करेंगे। उनसे 109 को इम्पीलीमेंट कराने में क्या कष्ट है, क्या कठिनाई है, क्या कष्ट है? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखना चाहते हैं? यह फर्क कि जहां तक 109 के अंदर अंदर रखने का अधिकार है वह रामबाण अधिकार हमारे पास रहना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? वह अपना दिमाग मार्गेज कर देता है। कलेक्टर आज्ञा देता है उसको कि गोली चलवा दो, 144 लगवा दो, इसको पकड़ लो। वह तो एक प्रकार से प्रशासन के अंग के रूप में काम करते हैं, कानून से इनको लेना देना नहीं। इसलिए बिना कानून का कानून, काला कानून यह हमारे संविधान पर धब्बा है, जनतंत्र पर कलंक है। न्यायपालिका के पास रहता तो अंकुश रहता क्योंकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स निर्णय करते तो सोचते और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहीं करेगा जो पुलिस चाहती है, किसको अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है। आपने यह जो संकल्प रखा है यदि आप और थोड़ा बहुत विचार करें तो कम से कम राजस्थान के धवल मुंह पर कालिख लगाने की कोशिश न करें, तो उचित होगा। यह 55, 108 का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है उसको हमें राजस्थान से अलविदा करना है, इसको सी ऑफ कर दो हमेशा के लिए। नहीं तो आज सरकार किसकी है, कल किसकी होगी। मगर यह प्रोवीजन्स को मिसयूज करने के लिए, एब्यूज करने के लिए है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायपालिका से हटाकर आपने जो इसमें रखा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह दुराधिकार दिया जाए, यह संकल्प वापस ले लें।

श्री रामकिशन : जहां आपके जुडीश्यल मजिस्ट्रेट्स भी हैं और एस०डी०ओ० भी हैं क्या वहां भी सारे राज्य में एक व्यवस्था रखेंगे या अलग अलग ढंग से रखेंगे जहां जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं वहां उनको यह कार्य दिया जाए?

श्री गुमानमल लोढ़ा : ये सब अपने पास रखेंगे।

श्री खेतसिंह : जब मेरा जवाब सुनेंगे तो आपको संतोष हो जाएगा।

श्री रामकिशन : आपको तो पता भी नहीं कि क्या मामला है।

श्री खेत सिंह : अगर मुझे सुन लेते तो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

श्री गुमान मल लोढ़ा : Why do you want this departure, इसके लिए आपने कुछ नहीं कहा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह जो संकल्प सदन में रखा गया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि 25-30 वर्ष हो गए मुझे वकालत करते हुए । मेरी मान्यता है कि जितना दुरुपयोग 109 व 110 का पुलिस द्वारा किया जाता है उतना और किसी सेक्शन का नहीं होता है इसलिए कि जब पुलिस को यह मालूम होता है कि और कोई बात नहीं बन सकती और हमको रिश्वत लेकर इस काम को करना है तो फिर एक फर्जी वाकयात बनाकर कि रात को कम्बल ओढ़कर छिपने की कोशिश कर रहा था और ब्लेड उसकी जेब में डालकर कहेंगे कि इस ब्लेड के जरिए वह जेब काटता था, इसके पास यह औजार था जिससे ताला तोड़ना चाहता था, इस तरह का स्टेरोटाइप्ड एवीडंस प्रॉड्यूस करके चालान पेश कर देते हैं और फिर उस गरीब को महीनों लग जाते हैं । बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो सैर या और किसी उद्देश्य से जयपुर देखने आते हैं तो 3-3, 6-6 महीने वैसे ही जेल में पड़े रहते हैं न तो मजिस्ट्रेट उनकी मदद कर सकता है न वे जमानत ला सकते हैं इसलिए सबसे खतरनाक सेक्शन जिसके लिए हम मांग करते रहे हैं कि डिलीट करना चाहिए, वह यही है । दरअसल हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर यह मजाक है । हर आदमी कहीं पर भी जाय, घूमे, देश में कहीं भी जाए, उसको आजादी होनी चाहिए लेकिन यह आजादी पुलिस खतम कर देती है । एक उदाहरण मैं बता दूं । यहां का एक मजिस्ट्रेट था बहुत ही नेक और शरीफ आदमी, वह बम्बई गया । उनको कहीं सिनेमा घर से निकलने में देरी हो गई तो 12 बजे रात को उनको बम्बई की पुलिस ने 109 में रख दिया । उन्होंने कहा मैं मजिस्ट्रेट हूं तो पुलिस ने कहा होंगे मजिस्ट्रेट, यहां जो आते हैं सभी मजिस्ट्रेट्स ही होते हैं, हैं, यहां बाबूजी नहीं आते । उन्होंने अपने एन्टीसिडेंट्स बताए फिर भी नहीं छोड़ा, तीन दिन उसको वहां रखा फिर वहां से यहां तार आया और जयपुर सरकार ने कन्फर्म किया कि यह मजिस्ट्रेट है तब उनको बड़ी मुश्किल से वहां छोड़ा गया तो यह तो एक मजिस्ट्रेट के लिए है । यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शादीलाल को पुलिस ने पकड़ लिया वह सवेरे 3-4 बजे घूमने जाता था । पुलिस ने कहा यहां सब ताला तोड़ने वाले घूमते हैं । उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, पुलिसवालों ने कहा हम कुछ नहीं जानते । तो पुलिस द्वारा दुरुपयोग सबसे ज्यादा इसी 109 और 110 में होता है और उसको आप एग्जीक्यूटिव के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो इसका क्या जवाब है ?

श्री भगराज चौधरी : माननीय सदस्य को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ या नहीं ?

श्री राम किशन : मुझे बड़ौदा में बंद कर दिया गया था ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जयपुर में राधावल्लभ, दुर्गालालजी और एक और साहब, हमारे साथी थे तीनों जा रहे थे, रात को एक बजे देरी से उठे थे दफतर से, उनको जाकर पकड़ लिया, उस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी । पुलिस वालों ने कहा आप कोशिश कर रहे थे डाकघर को आग लगाने की । उन्होंने कहा हम अभी अभी ऑफिस से आए हैं, पुलिस वालों ने कहा कोई ऑफिस नहीं । हालांकि वे हमको अच्छी तरह से जानते हैं, हमने 10 बजे दूसरे दिन जाकर उनको छुड़वाया । उन्होंने कहा हमें अफसोस है तो खुदा न खास्ता खेतसिंहजी पर कहीं न कहीं ऐसी नौबत आ जाए ....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पुलिस का कयास ठीक निकला कि आप डाक घर जला देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो आप अन-ब्रिडल्ड पावर्स लेना चाहते हैं, उसको सोच समझकर लिया जाए कि आखिर इसका नतीजा क्या होने वाला है। 110 की पावर्स कभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं होनी चाहिए। 50 मुकदमें इस किस्म के हैं जो झूठे हैं, स्टेरोटाइप्ड, 50 फाइलें हैं कि लड़कियों को छेड़ते हैं, नल पर खड़ा हो जाता है। जब इस तरह से पुलिस द्वारा दुरूपयोग होता रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कितनी फाइलें हैं। अगर कोई दूसरी लेंग्वेज मिले तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। आप 109 व 110 की फाइलें मंगा लीजिए। तो मैं अपील करूंगा कि ये सेक्शन्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मत सौंपिए नहीं तो इनका दुरुपयोग होगा। कितना ही नेक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, वह मदद नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को पकड़ लाते हैं जो पुलिस के चक्कर में आ जाता है, फिर उसके लिए छूटना मुश्किल है। दिन को 12 बजे पकड़ा और रात का 12 बजे की गिरफ्तारी दिखाई गई। ऐसे पचासों केसेज की मैंने पैरवी की है। मजिस्ट्रेट कहता है जमानत लाओ तो जमानत नहीं मिल सकती, एनटीसिडेंट्स नहीं आ सकते। ताराप्रकाश जोशी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस एक आदमी को पकड़ कर ले गई कि यह बदमाश है; उनसे जोशीजी ने पूछा क्या काम करते हो? उन्होंने कहा नगीने बनाता हूं तो उन्होंने कहा हाथ दिखाओ आंटण हैं तो वाकई आंटण थे। वह नेक इन्सान था उन्होंने कहा पुलिस खामखां पकड़ लाई है। तो आप पुलिस को अनब्रिडल्ड पावर्स देते हैं 109 व 110 में चालान करने की और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आप ट्रायल करवाना चाहते हैं, इसका औचित्य नहीं है, इसको आप खतम करें। संकल्प को वापस लीजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : 109 व 110 में जो एव्यूज होता है, पुलिस के आंकड़े मंगालें कि साल के अंत में कितने केसेज होते हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूं पुलिस के हर थाने में कोटा निर्धारित है कि एक साल में इतने केसेज 110 के पाबंद करायेंगे इतने केसेज 109 में और उसका नतीजा यह होता है कि जब आखिरी दिन होते हैं, मैंने देखा है लोगों को घर से पकड़कर बंद कर देते हैं यह कहकर कि ये लोग चोरी करने के प्रयास में मिले अथवा इनके पास हथियार था और उनका चालान किया जाता है। इस तरह पुलिस कोटा पूरी करती है। अगर यह पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देते हैं, दरअसल जो जनता की मंशा सेपरेशन ऑफ जुडीशयरी की थी उसका कारण यही भयावह सेक्शन थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून की आड़ में पुलिस उन गरीब लोगों को पकड़ेगी जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं और खाने को अनाज नहीं है। कभी किसी [illegible] गांव के बाहर बिना कपड़े पहने हुए देखेंगे तो उसको पकड़ कर इस दफा के अन्तर्गत चालान कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार गरीब को खाने पीने को, पहनने को कपड़ा देने की व्यवस्था नहीं कर सकती तो राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने का क्या अधिकार है? उपाध्यक्ष महोदय, यह सेक्शन सिर्फ गरीब लोगों के लिये ही है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत

(श्री मूलचन्द सामरिया)
राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कानून को डिलीट करा दें और अगर आप डिलीट नहीं करा सकेंगे तो मैं समझता हूं कि आप गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि यह हमारे भारत के नागरिक की फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शन के खिलाफ में है। हमारे संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं उसके विरोध में यह कानून आप पास कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे मंत्रीजी मान लो चले जायें या काश्मीर चले जांय और वहां पर अगर ऐसी अवस्था में पाये जायें कि उनको अगर इस कानून के तहत पुलिस पकड ले तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कानून में से दफा 109, 110 को डिलीट किया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पुलिस थानों में हर थाने में दफा 110 और 109 के केसेज के कोटे बन्धे हुए हैं और देखते हैं कि इसके तहत कितने केसेज बनाये गये। कितने लोगों के चालान हुए। इसके अलावा और मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इसमें आप ऐसा प्रावीजन रखें कि अगर किसी व्यक्ति का कोई जमानती नहीं हो तो उसको उसकी पर्सनल सिक्योरिटी पर छोड़ा जावे। ऐसा प्रावधान होना चाहिये; यह चाहे आप उतनी देखते हो कि जब तक वह अपनी जमानत पेश नहीं कर सकें तब तक अन्यथा कई गरीब लोगों को आप अन्दर रख देंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सबसे पहली बात तो मेरी यह कि इसे डिलीट ही किया जाना चाहिये और अगर आप इसे डिलीट नहीं करते हैं तो यह जो कोटा निर्धारित किया हुआ है पुलिस थानों के वह बन्द होने चाहिये। तथा तीसरे अगर उसके पास जमानती मौके पर नहीं हो तो उसे पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाकर उसकी परसनल सिक्योरिटी पर बोण्ड भराकर छोड़ दिया जाय।

श्री रामकिशन : यह डिलीट कहां करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो दफा 109 और 110 हैं वह कोई राजनैतिक लाभ उठाने के लिये, किसी को परेशान करने के लिये यह कानून हमारे पास नहीं रख रहे हैं। इसकी कोई राजनैतिक दल के लोगों को हम परेशान करें ऐसी राज्य सरकार की कोई मन्शा नहीं है। अगर माननीय सदस्यों के मन में यह भ्रम हो तो वह उसे निकाल दें। यह कानून तो गुण्डे और बदमाशों के लिये बनाया गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप यह कानून गरीब लोगों को मारने के लिये बना रहे हैं।

श्री खेतसिंह : यह कानून तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिये बनाया गया है कि जिससे लोग गुण्डागर्दी नहीं करें। दफा 110 तो उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के लिये है जो कि हेबीच्युअल ऑफेन्डर्स हैं, गुण्डे हैं उन्हे सजा देने के लिये है। दफा 109 उन लोगों के लिये है जिनका कि करेक्टर सस्पीसियस हो। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मुल्क के हालात क्या है, देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिये राज्य सरकार के लिये अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने पास गुण्डागर्दी व गैर कानूनी कार्यवाही करने वाले लोगों के खिलाफ पावर्स रखे। इसके लिये एग्जी-

(श्री खेतसिंह)
क्यूटिव मजिस्ट्रेट्स अपॉइन्ट हर जिले में कर रही है ताकि मौके पर उचित व्यवस्था हो सके। आज देश में गुण्डागर्दी लोग कर रहे हैं, जगह जगह रोले हो रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले। जैसे कुछ गुण्डों ने कोई सरय में गड़वड़ करदी या शहर में और जगह पर अशान्ति पैदा कर दी तो उसके लिये एक्शन लिया जा सके। सरकार तुरन्त एक्शन ले सके, इसके लिये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार ने रखे हैं। इसके अलावा यह काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इसलिये दिया गया है कि उनके पास अभी वैसे ही काम कम है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह दफा 109 और 110 की जो कोटा पूरा करने की बात है वह आप समाप्त करादें।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार जो भी कानून बना रही है उसमें सभी ध्यान रखेगी और इन सेक्शन्स के लिये पार्लियामेन्ट में यह तय हुआ कि राज्य सरकार के सोचने की बात है कि वह कौनसे सेक्शन विधान सभा से इसमें से अपने लिये पास करायेगी। इसके लिये राज्य सरकार को उन्हें विधान सभा से पास कराने के लिये पहले हाई कोर्ट से मन्जूरी लेनी पड़ेगी। इसमें हमने यह तीन सेक्शन रखे हैं। इससे यह होगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लॉ एण्ड ऑर्डर मेनटेन रखने के लिये यह कार्यवाही कर सके। इसमें हमने सजा के प्रोवीजन नहीं रखे-हैं यह शान्ति बनाये रखने के लिये है।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जहां पर ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं हैं वहां के लिये आप पॉवर्स ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दें तो क्या एतराज है। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर कि ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां से तीस-तीस मील दूर हैं, इसके लिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक केस साइट करना चाहता हूं जिसको कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने अपनी पुस्तक में पेज 66 पर साइट किया है उसमें सेक्शन 109 और 110 के बारे में लिखा है।

"If a Magistrate wants most of our legislators can be kept behind the bars under sec, 109 and 110."

इसमें प्रिवीलेज का केस बना है। आप कहते हैं कि ये गुण्डों के लिये बनाया है। तो इसे क्या सही समझें।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करदूं कि हमारे यहां के मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी पेठ ऐसी खराब नहीं है जैसा कि अभी माननीय गफ्फार अली ने कहा कि हमारे यहां के मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो कि हाथ के आंटन देख कर बता सकते हैं कि वह आदमी कैसा है। आपको इसी से विश्वास रख लेना चाहिये कि हमारे यहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने भले हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! आर्डर प्लीज।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था कि जहां पर एग्जी-

Page No 136

(136)

(श्री मनोहर कोठारी)

क्यूटिव मजिस्ट्रेट घटनास्थल से बहुत दूर है जैसे तीस मील उन परिस्थितियों में आप यह पावर्स ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट को दें तो क्या दिक्कत है ।

श्री खेतसिंह : मैंने कहा ना कि हम हर जिले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की व्यवस्था कर रहे हैं । यह तो प्रिवेन्टिव मेजर्स के लिये है सजा देने के लिये कानून नहीं है· · ·

श्री रामकिशन : अभी माननीय मन्त्री जी ने फरमाया था कि यह सजा देने के प्रोवीजन नहीं है सिर्फ प्रिवेन्टिव मेजर्स के लिये इस्तेमाल किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करे जब मन्त्रीजी उत्तर दे रहे हैं तो आप नहीं बोलेंगे ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोला ही नहीं हूं, न ही मेरी पार्टी का सदस्य ही बोला है मैंने सोचा कि मन्त्रीजी जब कुछ बोलेंगे तो निवेदन करूंगा । मैंने सोचा शायद यह कोई अच्छी घोषणा कर रहे हैं । पर वैसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया ना कि मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं उसके पहले आपको बोलना चाहिये था ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी के उत्तर के बाद भी बोल सकते हैं और वैसे मन्त्री जी ने अपना भाषण समाप्त कहां किया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बोल सकते थे ।

श्री रामकिशन : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोठारीजी ने पूछा उसका क्या जवाब दिया ।

श्री खेत सिंह : उन्होंने कहा है उसका जवाब यह है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी जगह व्यवस्था की जा रही है ।

श्री रामकिशन : यह जो बिहार में आपके जो घटनायें घट रही हैं वहां पर तो नहीं हैं ।

श्री खेतसिंह : बिहार की स्टेट प्रोग्रेसिव नहीं है । केरल की स्टेट प्रोग्रेसिव है इसलिये हम केरल का अनुशरण करते हैं । वैसे मैंने माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन कर दिया कि राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सभी जगह रख रही है ।

एक माननीय सदस्य : केरल में बहुत गरीब लोग हैं इसलिये आपने वहां पर इसको रखा है ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री केदारनाथ : आप तो कह रहे थे कि हम एक अप्रेल से ज्युडिशियलरी को कम्प्लीट सेपरेट कर रहे हैं उसको आप वापिस ले रहे हैं क्या ?

श्री खेतसिंह : सारी की सारी सेक्शन थोड़े ही ले रहे हैं सिर्फ दो तीन सेक्शन्स की पावर्स राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है । बाकी का काम तो ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सब से डेन्जर्स है यह।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । ग्राप तशरीफ रखिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी को भी फांसा जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय ग्रधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 478 के खण्ड (क) के ग्रनुसरण में यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, ग्रधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि राजस्थान राज्य के बारे में उक्त संहिता की धारा 108, 109 एवं 110 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के प्रति निदेश का ग्रर्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निदेश लगाया जायेगा ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We claim division, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । मुझे सुनाई दे रहा है । मझे मालूम है ग्राप ना कह रहे हैं ।

हां पक्ष जीता ।

ग्रनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We claim division, Sir.

श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली : हम जानते हैं कि उधर के कई माननीय सदस्य हमारे पक्ष में वोट देंगे ।

(मत विभाजन घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

प्रश्न यह है कि संकल्प स्वीकार किया जाय ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

हां पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ना पक्ष जीता ।

ग्रनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वी क्लेम डिविजन ।

ग्रनेक माननीय सदस्य : एज हैव इट, सर ।

ग्रनेक माननीय सदस्य : नोज हैव इट, सर ।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों, वे खड़े हो जायं ?

(सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर सर ।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य विपक्ष में हों, वे खड़े हो जांय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर सर ।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अपने जो नियम हैं उनके अनुसार जब डिविजन क्लेम किया जाय तो डिविजन क्लेम करने के बाद आप फिर पूछ सकते हैं और उसके बाद भी डिविजन क्लेम किया जाता है तो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स को लोबीज में जाने के लिये कहा जाता है । यह बात सही है कि स्पीकर को रिलेक्सेशन के पावर्स हैं जनरली । लेकिन इस सदन की परम्परा रही है कि खास तौर से प्रिन्सिपल्स के जो इश्यूज हैं उन पर सदस्यों के नाम रिकार्ड हो सकें रजिस्टर में, लोबी में जाने का मतलब प्रत्येक का नाम रिकार्ड हो रजिस्टर में और इस इश्यू पर किसने किसको वोट दिया है यह खड़े होकर गिनती करने से रजिस्टर नहीं हो सकेंगे । यह इतने महत्व का प्रश्न है, पोस्टेरिटी के लिये लिबरटी आफ पर्सन्स का प्रश्न है 109 और 110 का और यह क्वेश्चन इतना कन्ट्रोवर्सियल है कि जिसके लिये वोट का रजिस्टर में रिकार्ड होना आवश्यक है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि परम्पराओं के अनुसार लोबीज में जाकर वोटिंग करवाया जाय ताकि रिकार्ड पर रह सके ।

श्री उपाध्यक्ष : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है उसके लिये मैं आपका ध्यान नियम 286 के प्रोविजो की ओर आकर्षित करूंगा और वह यह है :

"Provided that, if in the opinion of the Speaker the Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and, on a count being taken, he may declare the determination of the House in such a case, the names of the voters shall not be recorded."

हालांकि इसमें प्रोविजन है फिर भी माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए डिविजन रिकार्ड हो इसलिये डिविजन की आवश्यकता है ।

श्री खेत सिंह : नीति का प्रश्न तो है..

श्री रामानन्द अग्रवाल : आई डाउट वेरी मच ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

हां पक्ष वाले हां पक्ष की लाबी में और ना पक्ष वाले ना पक्ष की लाबी में जायं ।

(माननीय सदस्यों का अपनी अपनी लाबीज में प्रस्थान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

हां पक्ष में 81

ना पक्ष में 14

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया ।

विधायी कार्य

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार

राजस्व मन्त्री ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव, करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भार्गव।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो आज पुनः यहां लाया गया है पिछली बार जब यह यहां पेश हुआ था तो उस पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आई या नहीं आई यह बताया जाय। फिर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल सर्कूलेट किया गया है, इस बिल में पुराने बिल की कोर्सपांडिग प्रोविजन्स भी साथ में सर्कूलेट की जानी चाहिए थी ताकि माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके कि एक्चुअली कौन से प्रोविजन में किस किस्म का अमेन्डमेंट किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इस सदन द्वारा पास होने के बाद में इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। यह बिल अप-टू-डेट न लाइब्रेरी में, न बाजार में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है माननीय सदस्यों को। मुझे खेद इस बात का अनुभव हुआ कि एक्चुअल प्रोविजन क्या है और किस तरह से अमेंडमेंट किया जा रहा हैं, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए रूल्स के मुताबिक कोर्सपांडिग सेक्शन्स यहां पर आने चाहिए थे ताकि जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उसका मुकाबला करके और फिर उसके बारे में इस पर विचार किया जा सकता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि चूंकि यह कोर्सपोंडिंग सेक्शन्स सर्कूलेट नहीं हुए हैं इसलिये इस बिल पर सही तरीके से विचार करना असंभव है और इसलिए जब तक इस बिल के कोर्सपांडिग सेक्शन्स सक्युलेट नहीं कर दिए जाते तब तक इस पर विचार स्थगित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो एतराज अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है, यह बात सही है कि सदन में जब कभी भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत होता है तो अधिनियम की मुख्य धारायें होती हैं उनकी कॉपी बिल के साथ में लगाई जाती है। यहां पर जो मैं यह अमेंडिंग बिल लाया हूं, द्वितीय संशोधन विधेयक, उसमें जिस धारा को रिप्लेस कर रहा हूं वह पूरी की पूरी धारा क्लाज (2) में दे दी है और जिसको सब्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं उसकी अधिकांश धारा इसमें दे दी गई है। इसलिए इसको अलग से संलग्न करना जरूरी नहीं है। इसलिए क्लाज (2) को हम पूरी की पूरी डिलीट करके उसकी रिप्लेस सब्सीक्यूएटली कर रहे हैं वह मैंने इसमें दिया है इन्वर्टेड कौमाज में, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

दूसरा अमेंडमेंट जो है वह क्लाज (3) में है। यह मैं नई डेफिनेशन देने जा रहा हूं पहले विधेयक में यह नहीं थी, न अधिनियम में थी। इसलिए जो एतराज, जो ऑब्जेक्शन माननीय सदस्य ने किया है, मैं समझता हूं उसकी आवश्यक्ता भी नहीं है और इसलिए बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे मिनिस्टर साहब का जवाब सुनने के बाद ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इससे मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। इसकी आप अपनी व्यवस्था दें कि जो डिफिकल्टी है माननीय सदस्यों की वह तो लगातार इसके अन्दर रहती है और उसमें कोरसपोंडिंग जो सजेशन है उसका मुकाबला करके जब तक नहीं देखा जाय तब तक इफेक्ट क्या पड़ेगा, यह मालूम नहीं हो सकता। केवल मात्र इसको कहने से नहीं लिया जा सकता, न ही सही तौर पर अमेंडमेंट मूव किए जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी बहुत जरूरत थी, इसके नहीं रहने से इसमें सही तरीके से विचार नहीं हो पायेगा। इसलिए यह नियमों के भी प्रतिकूल है और व्यवहारिक तौर से भी अनुचित है, इसलिए जब तक ये सर्क्युलेट नहीं किए जायं तब तक विचार स्थगित होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि कोरसपांडिग जो प्रोविजन्स हैं, चूंकि इसके जरिये अमेंडमेंट आने हैं उनकी कॉपी भी सर्क्युलेट होनी चाहिए थी। सहूलियत की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से यह उपयुक्त हो सकता है लेकिन मौजूदा विधेयक जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उससे कोरसपोंडिग प्रोविजन्स के स्थान पर कौनसे सब्स्टीट्यूट किए जा रहे हैं यह स्पष्ट दर्शाया गया है। इसलिए मैं इस विधेयक के लिए यह आवश्यक नहीं समझता कि कोरसपोंडिग प्रोविजन्स के बिना इस पर विचार नहीं किया जा सके। विचार किया जा सकता है और यही आसन का निर्णय है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वैसे बिना पढ़े भी कानून पास कर सकते हैं, ऐसी कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सब-क्लाज को पढ़ देता हूं ताकि माननीय सदस्यों को ध्यान में आ जाय कि जिसको अब सब्स्टीट्यूट किया जा रहा है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जिस सब-क्लाज के बारे में कह रहे थे उसको पूरा पढ़ देता हूं ताकि जिस सब-क्लाज को सब्स्टीट्यूट किया जा रहा है, वह अमेंडमेंट जो किया जा रहा है यह सम्पूर्ण राजस्थान में 1 जनवरी, 73 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। पहले जो प्रोविजन था वह यह था कि यह राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़ कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में 1 जनवरी, 73 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

राज्य सरकार की जो नोटिफिकेशन की पावर है उससे 6 अप्रेल, 1973 से राजस्थान नहर में इस कानून को लागू किया गया था, फोर्स में लाया गया था। इसलिए 6 अप्रेल, 73 से लागू नहीं करके जैसे राजस्थान नहर क्षेत्र को छोड़ कर सारे राजस्थान में 1-1-73 से लागू होगा, वह प्रोविजन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से डाला है। यह राजस्थान में, राजस्थान नहर समेत ही 1-1-73 से लागू होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

परिनियत संकल्प

विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालन ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे पहला बिल राजस्थान टीनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के नाम से 1958 में पारित किया गया है । इसको 31-3-60 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली । उसके बाद इसी बिल में सन् 68 में फिर से संशोधन किया गया और 1970 में इसमें फिर से संशोधन किया गया और उस संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 9-8-70 को प्राप्त हुई । मेरा निवेदन करना है कि इसके बाद 1970 में कुछ ट्रांसफर पहले हो गए थे, उनको इस बिल को लाने के कारण वैधता दी गई, कानूनी मान्यता दी गई । इसके बाद मई. 73 में फिर संशोधन किया गया और जिस समय यह संशोधन किया गया था 70 और 73 के बीच में यह प्रोविजन रखा गया कि जमीन जिसकी कमी है, कमी वाली जमीन, ज्यादा वाली जमीन का नहीं, मेरा निवेदन है कि उस समय यह हुआ था कि नाप तौल का कोई पैमाना नहीं था । फिर 1973 में जो राजस्थान विधान सभा ने अमेंडमेंट किया था, मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली कि उस पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है और यदि स्वीकृति नहीं मिली है तो वह कानून नहीं बना है । मैं समझता हूं कि फिर इस बिल में हम संशोधन किस प्रकार से करने जा रहे हैं और यदि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले हम उसमें यदि किसी प्रकार का संशोधन कर लेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह संशोधन असंवैधानिक होगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बिल के द्वारा माननीय मंत्रीजी इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं, अर्थ यह हुआ कि इसको 1 जनवरी, 1973 से लागू करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जिसने जैसा भी कर लिया उसको बहाल कर दिया । मेरा निवेदन है कि बारबार इस प्रकार से संशोधन लाना, ऐसे महत्वपूर्ण बिल में बारबार संशोधन लाने से किसानों के मन में अनिश्चितता पैदा होती है । उसके पास कितनी जमीन रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, और किसान के मन में अनिश्चितता पैदा होने के कारण माननीय उपाध्यक्षजी, जमीन का जितना उसको विकास करना चाहिए, उसको कुआ बनाना है या वहां पर टैंक बनाना है या उस भूमि को समतल करना है या उस भूमि के चारों ओर बाड़ा खींचना है, मैं समझता हूं कि उस अनिश्चितता के कारण भूमि का विकास वह कर नहीं सकता। जब वह विकास कर नहीं सका अनिश्चितता के कारण, आज जो अनाज की समस्या हमको देखने को मिल रही है उसका भी यही कारण है । यह भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें धान की कमी है उस अनिश्चितता के कारण ही यह कमी है और इसी के कारण प्रोडक्शन बढ़ नहीं सका । प्रोडक्शन नहीं बढ़ने के कारण मैं समझता हूं कि जो संकट आज राजस्थान की जनता पर है, आज हम मोहताज हैं केन्द्र पर, जब हमको केन्द्र अनाज देगा तो हम अपनी जनता को अनाज देंगे । खुद को अनाज नहीं दे सकते, तीन किलो भी नहीं मिलने वाला आगे जाकर आपको । इतना अनाज तो राजस्थान में ही पैदा करके आत्म निर्भर बनाया जा सकता था । राजस्थान के लोगों को यदि हम हिसाब लगायें तो माननीय मंत्रीजी जो तीन किलो की पहल कर रहे हैं उसकी जगह दस किलो हम राजस्थान में ही पैदा करके लोगों के दे सकते थे । तीन किलो धान केन्द्र से और आता तो अतिरिक्त धान दे सकते हैं । मेरा निवेदन करना यह है कि विकास कार्य हो नहीं रहे हैं, विकास जमीन का हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रहा है तो लोग सोचते हैं फर्जी कार्यवाही करो और इस सरकार में फर्जी कार्यवाही करने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य में इस बिल को लाने से 20 लाख एकड़ जमीन अधिग्रहण करली जायगी। बड़े बड़े लोगों को छूट है। ये लोग अगर जमीन पर कब्जा करलें तो राजस्व विभाग आपका मौन रहेगा पर गरीब आदमी कच्ची बस्ती में रहने वाला कोई छोटा मोटा बाड़ा बना ले तो उस कार्यवाही को नियमन नहीं किया जायगा। बड़े आदमियों को सब प्रकार की छूट दे दी जाय। आज राजस्थान में एक नहीं अनेक केसेज लैन्ड ग्रेबिंग के हो रहे हैं। कई बार सदन में इस मसले को रखा गया, एक नहीं 20 हजार बड़े बड़े लोगों ने भूमि पर नाजायज कब्जा किया है, वे केसेज हैं लेकिन सरकार जांच नहीं कराना चाहती है।

पंजाब में जिस प्रकार हरचन्द कमेटी द्वारा जिन बड़े बड़े आदमियों ने जमीन पर कब्जे किये हैं, उन पर उसके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मैंने पहले भी सदन में कहा था जिनमें बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं और जिनमें मंत्री लोग भी शामिल हैं उन्होंने जयपुर की आस पास की भूमि पर कब्जा किया है। गरीब जो किसान हैं, चाहे वह गान्धी नगर में रहना वाला हो, उसको अवाप्ति के नोटिस दे दिये जायं लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको नोटिस नहीं दिये जायेंगे और अगर नोटिस भी दिये जायेंगे तो उसको विथड्रा कर लिया जायगा, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी यह मैं समझता हूं जयपुर के आसपास 12 मील की परिधि में ये जमीनें मिलेंगी।

बड़े बड़े लोगों ने अपने फार्म बना लिये हैं। आप आगरा रोड पर चले जाइये आपको मंत्रियों के और अधिकारियों के फार्म मिल जायेंगे, आमेर रोड पर चले जाइये वहां पर आपको बड़े बड़े लोगों के फार्म मिल जायेंगे, सांगानेर रोड पर चले जांय वहां आपको मंत्रियों और अधिकरियों के बड़े बड़े फार्म मिल जायेंगे, अजमेर रोड पर मंत्रियों के फार्म मिल जायेंगे, सांगानेर रोड़ पर प्रभावशाली लोगों के प्लाट्स और जमीनें मिल जायगी। जयपुर के चारों ओर कहीं तक चले जायं बड़े बड़े राजनैतिक लोगों के, प्रभावशाली लोगों के मंत्री और अधिकारियों के प्लाट होंगे, जमीने होंगी। गरीब लोग कोई छोटा मोटा कब्जा रहने के लिये भी करेगा तो आपकी पुलिस पहुंच जायगी, आपका तुरन्त तहसीलदार पहुंच जायेगा, आपके फारेस्ट वाले पहुंच जायेंगे। बड़े बड़े लोग यदि जमीनों को बेचते हैं तो राज्य सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती है। पोद्दार पार्क बिक रहा हो, उसको सरकार रोक नहीं सकती है, बिड़ला हाउस, ए० जी० ऑफिस के पास जो जमीन खाली पड़ी हुई है, उसको सरकार हाथ में ले नहीं सकती, सचिवालय वहां है लेकिन आपने देखा होगा कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हाउसिंग बोर्ड, तिलक नगर में बन रहा है तो रिहेबिलिटेशन का डिपार्टमेंट वहां पहुंच गया।

आज जयपुर के व्यक्ति को यह नहीं मालूम कौनसा कार्यालय कहां कहां पर है जो बाहर से आते हैं उसको क्या पता लग पायेगा। एक्चुअल वह स्थान कहां पर है, उसका पता नहीं लगता है तो क्या बिड़ला, ए० जी० ऑफिस, पोद्दार पार्क और सचिवालय के पास में यदि इस प्रकार के ऑफिसेज का निर्माण करते हैं तो हर आदमी चाहे वह यहां का, बाहर का हो आसानी से पता लगा सकेगा। सारे के सारे ऑफिसेज राजा-महाराजाओं के इस जलेब चौक में थे। कोई भी आदमी कहीं से भी आता तो वह जलेब चौक में घूमकर काम करा सकता था। एक वह व्यवस्था

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

थी और आज यह व्यवस्था है। कौनसा दफ्तर जयपुर में कहां है, इसका पता नहीं है। आज सरकार बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने से डरती है। मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा यदि आप वास्तव में गरीबों का भला करना चाहते हैं तो इन पर कब्जा कीजियेगा और इन स्थानों पर दफ्तर बनाइयेगा . . .

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, यह अभी जो अमेन्डिंग बिल विचाराधीन है वह कृषि जोतों पर है और माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अपने आपको इस बिल के जो प्रावधान हैं वहां तक ही सीमित रखें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं वहीं तक सीमित रख रहा हूं . . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनरल बोल रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप बार-बार अमेन्डमेंट लाते हैं।

श्री दीपंकर : ये हवामहल से आते हैं इसलिये हवा में बोल रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : प्रभावशाली लोग बेच देते हैं, गरीब बेचारा फंस जाता है। आपने नियम गलत बनाये, लोगों को छूट दी। 1957 में यह बिल प्रस्तुत हुआ उसके बाद 1960 में यह एक्ट के रूप में आया, 1963 में इस पर कार्यवाही की उसके बाद 1965 में कानून के रूप में लागू हो गया और वास्तव में प्रभाव में अब आया है और राजस्थान की जनता को अंधकार में रखकर बार बार अमेन्डमेंट लाकर प्रभावशाली लोगों को लाभ देकर मूर्ख बनाते हैं तो माननीय मंत्री महोदय उचित नहीं होगा इसलिये मैं निवेदन करूंगा। इस प्रकार कानून में बार बार अमेन्डमेंट नहीं लायें, एक बार जो लाना है कन्सोलिडेटेड अमेन्डमेंट राजस्थान की विधान सभा में ले आयें। अगर वह ले आयेंगे तो राजस्थान के जो किसान हैं उसमें अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है जिससे वह विकास नहीं कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकता है, जो रुकावट पैदा होती है, मैं समझता हूं रुकावट पैदा होगी नहीं और अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा। राजस्थान स्वयं अपनी अनाज की समस्या का सामाधान कर सकेगा।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राजकीय चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इनफरमेशन है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं जब . . .

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल के बाद . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मिनिट में जरा सा निवेदन करदूं। अभी सौभाग्य से स्वास्थ्य मंत्री जी श्री बिराजे हुये हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के दिन हमने प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में मांग की थी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसी सत्र के बीच में प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में कुछ न कुछ घोषणा करूंगा। यह सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके मारफत कि राज्य सरकार को याद दिला दें कि इस प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में राज्य सरकार की तरफ से कोई घोषणा कर दें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह बात सच है, सदन को सूचना दी थी, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी थी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य मंत्री जी सत्रान्त के पूर्व प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर रहे हैं, इसकी सूचना देंगे, सदन को अवगत करायेंगे। यह न हो कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो वायदा किया है, उससे हम वंचित रह जायं। इसलिये इसके बाद इधर उधर से कोई समय निर्धारित करें कि स्वास्थ्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें, आया प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने का निर्णय लिया है तो सदन को सूचना दें और नहीं लिया है तो वैसे अपनी विवशता प्रकट करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है माननीय मंत्री जी ने इस हाउस को आश्वासन दिया था। आज आखिरी दिन है अपना वक्तव्य देकर यह बतलायें कि इस सम्बन्ध में किस प्रकार का निर्णय उन्होंने लिया है, आया प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर रहे हैं या उसको चालू रखने का निर्णय ले लिया है....

श्री मोहन लाल छंगाणी (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मैंने किसी तरह का प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने का आश्वासन नहीं दिया पर एक कदम उठाना चाहिये उस प्रकार का आश्वासन था और आपकी सूचना के लिये बता दूं इसी सत्र में मैंने विभाग की एक स्कीम बना ली है जो सरकार के विचाराधीन है। उसमें फाइनेनसियल इम्लीकेशन्स हैं। मैं निश्चित रूप से अगले सत्र में या सदन की इजाजत हो तो जब भी योजना मंजूर हो जाय तब उसको इम्पलीमेंट करने की कोशिश करूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : झूठे आश्वासन बहुत देते हैं। विभाग की तरफ से स्कीम बना ली, सदन में झूठ बोलकर बहका देते हैं सरकार के विचाराधीन है....

श्री मोहन लाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ फाइनेनसियल इम्पलीकेशन्स हैं वे सारे के सारे फाइनेन्स से तय हो जायं तो निश्चित करें।

श्री मूल चन्द सामरिया : वह तो जोश में फरमा दिया था....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सीलिंग के प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जनमत का तो नहीं है। जनमत वाला प्रस्ताव ले लिया है इसलिए पहले उन माननीय सदस्यों को भी बोल लेने दीजिए, फिर आपको मौका दे देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाते तो व सदन की सम्पत्ति हो जाता है। तो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन आपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया तो मुझे विवाद में हिस्सा लेने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ना नहीं कर रहा हूं। आप चाहें तो पहले फरमा दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग ला इस विधान सभा के सामने चौथी या पांचवीं बार आ रहा है और कई दफा पारित हुआ और एक दफा तो विधान सभा ने पारित किया और उसी सत्र में इसको अमेंड करना पड़ा। पिछले सत्र में हमने किया और इस सत्र में यह वापिस आ गया। 1958 में यह बिल प्रस्तुत हुआ उसके बाद में 1960 में यह एक्ट के रूप में आया, 1963 में इस पर कार्यवाही करके नोटीफिकेशन किया ताकि इसके अनुसार अमल हो और इसमें बहुत भारी देरी हो रही है और इस एक्ट और इस विषय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लिखा है कि जिनके पास अधिक धरती है उससे लेकर भूमिहीन लोगों को यह जमीन हम देना चाहते हैं। एक तरफ तो हमारा यह नारा और पिछले 16 सालों के अन्दर दूसरी तरफ हमारी यह कार्यवाही है। इस दरमियान में जनसंख्या बढ़ी, पहले लोग जागीरी में रहते थे इसलिए इधर उधर नहीं जाते थे और अब आने जाने लग गए, अब लोग होशियार हो गये, पढ़े–लिखे ज्यादा हो गये, जमीनों के मामले में ज्यादा समझने लग गये। अनाज और खेती-वाड़ी के जितने उत्पादन हैं उनकी कीमतें बढ़ीं, जमीनों की कीमतें भी अनापशनाप बढ़ गयीं। जमीनों की कीमतें ज्यादा बढ़ने लगीं तो ज्यादा लोगों की आखें इस तरफ चली गयीं। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि हमारा जो इरादा था वह अभी तक पूरा नहीं हो रहा है और अब हालत यह है कि अब यदि यह सीलिंग कानून पास भी होता है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही कम जमीन और वह जमीन भी ऐसी होगी जो कि खेती के लायक नहीं होगी वह जमीन गरीब काश्तकारों को मिलेगी तो मिलेगी और एक दफा या दो दफा और इसमें अमेन्डमेन्ट्स आये तो शायद कोई भी जमीन नहीं मिलेगी। तो राज्य सरकार ने इस संबंध में मैं समझता हूं कि लापरवाही बरती है इतने वर्षों तक और अब भी समय है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जमीनों के हड़पने की बात कई दफा चलती है और मैं आपको यह कहूं कि जमीन बहुत बड़ी मात्रा में लोगों द्वारा हथियाई गयी जो बेचान कानून से वर्जित थी वह बेचान लोगों ने करवाई। यदि कोई साधारण काश्तकार अनपढ़ हो या कोई भूमिहीन काश्तकार हो, शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति हो – ऐसे व्यक्ति यदि कानून की अवहेलना करते तो उनका अपराध क्षम्य था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें सब समझदार और बड़े बड़े लोग हैं और जिनको यह मालूम था कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह कानून के विरुद्ध कर रहे हैं लेकिन उनको यह विश्वास था कि कानून चाहे कुछ भी हो हम जैसा चाहेंगे उसी अनुसार कानून बदलते रहेंगे, उनकी माफिक होता रहेगा इसलिये जितनी जमीन हम दबा सकें उतनी जमीन दबायें....

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस ने किया यह ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी ने नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो इस तरह की कार्यवाहियां, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर हुई हैं और जानबूझकर ऐसी कार्यवाहियां की गयी हैं। कई तरह के कानून इसमें थे। एक कानून अभी यह है और इसमें मुझे बहुत भारी लेकुना लगता है। जब यह एक्ट फोर्स में आ जायेगा जिस काश्तकार के पास उस समय सीमा से अधिक जमीन है उसको रिटर्न्स भरने पड़ेंगे लेकिन सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि जिन लोगों ने जमीनें हड़पी हैं वह या तो बेनामी हैं, पत्नी के नाम की हैं, पुत्री के नाम की है, नाबालिग पुत्र के नाम की है – इस तरह से जमीनें लोगों ने ली हैं। तो पहला तो मैं प्रश्न यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि परिवार के किस सदस्य के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली है कि यह उसका कर्तव्य होगा कि वह सूचना दे ? यदि लड़के के खाते को देखते हैं और उसकी वह खातेदारी है और उसके पास सीम

Page No 146

(146)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

से कम जमीन है तो उसको आप बाध्य नहीं कर सकते । तो कानून को जानते हुए अगर मेरे खुद के नाम की जमीन होती है, मेरी पत्नी के नाम की होती है, मेरा पुत्र नाबालिग है उसके नाम की जमीन है तो उसका खात एक होना चाहिए । आपके रेवेन्यू के रेकर्ड बनाये जाते हैं उसमें पूछा जाना चाहिए था कि आप संयुक्त परिवार के सदस्य हैं या अकेले हैं । अगर संयुक्त परिवार के हैं तो कौन कर्ता है । यह सब बातें आनी चाहिए थीं तो म्युटेशन भी चाहे नाबालिग हो, चाहे परिवार के सदस्यों के पास हजार बीघा जमीन हो यह भी नहीं पूछा गया कि म्युटेशन करा रहे हैं तो स परिवार के पास कितनी जमीन है, कितने गांवों के अन्दर है और कितनी तहसीलों के अन्दर है और आज भी वह रेकर्ड उपलब्ध नहीं है इसलिए इस तरह के जो बेनामी ट्रान्जेक्शन हैं या एक ही परिवार के चार, पांच सदस्यों के नाम की है वह कानू में बचीखुची जमीन है उससे भी बच जायेगी । इसमें प्रावीजन है कि हजार रुपये की पैनल्टी होगी अगर गलत इत्तिला देते हैं तो लेकिन कौन से व्यक्ति के ऊपर जम्मेदारी है ? वह कहता है कि हम सीलिंग में नह आते हैं । तो पहला प्रावीजन यह बनाना चाहिए कि परिवार के सदस्य कौन कौन हैं, उनकी सब की जितनी जमीन है उस सब को पूल की जाये और उसके अनुसार पर्चा लगा हो उसमें दर्ज होना चाहिए और उसके अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिए । कुछ समय लगेगा, लड़की बड़ी हो जायेगी, शादी हो जायेगी और उसकी यदि शादी शहर में हो गयी और उसके पति के पास यदि जमीन नहीं हुई तो जो कार्यवाही गैर कानूनी थी वह कानूनी कार्यवाही हो जायेगी । तो ऐसे बहुत सी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है ।

मैं अर्ज करूंगा कि जमीन हथियाने की बात चलती है उसमें साधारण लोग आम तौर से नहीं होते । तीन-चार केटेगरी के लोग होते हैं । एक तो वह व्यक्ति होते हैं जो अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार के अन्दर कानून के अन्दर परिवर्तन लाने में उसको रेगुलेराइज करने में सब में मदद देंगे और हर रोज आप अखबारों में देखते हैं कि किसी न किसी बड़े व्यक्ति की, किसी न किसी बड़े अधिकारी की लड़की हो या पत्नी हो या पुत्र हो उसके नाम क प्लाट है, उसके नाम की एग्रीकल्चर की जमीन है । कुछ न कुछ जरूर होता है। दूसरे वह व्यक्ति होते हैं जिनकी सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ होती है । तीसरे खेती की जमीन में खास तौर से एक ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बना कर उसमें आम तौर से या तो दोस्त होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं तो परिवार के नजदीक के सदस्य होते हैं जो कि काफी मजबूत व्यक्ति हैं क्योंकि दूसरे गांव में जाकर कब्जा करते हैं तो गांव के गरीब लोग हैं वह भी यही कहते हैं तुम नये आदमी कहां से आये । तो आपने देखा होगा, कई उदाहरण आपके सामने आये हैं ।

एक अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य चार हजार बीघा जमीन के बारे में बारबार यहां पर प्रश्न उठाते हैं पर उसमें हमने यह पाया कि पहले वह जमीन किसी के पास थी और उसके बाद वह दूसरों के पास चली गयी । उन को सरकार ने निकाल दिया तो पाकिस्तान के आये हुए शरणार्थी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
जो काफी मजबूत लोग थे लक्ष्मणसिंह की पार्टी दूसरे तीसरे वह जाकर जम गए और यह चाहे राजस्थान कैनाल का सवाल हो चाहे जवाई प्रोजेक्ट का सवाल हो सब जगह ऐसी पार्टियां बनाई जाती हैं जिसमें कुछ सदस्यों का काम है कानून को रेगुलेराइज कराना और कुछ का काम है जो नीचे के अधिकारी हैं उनसे म्यूटेशन करवाना। पहले यह भी हुआ कि बहुत सी धरती सीलिंग में आती है और बहुत सी ऐसी थी जो कि जागीरदारों के नाम की नहीं थी लेकिन क्योंकि उन्होंने कब्जा फर्जी बताया उसको रेगुलेराइज करके व्यक्तिगत सम्पत्ति में या खातेदारी में करवाना था तो उसमें भी बांटकर रख दी और आधी कर दी। अलग अलग स्टेज के अन्दर, कुछ का काम जमीन को पानी देना, कुछ का काम जमीनों पर अनधिकृत कब्जा करना, कुछ का काम लोकल आफिसरों से हाथ मिला कर रखना, उनसे दोस्ती रखना, कुछ का काम यह देखते रहना कि सरकार क्या कानून बना रही है और बना रही है तो क्या बना रही है, कब कानून आ रहा है। इस तरह से उन्होंने एक ताल मेल बना रखा है। मैं राजस्व मंत्रीजी से इस बात के लिये अर्ज करूंगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिये। ठीक है जमीन वापस नहीं मिल सकती है। कई मुश्किलात आएंगी लेकिन कम से कम असलियत तो सामने आएगी। इस तरह से कितनी जमीन कहां कहां पर लोगों ने हड़पी है। तीन चार हजार बीघा जोत की जमीन जंवाई क्षेत्र में 5-5, 7-7 फैमिलीज ने दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने कब्जा किया है। एक सिलसिला और चलाया जा रहा है। जो लोग गरीब काश्तकार हैं, वहां पर बसते हैं उनको ये लोग पानी नहीं लेने देते हैं। जमीन में पानी नहीं लगेगा तो फिर जमीन किस काम की। इस तरह से उन लोगों को बाध्य करते हैं कि यह जमीन हम को बेच दो। इन जोतों के अन्दर बहुत सी जमीन जागीरदारों की थी और उस जमीन को कौड़ियों के भाव 30 रुपया बीघा, 40 रुपया बीघा के अन्दर इन जमीनों को खरीदा गया क्योंकि वे जागीरदार अच्छी तरह से जानते थे कि यह जमीन सीलिंग में जाएगी। कोई लाभ नहीं होगा। कीमत गिरने लगी और इन लोगों को मालूम था कि वे इस जमीनों को रेगुलेराइज करा लेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि 15 हजार बीघा, 20 हजार बीघा जमीन, जो जवाई की सब से ज्यादा उपजाऊ जमीन है, वह इस तरह से लोगों ने दबाई है। बाहर के लोगों ने दबाई है। यदि आप इन्द्राजात को देखें तो उसमें लगेगा कि एक औरत का नाम लिखा है फलानी पत्नी फलाना। दूसरे में उसी का नाम है फलानी पुत्री फलां की। माइनर लड़के, छोटे लड़कों के नाम इन्द्राजात हैं। यदि बोनाफाइड पर्चेज होती तो उसमें हैड ऑफ दी फैमिली का नाम होता। यदि नहीं है, नौकरी करता है, अन्यत्र तरीके से खरीद नहीं सकता तो उससे जो छोटा है, जो छोटा मेम्बर है, उसके नाम से होता। स्त्रियों के नाम, पुत्रियों के नाम, लड़कों के नाम यह इन्द्राज हैं और यह खुला जानते हुए कि यह कानून के विरुद्ध है, किया गया है। 1960 में कानून बन गया। उसके बाद सीमा से अधिक जमीन खरीदना, सीमा से अधिक जमीन बेचना, यह निश्चित तौर से जानते थे कि यह कानून की अवहेलना है। यह कानून की अवहेलना जानते हुए इन लोगों ने की जो कानून को काफी अच्छी तरह से जानते थे। राजस्व मंत्रीजो दबंग हैं। पूरे राजस्थान

Page No 148

(148)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का पता लगाने के बजाय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे जवाई के चार, पांच गांवों की जो तीन, चार हजार बीघा जमीन है, उसके ऊपर इन्क्वायरी कमेटी बिठा दीजिये। वे कौन लोग हैं। किस गांव में उन लोगों ने जमीन ली है। इसी तरह से उन्हें पानी देने की भी सुविधा दी गयी है। राज्य सरकार ने और उसके तमाम सिस्टम में कच्ची नालियों से पानी दिया जाता है, परन्तु इनके लिये पक्की नहर बनी हुई है ताकि लोगों पर यह धाक रहे, कि राज्य सरकार का उनको पूरा समर्थन है। मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्यवाही इस युग में हो और कांग्रेस सरकार के राज्य में जिसका कि यह उद्देश्य हो कि जमीन गरीब लोगों को, काश्तकार को देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्यवाही करके गरीब लोगों को सन्तोष दें ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और लूंगा। इस तरह की नीति अपनाई जा रही है इन क्षेत्रों के अन्दर। राजस्थान कैनाल में, कोटा में भी यह हुआ है। जवाई में भी हुआ है जैसे नये कोलोनाइजर गये थे अमेरिका के अन्दर और उन्होंने, अंग्रेजों ने धीरे-धीरे रेड इन्डियन को वहां से निकाला। ठीक इसी तरह से इन क्षेत्रों के अन्दर ये बाहर के लोग जा रहे हैं और वहां के पुराने लोगों को वहां से धकेला जा रहा है। भारत एक देश है। एक व्यक्ति कहीं भी जमीन खरीद सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। परन्तु जिनाइन पर्चेज हो। लेकिन एक जगह जमीन हो तो मंत्री महोदय उनके खसरे नम्बर का फिजीकल वेरीफिकेशन हो, उनके लोकेशन को देखा जाये तो आपको ऐसा लगेगा कि यह एक गिरोह है जिसने मिलकर जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं समझता हूं यह न्यायोचित बात है। इसलिये मंत्री महोदय आप अपनी जानकारी के लिये, ही एक कमेटी बिठा दें ताकि असलियत तो आये और बहुत-सी बातें भी आएंगी। यह मैं आप से अर्ज करता हूं। यह मेरा सुझाव है। मैं समझता हूं कि आप इसको स्वीकार करेंगे। फूड की डिबेट हो रही थी। 10-15 को शिकायतें आई आपने उसी वक्त उसे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंप दिया। उसी तरह से आप इस मामले में कार्यवाही करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, इस अमेन्डमेन्ट का स्कोप बहुत कम क्षेत्र पर आता है। मैं विस्तार से इस विषय पर जाना नहीं चाहता हूं। गत वर्ष हमने यह सीलिंग लॉ पास किया। राष्ट्रपति को असेन्ट के लिये इसको भेजा गया तो केन्द्र ने कुछ आब्जेक्शन रेज किये और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया और राज्य सरकार ने उनको मान कर 6 अप्रेल, 1973 से उसको लागू कर दिया। अब इसकी डेट चेन्ज कर रहे हैं 1 जनवरी, 1973, यह राजस्थान में इस डेट से लागू होगा। मान्यवर, एक रिपोर्ट है प्लानिंग टास्क फोर्स, जिसमें सारी स्टेट के लैण्ड रिफार्म विथ स्पेशल रेफरेन्स टू सीलिंग लॉ, में यह बताया गया है कि क्या इम्पेक्ट होगा और क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट आज से दो मास पहले पेश हुई थी। माननीय सदस्यों को भी मिली होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय ने उसको पढ़ा होगा। उससे हमें यह मालूम पड़ जाता है कि सीलिंग लॉ के तहत जिनको असर पहुंचना चाहिये था

(श्री केदारनाथ)

उनको मारजीनल असर पहुंचा है । सीलिंग लॉ के तहत जिनको जमीन, संरप्लस डिकलेअर होकर राज्य सरकार के हाथ में आनी चाहिये थी, लेन्डलेस को डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिये थी, उस पर भी असर कम हुआ है । कारण यह है मान्यवर, राज्य सरकारों में सीलिंग लॉ के कानून के लिये पोलिटिकल विल रही है। दिल से इस को नहीं चाहता है । कभी भी राज्य सरकार ने इस सीलिंग लॉ को इन्ट्रोड्यूज नहीं किया । जो इसका आब्जेक्टिव था, उसको पूरा नहीं किया और इसको डेड लॉ के रूप में लागू किया । लॉ बनने के बाद इसके इम्पलीमेन्टशन करने से और गेप बढ़ गया और डिस्ट्रीब्युशन की स्टेज पर इस कानून को पहुंचते पहुंचते मशीनरी की कार्यवाही के कारण गेप और बढ़ गया । इसलिये जो मकसद था, वह मकसद इम्पलीमेन्टेशन की लोएस्ट स्टेज पर बिलकुल ही समाप्त हो गया । मैं तो सोचता था मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्रीजी इस सारे सीलिंग लॉ को वापिस ले लेंगे क्योंकि इसका कोई असर नहीं है । आप एक साल के अन्दर कितनी जमीन ले पाये हैं । इस बिल के पास होने के बाद कितनी जमीन इस लॉ से ले आये । लॉ के तहत कितनी जमीन आपके कब्जे में आई । इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । मान्यवर 1970 में सेन्ट्रल ने एक एग्रीकलचर नेशनल कमीशन बनाया । उसने एग्रीकलचर में रिफोर्म करने के लिये अपनी रिकमन्डेशन दी और रिकमन्डेशन आने के बाद मुख्य मंत्रियों को एक गाइड लाइन दी । उसमें उन्होंने 18 एकड़, 27 एकड़ और 54 एकड़ इस तरह से अलग अलग जमीनों का मापदण्ड निर्धारित किया । यह उसकी लिमिट थी । हमारे यहां पर यह किया गया है । 18 एकड़ में कौनसी जमीन है जहां दो क्राप हो और 18 एकड़ से 27 एकड़ में वह भूमि ली है जहां पर एक क्राप होती है और 27 एकड़ में जहां ट्यूब वैल से खेती हो जो कि फर्टीलाइज्ड लैण्ड है । इस तरह से थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जमीन का कंटेगराइजेशन किया गया है । यह रिवीजन किया है । परन्तु आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है । आथोराइज्ड आफिसर, इरिगेशन डिपार्टमेंट की मार्फत कुछ जिम्मेदारी रखी है । परन्तु कंटेगराइजेशन का कोई प्रिंसीपल आपने तय नहीं किया है । यह सारा आपने उसके डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया है । मैं यह चाहता हूं कि आप राजस्थान में अपने लेविल पर एक कमेटी बिठाइये तो मालूम पड़े । 60 में आपने सीलिंग लॉ पास किया, 63 में लागू किया और 70 में यह अमेन्डमेंट किया कि 69 तक जितने भी ट्रान्सफर किये गये हैं, वे सारे के सारे आपने रेगुलराइज कर दिये

(6.30 सायं)

(सभापति, श्री फूलचंद जैन)

चाहे किसी भी व्यक्ति को ट्रान्सफर हुए हों, उसका खेती-बाड़ी से वास्ता हो कि नहीं, काश्तकार हो कि नहीं, जमीन से वास्ता हो कि नहीं, खुदकाश्त करता है कि नहीं, बिल्कुल उसका कोई लिहाज न रखकर सारे के सारे ट्रान्सफर्स को रेग्यलेराइज कर दिया 69 तक, और, मान्यवर कुछ एक्जेम्प्शन्स थे वह विथ्ड्रा किये गये । अब इस लॉ में जिस एमेंडमेंट को हम पास करने जा रहे हैं तो इसके लागू होने के बाद तो हमारे यहां गंग कैनाल में ओर्चार्डस को 55 एकड़ तक आपने ले लिया, बाग-बगीचों के लिए 55 एकड़ एक्स्टेन्ट आफ लैण्ड तय कर दी । फोर टाइम्स पानी मिलता है । गंग कैनाल में बाग-बगीचों वालों को और एक्स्टेंट कर दी 54 एकड़ तक तो मुझे बताइये कि सीलिंग का क्या परपज हुआ ? नया कमीशन बैठने के बाद जहां दो क्राप हों वहां पर 18 एकड़ ।

Page No 150

(150)

(श्री केदारनाथ)

अगर, मान्यवर, लगातार पानी मिले 80 से 100 पर्सेन्ट की इन्टेन्सिटी हो इरिगेशन की तो 18 से 20 एकड़ काफी है एक काश्तकार के लिए। इन्टेन्सिटी हो, दो क्राप्स मिलती हों, दो क्राप्स हो सकती हों या मल्टीपल क्राप्स हो सकती हों और इन्टेन्सिटी आफ वाटर सेन्ट-पर्सेण्ट है 80 और 100 पर्सेंट के बीच में। मगर इस बिल के पारित होने के बाद हमारी गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल में कोई असर नहीं पड़ता है। यह ठीक है कि राजस्थान कैनाल में आप एलाटमेंट पहले ही सीलिंग लिमिट में करते हैं, 55 तक टू स्क्वायर्स आफ लैण्ड, 55 के बाद में वन स्क्वायर और नये एलाटमेंट वन स्क्वायर आफ लैण्ड है। अगर इस में ट्रान्सफर्स हुए हैं, 26 सितम्बर के बाद जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं, पहले हमने जो एमेंडमेंट किया था, मान्यवर, उसमें 69 तक के सारे ट्रान्सफर्स रेग्युलराइज कर दिये इस भय से जमीन हैण्ड्स चैन्ज करती गई है, 5-7 बार जमीन हैंण्ड्स बदल गई है और किसने किस को डिसपोज आफ करें, किसको बेदखल करें, किसको मालिक मानकर चलें, यह राजस्थान सरकार के बूते की बात नहीं है, इसलिए जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको रेग्युलराइज कर दो। यही बात फिर आयेगी। 26 सितम्बर के बाद जितने बोनाफाइड ट्रान्सफर्स हुए हैं वह तो ठीक है लेकिन उसका भी डिस्क्रीशन आफिसर के पास हैं। बोनाफाइड ट्रान्सफर्स कम हैं। उसके बाद इललीगल ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको बेदखल नहीं करेंगे। वह आपकी हिम्मत के बाहर की बात है। वह कौन लोग हैं? वह वही लोग हैं जो पावरफुल हैं। पोलिटिकली और सोशियली वह बहुत पावरफुल आदमी हैं और लैण्ड पर कब्जा उन्होंने स्थापित किया हुआ है। मान्यवर मैं एक बात यह सोचता हूं कि 10–12 साल से शहरों से लोग, रिटायर्ड आफिशियल्स, रिटायर्ड पोलिटिशियन्स और जितने कान्ट्रेक्टर्स हैं यह एक क्लास, नई केपिटेलिस्ट क्लास वहां पर जाकर बस गई है। खेती-बाड़ी से जिनका कोई वास्ता नहीं है, काश्त से कोई वास्ता नहीं है। वह इन शेयर-कापर्स की मारफत, सीरी कापर्स की मारफत, हायर्ड पर्सन्स के मारफत या किसी तरीके के हों उनकी मारफत काश्त करवाते हैं। इसलिए सीलिंग लॉ कहां पर लागू करें। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान की अन्दर ही नहीं सारी स्टेट्स के अन्दर बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां पर क्रापशेयरर्स ने, जहां पर लैण्डलेस पर्सन्स ने अपना कोई संगठन कायम किया हो। मान्यवर, मैं इस बात को भी मानता हूं कि हम केवल लॉ की मारफत सोशियल चैन्ज लाना चाहते हैं, केवल लॉ की मारफत सारे इम्प्रूमेंट लाना चाहते हैं; तो समाज में तब्दीली नहीं आ सकती। जब तक जिनको फायदा उस ला से पैदा हुआ है जो आपने लॉ बनाया है, जब तक उनमें ऐसा संगठन पैदा नहीं हो, ऐसा आर्गेनाइजेशन पैदा नहीं हो, जब तक वे युनाइटेड होकर लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की मांग नहीं करते हैं तब तक कैसे लॉ का असर पड़ सकता है? उनका प्रेशर है। न हमारी पोलिटिकल विल है, न हमारा कन्सेप्शन ठीक रहा। दूसरी बात, मान्यवर, जिस मशीनरी के मारफत आप 60 से लेकर आज तक इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, वह मशीनरी बड़ी इनएफिशियन्ट है, उस मशीनरी के दिमाग का कन्सेप्शन उसके खिलाफ है. उसका एप्रोच लैण्ड रिफोर्म्स के खिलाफ है। इसके मारफत पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार एस० डी० एम० की मारफत जिनका लैण्डलार्ड्स

(श्री केदारनाथ)

के साथ में हमेशा एसोसियेशन रहा है, वह ऐसी साइकोलाजी में रहे हैं, वह उनकी ऐसे क्लाइमेंट में रहे हैं कि उसके प्रभाव से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आपने कभी नई मशीनरी इन्वाल्व करने की कोशिश नहीं की, कभी आपने ऐसा मेकेनिज्म भी तैयार नहीं किया जो इसके इम्लीमेन्टेशन की सब बातों को ठीक करें।

चौथी बात यह है कि आपका रेकार्ड डिफेक्टिव है। आज आपके पास डेटाज नहीं हैं। एक्चुअली फैमिली ज्वाइन्ट है। मान्यवर, मुझे 200, 400 फमिलीज के नाम याद हैं जो इकट्ठी खेती करते हैं, लेकिन कागजों में अलग अलग काश्त है। इकट्ठा घर है, इकट्ठा भोजन है, इकट्ठा कारोबार है, मगर कागजों में वह सारे के सारे अलग हैं। इसलिए कोई भी आफिसर वहां पर जायेगा यह कहेगा कि सीलिंग लॉ यहां पर आपरेट नहीं करता है। स्पॉट पर जाकर यह जांच नहीं करते हैं कि सीलिंग लॉ आपरेट करता है कि नहीं। जांच कमेटी कौनसी बनायें? उसमें एम० एल० एज० को लेने की जरूरत नहीं है जिन्हें कि वोट लेना है, जिनके क्षेत्र कन्फ्रन्ट करते हैं अपनी पापुलेरिटी के नाम से, पोलिटिकल स्ट्रेन्थ के नाम से। वह कभी भी चैन्ज नहीं ला सकते। वह लोग इस कमेटी में हों जो कि क्राप शेयर्स हैं, लैण्डलेस हैं, जो स्माल फार्मर्स हैं जो यह जानते हैं कि इसकी कितनी जमीन है। जो यह जानते हैं कि सरदार दरबारा सिंह की इतनी जमीन है, इतने बच्चे हैं, इतने पोते हैं, इतने बालिग हैं और इतने नाबालिग हैं, इतनी जमीन यहां पर और इतनी जमीन पंजाब में है। जब तक वह कमेटी नहीं बनती है जिसके अन्दर वह लोग हों जिनका लड़ने का माद्दा हो, जिनके अन्दर बड़ा गुस्सा हो, जो हमेशा से लैण्डलार्ड्स के खिलाफ लड़ते रहे हों, जब तक वह कमेटी न हो और उसकी मारफत ला का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते हैं तब तक कोई इससे फायदा नहीं है। हमको इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे मौजदा आफिशियल्स के मारफत नहीं करना चाहिए।

पांचवीं बात, मान्यवर, मैं थोड़े से में अर्ज करना चाहता हूं कि हम लॉ में डिफैक्ट रख देते हैं, बुनियादी तौर से डिफैक्ट रख देते हैं। इसकी वजह से लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में, लॉ की क्रियान्विति नहीं हो सकती है, जसा कि राजाओं के बारे में हुआ है। वह हाई कोर्ट में पड़े रहते हैं। कितने साल से पड़े हैं राजाओं की जमीन के मामले। वह मशीनरी इसमें इस तरह से डिफैक्ट कायम कर देती है कि हाई कोर्ट में चले जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि पोलिटिकल पार्टीज ने ईमानदारी से कभी शेयर क्रापर्स के बीच में, लैण्डलेस के बीच में उनके संगठन का कोई काम नहीं किया। ईमानदारी से मैं बात करता हूं। केवल कभी कभी डिमान्स्ट्रेशन कर दिया, कभी कभी मीटिंग कर दी। कभी कभी भाषण दे दिये। इमानदारी से हम लोगों ने लैण्डलेस के बीच में, क्रापसीरी के बीच न तो कांग्रेस पार्टी ने, न किसी अन्य लेफटिस्ट पोलिटिकल पार्टीज ने इस तरह से उनका संगठन बिल्ड करने की कोशिश की। अगर उनका संगठन बिल्ट हो जाता तो लाजिमी तौर से इस देश की हवा बदल जाती। न कन्ज्युमर्स का संगठन, न किरायेदारों का संगठन, न झुग्गी–झोंपड़ी वालों का संगठन। आखिर हमारा कन्सेप्शन क्या है? हम लोग अपनी पोलिटिकल लाइफ के लिए यह ठीक है ईमानदारी से काम करते है कुछ लोग बुनियादी तरीके से हमारे पोलिटिकल वर्किंग में यह कमी रही है। इसलिए, मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। अगर आप

(श्री केदारनाथ)

चाहते हों कि सही तरीके से इसका इम्पेक्ट हो तो नये सिरे से एप्रोच को बदलें। जो लोग रियली काश्तकार हैं, अगर आप चाहते हैं कि लैण्ड टू दी टिलर को जाय, आप अगर यह प्रिन्सिपल कायम करना चाहते हैं दरअसल में तो आपको बिना किसी पक्षपात के, भेदभाव के जितनी भी जमीन हो उसको आप पांच जीवों का परिवार मानकर उतनी उनके पास रखें बाकी कोई भी लैण्डलार्ड हो, कोई भी पोलिटिशियन्स हों, कैसा भी हो उससे जमीन वापिस ले लें। ऐसी कमेटी बनाकर बंटवारा करेंगे तो सोशियल चैन्ज जो लाना चाहते हैं साइकोलाजिकल और पोलिटिकल चैन्ज लाना चाहते हैं वह देहात में आ सकता है। वर्ना केवल कानन पास कर दें और आफिसर्स के मारफत लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं हो सकता।

श्री सभापति : श्री रामकिशन (अनुपस्थित)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (अनुपस्थित)।

श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, यह जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि कृषि की खेती करने की जमीन की सीमाबन्दी का यह कानून आखिर फिर सामने आया और हम इसको सम्पूर्ण राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं। इसके लिये तो मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं परन्तु यह मसला बहुत लंबे अर्से से राजस्थान के भूमिहीनों के कल्याण के नाम पर, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे लेने के नाम पर अटका रहा और उसके पीछे बहुत बड़े राजनैतिक कारण रहे हैं कि जब कानून जिस समय में बनना चाहिए था वह नहीं बना सके और अब तक इसमें कोई शक नहीं कि यह कानून बनकर सामने आया है तो लोगों में चर्चा होगी और जब इस प्रकार के कानून की बात चलती है तो गांव में सब लोग पूछते हैं कि किस किस पर असर आने वाला है कितनी जमीन किस किस के पास जाने वाली, है। हम इस कानून की मंशा यह समझें कि जनके पास अधिक भूमि है उनसे लें और जिनके पास नहीं है उन्हें दें तो हमें सारे देश में विशेषकर राजस्थान के हिस्से में गांवों में बसने वालों की तरफ निगाह ले जानी पड़ेगी, जो एक साइड में रहने वाले हैं लेकिन आज भी एक तरह से गुलाम हैं। राजस्थान में एक दास प्रथा थी, जिसके तहत उधार पैसे देते थे और कर्जदार अगर नहीं चुका पाता तो जिन्दगी भर गुलामी करता था। उसी तरीके से जो आज भूमिहीन लोग हैं बड़े भूमिदार दास प्रथा की तरह उन्हें जीवन यापन करवाते हैं, उनका शादी विवाह वही करवाते हैं, कपड़े खरीदने होते हैं तो उनसे ले जाते हैं और जिंदगी भर वह रकम उनके नाम मंडी रहती है, सिर्फ उनको खाने को मिलता है और बहुत ही गंदी हालत में रहते हैं। तो हम गांवों में यह चाहते हैं कि इस कानून के पास करने के साथ साथ ऐसे लोगों में विश्वास पैदा करें कि आप भी अपनी निजी जमीन पर काश्त कर सकेंगे, भूमिधारी बन सकेंगे। अगर यही विश्वास पैदा करना है तो उन्हें जमीन देनी पड़ेगी।

जहां तक जमीन देने का सवाल है, यह सही है कि लंबे समय से इस कानून की चर्चा चलती रहने से और समय पर लागू न होने से बहुत से लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए, जैसे मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने बताया। यह सही है कि गलत तरीके से लोगों ने ट्रान्सफर कर दिए और इस तरह जमीन होते हुए

(श्री दीपंकर)

भी हम प्राप्त नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इस कानून को लागू करने के साथ साथ क्या कोई ऐसा कारगर उपाय और अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे जमीन को प्राप्त किया जा सके ? जहां तक सवाल है गलत तरीके से इंद्राज का, तो हमें देखना पड़ेगा लोगों को शौक हो गया था कि दो नंबर की पूंजी काश्त की जमीन में लगायेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, तो ऐसे लोगों ने बड़े फार्म्स बनवा लिए, खेती के नाम पर फल लगाने के नाम पर। तो बड़े बड़े अधिकारी जो शौकिया कहते हैं कि हम फार्म पर जाते हैं, ऐसे लोगों के फार्म्स हैं जो हजारों रुपए वेतन पाते हैं, फिर भी वे लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो भी उन लोगों से जमीन नहीं ली जायेगी तो फिर कौनसी जमीन सरकार को प्राप्त होने वाली है ? इसलिए इस कानून में स्पष्ट हम नहीं कर पाए हैं कि काश्तकार की परिभाषा क्या होगी। जो खुदकाश्त करते हैं, जिनकी जिंदगी काश्त पर बसर होती है, ऐसे ही लोगों को काश्त की जमीन रखने का अधिकार होगा तो इस बिल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ऐसी हालत में चाहे राजनैतिक लोग हों, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे किसी तरीके के लोग हों, ऐसे लोगों से भूमि ली जानी चाहिए। उद्योग के नाम पर जहां उद्योग छोटी सी जमीन में लगेंगे बड़े भूखंड कब्जे में रखे रहने के लिए बंगले भी बनायेंगे, काश्त भी करेंगे लेकिन पटवारी के रेकार्ड में नहीं। जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने घोषणा की थी कि रेलवे लाइन के पास छोटी जगह हो तो उस पर काश्त करें। उन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा बुलंद किया, तो आज इस बात की जरूरत है कि जो बिना मतलब के एक टुकड़ा पड़ा है तो उस पर काश्त होनी चाहिए, वह उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनका जीवन चलना मुश्किल है, तो बड़े बड़े भूखंड उद्योग के नाम पर जिन पर कब्जा कर रखा है, वे भी लिए जायें और किसी तरीके से तमाम जमीन पर उन लोगों से काश्त कराई जाए, जो काश्त करने के काबिल हैं परन्तु उनके पास जमीन नहीं है। गांवों में भूमिहीन लोगों की परिभाषा के आधार पर कुछ भूखंड ऐसे पड़े थे जो चाही जमीन के थे, कुछ पड़त जमीन के थे, कुछ ऐसे टुकड़े थे एक तरह से जो जमीन की पैमाइश की गई, उसमें नहीं आए। हरेक तहसील में 100-200 बीघा जमीन है जिस पर वह अपनी मर्जी से काश्त करवाता है। तो यदि उस टुकड़े को कमेटी ने भूमिहीनों को एलाट किया तो कब्जा नहीं करने दिया। उन लोगों ने अलाऊ नहीं किया। जिनके पास अच्छे मवेशी हैं वे कहते हैं कि मवेशियों को कहां चरायेंगे ? इस तरह का विवाद गांव-गांव में खड़ा हो गया और जिनको 10-15 बीघा जमीन दी गई थी उनको वे टुकड़े नहीं मिलने से आज भी इस तरह के कई मुकदमे राजस्व विभाग या सचिवालय में विचाराधीन हैं जिनमें एलाटमेंट कमेटी ने एलाट कर दिया परन्तु वे काश्त नहीं कर सके, कब्जा नहीं कर सके। जिलाधीश से प्रार्थना की है, पुलिस थाने में की है कि हमको एलाटमेंट कमेटी ने एलाट किया है, तहसीलदारों से हमारे पास इस तरह की सनद मिली है, हम इसके मालिक हैं परन्तु पुलिस कोई मदद नहीं करती, पटवारी कोई मदद नहीं करता न सामाजिक रूप से ही उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो वायदे हमने किये वे बेकार गये और एक तरह से उनका होना न होना वैसा का वैसा है और इस कानून के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन आना चाहिए। भूमिहीनों को भूमि न दिलाने में जो सक्षम लोग हैं वे ज्यादा सचेत हैं इसलिए

(श्री दीपंकर)
गांवों के भले के नाम पर, डवलपमेंट के नाम पर, इन्सटीट्यूशन के नाम पर जितने भूखंड हैं, वैसे के वैसे मवेशियों के लिए बनाए रखना चाहते हैं और भूमिहीनों को नहीं देना चाहते हैं।

जहां तक सारे राजस्थान में लागू करने की बात कही गई है, खुशी की बात है। हर जिले में 100-50 ऐसे भूतपूर्व जागीरदार हैं। गंगानगर जिले में जगह जगह पर हम पूछते हैं कहां गये थे तो जवाब मिलता है कि हम अपने मुरब्बों पर गए थे। तो वहां भी जमीन और यहां भी जमीन। ऐसे लोगों के बारे में आपको मानस बनाना पड़ेगा कि आखिर भूमिहीनों को भूमि देनी है और जिनके पास भूमि है, वह लेनी है तो निर्णय कराए। यहां की भूमि रहने देनी है या गंग कैनाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वह रहने देनी है या दोनों रहने देनी हैं। एक अपने नाम पर तो दूसरी स्त्री के नाम पर या एक अपने नाम पर दूसरी लड़के के नाम पर। इस तरह का जो अंतर है, उसको किसी तरीके से मिटायें ताकि दूसरों को जमीन मिले। गंग कैनाल पर बहुत से लोग हैं जिनको सालाना जमीन काश्त के लिए दी जाती है बहुत से लोग जो वहां रहते नहीं हैं जिन लोगों का कहीं नामोनिशान नहीं है, मन में आया उसका लिखा दिया, मन में आया वह गांव लिख दिया और एक साल के लिए काश्त के लिए जमीन दे दी और हर साल रिन्यू होती चली जाती है इस तरह से हजारों बीघा जमीन नाजायज तौर से बड़े बड़े भूमिदार लोग कब्जा किए हुए हैं। तो यह परिस्थिति आपके सामने है। इन परिस्थितियों में हम देखें कि इस बिल का उद्देश्य यह है कि जिनके पास सरप्लस जमीन है उनसे लेनी है और जिनके पास में नहीं है, उनमें बांटनी है। तो हमें कम से कम यह विचार करना पड़ेगा कि हम काश्तकार की परिभाषा दिमाग में साफ करें, उसके साथ साथ पूरा लेखा-जोखा रखें कि किस आदमी के पास किस तहसील में कहां कितनी जमीन है और उस जमीन का लेखा-जोखा करने में बाद अगर देखते हैं कि कानून की सीमा से उनके पास ज्यादा है, नाजायज तौर से उनका कब्जा है, जिन लोगों को दे सकते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट से चाहे रिटायर्ड अधिकारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सरकारी सेवा में लगा हुआ हो चाहे राजनैतिक नेता हो, हर तरीके से हमें ऐसे लोगों से जमीन लेनी चाहिये और परिभाषा के अनुसार भूमिहीन लोगों को देनी चाहिए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी, जो गांवों में आशा लगाकर बैठे हैं कि हमें काश्त के लिए जमीन मिलेगी वह भी पूरी होगी।

इसमें संदेह नहीं कि हम बैठकर कानून को चाहे जितना लंबा कर दें लेकिन हम मानकर चलते हैं कि जो जमीन के बड़े बड़े मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव काम में आ रहा है कि यह कानून न बने और कार्यरूप में परिणत न हो। कई राजनैतिक दबाव आए हैं, कई तरह की सिफारिशें आईं। इसलिए जिस समय गांवों में चेतना फैली कि ये जमीन देने वाले नहीं हैं। जिनके पास है, वे नहीं देने वाले हैं। तो अपने आप में अभी तो यह धान पर झगड़ा हुआ। परन्तु गुलामी की जिन्दगी बसर करने वाले जो लोग हैं, अगर वे संगठित होकर वे चैतन्य हो जायेंगे तो बड़े लोगों की जमीनों पर कब्जा करने लगेंगे। कोई समय आयेगा कि राजस्थान में इस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा होगी। अच्छा हो कि इन

(श्री दीपंकर)

उनको इस प्रकार का मौका नहीं दें। आज गांवों के जो पुराने उद्योग थे, वह पिछड़ गये हैं। आज काश्त की जमीन उनके पास नहीं है। वह रोज यह सोचते हैं कि आज हम हल चलाने के लिए किसके यहां जायें। हम खेत काटने के लिए किसके यहां जायें। जिनके पास आजिविका का कोई जरिया नहीं है। केवल भाषण करके उनको कब तक ढाढ़स बंधाते रहेंगे। बार बार हमारी पार्टी की ओर से यह नारा आया है। 90% लोग आज मामूली स्थिति में रहते हैं। बार बार उनको कहा जाता है कि जमीन उनको दी जायेगी। उनके रहने की व्यवस्था की जायेगी। अगर हम उनका विश्वास खो देते हैं। अगर उनकी गुजर-बसर के लिए जमीन नहीं देते हैं तो आप यह मानकर चलें कि वे एक दिन अवश्य संगठित होंगे। इसके साथ साथ जो हम क्लासलस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। वह जो हम बनाने जा रहे हैं, वह नहीं होगी। एक ऐसा द्वन्द शुरू होगा जैसा कि आज तक गांवों में नहीं हुआ है। जो द्वन्द शुरू होगा वह रंग लायेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहकर मंत्री महोदय को इतना ही कहना चाहता हूं इस कानून बनाने की मंशा भूमिहीन लोगों को जमीन दिलाने की है अतः उनको जमीन दिलाने की कोशिश करें। इतना ही निवेदन है। लोगों को काश्त के लिए जमीन नहीं दिला पायेंगे। तब तक हमारे गांवों में बड़े बड़े काश्तकार भी अधिक जीवित रहने वाले नहीं हैं। सबको जिन्दा रखना है तो हमको सबको समान रूप से जमीन देनी ही पड़ेगी। अगर देने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो लोगों की लेने की प्रवृत्ति जगेगी। मेरा निवेदन है कि गांवों में वह समय नहीं आने दें। इससे पहले ही हम कानून के जरिये से अपनी प्रशासनिक मशीनरी के जरिये से जमीन का बंटवारा करा दें। अगर हम ऐसा कर सकें तो बेहतर रहेगा। जो आपके पटवारी और तहसीलदार हैं, या एस०डी०ओ० रेंक के जो अधिकारी हैं। आपकी नीति में उनको विश्वास नहीं है। इसलिए कोई कार्य उनको देकर निश्चिन्त नहीं रह सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री दीपंकर : एक एक पटवारी 100 और दो दो सौ रुपया नामांकनकरण के ले लेता है। इस प्रकार की लूट हो रही है। अगर ऐसी हालत रही तो यह मशीनरी के द्वारा अमली जामा पहनाने के बारे में आपको धोखा होगा। जैसा कि अनाज के बारे में धोखा हुआ है। ऐसा ही होगा।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)

श्री नानालाल (अनुपस्थित)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (अनुपस्थित)।

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, सीलिंग का बिल आज हमारे सामने आया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। पर इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग कानून में आज जितना आकर्षण है, उतनी ही उसमें देरी हो रही है, वह हमारे लिए हितकर नहीं है। आये साल अमेण्डमेण्ट के मामले इस बिल में आ जाते हैं। जिनको जमीन देनी है भूमिहीनों को वह नहीं दे पाते हैं। नहीं दे पाते हैं तो उस जमीन के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। सभापति महोदय, जो हम जमीन छुटाने का टारगेट जमाने से बना रहे हैं,

(श्री लूणाराम)

सीलिंग में इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि आज सभी कोई चाहता है कि हमारे पास जमीन ज्यादा हो। आज नोटिस भी दिये जाते हैं सीलिंग के तो ऐसे आदमियों को दिये जाते हैं। जिनकी एक खाते में ही ज्यादा जमीन है। आज बहुत से ऐसे आदमी हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है। लेकिन उनकी जमीन टुकड़ों में कई कई गांवों, तहसील व जिलों में होने के कारण उनको नोटिस नहीं दिये जाते हैं। कानून के अन्दर पैनल्टी की व्यवस्था है जो 1000 लाख की जमीन दबाने वाले के लिये क्या ज्यादा है? जिनके पास ज्यादा जमीन है, अगर एक हजार बीघा है जिसे वह बेचे तो डेढ़ लाख की जाती है। आज एक हजार रुपया पेनल्टी के पेमेन्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यह सीलिंग कानून सफलीभूत हो। और ऐसे आदमियों के पास जमीन नहीं रहे जो अनैतिक तरीके से रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो जमीन उन लोगों के पास है वे तीन चार किस्म के लोग हैं। आफिसर लोग हैं। जो जहां राजस्थान में रहे, उनमें से रिटायर भी हो गये हैं और मौजूद भी हैं। व्यापारी लोग हैं जिन्होंने जहां 2 व्यापार किया उनका एक जगह निवासस्थान है और दूसरी जगह व्यापार का काम करते हैं वहां जमीन खरीद लेते हैं। तीसरे ऐसे जमींदार हैं, जमादार जहां अच्छी पैदावार देखते हैं वहां जाकर जमीन खरीद लेते हैं। इस प्रकार के लोगों के अलावा ऐसे लोग भी हैं जो भूतपूर्व जागीरदार हैं, उनके पास में जमीन थी, उन्होंने वह बच्चों के नाम करके दूसरी जमीन खुदकाश्त के नाम पर नहरी क्षेत्र में ले ली। इसी प्रकार से मंदिरों का मसला है। मन्दिर की जमीन को कुछ लोगों ने अपने नाम पर हथिया लिया है और मन्दिर की जमीन ले ली है। छोटे माफीदार थे, उन्होंने भी ऐसी बात की है। इस प्रकार नाजायज तौर से जमीन हड़पी गई है। अलाटमेंट में भी ऐसा हुआ है। अलाटमेंट के मामले में कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में यह शर्त रखी गई थी कि 1951 और 1955 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा या खानदान का नाम होगा, उसको जमीन का एलाटमेंट होगा। नतीजा यह हुआ, वोटर लिस्ट 1951 में बनी पहले पहले, उस समय नाम लिखाने में लोग भय खाते थे कि हमारा नाम लिखा जा रहा है, गांवों में अविश्वास था इतना कि जिसका अन्दाज नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार के चालाक लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जिनका यह पेशा नहीं था, ऐसे लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम लिखा दिया। और ऐसे लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम होने के आधार पर अपने नाम पर, परिवार के लोगों के नाम पर जमीन एलाट करा ली बिना काश्तकारी पेशा होने के ही और जमीन के खातेदारी अधिकार लेकर उसकी बिक्री करते रहे। लेकिन मूल में जिन्हें जमीन की आवश्यकता है, वह आज भी जमीन से वंचित हैं। आप 1951 और 1955 की वोटर लिस्ट को आधार मान कर जमीन देते हैं जबकि 1951 और 1955 की वोटर लिस्ट राइट आफ कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। आज किसानों को कहा जाता है कि वोटर लिस्ट लाओ। जब वोटर लिस्ट खत्म कर दी है तो उनको मिलेगी नहीं। किसानों को कहा जाय कि वोटर लिस्ट लाओ, तो वह जयपुर तक भी आयें तो भी लिस्ट की नकल नहीं मिल पाती है। इस कारण से वह जमीन नहीं

(श्री लूणाराम)

ले पाते हैं। जमीन लेने का काम चालाक आदमी ही कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सीलिंग के अन्दर लोगों ने घुस घुस कर जमीन हथियायी है और वास्तविक किसानों को जमीन लेकर देना चाहते थे उनके सामने दिक्कत रही है। इसलिए मैंने वोटर लिस्ट का और अलाटमेंट का जिक्र किया।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से आज एक समस्या यह भी है कि किसान अशिक्षित होने के कारण, जो बालिग परिवार में हो गये हैं, उनको अलग मान कर चलते हैं लेकिन किसान के बालिग होने के सम्बन्ध में अदालत में विवाद खड़ा किया जाय तो लोगों को दिखाने को, किसान के पास स्पष्टीकरण देने के लिये न तो स्कूल सर्टिफिकेट होता है, जन्म पंजिका है, और पंचायत में पंजिका है जिससे वह स्पष्टीकरण कर सके। चालाक लोगों के सामने यह दिक्कत नहीं आयेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सीलिंग कानून है, जिस प्रकार सैटलमेंट करवाया है, उसी प्रकार आपकी रेवेन्यू एजेंसी मौजूद है, सर्वे डिपार्टमेंट को लगा कर हर परिवार की छानबीन करवाई जाय। यह चीज अनिवार्य की जाय, जमीन किसी के पास थोड़ी बहुत कितनी ही हो, एक गांव से दूसरे गांव में जमीन ले तो उसको घोषणा करनी पड़ेगी। वह जमीन की सूचना दे। इससे सीलिंग पर अच्छे ढंग से अमल होगा और किसान को भी परेशानी कम होगी। सीलिंग में दबी हुई जो जमीन है वह बहुत मात्रा में हाथ में लगेगी, नहीं तो इस युग में जमीन हाथ में नहीं लगेगी, चाहे कितने ही अमेंडमेंट इस कानून में आप क्यों न कर लें। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि जयपुर शहर है, इसके मूल निवासी है, न मालूम कब से जयपुर में पड़े हुए हैं। लेकिन वह उसी हलात में हैं और जयपुर के इर्दगिर्द आप जमीन देखें, कि किसके नाम है। तो वह किसी आफिसर की होगी, किसी व्यापारी की होगी या और किसी की होगी। यह मैंने जयपुर का उदाहरण दिया है, लेकिन यह जयपुर का सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान की स्थिति यही है। आज चालाक लोगों ने जमीन हथियायी है। मेरा निवेदन है कि सीलिंग कानून आप कैसा ही पास करें लेकिन जल्दी से उसको अमली रूप दिया जाय। यह जमीन छिपाने की प्रवृत्ति है, इसको दूर करने के लिए हर प्रकार से विभाग द्वारा ऐसी गतिविधियां और कार्यवाही की जाय जिससे लाभ हो।

इतनी बात कहते हुए, मैं, जो सीलिंग कानून लाया गया है, उसका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को मैंने प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा है। मैं इसके बारे में सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। कांग्रेस ने अवाड़ी अधिवेशन के अवसर पर समाजवाद की ओर बढ़ने का कदम उठाया था और उसके बाद में हमने ऐसे कदम भी उठाये समाजवाद की ओर और हम राष्ट्रीयकरण की ओर भी बढ़े, परन्तु भूमि सुधारों के बारे में जो भी हमने कदम उठाये, पहले जो कदम उठाये वह बड़े प्रगतिशील थे, हमने जागीरदारों

(श्री. वृद्धिचन्द्र जैन)

की जागीर ली, किसानों को खातेदारी के अधिकार दिये, यह एक बड़ा रिवोल्यूशनरी परिवर्तन था, किसानों को बिना कम्पेन्सेशन दिये हुए खातेदारी के अधिकार दिये। इस सीलिंग के बारे में भी राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून बनाया, वह बहुत ही जल्दी बनाया और इसके लिए हम अलर्ट रहे, 1959 में कानून बन गया, 1960 में स्वीकृति मिल गई, 1963 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, परन्तु हमारे कानून पास करने के बाद में कांग्रेस में ही कछ ऐसे तत्व रहे, उन्होंने प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़ने नहीं दिया और समय समय पर हम संशोधन करते रहे। स्थिति यहां तक पहुंची कि हमने जो भी ट्रान्सफर इल्लीगल जितने भी किये गये और जिन्होंने जबर्दस्ती और बेईमानी से ट्रान्सफर कराये, उन सब ट्रान्सफर्स को हमने लीगलाइज कर दिया। पहले हम सोचते थे कि जो लैंडलेस को ट्रान्सफर है उनको रेगुलेराइज कर दें और दूसरे ट्रान्सफर को रेगुलेराइज न करें, परन्तु इतना प्रभाव पड़ा वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का, हमने जो भी इल्लिगल ट्रान्सफर थे उनको रेगुलेराइज किया है और रेगुलेराइज करने के बाद में यहां स्थिति पहुंची कि हम फर्स्ट जनवरी, 1973 तक हम पहुंच गये। ट्रान्सफर की डेट थी, जो फर्स्ट डेट थी, वह 25-2-58 थी, हम पहुंचे हैं 1 जनवरी, 73 तक हम सब ट्रान्सफर हम रेगुलेराइज करना चाहते हैं। एक सिर्फ क्लाज बनाया है, 26 सितम्बर, 70 से फर्स्ट जनवरी 73 तक के जो बोनाफाइड ट्रान्सफर हैं, उनको, मान्यता देंगे, यदि नहीं होंगे तो नहीं देंगे। इसमें डिस्प्यूट चलेगा मैं यह सोच रहा था कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, जो प्रगतिशील हैं, कम से कम इतना परिवर्तन लायेंगे, हमने भूल की थी 26 सितम्बर, 70 तक जितने ट्रान्सफर किये हैं जो इल्लिगल है उनको रेगुलेराइज करेंगे उसके बाद रेगुलेराइज नहीं करेंगे, उसके अन्दर परिवर्तन करेंगे लेकिन यह परिवर्तन भी नही किया जा रहा है, और बोनाफाइड ट्रान्सफर के नाम पर इल्लिगल ट्रान्सफर हैं, जो ट्रान्सफर की प्रोसीडिंग कोर्ट में चलती हैं, वह आप जानते हैं, प्रेसर भी होते हैं, इस कारण यह भी जितने ट्रान्सफर हैं वह भी रेगुलेराइज हो जायेंगे 1973 तक। इस प्रकार जो यह कदम उठा रहे हैं, यह प्रगतिशील कदम नहीं है। मैं यह समझता हूं, पहले जो इन्फार्मेशन मांगी थी, इस कानून के अन्तर्गत हमने जो कछ जमीन प्राप्त की है, वह डैजर्ट एरिया में प्राप्त की है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल, एक इंच जमीन भी प्राप्त नहीं की है। डैजर्ट एरिया में जमीन प्राप्त करी है वह दे भी दें, और भी डैजर्ट एरिया है, बीकानेर, वहां लेना चाहें, वहां भी बहुत जमीन पड़ी है, धोरे की जमीन उसको दे दें, तो उसकी क्या कीमत है, उससे क्या किसान अपनी जिन्दगी व्यतीत कर सकता है। डेजर्ट एरिया के अलावा जमीन प्राप्त नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आप बिल को पायलट करने जा रहे हैं, यह बतायें, कितनी जमीन कानून के अन्तर्गत प्राप्त की है। इसके स्टेटिसटिक्स आपने गेदर किये होंगे, आप सदन को कान्फीडेंस में लें कि कितनी जमीन आप प्राप्त करेंगे और कितनी जमीन लैंडलेस टीनेन्ट को देंगे। जिस प्रकार का ढंग चल रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता, जिस प्रकार का गवर्नमेंट एटीट्यूड एडाप्ट कर रही है, मुझे पूर्ण तौर से विश्वास बनता है कि कोई जमीन प्राप्त नहीं कर सकेंगे ...

अगर कोई जमीन प्राप्त हुई तो आप मुझे बताएं कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आपको

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कितनी जमीन प्राप्त हुई है। कितनी जमीन आपने लैण्डलेस लोगों को गंगानगर के एरिया में अलोट की है। अगर राजस्थान सरकार गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में लैण्डलेस को जमीन दे तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि कम्पेनसेशन के बारे में गवर्नमेंट क्या थिंक कर रही है। कम्पेनसेशन देने के लिये आपने क्या निर्णय लिया। क्यों कि आपने जो निर्णय लिया है कि कम्पेनसेशन सन् 1973 में हिसाब से दिया जायेगा। यह कम्पेनसेशन की रेट आपकी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने जो कानून बनाया उसमें यह कम्पेनसेशन उस व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा जो कि उस जमीन को लेगा या जिसको वह जमीन अलोट होगी। आपने जमीन की कीमत देने की रेसपोन्सिबिलिटी उस किसान की रखी है राज्य सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं रखी है। सभापति महोदयों राज्य सरकार ने तो जो मुख्य मंत्री महोदयों की कान्फ्रेन्स में डिसीजन लिया गया था उसको भी छोड़ दिया है। आपने उन निर्णयों के प्रतिकूल निर्णय लिया है। इसलिये सभापति महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय ताकि वह इस बारे में पूरी तरह से बातचीत करके आज जो कम्पेनसेशन 25 टाईम्स या 20 टाईम्स या 30 टाईम्स लेने की बात रखी है उस पर विचार किया जा सके। इसके अलावा सभापति महोदय, एक बात और आपने यह पुराना 20 टाईम्स आफ दी लैण्ड रेवेन्यू रखा था वह अब मार्केट रेट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जायेगा। क्योंकि अब उसकी कीमत 50 परसेन्ट मारकेट रेट करदी है। यह बहुत ज्यादा है इसके बारे में भी राज्य सरकार थिंक करे। इसके अलावा प्रवर समिति में और भी कोई संशोधन आवेंगे तो वे भी निर्णय हो सकेंगे। इसके अलावा एक बात और वह ओर्चार्ड के बारे में। आपने ओर्चार्ड के बारे में जो सिस्टम रखा है उसमें 54 एकड़ का प्रोवीजन है वह रख सकते हैं। यह ठीक है कि आपने 54 एकड़ जमीन ओर्चार्ड के नाम पर रखी तो इससे भी कोई जमीन आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करदें। सभापति महोदय, अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तो आपको कुछ न कुछ जमीन जरूर प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं। इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि पहले जब शोभारामजी मिनिस्टर थे तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी उसके फंक्शन्स थे कि जितने भी बेनामी ट्रान्जेक्सन्स हुए हैं जितने भी फ्राडूलेन्ट ट्रान्जेक्सन्स हुए है उनकी जांच की जाय। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी उसका कोई पता नहीं चला और गवर्नमेंट ने उस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया क्या या नहीं या वह कमेटी ही बन्द हो गई और अगर वह कमेटी सभापति महोदय, बन्द करदी गयी हो तो मेरा यह सुझाव है कि इसके लिये एक दूसरी कमेटी गठित की जाय जो इस प्रकार के जितने बेनामी ट्रान्जेक्शनस हुए हैं उसकी जांच करके रिपोर्ट दे। जितने भी इललीगल ट्रान्जेक्सन्स हुए हैं उसकी जांच करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच की जांकर उन्हें सजा दी जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

द्वितीय संशोधन विधेयक, 1974 को प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, सन् 1959 से हमने सीलिंग कमेटी बनायी और उसके बाद में सन् 62 में हम सीलिंग कानून लाये और उसके बाद में सन् 1969 को हमने यह सारे के सारे जो भी ट्रान्जेक्सन्स इल्लीगल या बेनामी हुए थे उनको हमने रेग्यूलराइज कर दिया। इस प्रकार हम सीलिंग कानून को वाटर डाउन करते चले गये। हम एक के बाद एक सीलिंग कानून को समाप्त करते गये। और आज जब हम यह विधेयक लाये हैं उसमें हमने यह छूट देदी कि राजस्थान कैनाल ऐरिया में जिन लोगों ने बेनामी जमीनें हड़प ली हैं या इल्लीगल रजिस्ट्रेशन जमीनों के करा लिये हैं उन्हें आप रेग्यूलराईज करने जा रहे हैं। और वह भी सभापति महोदय, आप 1–1–73 से रेग्यूलराईज करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, यह जो आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने जा रहे हैं उससे आपका सीलिंग कानून का कोई परपज हल होने वाला नहीं है। अब सीलिंग का कोई परपज ही नहीं रह जाता है क्योंकि सीलिंग को आप जिस ध्येय के लिये लाये थे वह अब पूरा नहीं हो सकता। अब कोई जमीन ही नहीं रहेगी, आपको सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त करने के लिये। क्योंकि वह तो पहले ही बहुत कुछ चली गयी थी और बची खुची सीलिंग आपने अब इसको 1–1–73 से लागू करके कानून का जो मेन परपज था उसे हमेशा के लिये समाप्त कर दिया है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत सबसे ज्यादा जमीन आपको गंगानगर से मिलने वाली थी। आपने उस समय यह एस्टीमेंट लगाया था कि हमें गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से करीब 2,88,152 एकड़ जमीन मिलेगी। आपने वहां पर करीब 13059 लोगों को नोटिसेज दिये। उनमें सिर्फ 14523 बीघा जमीन डिक्लेयर हुई। इस 14523 बीघा जमीन में से भी आपको सिर्फ 800 बीघा जमीन मिल पाई है। यह बात मैंने जब विधान सभा में प्रश्न काल में उठायी थी तो मुझे यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा मिली। और मैं समझता हूं अब आपने इसमें एक और बात जोड़ दी है। वह है क्लासीफिकेशन आफ दी लैंड और जमीन की इन्टेन्सिटी की बात। इसके साथ साथ आपने यह और रखा कि रेवेन्यू अधिकारी इसका डिक्लेरेशन देंगे। यह आपने उन पर छोड़ दिया है। वह चाहेंगे उसी तरह से करेंगे। यह आपको रेवेन्यू अधिकारियों के हाथ में नहीं रखना चाहिये था। यह तो आपको इरिगेशन के अधिकारियों के मार्फत करना चाहिये था। अब आपको जो 800 बीघा जमीन मिलने वाली थी मैं समझता हूं कि वह भी नहीं मिलेगी। क्योंकि सभी बेनामी ट्रान्जेक्शन्स इससे रेग्यूलराइज हो जायेंगे। इससे राजस्थान नहर एरिया में कोई जमीन आपको मिलती तो वह भी नहीं मिल पायेगी। अगर आप इसे 1–1–73 से लागू नहीं करते तो राजस्थान कैनाल के एरिया में काफी जमीन हाथ आ सकती थी क्योंकि उस एरिया में आपके बड़े जागीरदारों ने हजारों एकड़ जमीन दबा रखी है। ये आपके पुंगल के जागीरदार तथा बड़े बड़े सेठ लोग वहां पर हजारों एकड़ जमीन दबाये बैठे हैं। इधर आपके जोधपुर दरबार ने भी काफी जमीन दबा रखी है। इसके अलावा सभापति महोदय, बड़े बड़े अधिकारियों ने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

बड़े बड़े भूखण्ड वहां पर कब्जे में कर रखे हैं। आपके सेठ बांगड़जी ने, डालमिया ने और टाटा वगैरह ने हजारों एकड़ जमीन राजस्थान कैनाल एरिया में दबाली है। 5 हजार एकड़ जमीन एक व्यक्ति ने दबा रखी है। वहीं पर आपके सेठ मालपानी और चाण्क्य सेठ ने तीन चार हजार एकड़ जमीन दबा रखी है। इसके अलावा आपके सेक्रेटेरियेट के बड़े बड़े सेक्रेट्रीज भी हैं जिन्होने राजस्थान कैनाल में भूखण्ड दबा रखे हैं। इसके अलावा आपके यह जेड. एस. झाला साहब थे जो कि पहले राजस्थान के चीफ सेक्रेट्री थे, उन्होंने भी वहां पर हजारों एकड़ जमीन दबा रखी है। सभापति महोदय, मैंने पिछली बार इस सदन में इस प्रश्न को उठाया था कि इस तरह से इन बड़े बड़े अधिकारियों ने जमीन राजस्थान कैनाल में दबा रखी है। इसी तरह आपके फूड कमिश्नर साहब श्री भटनागर साहब ने 14 मुरब्बे जमीन राजस्थान कैनाल में ले रखी है। इसी प्रकार आपके रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार साहब ने भी 15–20 मुरब्बे जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम ले रखी है। सभापति महोदय, इन बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने नाम अपने लड़कों के या अपनी पत्नी के नाम पर जमीनें ले रखी है। सभापति महोदय, इन लोगों ने हाईकोर्ट में स्टे आर्डर ला रखे हैं। और कुछ ने तो सुप्रीम कोर्ट के अन्दर याचिका दे रखी है सैक्शन 15ए को डीलीट किया जावे तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सभापति महोदय, आज सारे के सारे राजस्थान कैनाल में बड़े बड़े जागीरदारों ने भूमि हड़प ली है वह आपके हाथ में नहीं आने वाली है। इसके अलावा सन् 69 के अन्दर गंगानगर के अन्दर एक बड़ा आन्दोलन इस बात के लिये हुआ था कि वहां पर जमीन नीलामी से मिलती थी। उस नीलामी के अन्दर इन बड़े सैठों ने लाख रुपये देकर जमीन इस एरिया में ले ली। सभापति महोदय, इस बड़े आन्दोलन में करीब बीस हजार आदमी जेल गये। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई और अन्त में राजस्थान सरकार ने यह तय कर दिया कि जमीन की नीलामी नहीं होगी और वहां पर धरती भूमिहीनों को ही दी जावेगी। और यह तय कर दिया कि 15 एकड़ भूमि वहां के भूमिहीनों को दी जावेगी और नीलामी बन्द कर दी गयी यह एक बहुत बड़ी तब्दीली उस क्षेत्र में हुई है। आज हाथ से खेती करने वाले को जमीन दें और सख्ती से इस कानून को राजस्थान कैनाल में लागू करते हैं तो अव्वल तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहिये, 1 जनवरी 1973 वह तारीख नहीं हो सकती जब लागू किया जाना हो, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू किया जाना चाहिये था जहां पर सरकार को बड़े भूखण्ड मिल सकते थे। हमारे हिसाब से इसको सन् 1959 से लागू करना चाहिये था। अभी भी इसको सख्ती से लागू करें और हाथ से काश्त करने वाले हैं उनको जमीन देते हैं जहां आंकड़े जीरो वहां सरकार को गंगानगर तहसील में, बीकानेर तहसील में सरकार को भूखण्ड प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार से लेकुनाज रखे हैं और क्लासिफिकेशन जमीन का सरकार ने किया है उसको देख कर ताज्जुब होता है। (7.22 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूरतगढ़ तहसील को डेजर्ट घोषित कर रखा है। हनुमानगढ़ तहसील और अनूपगढ़ तहसील को सेमी डेजर्ट घोषित कर रखा है। आज हनुमानगढ़ तहसील की एक बीघा जमीन की कीमत दस हजार रुपया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है। अनूपगढ़ तहसील की जमीन को जो घघ्घर बैंड की जमीन है तीन तीन जगह से उसको पानी लगता है। घघ्घर के फ्लड से इरिगेट होती है, भाखरा, गंग केनाल से इरिगेट होती है और एक एक बीघा जमीन की दस दस हजार रुपये से अधिक की कीमत है। जब सदन के अन्दर यह प्रश्न उपस्थित हुआ था तो कहा था कि ट्यूबवेल से निकलता है और जब ट्यूबवेल के लिये कहा तो कहा गया कि घघ्घर से पानी मिलता है। इसकी इन्टेन्सिटी 200 परसेन्ट से भी ज्यादा है और जमीन कभी खाली नहीं रहती है। इस प्रकार की जमीन को भी सेमीडजर्ट और डजर्ट डिक्लेयर किया जा चुका है।

आर्चर्ड को सीलिंग से मुक्त किया है। आर्चर्ड का दूसरा मतलब राजस्थान के अन्य हिस्सों में हो सकता है। किन्तु गंगानगर में आर्चर्ड का मतलब होता है उसको चार गुना पानी मिलना। दूसरी जगह से इस जमीन को फोर टाइम्स अधिक पानी मिलता है। इसमें तीन चार क्रोप्स साल भर में किसान कर सकते हैं। हमने यहां पर आर्चर्ड को बारानी डिक्लेयर किया है। ये कुछ लेकुनाज हैं जो कि इसमें आवश्यक नहीं है।

सरकार का परपज सीलिंग कानून को लागू करना हो तो एक ही बात हो सकती है। जो शख्स हाथ से खेती करने वाला हो, या खेती करता हो और जिस का सिवाय खेती के और कोई परपज नहीं, जिस प्रकार को डेफिनेशन हमने राजस्थान के परमानेन्ट अलाटमेंट रूल्स में रखने की कोशिश की है, गंगानगर आन्दोलन के बाद यह कमेटी बनी और मुझे भी इस कमेटी में मेम्बर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसमें प्रावधान रखा है जो स्वयम् कल्टीवेटर है और हाथ से कल्टीवेशन करता है और कोई धन्धा नहीं है तब ही सीलिंग से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन लड़कों के नाम पर नाबालिग लड़कियों और बच्चों के नाम पर, अपनी बीवीयों के नाम पर जमीन है, चाहे वह जवाई बांध में हो, चाहे वह राजस्थान केनाल में हो, चाहे वह भाखरा केनाल में हो और चाहे वह गंग केनाल में हो और चाहे वह दूसरे एरियाज में हो वह जमीन मुक्त नहीं है।

इसके अतिरिक्त राजाओं और महाराजाओं की जमीनें बेची जा रही हैं। सैंकड़ों केसेज सामने आये हैं। खातीपुरा की जमीन दो ढाई करोड़ की जमीन थी, ओल्ड रेकार्ड्स में चेन्ज किया गया। सदन में यह प्रश्न उटाया था कि महाराज जयपुर ने सारी की सारी जमीन डिस्ट्रिब्युट कर दी, उनियारा की भी सारी की सारी जमीन डिस्ट्रिब्युट हो गयी। बूंदी के महाराजा ने टोटल जंगल ही बेच डाला। ठाकुर बख्तसिंहजी का मामला रखा, गवर्नमेन्ट में म्युटेशन हो गया और नोटिस ओब्जेक्शन का निकल गया वह सारी का सारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर के फसल काट ली। आसपुर का केस रखा, डूंगरपुर तहसील का है, ठाकुर माधोसिंहजी ने बहुत बड़े भू-खण्ड पर कब्जा कर लिया। पांच हजार केसेज जवाई बांध के हैं बाली तहसील के हैं। गांव है कासलान, गोगरा, फलाना, नावा, खेड़ा, पीठिया, सांडेराव इत्यादि। दस हजार से भी अधिक बीघा धरती है और सारी की सारी जंगलात की जमीन थी और जागीरदारों के द्वारा बेच दी गयी। जवाई बांध का पानी लगना शुरू हो गया। दस हजार बीघा जमीन को सीलिंग के नाम पर लिया जा सकता है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इसी प्रकार अनेक मामले हैं। जाखम प्रोजेक्ट में ले लीजिये। उदयपुर कलेक्टर साहब का केस रखा था इसी सदन में रखा था और जिन्होंने जाखम प्रोजेक्ट में बेहतरीन जमीन रानी साहिबा के नाम पर करके अपने नाम पर ट्रान्सफर करा दी।

अगर सीलिंग कानून लागू करना है और जमीन लेना है तो जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि खेतीहर मजदूर और वास्तविक किसानों की कमेटियां, हाथ से हल जोतने वालों की कमेटियां बनानी पड़ेंगी और यह आन्दोलन खड़ा करना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि खेत मजदूर, भूमिहीन, हरिजन और आदिवासियों को इक्ट्ठा करके भू-पतियों के खिलाफ जिहाद बोलें वरना जमीन मुक्त होने वाली नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह कानून बड़े बड़े जागीरदार और भू-पतियों को संरक्षण देने का कानून है। उनको रेगुलेराइज का कानून है। मिसालें पेश कर सकता हूं। दस दस हजार रुपये के स्टाम्प एक तारीख को बिके हैं। 10, 458 रुपये के स्टाम्प नम्बर मौजूद हैं मेरे पास 6-5-72 को बिके हैं। नम्बर है सीरियल नम्बर 515, 516 और 517। क्रमांक 515 पर 3486 के स्टाम्प, 516 पर 3486 के स्टाम्प और 517 पर 3486 के स्टाम्प कुल 10,458 रुपये के स्टाम्प खरीदे गये एक ही तारीख को और ये खरीदे हैं नरेन्द्र कुमार पुत्र चौधरी रामचन्द्रजी ने एक ही तारीख को। आखिर ये एक ही तारीख को क्यों खरीदे ? लैंड डिस्ट्रिब्युशन में क्या ये काम नहीं आये ? जमीनों का डिस्ट्रिब्युशन करने के लिये डिफरेन्ट सोर्स से खरीदे गये हैं उनका अन्दाज लगायें तो गवर्नमेन्ट पता कर सकती है कि किस प्रकार से जमीनों का डिस्ट्रिब्युशन हुआ है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कानून प्रस्तुत हुआ है वह सीलिंग लागू करने का नहीं है, वह तो सीलिंग को हटाने का है। इसमें बड़े बड़े भू-पतियों को हर प्रकार की सहूलियतें दी गई हैं। हर प्रकार के बेनामी म्यूटेशन करने की और म्यूटेशन हो चुके उनको रेगुलेराइज करने की सहूलियतें इसमें दी गई हैं। बढिया से बढिया जमीनों का खराब से खराब जमीन में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। इन सब के बाद रूल्स में कुछ भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि जिससे यह आशा की जा सके कि सीलिंग में कुछ जमीन सरकार को मिलेगी और जिसे भूमि हीनों में बांटा जा सकेगा। ब्यूरोक्रेसी का अपर हैण्ड इस कानून में लागू कर दिया है। इस ब्यूरोक्रसी ने जिसका खेती से कोई वास्ता नहीं, अपनी टेलेन्ट काम में लेकर इन कानूनों की आड़ में अच्छी से अच्छी जमीनों पर कब्जा कर रखा है।

एक हाई पावर कमेटी का निर्माण हुआ शोभारामजी के चेयरमेनशिप में। 27 लाख का फैसला केवल राजस्थान कैनाल की डेढ़ दो तहसीलों में गलतियों को दुरुस्त करके किया। कम से कम 17 हजार एकड़ से अधिक जमीन बेनामी मुक्त करवाई इस एक्शन से सनसनी फैल गई और इसके बाद इस हाई पावर कमेटी के दफ्तर में ही ताला लगा दिया गया। अव्वल तो मीटिंग ही इसकी नहीं बुलाई गई। बुलाई गई तो एजेण्डा को चलने नहीं दिया। कागजात

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जो मांगे कभी दिये नहीं गये । इस कमेटी ने मांग की कि एडवोकेट जनरल चूंकि सारे के सारे जमीनों के केसों को सही ढंग से नहीं लेता इसलिये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या इस प्रकार के निष्पक्ष बड़े जज को एडवोकेट बनाया जाना चाहिये ताकि जो ढील हो रही हैं जमीनों के केसों में वह समाप्त हो सके । पर एडवोकेट जनरल से वे केस तो लेने की बात दूर रही उस कमेटी के फंकशनिंग को ही समाप्त कर दिया । टोटल कमेटी के फेज़ को ही समाप्त कर दिया गया । मीटिंग ही उसकी इसके बाद बुलाई नहीं गई कभी । कमेटी के टर्म्स ग्राफ रेफरेन्स में केवल एक ग्राडिनरी टर्म ग्राफ रेफरेन्स ही रहने दी बाकी सारी कमेटी को ही इनएक्टिव और पंगु करके रख दिया । जैसा कि माननीय सदस्य वृद्धिचन्द्रजी ने कहा । कमेटी ने जागीरदारों की फाइलें मांगीं तो वे प्राप्त नहीं हुईं । उनकी डुप्लीकेट ग्रलॉटमेन्ट की फाइलें हैं वे उनको नहीं दिखाई गई । ब्यूरोक्रेसी को यह पसन्द नहीं था कि यह कमेटी इसमें दखल दे । कमेटी ने बहुत से प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं की फाइलें मांगीं पर वे नहीं मिल सकीं क्योंकि इसमें सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी भी बुरी तरह इन्वाल्व्ड थी । अफसरों की लिस्ट मांगी जिन ने ग्रो मोर फूड कम्पेन के तहत जमीनें ली थीं । पर यह लिस्ट भी नहीं मिली । टोटल इसके एक्शन को इनएक्टिव कर दिया गया ।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अन्त में मैं तो यही कहूंगा कि आपकी मंशा यह कानून लागू करने की नहीं है । इसे रद्द करने की है हटाने की है । सीलिंग से बड़े भू-पतियों को और जागीरदारों को प्रोटेक्शन देने की है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री चतुर्भुज ।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून को सरकार ने कभी मन से लागू नहीं किया । इस की आज सब जगह आलोचना होती है । इससे सिवाय बड़े भू-पतियों के और जागीरदारों के किसी गरीब को फायदा नहीं हुआ । गरीब तो आज दिन तक भी परेशान है ।

नाजायज तरीके से जिन्होंने जमीनें दबा ली हैं अपने हथकण्डों से और असर से उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है । अब एस० डी० ओ० और कलेक्टर के ही लड़के भाई भतीजे अगर हों तो कौन जांच करेगा उनकी ?

आम काश्तकार अनपढ़ है । उसको बेवकूफ बनाया जाता है । उस गरीब अनपढ़ किसान को आज 15 वर्षों में भी लाभ नहीं मिल सका आपके इन कानूनों से । 15 वर्षों से लगातार एक के बाद एक कानून आप यहां लाते रहे हैं और पास करते रहे हैं । कभी इनका अन्त भी आवेगा ?

72 में जब यह कानून यहां लाया गया तो शहरी सम्पत्ति और गांवों में जमीनों पर सीलिंग लागू किया गया । आज अनपढ़ किसान के साथ कुछ भी किया जा सकता है, पर जिस दिन उसमें जागृति आवेगी दस पन्द्रह सालों में तो इस कानून को फिर ठीक करना पड़ेगा ।

आप कानून बनाकर अशिक्षित किसान को धोखा न दें । करोड़ों रुपयों की कीमती जमीन की बन्दर बांट आप लोगों ने आपस में मिलकर कर ली है । आम जनता के लिए

(श्री चतुर्भुज)
कानून में कोई राहत नहीं है। इसका परिणाम एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। कानून से ग्राम जनता को गरीब को भला होगा तो ठीक होगा। पर आज तो इन कानूनों से पूंजीपतियों को ही फायदा मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री राम गोपाल।

श्री राम गोपाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सीलिंग कानून से गरीब काश्तकार को क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ और हमको इसको लागू करने में कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं मिली इसके बारे में तो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है।

मन्त्रीजी खुद खेती करते हैं। वे समझ सकते हैं कि किसान की, गरीब किसान की क्या समस्याएं हैं और क्या उन समस्याओं को हल करने में यह कानून आपका सफल हुआ है? यह खुद राजस्व मन्त्रीजी को मालूम होगा। इसलिये मैं उस विषय में तो जाना नहीं चाहूंगा। केवल दो मिनिट में गरीब किसानों की मुसीबतों को हटाने का सुझाव दूंगा।

सीलिंग कानून लागू करने के बाद में आप धड़ाधड़ अमेण्डमेन्ट पर अमेण्डमेन्ट लाये जा रहे हैं। एक फैमिली जिसके काफी सदस्य हैं आपका कानून उन पर सरचार्ज लगाता है।

जैसा कि एक खातेदार को 75) रु० का एक खाते में लगान लगता है और 75) रु० से ज्यादा होते ही सरचार्ज ले लेंगे···

श्री उपाध्यक्ष : मौजूदा विधेयक से इसका बंध नहीं है।

श्री राम गोपाल : मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही ला रहा हूं। दो ही मिनिट की बात है। बोलने तो, दो क्या बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जमीन का दोनों में कामन फैक्टर है।

श्री राम गोपाल : जो सरचार्ज वे देते हैं, अब क्या है कि आपको उन्होंने सरचार्ज से बचने के लिए पार्टीसिपेशन का दावा किया, डिक्री हो गई, रजिस्ट्री करा ली। जमीन बहुत कम आई। ज्यों ही सीलिंग एक्ट के अन्दर अमेन्डमेन्ट लाये तो जो मिलना चाहिए था वह सीलिंग एक्ट की वजह से रुक गया। आपके पटवारी, तहसीलदार वे नहीं कर सके। इससे क्या होगा काश्तकार लगातार सरचार्ज दे रहा है और देता रहेगा इसलिए जो आप अपना अमेन्डमेन्ट लावें उसके साथ साथ आपको यह निर्देश देना चाहिए कितनी मियाद में यह नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से तस्दीक मान लिया जाय ताकि जो किसान को मुसीवत आती है····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

केवल यही तो बात कहनी है, इसलिए मैं यह कहता हूं यह संशोधन प्रस्ताव पेश किया है और उसमें कहा गया है प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो अच्छा रहेगा और जो छोटी छोटी मुसीबतें हैं, वह दूर हो जायंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला!

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल!

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष जी आज सदन में 'सीलिंग के महत्व पर जो विचार हो रहा है' ' '

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हमने तो आपको बंका जी के बारे में कहने को कहा था, आपने तो' ' ' '

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : वह बाद में कह दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी भी स्वीकृति ले लें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले अगर 25 साल का भूमि के सम्बन्ध में अगर गहराई से देखें तो राजस्थान के भूमिहीन काश्तकारों को एक नाम मात्र की भूमि सरकार द्वारा अलॉट की गई है और बाकी की जो बची जमीन है और बढ़िया किस्म की जमीन है, जो सिंचित जमीन है वह राजस्थान के भूतपूर्व जागीरदारों को, और बड़े बड़े पूंजीपतियों और नये नये जागीरदारों को अलॉट की गई है। अगर आप गहराई से देखें तो भूतपूर्व जागीरदारों को, राजा और महाराजाओं को और राजस्थान के नये जागीरदारों के पास बीसियों की तादाद में मुरब्बे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है ।' ' ' '

कई माननीय सदस्य : कौन हैं नये जागीरदार' ' ' '?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नये जागीरदारों के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मेरे से ज्यादा खुलासा नहीं करायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार द्वारा खासतौर से हरिजनों के लिये जो भूमि अलॉट करने के बारे में एक कायदा बना रखा है, उस कायदे के तहत आज तक किसी भी भूमिहीन हरिजन को भूमि नहीं दी गई है। सरकार द्वारा इस प्रकार के नियम घोषित किये गये हैं कि हरिजनों को बढ़िया और अच्छी भूमि अलॉट करेंगे लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हरिजनों को जहां भूमि पर पानी लगना चाहिये, ऐसी किसी भी भूमि को काश्तकारों को नहीं दी गई है और महज हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिये, हरिजनों की तरक्की बताने के लिये भूमि दी गई है तो ऊंचे टीले पर दी गई है' '

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ऊंचा उठाने के लिये दी है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिये यह भूमि दी है । मैं राजस्व मंत्री से आशा ही नहीं करता हूं बल्कि राजस्थान का हरिजन जो भूमिहीन काश्तकार है जिसके कन्धे पर हल, कृषि व फावड़ा लिये हुये हैं वह पूर्ण विश्वास करता है और उम्मीद लिये बैठा है, उन लोगों को जहां नहर का मोघा है और अच्छी भूमि है वहां आज की भूमि में, ऐसी भूमि अलाट करने की घोषणा करेंगे । मैं यह उम्मीद करता हूं ।

दूसरी बात उपाध्यक्ष जी, जहां बारानी इलाका है वहां जो भूमि अलाट की गई है उनको न करके और जिनके पास भूमि है, उन लोगों को भूमि दी है और मैंने हाउस में सवाल भी पूछा है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है गांवों के भूमिहीन काश्तकार को नहीं देकर जिनके पास भूमि है, उनको भूमि दी है । मैं ज्यादा समय नहीं लेकर माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि राजस्थान केनाल में जहां हरिजनों के लिये भूमि रिजर्व की गई है और मौजूदा मोघा से पानी लगता है, उसको भूमि देने की कोशिश करेंगे ।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उपाध्यक्ष जी, एक दूसरी बात देव प्रसाद जी बंका यहां काफी दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो एक वक्तव्य देने के लिये ग्राबकारी मंत्री जी को कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी से कह दिया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : वह भी हरिजन का नम्बर ग्राया है ग्रौर बाहर से पैगाम ग्राया है उनकी हालत चिन्ताजनक है।

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि की ग्रधिकतम सीमा के ग्रधिनियम के द्वितीय संशोधन के विषय में निवेदन करने से पूर्व मैं यह स्वीकार कर लेता हूं कि इस सदन में मैंने ग्रपने इस सम्बन्ध में विचार करने में पुनरावृत्ति दोष ग्रहण किया है। प्रारम्भ में जब यह ग्रधिकतम सीमा ग्रधिरोपण ग्रधिनियम सदन में ग्राया तब भी प्रगतिशील विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले माननीय सदस्यों ने एक ऐसी कल्पना की थी, एक ऐसा स्वप्न देखा था, एक ऐसा विचार बनाया था कि जिन लोगों के पास ग्रधिक भूमि है, उनसे ली जायगी ग्रौर जिन लोगों के पास बिलकुल नहीं है, उनको दी जायगी। उसके पश्चात् शहरी सम्पत्ति की ग्रधिकतम सीमा का बिल भी ग्राया है। उसमें भी मुझे ग्रपने विचार व्यक्त करने का ग्रवसर मिला है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उस समय भी यह निवेदन कर चुका था कि ग्रापको जमीन बहुत कम मिलने वाली है। जमीन लोगों ने हस्तान्तरित कर दी। ग्रापने इस कानून को लागू करने के लिये एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी का विश्वास किया है जो ग्रापकी इन प्रगतिशील नीतियों को ग्रसफल करने पर उतारु है ग्रौर उदाहरण के तौर पर मैंने उस समय भी सान्डेराव के जागीरदार के नाम की जमीन किस तरह से ग्रार०ए०एस० ग्रधिकारियों ने, पुलिस के ग्रधिकारियों ने, उनके मित्रों ने, उनके सहयोगियों ने, उनके साथियों ने वह जमीन किस तरह हथिया ली ग्रौर गरीबों को किस तरह महरूम रखा उस समय भी मैंने उसका जिक्र किया था। मुझे इस सीलिंग कानून के सम्बन्ध में ग्रब यह विश्वास हो गया है कि यह कानून ऐसा कानून है जो केवल किताबों में रह जायगा, ऐसा कानून जो लागू नहीं हो सकता, ऐसा कानून है जो राजस्व मंत्री जी की नेक नियति क बावजूद भी उसमें इतनी खामियां हैं, इतनी कमजोरियां रखी गई हैं। जिसके कारण गरीबों को जमीन नहीं मिल सकती है। मैंने कुछ समय पूर्व ही यह निवेदन किया था कि सांडेराव में 3 हजार बीघा इर्रीगेटेड लेण्ड जवाई बांध से जिस जमीन को पानी मिलता है वह जमीन लोगों ने लाठियों, धारियों, तलवारों ग्रौर बरछों के जोर से कब्जे कर ली ग्रौर उन की हिमायत माननीय जनसंघ के नेता ने की है कि वह तो शरणार्थी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार की मशीनरी पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, तहसीलदार ग्रौर एस०डी०ग्रो० ने उनको उस जमीन पर कब्जा कैसे करने दिया। क्या उनको मालूम नहीं था कि यह लोग यहां के निवासी नहीं हैं, इस देश के सिटिजन नहीं हैं इस देश में इनको कोई हक नहीं, ग्रभी तक उनकी सिटिजनशिप का मामला तय नहीं हुग्रा, वह लोग उस जमीन पर काबिज होते हैं ग्रौर हमारी सरकार के ग्रधिकारी देखते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं ग्रौर हो सकता है कि उनमें उनका भी कुछ लालच हो, उनका भी कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो।

इसी प्रकार मैंने दुजाणा गांव का उदाहरण पेश किया था। ग्रार०ए०एस० ग्रॉफिसर श्री चावण्डदान का नाम लिया। उस समय सदन के माननीय सदस्य ने ग्रापत्ति

(श्री सज्जनसिंह)

की थी कि उनके नाम पर कोई जमीन नहीं है। मैंने भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकार किया था कि उनके स्वयं के नाम पर जमीन नहीं है। उन्होंने जो भी जमीन ली है बेनामी ट्रांजेक्शन से ली है और उसमें मैंने यह भी निवेदन किया था कि स्टाम्प ड्यूटी भी बराबर नहीं दी गयी है। केवल प्रोमिज़ किया गया है जमीन ट्रान्सफर करने का और सीलिंग से बेचने का और उसके आधार पर उन्होंने अपना प्रभाव लगाकर रेवेन्यू सेक्रेट्री के पी०ए० से आदेश भिजवा दिये, जिसके आधार पर तहसीलदार ने म्युटेशन्स कर दिये। मुझे खुशी है कि मौजूदा राजस्व मंत्री महोदय ने उस केस को वापिस से सोते हुए मामले को जगाया है परन्तु मुझे आशा है कि यह मामला कभी भी गरीबों के हक में फैसल होने वाला नहीं है क्योंकि जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि इस कानून में बड़ी खामियां हैं इसका फैसला न मालूम कितनी जगह अपीलों में जायेगा, न मालूम कितना समय लगेगा और न मालूम कब जाकर अन्तिम उसका फैसला होगा, तब जाकर वह भूमि उन गरीबों को अलॉट होने का प्रश्न उठेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह धारणा बनी है कि यह कानून शायद मृत्यु भोज का एक कानून बना था उसी प्रकार का कानून रह जायेगा क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस कानून को ढंग से लागू करना नहीं चाहती, इनमें सरकार के साथ सहयोग नहीं करती और सरकार उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान से आये हुए अपने आपको शरणार्थी कहलाने वाले, राजनीति में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा कर रहे थे तो तहसीलदार ने क्यों नहीं एक्शन लिया ? और तहसीलदार ने एक्शन नहीं लिया तो उनके सुपीरियर आफिसर्स ने तहसीलदार की नेगलीजेन्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया और आज दिन तक राजस्व मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद भी उस भूमि के मसले को जो एक भूखण्ड के मसले की जांच करवाने का आश्वासन होने के बाद भी आज तक जांच आरम्भ नहीं हुई।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैंने यह भी निवेदन किया था कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाये। राजस्थान में जितना लैण्ड ग्रैबिंग हुआ है उसकी जांच करवाई जाये और उसके आधार पर इस कानून में संशोधन करें इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक जनमत के लिए प्रसारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद सरकार द्वारा इस बात की बराबर कोशिश की गयी कि राजस्थान के किसानों को अवश्य जमीन मिले। इसी धारणा के अनुसार जागीरदारी समाप्त की गयी। इसके पश्चात् हमारी सरकार ने तत्परता से सीलिंग कानून भी बनाया लेकिन उस कानून को काफी लम्बे समय तक लागू नहीं किया गया। सर्वप्रथम सीलिंग कानून जैसा अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि 1960 में बनाया था लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस कानून को सन् 1966 तक लागू नहीं किया गया और किसी न किसी प्रकार से हमारे सदन के अन्दर भी कुछ माननीय सदस्य इस प्रकार के आते रहे और बराबर दबाव उन्होंने डाला कि इसमें बहुत खामियां हैं और इस कानून में

(श्री भगराज चौधरी)

परिवर्तन करना है और कानून प्रेक्टिकल नहीं है अथवा किन्हीं और बातों को लेकर कानून को लागू होने में उन्होंने रोड़े अटकाये। उसके बाद में जब कानून लागू किया गया तो कानून लागू करने के बाद में भी बराबर कानून से बचने की नीयत से कुछ लूपोल थे रखे गये जिससे भूमिधारियों ने और जो बड़े बड़े लैण्ड ओनर्स थे उन्होंने जमीन का ट्रान्सफर किया। ट्रान्सफर कुछ माने में ऐसे व्यक्तियों को किया गया जो कि लैण्डलैस लेबरर्स थे, भूमिहीन लोग थे। मैं मान सकता हूं कि ऐसे आदमियों को ट्रान्सफर किया गया तो कुछ हद तक वह मान्य है और मान लेना चाहिए। मगर उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े पैमाने पर भूमिधारियों द्वारा और बड़े बड़े लैण्ड ओनर्स द्वारा ऐसे फर्जी बेनामी ट्रान्जेक्शन्स किये गये हैं जो लोग इस दुनियां में न तो मौजूद थे और न आज मौजूद हैं और न उनका पता ही लग रहा है। ऐसे ट्रान्सफरी कहां निवास कर रहे हैं और कहां नहीं कर रहे हैं किसी को पता नहीं। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं कि भूमिधारी अपनी जमीन का ट्रान्सफर करने के लिए स्वयं तहसील में चले जाते हैं और किसी के भी नाम से ट्रान्सफर कर देते हैं और रजिस्ट्री हो जाती है और उसके बाद में उसकी प्रतिलिपि ले लेते हैं और जब कि सीलिंग कानून में संबंधित व्यक्तियों का फैसला होने वाला है तो वह रजिस्ट्री पेश कर देते हैं और रजिस्ट्री की नकल के आधार पर यह कह देते हैं कि मैंने अमुक व्यक्ति को अपनी जमीन बेच दी है और वह जमीन की सीमा ऐसी है जो कि कानून के तहत मान्य की हुई है। इसलिए मेरे खाते की भूमि ट्रान्सफर करदी है, इसलिए ट्रान्सफर मान्य होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं को जानकारी है मेरे जालोर जिले के बारे में कि जब सीलिंग कानून के तहत मुकद्दमों का फैसला होना शुरू हुआ इस प्रकार के सैकड़ों केसेज असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत में आये जो कि केवल रजिस्ट्री पेश करने के आधार पर फैसल कर दिये गये और अगर जिनको रजिस्ट्री कराई गयी है उनके असलियत के बारे में जांच करायें, उनके गांव और निवास का पता लगायें, उनके साकिन का पता लगायें तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। मगर फिर भी हमारे सरकारी पैरोकारों ने फैसला उन ट्रान्सफर्स को वैध मानते हुए कर दिया है और आज ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहने को कहते हैं कि सीलिंग कानून के तहत फैसला करवा लिया है और हमारे पास सीलिंग के लायक ही भूमि है लेकिन आज भी एक एक व्यक्ति के पास दस-दस हजार बीघा जमीन है और आज भी उनके कब्जे में मौजूद है। गांव के व्यक्ति जानते हैं कि इस व्यक्ति ने फैसला तो करा लिया और कानून की दृष्टि से कहता है कि मेरे पास जमीन सीलिंग से ज्यादा नहीं है लेकिन आज भी उसके पास 10 हजार बीघा जमीन है। ऐसे केसेज जालोर जिले में सैकड़ों हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय, ऐसे फिक्टिशश ट्रान्सफर्स उन व्यक्तियों के नाम से कराये हैं जो कि संसार में मौजूद नहीं हैं, न उनके गांव का पता है, न तहसील का पता है, न पिता का पता है और ऐसे व्यक्तियों के नाम ट्रान्सफर्स कर दिये गये हैं और उनको वैध मान लिया गया है और उसके बाद में अदालत ने फैसला कर दिया और सरकारी पैरोकार ने उसके विरोध में अपील भी नहीं की और न आगे चाराजोरी की, न कानून के अन्दर पैरवी की है। मगर फिर भी सारे के सारे व्यक्ति बच गए और उनके पास सीलिंग लिमिट से ज्यादा दस हजार बीघा तक जमीन उनके पास रह गई। तो क्या यह सीलिंग कानून का इम्प्लीमेंटेशन है।

(श्री भगराज चौधरी)

अगर इसी आधार पर सीलिंग कानून का इम्प्लीमेंटेशन मान कर संतोष धारण कर लिया कि हमने राजस्थान में सीलिंग कानून बना लिया और जो भी जमीन ज्यादा मिल सकती थी, वह हमने ले ली तो इससे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि हमने जब सीलिंग कानून के तहत रूल्स बनाए तो साफ तौर से यह लिखा कि फैमिली सीलिंग कानून के अनुसार हस्बेंड, वाईफ, अनमेरिड डोटर एण्ड विडो रखा । बाद में विडो हटा लिया । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रिसाइडिंग आफिसर्स जिन्होंने सीलिंग कानून के तहत फैसले किए उन्होंने हस्बेंड को अलग फैमिली मान लिया, वाईफ को अलग फैमिली मान लिया, अनमेरिड डाटर को अलग फैमिली मान लिया, विडो को अलग मान लिया । इस प्रकार से सारे कानून की मंशा के विरुद्ध फैसले कर दिए जिनके खिलाफ न हमने अपील की और न कुछ और हुआ । आज इसके कारण हजारों व्यक्तियों के पास सीलिंग से ऊपर की हद तक जमीनें हैं । यह दूसरी स्थिति है जो मैंने आपके सामने रखी । एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग कानून बनने के बाद समय 2 पर स्टेजेज में अमेंडमेंट किये गए । पहले हमने 59 में कानून बनाया लेकिन हमने 66 तक लागू नहीं किया । फिर 66 के बाद 31 दिसम्बर, 69 तक लैंडलैस व्यक्ति के हक में सारे वैध मान लिए गए । सारे रेगुलराईज कर दिए । फिर इसके बाद में 1 अप्रेल, 70 तक के सारे ट्रांसफर वैध मान लिए । इसके बाद में फिर अमेंडमेंट किया और सीलिंग कानून को जिसके जरिये 16 अक्टूबर, 1970 तक जो ट्रांसफर की गई जमीनें किसी के हक में फिर चाहे वह लैंडलैस हों, नहीं हों, चाहे खेती का पेशा करता हो, नहीं करता हो, सारे के सारे ट्रांसफर्स को हमने सीलिंग कानून में अमेंडमेंट करके वैध मान लिये । मैं निवेदन करता हूं कि यदि हमें इसी प्रकार से ट्रांसफर्स को धीरे 2 लीगलाईजेशन करके वैध मान लेना था तो फिर इससे फायदा क्या था । आज से पन्द्रह साल पहले जिस सीलिंग के कानून को बनाया था उसकी मंशा ही फेल हो गई । जिस समय कानून बनाया अगर उसी साल इसको लागू कर देते तो मैं समझता हूं कि हमें जो आज जमीन मिल रही है उससे पन्द्रह बीस गुना अधिक जमीन मिलती । लेकिन दुःख की बात यह है कि हमने इसको सही ढंग से लागू नहीं किया । जो बेनामी ट्रांसफर किए गए, फैक्चुअस ट्रांसफर किए गए हैं उनका अदालत में सही ढंग से इसका परीक्षण करने के लिए रूल्स में प्रावधान नहीं किया गया ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन बेनामी ट्रांसफर्स को, जिन फ़ैक्चुअस ट्रांसफर्स को लीगल मान लिया, वैध मान लिया इसका नतीजा यह है कि आज हमें सीलिंग कानून के अन्तर्गत जमीनें नहीं मिल रही हैं । मैं सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भूमिधारियों ने अपनी तरफ से, अपनी एक पर्टीक्यूलर सीमा में कार्य किया है और उसके सबूत में सही तरीके से रजिस्ट्री कराली उनके लिए इस बात का कानून के तहत में रूल्स बना कर प्रावधान किया जाना चाहिए । जो प्रिसाईडिंग आफिसर ने किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि के बारे में सीलिंग कानून के

(श्री भगराज चौधरी)

अन्तर्गत फैसला कर इस बात पर संतोष कर लिया कि चूंकि फलां व्यक्ति ने ट्रांसफर कर दी है, जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्री करदी है इसलिए ट्रांसफर मान लिया जाय, मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति के हक में ट्रांसफर किए गए हैं उस व्यक्ति को स्वयं को अदालत में खड़ा किया जाना चाहिए ताकि वह कह सके कि मेरे हक में यह ट्रांसफर हुआ है। स्वयं व्यक्ति को खड़े किए बिना यह साबित नहीं हो सकता कि जिसके हक में ट्रांसफर किया गया है वह वाकई आदमी है भी या नहीं या ट्रांसफर फैक्चुअस है । 61 के वेलिड ट्रांसफर की रजिस्ट्री कर दी जब कि वह व्यक्ति मौजूद ही नहीं है । चूंकि वह रजिस्ट्री सीलिंग के प्रोविजन की सीमा के अन्दर कर दी गई इसके कारण वैध मान लिया जिसके कारण मैं समझता हूं कि हजारों बीघा ही नहीं लाखों बीघा जमीन फैक्चुअस व्यक्तियों के अधिकार में रहेगी और ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर लेंगे और कब्जा बना कर बैठेंगे और उनको कानूनी मंजूरी हो जाएगी ।

दूसरा निवेदन यह है कि यह सीलिंग कानून के अन्दर जो रूल्स बनाए थे उन रूल्स में से यह प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति जिसके पास सीलिंग लिमिट से ज्यादा जमीन है और ज्यादा मेम्बर आफ दी फैमिली ह वह स्वयं इस बात की घोषणा करें । सीलिंग कानून लागू होने के छः महीने के अन्दर यह बतायें कि उसके फैमिली मेम्बर कितने हैं और कितनी जमीन है ताकि उसके आधार पर फैसला किया जा सके । मगर जो व्यक्ति स्वयं घोषणा नहीं करेगा, छः महीने के सीमा के अन्दर उसके सम्बन्ध में रूल 10 के अन्दर इस बात की व्यवस्था कर रखी है कि उसको नोटिस दिया जा सकेगा। रूल 10 के अन्दर एस० डी० ओ० चाहे तो इस बात के लिए खातेदार व्यक्ति को, टीनेंट को नोटिस दे सकता है । इस बात का पता कर सकता है नोटिस देकर कि तुम यह बताओ कि तुम्हारे पास में कितनी भूमि है और कितने मेम्बर फैमिली में हैं । लेकिन रूल 10 के तहत नोटिस देना लाजमी नहीं है, मेंडेटरी नहीं है । बहुत से प्रिसाईडिंग आफिसर्स ने, 99 परसेंट केसेज में प्रिसाईडिंग आफिसर्स ने ऐसे भोले भाले अशिक्षित किसानों को नोटिस नहीं दिया । यह ठीक है कि उनकी स्वयं की ड्यूटी है कि रूल 9 के तहत वे स्वयं रिटर्न पेश करें लेकिन उन्होंने रिटर्न पेश नहीं किया। हो सकता है कि जैसे कानून बनने के बाद बहुत समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखा रहा तो भोले भाले किसानों के दिमाग में रहा हो कि न मालूम इस कानून की भी क्या हालत होगी, कितनी जमीन रहेगी और कितनी जाएगी, उनके दिमाग में यह रहा हो कि स्वयं की भूमि के बारे में, होल्डिंग के बारे में रिटर्न पेश करना जरूरी है। जो समझदार थे, पढे लिखे थे, कानून से वाकिफ थे उन्होंने तो स्वयं रिटर्न भर कर फायदा उठा लिया, मगर जो भोले भाले किसान थे, जिनकी फैमिली में पन्द्रह पन्द्रह मेम्बर थे, दस दस मेम्बर थे मगर उनसे रूल 10 के तहत डिक्लेरेशन नहीं लिया गया...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री भगराज चौधरी : मेंडेटरी प्रोविजन नहीं होने के कारण प्रिसाईडिंग आफिसर ने नोटिस नहीं दिए और नतीजा यह हुआ कि जो डिक्लेरेशन रूल 9 में स्वयं को देना चाहिए था वह नहीं दिया तो रूल 10 के तहत प्रिसाईडिंग आफिसर ने भी उनको नोटिस नहीं दिया । तब क्या होता

(श्री भगराज चौधरी)

है कि रूल 14 और 15 के तहत इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो व्यक्ति रूल 9 के अन्दर डिक्लेरेशन नहीं करेगा और रूल 10 के तहत नोटिस देने अथवा नहीं देने पर भी जो अपनी भूमि के बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में, फैमिली की साईज के बारे में, अपनी होल्डिंग के बारे में जो कोई भी कोर्ट को जानकारी नहीं देगा उसका नेसेसरी इम्प्लीकेशन यह होगा कि प्रिजम्पशन के आधार पर रूल 14 और 15 के अन्दर फैमिली के अन्दर केवल पांच व्यक्ति ही माने जायेंगे। जिनकी फैमिली में पांच व्यक्ति तक हैं उनके लिए तो ठीक है लेकिन जिनकी फैमिली में दुगुने मेम्बर हैं या एक एक फैमिली में 15-15, 20-20 मेम्बर हैं मगर चूंकि रूल 9 में या 10 में डिक्लेरेशन नहीं हुआ, उसको नोटिस नहीं दिया और नोटिस नहीं देने के कारण काश्तकार की फैमिली के बारे में, उसकी साईज के बारे में, मेम्बर्स के बारे में, कोर्ट को जिन्होंने जानकारी नहीं दी और जानकारी नहीं देने से नेसेसरी इम्प्लीकेशन के रूप में, प्रिजम्पशन के रूप में, कोर्ट ने यह मान लिया कि केवल पांच व्यक्तियों की फैमिली ही है और उसमें पांच से ज्यादा व्यक्ति नहीं हैं। अब जिनकी फैमिली में पांच मेम्बर ही थे या इससे कम थे उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जिनकी फैमिली में ज्यादा मेम्बर थे उनके भी पांच ही मेम्बर मान कर होल्डिंग की सीमा तय कर दी..

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : इसलिए मेरा निवेदन है कि रूल 10 के अन्दर जो उसको

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

मेंडेटरी नहीं बनाया है उसको मेंडेटरी बनाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी-जारी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और निवेदन है। मेरा निवेदन है कि रूल 10 को मेंडेटरी बनाना चाहिए जिससे जो हमारे भोले भाले किसान हैं, जिनसे हमारा जमीन लेने का प्रयोजन नहीं है, हमको जमीन का इक्वेटेबल ढंग से, न्यायप्रिय ढंग से बंटवारा करना चाहिए। जिसके पास ज्यादा जमीन है लेकिन फैमिली की साईज को देखते हुए ज्यादा जमीन नहीं है, उनकी जमीन लेने का प्रयोजन नहीं है। मेरा निवेदन है कि रूल 10 को मेंडेटरी बनाया जाय जिससे जिन्होंने रिटर्न पेश नहीं किया है कोर्ट लाजमी तौर से उनको नोटिस दें और पूछें कि कितने मेम्बर हैं फैमिली में और यदि उनके पांच से ज्यादा मेम्बर फैमिली में हैं तब मैं सोचता हूं कि अकॉर्डिंग टू दी साईज आफ दी फैमिली, उनको फायदा होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने विचाराधीन है उसमें कुल दो अमेंडमेंट लाया हूं। तीसरा अमेंडमेंट राजस्थान कैनाल एरिया में नोटिस देने के सम्बन्ध में है, क्लाज चार, क्लाज दो में अमेन्डमेंट किया गया है। इस सदन ने जो कानून पास किया था उसमें राजस्थान एरिया के अन्दर सीलिंग का कानून उस दिन से लागू होगा जिस दिन राज्य सरकार ने उसको नोटिफाई किया है। अधिनियम

(श्री परसराम मदेरणा)

बनने के बाद 6 अप्रेल, 1973 से इसको लागू किया गया और 6 अप्रेल, 1973 के बाद में उनके पास टाइम रहे कि इतने दिन तक रिटर्न दे सकते हैं इसलिये क्योंकि अभी एक जनवरी, 73 से लागू कर रहे हैं। उनको नोटिस में समय और देना पड़ेगा। यह क्लाज चार इसीलिये है। जहां तक यह विधेयक इस सदन के सामने है, किसी भी माननीय सदस्य को एतराज नहीं है। इस पर आब्जेक्शन नहीं होगा। आन प्रिन्सीपल भी नहीं होगा और सीलिंग के कानून में एकरूपता लाने के लिए और राजस्थान के अन्दर कोई भी एरिया जिसमें अलग अलग तारीखों से सीलिंग लागू हो, यह स्थिति खड़ी न हो और उनको नोटिस देने का समय इसलिये दिया है। 1-1-73 और 6-4-73 के बीच लेण्ड की पोजीशन चेन्ज हो गयी है। अब उसको बताना पड़ेगा। यह क्लाज इसलिये है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बात कही गयी कि इस बिल के ऊपर प्रेसीडेन्ट की असेन्ट नहीं है। यह कानन की कमी है। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही। पूर्व में एक संशोधन यहां आया था। अप्रेल, 1973 में या अप्रेल के अन्त में या मई के प्रथम सप्ताह में इसमें प्रेसीडेन्ट को प्रायर इन्स्ट्रक्शन लेने की आवश्यकता नहीं थी। प्रेसीडेन्ट की प्रायर इन्स्ट्रक्शन उस मामले में ली जाती है जब आर्टिकल 304 को आपरेट करते हैं।

पब्लिक परपज की परिभाषा इसलिये रखने जा रहे हैं, या तो सेक्शन 22 के अन्दर पब्लिक परपज के नाम पर गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है लेकिन पब्लिक परपज डिफाइन्ड नहीं किया हुआ था। भारत सरकार ने यह परामर्श दिया कि पब्लिक परपज का दुरुपयोग किया जा सकता है और किसी वक्त भी कोई सरकार ऐसी आ जाएगी पावर के अन्दर जो पब्लिक परपज के नाम से कई प्रकार के एग्जम्पशन दे सकती है। जहां तक कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रश्न है, यह सेक्शन 22 के अन्दर जो पावर इस्तेमाल करने का सवाल है, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने का का सवाल है, इस सम्बन्ध में नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं देश एक फ्यूडल आर्डर से निकला है और आज तक उसकी लीगेसी, और रेमनेन्ट है। ऐसी सूरत में कभी भी कोई रिएक्शनरी गवर्नमेंट पावर में आवे तो पब्लिक परपज के नाम से दुरुपयोग कर सकती है। इसलिये स्पेसिफाई कर दिया है पब्लिक परपज को।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अमेण्डमेन्ट कर दिया जो ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी अमेण्डमेन्ट करेंगे तो सदन में होगा, बाहर तो नहीं करेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि पब्लिक परपज को डिफाइन्ड करना प्रीकोशन के तौर पर किया गया है। इससे ज्यादा उद्देश्य नहीं है। राज्य सरकार ने अभी तक कोई एग्जम्पशन नहीं दिया है। एक मामला चल रहा है। जालौर के अन्दर डेयरी का प्रश्न है। वह मामला अभी तय नहीं हुआ है। यह एक ही मामला है। राज्य सरकार ने जो अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम है उसमें किसी को भी एग्जम्पट नहीं किया है और राज्य सरकार किसी को एग्जम्पट करने का इरादा नहीं रखती है। फ्यूचर में इस प्रकार की कोई स्थिति आवे तो कानून में इसक

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रावधान रखना चाहिये इसलिये पब्लिक परपज की परिभाषा देने के लिये यह बिल सदन में लाया गया है ।

यहां पर सीलिंग के सम्बन्ध में बातें कही गयी हैं और जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं वे 1970 में जब टिनेन्सी एक्ट के चेप्टर 3–बी में, जिसमें सीलिंग कानून का उल्लेख है, जब संशोधन किया गया तो उस वक्त भी यही बातें कही गयी थीं । उसके बाद 1972 के अन्दर एक बिल और आया इस सदन के अन्दर उसमें भी कुछ बातें कही गयी थीं । उस बिल को रेफर करने के बाद 1973 में अध्यादेश से सीलिंग लॉ लागू किया गया और उसका बिल मार्च 73 में विचारार्थ आया था । उस समय भी यह सब बातें कही गयी थीं । अब यह कहना कि यहां पर ट्रान्सफर रेगुलराइज कर दिये, इस एक्ट के इम्प्लीमेन्टेशन में देरी हुई । इस में कोई दो राय नहीं है । 1963 के अन्दर यह सीलिंग लॉ लागू हुआ था – 15 दिसम्बर, 1963 को हालांकि पास 1960 में हो गया था । यह कानून राजस्थान में उस डेट से लागू होगा जिस दिन यह नोटिफाई होगा याने नोटिफाइड डेट से । यह नोटिफाइड डेट 15 दिसम्बर, 1963 है जिसमें रूल्स के अन्दर नोटिस देने का प्रावधान है । और इस डेट को आगे बढाया । हाई कोर्ट में रिट हुई और इसका इम्प्लीमेन्टेशन स्टे हो गया । यों मिला कर अन्त में जो नोटिफाइड डेट रही वह 1-4-66 रही । 1-4-66 को नोटिफाइड डेट के बाद में हमने अचानक 1970 में 3–बी में अमेन्डमेन्ट किया था टिनेन्सी बिल में और हमने मेकेनाइज्ड फार्म को जो एग्जम्पशन था वह डिलीट कर दिया । नेशनल गाइड लाइन में यह रिकमन्डेशन बाद में आई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 69 के बाद ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, 70 में किया है । 1970 की डेट मालूम नहीं है शायद यह अप्रेल में थी । जिनमें एग्जम्पशन दिया, जिस एग्जम्पशन को डिलीट किया उसमें यह प्रावधान रखा गया कि जो मेकेनाइज्ड फार्म हैं, रजिस्टर्ड फार्म हैं, उनके जो ओनर हैं वे अपने लड़के को, भाई हो तो भाई को एलीमीनेट कर सकते थे । यह प्रावधान था । एक अवसर दिया गया था । अपने भाई, लड़के को इस कानून के पास होने तक एलीमीनेट कर देंगे । यह कानून भी इसी सदन में बनाया गया और माननीय सदस्य जो इस तरफ बैठे हैं प्रथम पंक्ति में उस वक्त भी इस सदन के माननीय सदस्य थे । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य उस समय सदन के सदस्य थे । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी उस समय इस सदन के सदस्य थे और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य उस वक्त भी सदस्य थे । कानून में परिवर्तन समय समय पर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है । इन कानूनों की वजह से जो ट्रान्सफर रिकोग्नाइज्ड नहीं होने चाहिये थे, वे बाद में हो गये । जब नेशनल गाइड लाइन आई उसके बाद में जो आर्डिनेन्स निकला, उस आर्डिनेन्स का सदन में बिल आया रिप्लेस करते हुए । उसमें आखिर में 26 सितम्बर, 1970 तक सभी प्रकार के ट्रान्सफर वेलीड मान लिए गये और एक जून 1973 तक बोनाफाइड ट्रान्सफर्स को फिर वेलिड मान लिया जायगा । इसका मतलब यह हुआ

(श्री परसराम मदेरणा)
कि इस कानून के बनने के बाद जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको माना जायगा। और यही नहीं फैमिली की डेफिनिशन में भी परिवर्तन हो गया। फैमिली की डेफिनिशन, जो पहले सीलिंग कानून में थी, यह थी :—

"Family shall mean consisting of husband, wife, children and grand children being dependant on the land and widowed mother of the husband so dependant...."

उसके बाद में जो रिकमन्डेशन्स आई थीं सेप्टेम्बर 1971 में सेन्ट्रल लैण्ड रिफार्म्स कमेटी की तो उन रिकमन्डेशन्स को मानकर भारत सरकार ने जो स्टेट्स को सर्क्यूलर भेजा 18 सितम्बर 1972 को उसमें उन्होंने कहा:—

"Ceiling should be applicable for the family as a whole being defined so as to include husband, wife and children.....'

इसके बाद इस सदन में भी विचार हुआ है। इन्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने भी एक पैनल बिठाया था। उसने भी कुछ रिकमन्डेशन्स की थीं। उन रिकमन्डेशन्स के आधार पर प्राइम मिनिस्टर ने सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेन्स जुलाई 1972 में बुलाई थी और शायद 23 जुलाई को थी। उस कान्फ्रेंस के अन्दर भी यह सब डिस्कशन होने के बाद में यह तय हुआ था कि फैमिली की डेफिनिशन 'हस्बेंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन' रहेगी। हमने हमारे कानून में जरूर यह परिवर्तन किया कि 'एक्सक्लूडिंग माइनर मैरीड डॉटर' मैरिड डॉटर को एक्सक्लूड किया है एक्चुअली उसके एक्सक्लूजन की कोई बात नहीं थी। आज जो फैमिली की डेफिनिशन है और जो स्थिति है उसी के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

यहां पर यह भी एक बात कही गई कि भूमि इस सीलिंग कानून के अन्दर बहुत कम आयेगी। अभी तक जो भूमि रिज्यूम हुई है पुराने कानून के अन्तर्गत जिसमें आदेश हुए हैं रिजम्पशन के वह 4,87,653 एकड़ के हुए हैं, और जो कब्जा लिया गया है वह 1,40,224 एकड़ का लिया गया है, बाकी मामले अभी तक अदालतों में चल रहे हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कौन कौन से जिलों में है जरा बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : जिलों की सूची मैंने हाण्डाजी को दे दी है। उन्होंने मांगी थी। वह इस वक्त मेरे पास में नहीं है। अभी तक सीलिंग के केसेज जो पेंडिंग हैं पुराने कानून के अन्दर वह 3174 केसेज तो अभी पेंडिंग हैं जो कि अभी तक फैसल नहीं हुए हैं और 14966 जो हैं व्यक्तियों को नोटिस दिया गया है नये कानून के अन्तर्गत। यह अप टू डेट पोजीशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी, क्या सारे राजस्थान में 14966 व्यक्तियों को ही नोटिस दिया गया है नये कानून के तहत ?

श्री परसराम मदेरणा : सारे राजस्थान में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें पहले कानून के तहत 38 हजार लोगों को नोटिस दिये जाने को था ऐसे फीगर्स दिये गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कुल मिलाकर नोटिस जो दिये गये हैं वह 35625 व्यक्तियों को दिये गये हैं उसमें 32451 डिस्पोस आफ हो गये हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऐसे मुकद्में तो बहुत अधिक हैं जिनमें कानून को समाप्त कर दिया है । ऐसे बेवकूफ कितने बैठे हैं जिन्होंने कानून को समाप्त नहीं किया है ।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी जानकारी शायद आपको है ।

श्री रामसिंह : इस बीच में बेटे और पोते कितने हो गये हैं इसका आपको खयाल नहीं है । इसलिये जमीन नहीं मिल रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है नोटिस तो उसी व्यक्ति को जायेगा जिसके नाम खातेदारी है ।

श्री रामसिंह : फिर यह मांग करेंगे जमीन की ।

श्री परसराम मदेरणा : एक्चुअल पोजीशन क्या है वह मैंने बता दी है । गवर्नमेन्ट जब कभी नोटिस देगी तो वह खाते को देगी ।

यहां पर सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान कैनाल व भाखरा में महाराजा हिम्मतसिंह और कर्नल हुकुमसिंह और बहुत से बड़े बड़े जमींदारों ने और सदा सुखी ने और एक और जमींदार ने लैण्ड को जो ट्रान्सफर किया है, वह अपने को खातेदार मानते हैं इस पर। इस संबंध में 800 रिट्स हुई थीं हाई कोर्ट में और वह जो रिट्स फैसल हुई हैं वह सरकार के हक में हुई हैं, लेकिन डिसपजेस करने के संबंध में पूरे का पूरा जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट अपने फेवर में था लेकिन आखिर में आकर 2–3 सेन्टेन्सेज ऐसे लिख दिये कि जिससे एक कन्फ्यूजन सा हो रहा था इसलिए हमने उसका रिव्यू किया है, लेकिन यह पार्टीज उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पूरी स्थिति तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 30 जो केसेज हैं उनके मामलों में स्टे आर्डर आ गये हैं, और अब केस सबजुडिस है, खातेदार थे या नहीं थे और अगर वे खातेदार हैं तो जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट के बाद में तय हो सकेगा । जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है हाई कोर्ट ने इनको खातेदार नहीं माना है और राज्य सरकार भी इनको खातेदार नहीं मानती है । मामला सबजुडिस है । सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने पर ही उस समय कुछ कहा जा सकता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग गये ?

श्री परसराम मदेरणा : 31 लोगों को स्टे आर्डर मिला है । गये कितने हैं यह मुझे मालूम नहीं है । बाकी जिनके स्टे आर्डर नहीं हैं उन सब को डिसपजेस कर दिया गया और वह जमीन भूमिहीनों को एलॉट हो रही है ।

भूमिहीनों के एलॉटमेन्ट के संबंध में राजस्थान कैनाल पर जमीनें जो एलॉट हो रही हैं तो नोखा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हरिजनों को जो जमीनें एलॉट होती हैं वह टीबे वाली जमीनें दी जाती हैं, जहां पानी नहीं पहुंचता है । मैंने भी इस संबंध में जानकारी ली है, और जानकारी लेने के बाद में हरिजनों को अभी तक जो जमीनें एलॉट हुई हैं पूरे राजस्थान कैनाल

(श्री परसराम मदेरणा)
एरिया के अन्दर जिसमें कुछ खातेदार भी थे पुराने और नयों को भी एलाट हुई हैं वह 550000 एकड़ पर पहुंचा है और वह 550000 एकड़ पर पुराने खातेदार थे तो कुल मिलाकर 6 लाख और कुछ हजार एकड़ जमीन अभी तक एलॉट हुई है। उसमें हरिजनों को कितनी दी गई है वह इसमें इस समय मालूम नहीं कर सका हूं, मगर 70-80 हजार एकड़ के बीच में है। 10 पर्सेन्ट के आसपास जमीन उनको अभी तक एलॉट हुई है। यह बात सही है कि एलाटमेंट का पर्सेन्टेज कम है...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पापुलेशन क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : पापुलेशन तो 28 पर्सेन्ट राजस्थान में पूरे में है। माननीय सदस्य जो नोखा से आने वाले हैं आर० सी०-बी० में एरिया एलाटमेंट कमेटी के सदस्य हैं। बाकी लेजिस्लेटर्स वहां के सदस्य हैं वह अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में हैं। कानून में इस प्रकार का प्रावधान है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के ऐसे सदस्य होंगे जो बीच एरिया में होंगे वह उसके सदस्य होंगे तो माननीय सदस्य उसके जो हैं एलाटमेंट कमेटी के सदस्य हैं। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह हर एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग मे उपस्थित होने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। जो परमानेन्ट अलॉटमेंट चल रहे हैं और अभी तक जितने भी एलॉटमेंट हो गये हैं वह ठीक है लेकिन आगे आने वाले समय में...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अजी 11 जगह अलाटमेंट एक ही तारीख को हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : वह हो सकता है। एलॉटमेंट काफी तेज रफ्तार से हो रहे हैं। सूरतगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मौका देखकर भी किया जा रहा है। जब कोई न हो तो किया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी। आप तो जयपुर में रहते हैं। उनको यह जानकारी है कि एलॉटमेंट काफी इफेक्टिव तरीके से हो रहे हैं और इस प्रकार से आने वाले 3-4 महीनों में जो बच गये हैं, उनको भी हो जायेंगे। इसके बाद भूमिहीनों को एलाटमेंट होगा। आगे जो नया शुरू होने वाला है, इस सम्बन्ध में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जो भूमिहीन हैं उनको भूमि मिले। उनको प्रिफरेन्स पर मिले, इस प्रकार का प्रावधान बना दिया जायेगा। ताकि नोखा से आने वाले माननीय सदस्य को कोई शिकायत नहीं होगी। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। यहां पर स्टाम्प की खरीद की और दूसरी प्रकार की बातें कही गई हैं। इसकी मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कह सकता हूं। यहां सुमेरपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जिस मुद्दे की बात कही है, वह ट्रेसपासर्स की कोई बात नहीं है। वह गवर्नमेंट की पूरी लैण्ड है। उसका हमने अटैचमेंट किया है। अगर कोई कोर्ट में निरस्त कर दे। जो ट्रेसपासर है, उसको फसल देने की इजाजत दे दें तो यह अदालत का मामला है। इस बारे में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इस केस के सम्बन्ध में वह स्वयं जानते हैं। राज्य सरकार पूरी दिलचस्पी से पैरवी कर रही है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज जो ट्रेस-पासर हैं उस फसल को लेने को

(श्री परसराम मदेरणा)

उनको इजाजत हो गई है, भले ही उन्होंने 3 साल भूमि पर काश्त की है। उसके बाद उस भूमि पर ट्रेसपासर को नहीं आने दिया जायेगा। जो यह कह रहे हैं कि हरिजनों को जमीन अलॉट होने वाली नहीं है। अगर किसी कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो निश्चित तौर से यह जमीन अगले दो महीने में एलॉट कर देंगे। वह जमीन जो वहां के लोकल हरिजनों की है जो कानून के अन्दर प्रायोरिटी में आते है, उनको मिलेगी। दूसरों को नहीं मिलेगी। इस बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं। यहां पर म्यूटेशन और सरचार्ज की बातें कही गई हैं। शाहाबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कही हैं। म्यूटेशन के मामले कुछ तहसीलों के अन्दर रेवेन्यू कार्ड करेक्शन के अन्दर ये कुछ मामले अभी तक पेंडिंग हैं। रेवेन्यू विभाग एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बना रहा है। इसके अन्दर जो पेंडिंग मेटर हैं, जो रेवेन्यू से सम्बन्ध रखते हैं उसके लिए आन दी स्पोट जाकर शिड्यूल प्रोग्राम लेकर आन दी स्पोट केसेज को निपटा दिया जाये। ताकि यह जो लैण्ड रिफार्म के अन्दर कमी रही है, उसको पूरा किया जा सके।

यहां पर साण्डेराव की जमीन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। शायद मैं समझता हूं कि उनका इशारा मेरी स्वयं की जमीन के सम्बन्ध में था। इस बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, मैंने यह जमीन 1962 में ली है उसमें से कुछ भी जमीन मैंने डिस्पोज आफ नहीं की है। चाहे वह इनहेरिटेंस की हो या खरीदी हो। एक बात, दूसरी बात, जब से यह कानून आया है। यह कानून लागू हुआ 1963 में। जमीन खरीदी है, 1962 में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कानून का पता तो चल गया था।

श्री परसराम मदेरणा : क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कानून बन गया था 1960 में।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात नहीं है। कानून बनने के बाद फोर्स में नहीं आया। उस वक्त कानून लागू नहीं हुआ था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कानून एक शक्ल में आ गया था।

श्री परसराम मदेरणा : शक्ल तो आप सबकी भी सामने आ गई है।

मेरी जो भी प्रापर्टी है, केशोराव गांव के अन्दर है। चाहे वह एग्रीकल्चर लैण्ड हो या आबादी लैण्ड हो, एक पैसे का मैंने लोन नहीं लिया है। कोई मेरा मकान नहीं है। एंनसेस्ट्रल हाउस जरूर है, जो मेरे ग्रांड फादर ने बनवाया था। जो कुछ भी है, मैंने कभी छुपाया नहीं है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने, जहां मैंने जमीन ली है, वहां उन्होंने भी 70 बीघा जमीन ली है।

श्री पनमचन्द विश्नोई : आप विषयान्तर हो रहे हैं। हमने तो बहुत अवाइड किया है। आपके सगे भाइयों की 800 बीघा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी उम्र कितनी है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 53 साल का हो गया हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं भी 50 साल का हो गया हूं । आप मेरे से बड़े हैं । आप मेरे भाई की बात कहते हैं । आपके बड़े भाई की कितनी जमीन है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप विषयान्तर हो रहे हैं । मेरा सवाल इतना है । आप कहना ही चाहते हैं तो आपके भाइयों के पास 800 बीघा सीलिंग कानून पास होने के बाद में ली हुई है । जो सीलिंग में आ रही थी । वह कितनी हुई ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे ब्रदर के पास कोई जमीन है, वह मेरे नहीं है । आप बैठ जायें ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अभी मैं सुना दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा छोटा ब्रदर मेरे से 2 साल छोटा है । वह 48 साल का है । उससे छोटा 47 साल का है । अगर वह खुद जमीन खरीदता है तो खरीदता है वह न तो अलाट कराता है । न वह गवर्नमेंट का ट्रेसपासर है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सीलिंग को कितनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : 15 सितम्बर, 1963 से पहले खरीदी है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सीलिंग में आ रही थी या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं उसका क्या जानूं । मैं स्वयं का जिम्मेदार हूं । ब्रदर ने ली है तो उसने कोई डकैती तो डाली नहीं है। हजारों बीघों की जमीन का पट्टा जागीरदार से नहीं बनवाया । किसी जागीरदार से तो लिखा कर ली नहीं है । उसने जमीन खातेदार से ली है । खातेदार को बेचने का हक है । उसने एलाट करा ली हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूं । बाकी वह जिम्मेदार है । अगर ले भी ली, जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए और जो सीलिंग में आनी चाहिए तो वह सीलिंग में आयेगी अगर उसके पास ज्यादा जमीन है...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कानून पास करा, उसको इवेड करके खरीदी आठ सौ बीघा ।

श्री परसराम मदेरणा : कोई कानून का इवेजन नहीं हुआ है । मैं बता दूं, स्वयं मैंने जो जमीन खरीदी है उसकी तारीख बता दूं, 1962 में कौनसी तारीख है वह याद नहीं है लेकिन 1962 में ली है । कानून लागू हुआ है 1963 में । उसके बाद आपने रानीवाड़ा में जमीन ले ली...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ले ली । वह आप ले लें सीलिंग में ।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी तीन जगह जमीन है, एक गांव में नहीं है । आपके गांव में खरीदी, एक और गांव में खरीदी और एक रानीवाड़ा में खरीदी...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं इवेजन आफ सीलिंग लॉ का कह रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : उस वक्त राजस्व मंत्री नहीं थे ।

श्री परसराम मदेरणा : उसके बाद किसी ने सीलिंग के कानून का इवेजन किया

(श्री परसराम मदेरणा)

है या राज्य के आफिसरों ने डिटरमिन करने में पक्षपात किया है, राज्य के आफिसरों ने, जो सीलिंग में आनी चाहिए जमीन, उस पर इस कानून को लागू ठीक तरह से नहीं किया है। तो सीलिंग एक्ट का सेक्शन 15 है इसके लिए वह बहुत साफ है :

"Notwithstanding anything contained in any of the provisions of this Act, if the State Govt. at any time within three years of the publication of the statement u/s 13......"

नया कानून लागू है, अभी तक कुछ केसेज डिसाइड नहीं हुए हैं, डिसाइड होने के 3 साल के बाद भी :

"is satisfied that the ceiling area relate to a person and has been determined in contravention of the provisions of the Act it may direct to any officer subordinate to it to determine and enquire int t........"

वह री ओपन किये जा सकते हैं, गवर्नमेंट ने खोले हैं ऐसे केसेज, जिनमें शिकायत आयी है गवर्नमेंट के पास, और मैंने स्वयं ने खोले हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि लेटेस्ट जो सीलिंग लॉ में अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें मेजर सन को फेमिली से अलग रखा है, और फेमिली की डेफिनेशन दी गई है, यह नेशनल गाइड लाइन के अनुसार है, यह सदन में डिस्कस हो चुका है। आज मैं नये तौर पर संशोधन नहीं करने जा रहा हूं। मैं एक बात का संशोधन करने जा रहा हूं, राजस्थान कैनाल में 6-4-73 से पूर्व फोर्स में था, वह 2-11-71 से फोर्स में आना चाहिए। यह पब्लिक पर्पज है, उसको डिफाइन करना आवश्यक है ताकि अमेंडमेंट करने के बाद इस तरह की, ऐसी अपार्चुनिटी नहीं रहनी चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार बने। भारत सरकार ने दूसरी स्टेट्स को परामर्श दिया है और हमें भी परामर्श दिया है, इसके लिए हम एक अमेंडमेंट लाये हैं। यह मामूली अमेंडमेंट है, प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट कर रहे हैं। 1-1-73 से लागू होने में कुछ भ्रान्ति की हालत चल रही थी कि 26 सितम्बर 70 के बाद चाहे एक्ट कभी भी लागू हुआ हो, राजस्थान कैनाल में कोई भी ट्रान्सफर रिकगनाइज नहीं हो सकता, और बोनाफाइड भी हो तो 1-1-73 से नहीं हो सकता। दूसरे एरिया में सब जगह रेट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से लागू था, यहां भी रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू हो, और किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो, इसलिए 1-1-73 से राजस्थान कैनाल एरिया में लागू किया जा रहा है।

इसमें उपाध्यक्षजी, जो यहां पर मुद्दे उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां रही हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और सीलिंग का आगे इम्प्लीमेंटेशन करने के अन्दर जो कुछ सुझाव यहां पर दिये गये हैं, काश्तकार कौन हैं, इसको डिफाइन किया जाना चाहिए, जो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं, उनको डेफिनेशन में से निकालना चाहिए। आज टीनेन्ट की डेफिनेशन है, और टीनेन्ट को कोई राइट दे रहे हैं तो वह टीनेन्ट एलाटमेंट में तो है, एलाटमेंट के तहत लैंडलैस कौन है, भूमिहीन कौन है, यह है, लेकिन सीलिंग पर्पज के लिए जिसके पास जमीन है, और उसका दूसरा सोर्स आफ इन्कम है, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। दूसरे सीलिंग के इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारे सामने कुछ डिफिकल्टी है — वह मैटर भी मंत्रीमंडल के सामने विचाराधीन है। इस प्रकार का इम्पार्टेन्ट आइटम है, मैं ऐसा समझता हूं कि साल भर के बाद में हम निश्चित तौर पर इस सदन के अन्दर इस स्थिति में होंगे कि काफी बड़ी तादाद के अन्दर जमीन जो बेनामी ट्रान्जेक्शन से आयी और तरह से लोगों ने इधर उधर कर दी है, या सीलिंग लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर जहां कहीं भी अनियमितता हुई है, या सीलिंग लॉ को सही स्प्रिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो मैं पहले से कुछ आश्वासन नहीं देना चाहता, लेकिन साल भर तक जो सिलिंग लॉ में कमी है, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के अनुसार इस सिलसिले में जो आब्जेक्टिव थे, क्योंकि राजस्थान के बेक ग्राउन्ड में केवल सीलिंग को ही नहीं गिनना चाहिए, राजस्थान के अन्दर दूसरे रिफार्म्स हुए हैं, इन्टरमीडियरीज के एबालिशन के, सीक्योरिटी आफ टेन्योर के, सैटलमेंट के, फिक्सेशन आफ रेंट के, अन्य प्रकार की टीनेन्ट को सीक्योरिटी मिली है, जिससे सोशल रिवोल्यूशन राजस्थान में आया है। मैं समझता हूं, राजस्थान जैसे प्रदेश में, जिसमें 80 प्रतिशत हिस्सा जागीर में था, कहीं 70 प्रतिशत था, उसमें काश्तकारों को कोई सीक्योरिटी नहीं थी, ऐसी बातें जन साधारण के सामने थीं, और आखिरी स्टेज उसके बाद में है कि यहां लोगों से बहुत बेगार ली जाती थी, छठा, पांचवा, चौथा हिस्सा बटाई ली जा रही थी, आप का, और उसके साथ सीक्योरिटी नहीं थी, सैटलमेंट नहीं होता था, किसी को किसी भी वक्त जमीन से बेदखल किया जा सकता था। जो सीक्योरिटी आफ टेन्योर किया गया है वह कोई राज्य में नहीं किया गया था, लेकिन राजस्थान आगे था। इन्हीं शब्दों के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सस्दयों से निवेदन करूंगा कि इस विल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार एवं पारण

खण्डश: विचार।

खण्ड 2। कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 2। विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। माननीय मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में अन्तःस्थापित किये जाने वाले खण्ड (ञ ञ) में अभिव्यक्ति "लोक प्रयोजन' के स्थान पर अभिव्यक्ति "सार्वजनिक प्रयोजन'' प्रतिस्थापित किये जायें मैं यह अमेंडमेंट मूव करता हूं ।

श्री केदारनाथ : बड़ी ऊंची हिन्दी लाये ।

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन 22 है अधिनियम का, उसका सब-सेक्शन इस प्रकार है :

"राज्य सरकार राज-पत्र अधिसूचना द्वारा किसी भूमि पर नियम के लागू होने से छूट दे सकता है यदि उसके विचार में ऐसी छूट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।"

तो "सार्वजनिक प्रयोजन" वहां पर है, और इसमें "लोक प्रयोजन" रह जाय तो डिफरेन्स, अन्तर हो जाता है और इन्टरप्रिटेशन में और लागू करने में दुविधा खड़ी हो सकती है । इसलिए यह कान्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट मैंने मूव किया है ।

श्री रामकिशन : मान लिया ।

श्री परसराम मदेरणा : यह आर्डिनरी अमेंडमेंट है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, मय संशोधन के, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड 3, मय संशोधन के, विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 4 । श्री विजय सिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि अधिनियामक सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

अधिनियामक सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि विधेयक के अंग स्वीकार किये गये ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां पर प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब विधेयक की थर्ड स्टेज है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I know it very well । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना

(श्री राधानन्द अग्रवाल)

पड़ता है कि जो गति राजस्थान में इस सीलिंग कानून की की गई है, वह एक ट्रेजेडी में अंत होने वाले एक ड्रामा के रूप में है । जिस कानून की उम्मीद में करोड़ों लोगों को भूमिहीन और थोड़ी जमीन वालों, किसानों को एक आशा बंध गई थी कि वास्तव में जोतने वाला इसका मालिक बनेगा, जिस रूप में राज्य सरकार इसको अभी तक लेती रही है और अब इस कानून को लाकर सीमित करके सीमित रूप में केवल इसी संशोधन को लेकर उसी ही की समाप्ति करना चाहती है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के इरादे कोई अच्छे नहीं है और इसी तरीके से जो पुरानी परम्परा चली आई है, यह नयी सरकार गठित होने के बाद भी उसी परम्परा पर चलना चाहती है। 1969 में चुनाव में हार जाने के बाद कांग्रेस में नेशनल लेवल पर एक पुनर्विचार हुआ था । कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, इसी बुनियाद पर कि जो स्टेटस-को रखने वाले थे उनसे अलग होकर वे लोग जो चाहते थे कि कुछ आगे बढ़ें और खास तौर से इस सदन में सुधार के मामले में सीलिंग के जरिए लागू करेंगे और जमीन भूमिहीनों को बांटने में वे लोग उन कन्जरवेटिव्स से अलग हुए और उन्होंने अपना अलग अधिवेशन करके कुछ घोषणायें की थीं । उनमें खास तौर से अनाज के व्यापार को हाथ में लेने का और सीलिंग के जरिए भूमि सुधार करने का और जमीन बांटने का कार्य था। यह संयोग की बात है कि गत वर्ष तो फुडग्रेन्स में स्टेट ट्रेडिंग हुआ था, आज सुबह उसकी घोषणा सुनने को हमको मिली और उस भूमि सुधार के संबंध में जो यह सीलिंग कानून था, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऊपर से किस तरीके से विडोड्रेसिंग करके भूमिहीन लोगों और हरिजनों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं । हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां के निधन के बाद जब इस सदन के नए नेता का चुनाव हुआ, उस समय भी इस बात को कांग्रेस दल ने एक तरह से अपना इलेक्शन मेनीफेस्टो बनाया । कुछ लोगों ने एक प्रत्याशी के लिए कहा कि वह भूमि सुधार न करके कुलक्स के इन्ट्रेस्ट्स को कायम करेंगे और एक प्रत्याशी खास तौर से जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने क्लेम किया कि वह प्रगतिशील भूमि सुधार करेंगे । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज वे लोग जो अपने आप को क्लेम करते थे, घोषणा भी जब मुख्य मंत्री ने अपनी की थी जो दो कानून राजस्थान टेनेन्सी में सुधार करने की बात या सीलिंग कानून को जिस तरीके से बनाया गया जिस कानून के तहत, जैसे 20 हजार एकड़ जमीन पहले मिलने की बात थी, भूतपूर्व राजस्व मंत्री, जब पहले सदन में बिल लाए थे, ने कहा था कि केवल 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मिलने वाली नहीं है, आज भी राजस्व मंत्री अपने दल में इस बात को निश्चित तौर से शायद नहीं कह पाए हैं कि इस नए कानून से जिस कानून से यह उम्मीद करते थे कि 1969 की पराजय के बाद कांग्रेस ने नई घोषणा की, जिसमें नए रैडीकल लैंड रिफार्म्स की बात कही गई, उसकी जगह यह नया सीलिंग कानून लाया गया और नतीजा यह निकला कि 20 लाख के बजाए 3 लाख की उम्मीद न हुई, जिसमें यह नतीजा निकला कि गंगानगर जैसे जिले में जहां 2.88 लाख एकड़ जमीन मिलने की संभावना थी, पिछले कानून में उसमें केवल 14 हजार एकड़ जमीन एक्वायर हुई और कब्जा केवल 8 हजार बीघा जमीन पर हुआ । यह सरकार पर जिस तरह से लैंड इन्ट्रेस्ट्स के लोग हावी हैं, उस बात को खास तौर से जाहिर करता है । यह आशा की गई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थी कि जो नए मुख्य मंत्री हैं, उनको नई इमेज बनाने के लिए भी इन प्रोग्रेसिव कदमों को, जो उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है, अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं महसूस करता हूं कि राजस्थान में सीलिंग कानून को न्यायप्रद तरीके से लागू नहीं किया गया है, उसमें खामियां हैं और हम इस तरीके से इस कानून को बनायेंगे जिसके जरिए और वास्तव में जो सीलिंग का पर्पज है, वह हल हो सके।

मुझे खेद के साथ कहना है कि वे तमाम घोषणायें आज झूठी साबित हो रही हैं। टीनेन्सी बिल पर भी जैसे पुराने राजस्व मंत्री थे, वैसे ही नए राजस्व मंत्री चल रहे हैं। पिछली बार कहा गया था कि इसके लिए स्पेशल सेशन बुलायेंगे, लेकिन वह नहीं बुलाया गया, आज सेशन का आखिरी दिन है। इसमें कहा गया कि टीनेन्सी बिल को लाया जाए लेकिन नए राजस्व मंत्री की तरफ से उसके भी एलान की कोई कोशिश नहीं की गई। हमने इस सदन में हमारे दल की ओर से जो नया सीलिंग कानून लाया गया, पिछले सदन में हमने संशोधन पेश किया। जिस तरीके से वह पारित हुआ उसमें संशोधन मंजूर नहीं किए गए और उस बारे में हम अपना मत बार बार पहले भी कह चुके हैं। माननीय सदस्य बोले उन्होंने भी जिक्र किया है, मैं उस को दोहराना नहीं चाहता। हमने अपनी तरफ से एक ज्ञापन भी भूतपूर्व मुख्य मंत्री को दिया और नए मुख्य मंत्री को भी दिया और उन्होंने वायदा किया था कि हम महसूस करते हैं कि नए लैंड रिफार्म्स को लागू करने में मौजूदा सीलिंग कानून रीअल स्प्रिट को महसूस नहीं करता। मुझे खेद है कि वह बात पूरी नहीं हुई। कोई कारण नहीं था। केवल जनवरी 1973 से राजस्थान कैनाल में यह लागू होगी, इसी संशोधन को लाकर खत्म किया जाता है। काफी समय मिला है सरकार को इस पर विचार करके नए कानून लाने का। जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस दल में लैंड जेंट्री का उस पर प्रेशर है और जो प्रगतिशील लोग हैं, जैसे माननीय इंदलियाजी बोले, किस तरह से लोगों को जमीन दिलाई है, जो लोग भूमिहीन हैं, उनको कैसा डर है, लैंड जेंट्री जो लैंड जेंट्री है जो सीलिंग की बात दिखावे के लिए करती है, जनता को धोखे में डालने के लिए करती है और अमल उसका उल्टा कर रही है।

आज मैं सीरियसली कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको नीतियों पर विचार करना चाहिए और खास तरीके से जिस तरीके से 1967 में 9 राज्यों में डिफीट के बाद जो बातें हुईं उनको याद करने की जरूरत है। 1969 में जिस तरह से प्रधान मंत्री ने महसूस किया कि कुछ सिंडीकेट के लोग निजलिंगप्पा आदि इसी तरह के मठाधीश जो हावी हो रहे हैं, किसी रेडीकल रिफार्म को आगे नहीं आने देते हैं।

मैं समझता हूं कि वह स्थिति आज दुबारा पैदा हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फूड ग्रेन का नेशनलाइजेशन किया था उसका अभी कुछ दिन हुए रिवर्सल हो गया है। यह इसलिये हुआ कि इस नेशनलाइजेशन के खिलाफ में कांग्रेस के अन्दर जो कुलक लाबी के लोग हैं, बड़े जमींदार हैं, तथा जो बड़े बड़े व्यापारियों के लोग इसमें घुसे हुए हैं उन्होंने इसके खिलाफ में एक बहुत ही इन्टीग्रेटेड प्रोसेस में काम किया। लेकिन मैं अभी भी कांग्रेस के अन्दर जो इन्टेलीजेन्शिया है जो प्रगतिशील विचारों के समर्थक हैं उन्हें निवेदन

Page No 185

(185)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहता हूं कि इस पर रीथिंकिंग किया जावे । आपकी सारी पोलीसीज को रिव्यू कीजिये क्योंकि इस समय वही पोजीशन आगयी जबकि आपके कांग्रेस के दो धड़े हो गये थे । आपमें से कई लोगों ने हजारों की तादाद में सिन्डीकेट को छोड़ कर इन्डीकेट ग्रुप को जोइन किया । यदि आप यह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की नीति है जिसे हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं । तो मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप इस तरह की नीतियों पर अमल करेंगे तो आप समाजवाद का जो नारा देते थे, प्रगतिशील होने का जो दावा करते थे वह आप नहीं कर सकेंगे । आप इन नीतियों से समाजवाद हरगिज नहीं ला सकेंगे । इसलिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा ऐसी नीतियों को आपको हमेशा के लिये खत्म करना पड़ेगा । इसके लिये आपके कांग्रेस के अन्दर जो कुलक लावी के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों से मिले हुए लोग बैठे हैं, व्यापारियों से हाथ मिलाने वाले लोग बैठे हैं उनसे आपके अन्दर जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं उन्हें इनसे खुल कर संघर्ष करना पड़ेगा । उसमें हम आपका साथ देंगे । नहीं तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की बागडोर सन् 69 में प्रगतिशील लोगों के हाथ में आगयी थी वह वापिस उन लोगों के हाथ में आरही है, जो कुलक लावी के लोग हैं वह कांग्रेस में फिर से हावी हो रहे हैं उन्हें आप रोकिये । और प्रगतिशील विचारधारी की पार्टियों से हाथ मिला कर चलिये । तो आपके यहां समाजवाद आयेगा । आज जब हम विधान सभा में आज यह बिल पास करने जा रहे हैं उस समय मैं यह महसूस करता हूं कि कांग्रेस के अन्दर यह तबका जो कि प्रगतिशील विचारधारा का है वह दुःखी है और वह तबका जो कि बड़े बड़े जमीदारों का हिमायती है वह खुश हो रहे हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस वालों को याद रखना चाहिये कि इन्होंने जनता के सामने जो घोषणायें सन् 71 में और 72 में की थीं जिसके कारण आपको जनता ने वास्ट मेजोरिटी दी थी । आप उसके लिये कमिटेड हैं । आपको उन घोषणाओं को पूरी करने के लिये संघर्ष करना पड़ेगा । जनता ने आपको इसके लिये मासिक मेनडेट दिया है । वैसे तो हम कांग्रेस गवर्नमेन्ट को कई वर्षों से जानते हैं लेकिन जब कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की नयी लीडरशिप आयी तो उन्होंने कहा था कि हम लैण्ड रिफॉर्म्स करेंगे और कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियों को कार्यान्वित करेंगे । लेकिन ऐसे कानून लाकर कांग्रेस की जो नयी लीडरशिप राजस्थान में आयी उसने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस सरकार सिर्फ चुनावों के लिये नारे दे सकती है सिर्फ ख्वाबी खयाल देख सकती है । लेकिन प्रगतिशील नीतियों में अमल नहीं कर सकती है । जनता को प्रगतिशील नारों से गुमराह कर सकती है । लेकिन में इतना कह देता हूं कि जनता इन चीजों से दबने वाली नहीं है । आज भी कांग्रेस के अन्दर और बाहर राजस्थान में बहुत बड़ी तादात में प्रोग्रेसिव तबका है जिसमें आपके छोटे किसान हैं, मन्झले किसान और मजदूर वर्ग हैं जो कि लाखों की तादाद में ही नहीं बल्कि करोड़ों की तादात में है जो कि प्रोग्रेसिव सेक्शन्स को रिप्रिजेन्ट करने वालों पर भरोसा करके समाजवाद लायेंगे और आपको प्रोग्रेसिव नीतियों पर अमल करने के लिये जनता आपको मजबूर कर देगी । उपाध्यक्ष महोदय, जब जब भी यहां विधान सभा में प्रोग्रेसिव लैण्ड रिफामंस की बात हुई हमने बार बार आपको हमारे तरीके से काम करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को कहा आपको सुझाव दिये और यह हमेशा कहते रहे कि आप जिस ढंग से रिफार्मस् करना चाहते हैं उससे रिफार्मस् होने की गुन्जायश नही नहीं है। क्योंकि आप हमेशा से इररेग्यूलर केसेज को रेग्यूलराइज करने का प्रावधान रखते रहे। हमने हमेशा से ही इसको प्रोटेस्ट किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन का अन्तिम दिन है और यह बिल आज पास होना है और इस बिल को आप पास करके जो घोषणायें आप ने राजस्थान में नयी लीडरशिप आने के बाद की थीं उसको रिवर्स कर रहे हैं। एक तरफ तो आप प्रोग्रेसिव नीतियों की घोषणायें करते हैं और दूसरी तरफ आप अन्दर ही अन्दर इन लोगों से जमाखोरों से, बडे जागीरदारों से एलाइन्स करते रहे। इसलिये आज हम यह जानना चाहते हैं कि आपकी नीतियां क्या हैं आप उनको सदन में बतायें और अगर आप कहीं किन्हीं तबके विशेष के कारण अपनी नीतियां छोड़ने को विवश हो रहे हैं या वह कुलक तबका अगर आप पर हावी हो रहा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस पर और थिंक कीजिये अभी भी मौका है। आज भी आपकी कांग्रेस के अन्दर लोग बैठे हैं जो कि प्रोग्रेसिव हैं जो कि आज भी जिस तरह सिन्डीकेट और इन्डीकेट। दो ग्रुप में बंट गये थे वह और वंट जायेंगे आपको अपनी घोषणाओं पर अमल करने के लिये उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। आपको रीएक्सनरीज से संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि आज उन्ही रीएक्सनरीज की वजह से आप अपनी प्रोग्रेसिव नीतियों से रीट्रीट हो रहे हैं। और यह राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पास करने जा रहे हैं। इसमें आप लैण्ड रिफार्मस नहीं करने जा रहे हैं बल्कि उन लोगों को जिनको कि जमीन मिलनी चाहिये थी उन्हें नहीं मिलेगी। और जिन लोगों ने जो कि बड़े बड़े जमींदार हैं, जिन लोगों ने इल्लीगल ट्रान्जेक्सन्स करके जमीनें हड़पली हैं उन्हें आप रेग्यूलराइज करने जा रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी भी समय है उस बिल को आप पास नहीं करके इसे सलेक्ट कमेटी को, इस बिल को भेज दीजिये और इसमें जो जरूरी संशोधन करने हैं वह करिये जिससे कि जनता को लाभ पंहुचे। भूमिहीन किसान को जमीन मिले और जिन बड़े बड़े भूपतियों ने जमीनें दाव रखी हैं उनसे छीनी जायं। आज आप कोई भी कानून पास करते हैं और उसमें लेक्यूनाज रख देते हैं फिर आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारी नीतियां फैल हो रही हं। तो उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पूरी गलती सारी ब्यूरोक्रेसी की ही नहीं उसकी तो पार्सियल गलती रहेगी। वह तो पार्सियल रेस्पोन्सिबल है उसके लिये क्योंकि कानून तो आप बनाते हैं ब्यूरोक्रेसी तो सिर्फ इम्प्लीमेन्टेशन करती है उसका। आपकी ट्रेजरी बैन्चेज क्या कर रही थी उस वक्त, कानून कोई ब्यूराक्रेसी थोड़ी ही बनाती है। जब आपने सीलिंग कानून लाने की बात की सन् 60 में। मन्त्रिमन्डल की बैठक में आपने तय किया कि सीलिंग कानून लाना है और आप सन् 63 तक वह कानून नहीं लाये तब तक उन बड़े बड़े जमींदारों को और बड़े बड़े लोगों को काफी समय मिल गया और उन लोगों ने अपनी जमीनों का बंटवारा कर दिया। यही कारण है कि आपके हाथ में जमीन नहीं आ सकी। उसके ऊपर भी आपने उन लोगों के सभी ट्रान्जेक्सन्स चाहे वह लीगल थे चाहे इल्लीगल उनको बैक डेट से रेग्यूलराइज कर दिया। अब यहां पर मन्त्री महोदय खुद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने यह कहा कि मैंने सन् 62 में जमीन खरीदी और सन् 63 में सीलिंग बिल आया....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चाहे सीलिंग कानून 63 में आया लेकिन उसमें साफ दिया है कि सन् 58 के पहले अगर कोई जमीन खरीदी है तो वैध है लेकिन सन् 58 के बाद तो सिर्फ उसी को जमीन मिल सकती थी जो भूमिहीन किसान है। 58 के बाद जितने भी लोगों ने जमीन के ट्रान्जेक्सन्स किये हैं अगर वह भूमिहीन नहीं है तो वह जमीन उसके नाम ट्रान्सफर नहीं हो सकती । आज भी है, उसमें है यह।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग कानून बनाने वाले हैं वही अगर यह कहते हैं कि सन् 63 में कानून लागू हुआ और हमने सन् 62 में जमीन खरीदी यह कहां तक जायज है। उनको तो पता होगा कि ऐसा कानून आने वाला है। क्योंकि वह तो मन्त्री थे। उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने भी बड़े बड़े फार्मों के मालिक हैं बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े सेठ लोग हैं उन्होंने धड़ाधड़ जमीनों के रजिस्ट्रेशन करा लिये और जमीनों के मालिक बन गये। जो भूमिहीन थे वह भूमिहीन ही रहे । उन्हें कोई जमीन नहीं मिली। खुद रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कानून का उल्लघंन किया है और अगर आप उसे कानून का उल्लंघन नहीं मानते हैं तो भी आपका कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर होने के नाते आपका नैतिक दायित्व हो जाता है कि आप इस प्रकार की हरकतें नहीं करते। क्योंकि एक मिनिस्टर को यह पता रहता है कि कौनसा कानून कब लागू होगा, उसमें आप मिनिस्टर होने के नाते उसकी डेट भी बढ़ा सकते हैं कि यह इस डेट से लागू नहीं होकर एक परटीक्यूलर डेट के बाद से लागू होगा। जैसा कि अभी भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य कुछ फैक्ट्स सदन के सामने देना चाहते थे पर वह किन्हीं कारणों से वह तथ्य सदन में पेश करते करते रुक गये थे। वैसे भी आप खुद कह रहे हैं कि मैंने जमीन 62 में खरीदी और सीलिंग का कानून 63 में लागू हुआ है। लेकिन आप जब सरकार में बैठे हुए हैं तो उसमें आपको कुछ कोड आफ कन्डक्ट का भी ध्यान रखना चाहिये आपकी जनता के प्रति बड़ी भारी जिम्मेदारी हो जाती है, आप सरकार में बैठे हुए हैं आप जानते हैं कि किस जमींदार के पास कहां जमीन अच्छी और सस्ती हाथ आती है या आ सकती है, कौन व्यक्ति बेच सकता है जमीन सस्ती। और आप परटीक्यूलर जमीन को खरीद लो और पहले तो आपने यह कह दिया कि सन् 63 के पहले के सभी ट्रान्जेक्सन्स को रेग्यूलराइज मान लिया जायेगा। अब आप ऐसा कानून ला रहे हैं कि 1-1-73 के पहले के सभी ट्रान्जेक्शन्स को लीगल मान लिया जायेगा। हम तो आपको पहले से ही बार बार यह कहते जा रहे हैं कि आप इस प्रकार के बिल मत लाइये । उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सन् 62 से यहां सामने बैठे हुए हैं और इसके लिये प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं बहुमत आपका रहा है आप कुछ भी बनायें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको जितना सीमित बनाया जा रहा है उससे फायदा ही होगा। हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर कांग्रेस सोचे। जो घोषणायें कीं और उनको कार्यान्वित नहीं करने से मेजोरीटीज हवा में उड़ रही है। कांग्रेस ने स्टेबिलिटी देने की घोषणा की। 145 की मेजोरिटी स्टेबिलिटी नहीं दे सकती।

(४८०)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सोशियो एग्रो रिफोर्म्स नहीं करेंगे, भूमि हीन को भूमि नहीं देंगे 184 हो जाय तो भी स्टेबिलिटी नहीं आवेगी : गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आवेगी । यह गुजरात का सबक है। वर्तमान स्थिति है उसका सबक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से कांग्रेस दल के उन सदस्यों से जो इमानदारी से नीतियां लागू करना चाहते हैं, उसी इमानदारी से प्रधान मंत्री ने कही है डिस्पिलिन की बात । इंदलिया जिस तरफ रह रहे हैं उस तरफ, उनको डर कर नहीं रहना चाहिये। उनको असेस करना चाहिये । संघर्ष करना चाहिये अपनी पार्टी की पोलिसीज को लागू कराने के लिये । रिएक्शनरी से संघर्ष करके अपनी पार्टी को आगे लेजा सकेंगे और डेमोक्रेटिक फोर्सेज को आगे लेजा सकेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में बहुत लोग बैठे हैं। प्रगतिशील विचारों के हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि की सीमा को निर्धारित करने का अभियान चलाया । जनसंघ दल भी इसका समर्थन करता है कृषि भूमि की सीमा का निर्धारण होना चाहिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप भी कमंडल पकड़ कर आ गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भूमि की सीमा का निर्धारण होना चाहिये । बिजली से चलने वाली मोटर हैं और जिन लोगों ने कुए बनाये हैं . . .

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप काश्तकार हैं। आपको मालूम है एक बीघा में बाजरी का बीज कितना बोया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किसान को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। बार बार कृषि भूमि की सीमा के निर्धारण के बारे में अमेन्डमेन्ट लाने से भूमि का विकास जिस ढंग से करना चाहिये था वह नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय किसान का यह मत है कि 1500 मासिक की आय होने पर, परिवार में पांच आदमी हों, यदि इस तरह से भूमि का निर्धारण किया जाता है तो, माननीय उपाध्यक्षजी, वह ठीक होगा । वरना हालत क्या होगी ? छोटे 2 भूमि के टुकड़े बना देंगे और उससे उनके परिवार का पालन नहीं होगा और धीरे 2 कांग्रेस के लोग उस दिशा में बढ़ जावेंगे। भूमि का निर्धारण छोटे 2 टुकड़ों में होने के बाद जिस प्रकार साम्यवादी दल सामहिक कृषि का पक्षपाती है उसके ये भी पक्षपाती हो जावेंगे। नतीजा यह भी होगा कि किसान उस भूमि का मालिक नहीं रहेगा। सरकार उसकी मालिक हो जावेगी। छोटे 2 टुकड़ों के कारण किसान को भली प्रकार से राहत नहीं मिलेगी । किसान आन्दोलन करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को अवसर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आपको जमीन के राज का क्या पता है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बहुत से लोगों ने भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भूमिहीन हैं, अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग हैं, उन्होंने उस भूमि पर यदि कब्जा कर रखा है और सीलिंग वाले कानून से जमीन कम है, बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनका

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नियमन करने की घोषणा कर दें। अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों ने जिन जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है और उनके विरुद्ध अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं वे वापिस लेकर आपको उनका नियमन कर देना चाहिये। सरकार जमीन ले और अनुसूचित-जाति और जन-जाति के व्यक्तियों के पास कम जमीन है सीमा से तो उनको जमीन दीजिये।

जिन लोगों ने भूमि का अलॉटमेंट कर रखा है, जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि गलत तरीके से अलॉटमेन्ट करा रखा है, पंजाब में हरचन्द कमेटी है, उसी तरह की यहां पर भी कमेटी बिठा कर उनसे जमीन वापिस लेकर उन पर केसेज चलायें जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि कुओं से सिंचायी की दरें और राजस्थान कैनाल से सिंचायी की दरें, दोनों की ही दरें समान हैं। कुओं से सिंचायी की दरों को कम करना चाहिये। चम्बल क्षेत्र में पानी के कारण जो जमीन खराब हो रही है उसको बचाया जाना चाहिये। 1,500 माहवार एक परिवार के लिये आवश्यक है उस तरह की सीमा भूमि की निर्धारित करेंगे तो फायदा होगा। यदि सहकारी पद्धति पर जमीन के छोटे 2 टुकड़े कर देंगे तो इससे किसान को कोई फायदा नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरसों का बीज नहीं बताया कि एक बीघा में कितना लगता है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो थर्ड रीडिंग पर बात कही इससे सम्बन्धित नहीं है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप के लिये बात की। कन्ट्री का यह मिस्फार्चून है कि डेमोक्रेसी इन्फेन्ट स्टेज पर है। लीडरशिप जो थ्रो की जा रही है वह मिडिल क्लास की और वस्टेड इन्ट्रेस्ट की है। मार्क्स ने भी कहा है मिडिल क्लास इज मोस्ट अनरिलायेबल। कम्युनिस्ट पार्टी की भी बागडौर ऐसे ही लोगों के हाथों में है जो बिलकुल सर्वहारा वर्ग को रिप्रेजेन्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस की इन्डीकेट और सिन्डीकेट की भी व्याख्या आपने की है। कांग्रेस के स्पिलिट के बाद इन्डीकेट में आगये यह कहा। इन्डीकेट आपके कारखाने में ऐंगल किया हुआ शब्द है। आपके को अखबार पढ़ता हूं उसमें यह बराबर आ रह है। इन्डीकेट के नाम से आपकी व्याख्या है वह यह है कि इसमें प्रगतिशील विचारों के लोग हैं और सिन्डीकेट की जो परिभाषा की उसमें पुराने लोग हैं। आपका सोशलिस्टिक फोरम जोइन नहीं किया है। वह प्रोग्रेसिव नहीं है, रिएक्शनरी है। कौन कुलक है और कौन कुलक नहीं है। जहां कहीं भी रिवोल्यूशन आया है, नारा लगाया है किसान मजदूरों का, पर मिडिल क्लास ने यह सब किया है। सत्ता हड़पने के बाद में रूस में क्या किया है। बीसों स्टेटों को 47 साल के बाद भी एक नहीं कर सके। 30 साल के बाद स्टेट वेदर आफ हो जावेगी। पर वर्ल्ड में जो अनाज की कमी आई है पोलिटेरियट की लीडरशिप में रहने वालों ने 28 मिलियन टन अनाज अमेरिका से खरीदा है। खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ा है।

तो हम इसक नेशनेलाइजेशन में टेम्परेरी कठिनाइयां सेन्ट्रल लीडरशिप के नहीं चाहते हुए भी आई हैं इसलिये हम व्यवहारिक

(श्री परसराम मदेरणा)
कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह मोडिफिकेशन करना पड़ा है ।

श्री मुहम्मद गफ्फार अली : मोडिफिकेशन नहीं, सरेण्डर किया है रिएक्शनरीज फोर्सेज को ।

श्री परसराम मदेरणा : यह हम नहीं मानते । टैक्निकली हमें कई तरह की स्टेटर्जी लेनी पड़ती है ।

खैर जो कुछ भी है । पालिसी में थोड़ा व्यवहारिक हेरफेर हमने किया है । लक्ष्य हमारा वही है और यह हेरफेर एक ने नहीं किया है, सभी ने किया है । सब ने मिलकर सोचा है और काफी सोच विचार के बाद यह स्टेप लिया है नेशनल फूड एडवाइजरी कमेटी में यह डिसकस हुआ, सेन्ट्रल कैबिनेट में हुआ, चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में हुआ, कृषि कमेटी में हुआ फिर पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हुआ, जोइन्ट मीटिंगें हुईं । इसके बाद यह डिसीजन हमने लिया है । इसलिये इण्डिकेट सिण्डीकेट कह कर आप हमें डिवाइड करने की आपकी भावना नहीं चलने वाली है । इस डिवाइड करने में आप सफल नहीं होंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप में तो सब सिण्डीकेट से आये हुए लोग हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपके चौहान साहब ने और चन्द्रजीत यादव ने अलग अलग राग अलापा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चन्द्रजीत यादव से आप सहमत हैं कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो इन्दिरा गांधी की राय से सहमत हूं । आप चन्द्रजीत-यादव को उनसे ऊपर रख रहे हैं आप कामराज की राय से सहमत नहीं थे ।

श्री रामकिशन : आप इन्दिरा गांधी को तो प्रगतिशील मानते हैं न ?

श्री परसराम मदेरणा : आप उनसे पूछ लीजिये ।

श्री रामकिशन : मैं आपसे पूछ रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : इण्डिकेट में हमारे जो लेट चीफ मिनिस्टर थे, इण्डिकेट के मेम्बर थे ।

श्री रामकिशन : इण्डिकेट की मेम्बरशिप थी क्या ? आपके पुराने चीफ मिनिस्टर तो सिण्डीकेट के मेम्बर थे । उनको भूल गये है आज आप । उस बात को भी भूल गये ।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने तो प्रोग्रेसिव स्टेप ही लिया है । आप कांग्रेस पार्टी के बीच में दरार डालना चाहते हैं आप इस तरह की कुचेष्टाएं मत करिये । आप नाकामयाब रहेंगे इसमें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस दरार का ही तो नतीजा है कि आप उप-मुख्यमंत्री बने हो ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं किसी के पैरों पर चलता नहीं हूं । सदन को मेरी सिन्सियरिटी ऑफ परपज में डाउट नहीं करना चाहिये । कांग्रेस की घोषणा है समाजवाद की तरफ बढ़ने की । उसके लिये समय मांगा है सदन से । उस अवधि में इफेक्टिव स्टेप लेना चाहता हूं इस आश्वासन के साथ, माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बिल को पारित करे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने हेतु विधेयक को मय संशोधन के पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधन के पारित किया गया।

अतिरेक मांगों पर विचार एवं पारण

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64।

श्री रामकिशन : पहले शराब वाला आ जावे।

श्री उपाध्यक्ष : वह अन्त में ले लेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,07,35,994) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मांग स्वीकार की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 99,163 रुपय तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मांग स्वीकार की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,338 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री रामकिशन : साहब एक दम कर दो कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 5 मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में दिये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,322 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 6 मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को 2,04,630 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,98,101 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,53,433 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,26,857 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,72,032 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य वाणिज्यिक)

44. सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) ।

44. सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,85,499 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 2-, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य, 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय, 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,38,12,828 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65-निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, 72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,77,182 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,45,930 तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,79,505 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

माननीय वित्त मंत्रीजी :

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974 को पुर स्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरः स्थापित हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
विधेयक पारित किया गया।

श्री रामकिशन : यह जीतना शब्द नहीं कहना चाहिये, इससे दर्द होता है। सहमत होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह नियम में आपने ही बना रखा है।

श्री रामकिशन : इसमें संशोधन करेंगे।

शासकीय वक्तव्य

भू० पू० विधायक महादेव प्रसाद बंका का आमरण अनशन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त, आबकारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री मोहम्मद गफ्फार अली एवं चार अन्य सदस्य ने भूतपूर्व विधायक श्री महादेवप्रसाद बंका के आमरण अनशन को लेकर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव के अनुसार श्री बंका ने आमरण अनशन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर किया है :-

(1) जिला आबकारी अधिकारी को, जो अवैध शराब की बिक्री को रोकने में असफल रहे है, उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जावे और एक जांच कमेटी का निर्माण किया जावे।

(2) आबकारी मंत्री नीतियों के क्रियान्वयन में असफल रहे हैं, इसलिये इस्तीफा दे।

(3) मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जावे।

जैसा कि सदन को ज्ञात है मार्च के अन्तिम सप्ताह में जहरीली शराब से जयपुर स्थित रेगरों की कोठी और पुरानी बस्ती क्षेत्रों में हुई 11 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में गत 30 मार्च, 1974 को मैं सदन में एक बयान दे चुका हूं। उस बयान में मैंने यह बताया था कि आबकारी विभाग ने जयपुर नगर के विभिन्न भागों में नाजयज शराब की रोकथाम के लिये सन् 1973-74 में लगभग 120 मामले पकड़े हैं, जिनमें नाजायज शराब की 2,500 से अधिक बोतलें और 2,500 लीटर कच्ची शराब बरामद की। मार्च के अन्तिम सप्ताह में जहरीली शराब से हुई, दुर्घटना को ध्यान में रखते हुये यह कार्यवाही गत कुछ दिनों से और तीव्र कर दी गई है। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आबकारी निरोधक दल के दस्ते और वाहन प्राप्त किये और एक विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान में इन दिनों जयपुर नगर और आस पास के क्षेत्रों में 50 से अधिक छापे मारे गये जिसमें नाजायज शराब की लगभग 500 बोतलें, नाजायज कच्ची शराब से भरे हुये लगभग 30 ढोल विभिन्न स्थानों से बरामद हुये, जिसमें 6,000 लीटर कच्ची शराब थी। इन तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जावेगा कि आबकारी विभाग इस अवैध शराब को रोकने के कार्य में कितना सचेष्ट और सजग रहा है। यही नहीं

(श्री चन्दनमल बैद)
आबकारी विभाग सारे राजस्थान में गत तीन वर्षों से हर वर्ष 6,500 से अधिक मामले पकड़ता रहा है। आबकारी विभाग की सचेष्टता का एक ठोस प्रमाण यह है कि गत तीन वर्षों में आबकारी विभाग की आय प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ती रही है जबकि साधारणतया ट्रेन्ड-इन्क्रीज 5 प्रतिशत का माना जाता है। गत तीन वर्षों में हुई आबकारी विभाग की आय निम्नलिखित है :–

वर्ष आय 1971–72..... .. 9,37,00,000 (नो करोड़ सैंतीस लाख)

1972–73...... 12,02,00,000 (बारह करोड़ दो लाख)

1973–74..... 13,50,00,000 (तेरह करोड़ पचास लाख) सन् 1974–75 में यह आय 15,00,00,000 (पन्द्रह करोड़) तक पहुंचने की आशा है।

बिना आबकारी कर में वृद्धि किये आबकारी आय में इस सीमा तक वृद्धि होना इस बात का सबूत है कि आबकारी विभाग राज्य में नाजायज शराब की रोक थाम करने में काफी सफल रहा है। अतः जयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सरकार पर दोष लगाना सर्वथा अनुचित है कि आबकारी विभाग अथवा उसके कोई अधिकारी अवैध शराब की बिक्री को रोकने में असफल रहे हैं। सरकार को खेद है कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसका कारण कतिपय व्यक्तियों द्वारा गलत रास्ता अख्तियार करना है। पुलिस आबकारी विभाग के सहयोग से समस्त काण्ड की तत्परता से जांच कर रही है। अब तक की जांच से जिन लोगों का सम्बन्ध इस काण्ड से पाया गया है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि मामला अभी जेर तफतीश है। अतः इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। इस समय तो मैं सरकार की ओर से सदन को यही विश्वास दिला सकता हूं कि दोषी व्यक्तियों को सजा दी जायेगी और जिस किसी की लापरवाही साबित होगी उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जहां तक मृतको के परिवार को सहायता देने का प्रश्न है यह ऐसा सवाल है जिस पर सभी दृष्टि से विचार करना होगा और विचार करने के बाद उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

इसी घटना को लेकर माननीय सदस्य श्री निरंजन नाथ आचार्य ने खातीपुरा में आबकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा किये गये तथाकथित अत्याचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में जहरीली शराब से जयपुर की वस्तियों में हुई दुर्घटना को लेकर आबकारी विभाग ने पुलिस विभाग के सहयोग से जयपुर और आस पास के क्षेत्रों में नाजायज शराब के अड्डों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिये एक विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान के सिलसिले में आबकारी विभाग ने इस गांव पर भी दिनांक 2-4-74 को छापा मारा। इस छापे के दौरान नाजायज शराब के 7 मामले पकड़े गये और सर्व श्री चोथू, फूलिया, भीमा, नारायण, मोती, कल्याण, रघुनाथ

Page No 196

(१९६)

(श्री चन्दनमल बैद)

और जगदीश सहित 8 व्यक्तियों के खिलाफ अभीयोग दर्ज किये गये। इन व्यक्तियों के कब्जे से उस दिन कुल मिलाकर नाजायज शराब की लगभग 64 बोतलें तथा तीन ड्रम बरामद हुये जिनमें 600 लीटर कच्चा शराब था। इसके अलावा दो भट्टी भी पकड़ी गई जिन्हें कब्जे में ले ली गई। जो व्यक्ति उक्त छापों में पकड़े गये हैं उनमें सर्व श्री चौथू, फूलिया और रघुनाथ तो नाजायज शराब निकालने के आदी हैं और उनके विरुद्ध पहले से ही कई आबकारी अभियोग चल रहे हैं। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि आबकारी विभाग ने खातीपुरा के लोगों को परेशान करने की नियत से ही नहीं वरन केवल मात्र नाजायज शराब की रोकथाम के लिये धावा बोला था फिर भी यदि आबकारी विभाग के किसी व्यक्ति ने नियमों की सीमा से उल्लंघन कर किसी व्यक्ति के साथ जान बूझकर अभद्र व्यवहार किया है तो सरकार इसकी जांच करवायेगी और जो लोग अपराधी पाये जायेंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा।

अन्त में मैं भूतपूर्व विधायक श्री महादेव प्रसाद जी बंका से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है उस पर ध्यान देते हुये मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो पहले तथ्य रख चुका हूं, उसको नहीं दोहराऊंगा इसलिये कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को तफसीश दावत का निमन्त्रण है और मैं उनको ज्यादा देर तक····

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हम परहेज करते हैं, आप उस पर दिलचस्पी मत रखिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह की रोशनी डाली गई है, पहले जो माननीय मंत्रीजी ने भाषण दिया था आज उन तथ्यों को पुनः दोहराया हैं। मैं आज मानवता के नाते उनसे यह अर्ज किया चाहता हूं। वे भूतपूर्व विधायक हैं, आपकी पार्टी के हैं और इन्सानियत के नाते आपका और हमारा यह फर्ज है आपने जो मांग रखी है उन पर विचार किया जाय और दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाय। सदन के प्रांगण में अपील करते तो कोई हर्ज नहीं और मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह का कोई रवैया अपनायें तो आपके लिए भी एक शोभा की बात होती। खैर यह आपका नजरिया हो सकता है मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि अब 65 आदमी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से कुछ ऐसे डाकुमेन्टस पकड़े गये हैं जिससे जाहिर होता है कि जो डीनेचर्ड स्प्रिट बेची गयी वह ऐसे लोगों को बेची गयी जो कि या तो कान्ट्रेक्टर थे या पेन्टर थे और हमारे जो आबकारी अधिकारी हैं उनकी कोई रिश्तेदारी उनसे है भी कि नहीं–मैं नहीं कह सकता। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 20 हजार लीटर डीनेचर्ड स्प्रिट जहांगीर को बेची गयी जो कि कान्ट्रेक्टर है। अगर यह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सही है तो मंत्री महोदय इसको एक्सप्लेन करें। दूसरे क्या यह सही है कि 10 हजार लीटर डीनेचर्ड स्प्रिट जगदीश पेन्टर को बेची गयी। यह कहा जाता है कि हमारे आबकारी अधिकारी श्री मुन्नालाल आर्य की पहले वालों से दोस्ती है और दूसरों से रिश्तेदारी है लेकिन में इस तथ्य में नहीं जाना चाहता हूं। यह गलत या सही हो सकता है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि एक कान्ट्रेक्टर को 10 हजार लीटर डी-नेचर्ड स्प्रिट बेची गयी तो क्या उसका उद्देश्य यह नहीं था कि वह उससे नाजायज शराब बनवाये और फिर बाजार में बेचे। 10 हजार लीटर जो पेन्टर को बेची गयी क्या उसकी मिकदार इतनी काफी नहीं थी कि वह उसका मिसयूज करे। अगर यह दोनों चीजें सही हैं और यह लाइसेन्स श्री आर्य साहब की जानकारी में दिया गया है तो क्या यह प्राइमाफेसी केस इस बात के लिये नहीं है कि उनको कम से कम निलम्बित किया जाये या हटाया जाये? अगर यह तथ्य सही हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उसके लिए कुछ जवाब है वह यहां पर माननीय मंत्री महोदय रखें। आपने 65 आदमियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से डाकुमेन्टस पकड़े गये हैं मेरी मांग यह है कि अगर आप इम्पार्शियल इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो आर्य साहब को इस पद पर रखना गैर जरूरी हो जाता है और अगर आप लीपापोती करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है।

मैं यह जानता हूं कि आज का ही नहीं हमेशा का यह रवैया रहा है कि आपने बड़े बड़े लोगों की जान ली। आपने दर्शनसिंह फेरूमान को खतम किया है और वही फैसला दिया है जो कि आप फैसला दिवाना चाहते थे। अगर बंका साहब भी खतम हो जायें तो आपका कोई दुखदर्द होने वाला नहीं है लेकिन हम इन्सानियत के नाते अपील करना चाहते हैं अगर आप कम्पेन्सेशन की रकम दे देते हैं। आज भी आपने लाखों रुपयों का पहले खर्चा करके मांग की है। क्या नुकसान होता यदि मंत्री जी कह देते कि हम उनको मुआवजा दे रहे हैं। उनकी बेवायें आपके दरवाजे पर रो रही थीं। आप उनकी दर्दनाक हालत देखते। तो थोड़ा थोड़ा उनको मुआवजा दे देते तो कोई बात नहीं थी। मगर मैं यह समझता हूं कि आप इन्सानियत के नातों को तोड़ चुके हैं आप अपने पहलू में पत्थर का दिल लिये बैठे हैं, लोहे का दिल लिये बैठे हैं। हर एक इश्यू को आप प्रेस्टिज का सवाल बनाना चाहते हैं। मैं हर चीज को मानवता की तराजू में तौलना चाहता हूं। मैं चाहता था कि आप एलान करते तफतीश के बारे में। अपनी इम्पारशेयलिटी को साबित करने के लिए कहते कि इस आफिसर को हमने बदल दिया है तो कोई बात नहीं थी। अब भी आपसे गुजारिश है कि जो तथ्य आपके सामने आये हैं उनके आधार पर आप ऐसे आफिसर को कि जिसने इतने बड़े बड़े लाईसेन्स दिये हैं उसको आप यहां मत रखिये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इम्पारशियल इन्क्वायरी कराइये वर्ना नौबत आप सुनेंगे वह भी मैं आप को अर्ज किये देता हूं:

"अयादत को वो क्यूं आने लगे दाग,
मेरी उन तक खबर जाये तो अच्छा।"

मर जायेंगे तो आपको इत्तिला मिलेगी

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मोहब्बत के लिये कहा है। यहां कहां लागू करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में लम्बी चौड़ी बात नहीं कहनी है। केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि श्री बंकासाहब ने जो हड़ताल कर रखी है, शायद माननीय मंत्री महोदय का इतना साहस तो नहीं है कि वह अपना पद छोड़ दें। लेकिन जो दूसरा मुद्दा मुआवजे वाला है उसको आप मानवीय दृष्टि से देखें। अभी मंत्री महोदय, ने तर्क दिया कि लोग शराब पीयें और मर जायें और सरकार मुआवजा दे, क्या यह उचित है। आप ने यह कह तो दिया लेकिन मेरा आपसे एक सवाल करना है कि यह मोहरसिंह कौन थे? इन्होंने मध्य भारत में डकैतियां डालीं, मर्डर किये तो क्या उनको आपने कम्पन्सेशन नहीं दिया है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुआवजा नहीं दिया।

श्री रामकिशन : उनके बच्चों को जमीन अलॉट की है। आप तो नजदीक हैं आपको मालूम होगा। देख लें। जिस तरह से उनके परिवार को कम्पन्सेट कर रहे हैं मैं आपसे यह चाहूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि शराब पीने वाले मर गए उनकी गलतियां होंगी और उस पर हम चर्चा नहीं करते लेकिन उनके यतीम बच्चे हैं। वह अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनके पास आमदनी के जरिये नहीं हैं। इस मसले के पीछे और स्थिति है उसको देखते हुए अगर सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तो अच्छा होगा।

दूसरा निवेदन यह करना है कि आपने जिनको गिरफ्तार किया है आपकी कार्यवाही सदन में आने के बाद शुरू हुई लेकिन क्या आपकी जानकारी में है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक व्यक्ति ने बयान दिये हैं कि हमने फलां आदमी से स्प्रिट खरीदी और जिससे खरीदी उसका नाम भी उसने बताया केसरीमल, जिसकी सरगासूली के पास दुकान है। अब उस स्प्रिट को खरीदने के बाद जब गिरफ्तार करने की बात थी तो क्या यह सही है कि उस आदमी की गिरफ्तारी को रोका गया जिससे यह स्प्रिट खरीदी गयी थी और जो स्प्रिट उसने दी है वह मिलावट वाली थी। तो वह स्प्रिट कहां से आई। स्प्रिट हरियाणा से आती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर अपराध इन्होंने किया है तो असली अपराधी वह है कि जिसने निर्दोष लोगों के लिए स्प्रिट बेची है और सरकार के दबाव से उसको छोड़ा जा रहा है। आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले।

यह, उपाध्यक्ष महोदय, यहां का ही मामला होता तो अलग बात थी ऐसी घटनायें और जगह भी हुई हैं। हमारे यहां भरतपुर में उच्चैन कस्बे में भी काफी लोग इस तरह की शराब पीकर मर गए लेकिन कुछ कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं हुई। मैंने सुना है कि उसमें लम्बी लम्बी रकम देकर यहां जितने लोग मरे हैं उससे अधिक लोग भरतपुर के उच्चैन कस्बे में मरे हैं और उनके मामले को दबा दिया गया है। आप इस तरह की छोटी मोटी कार्यवाही करके अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं तो दूसरी बात है। मैं चाहूंगा और सदन भी चाहेगा कि केवल इस संबंध में

Page No 199

(199)

(श्री रामकिशन)

अगर आप कुछ मुआवजा या पुनर्वास या मुख्य मंत्री फण्ड से या दया के रूप में कुछ कर सकें तो अच्छा होगा। जहां तक बंका सहाय के उद्देश्य का सवाल है वह तो बिलकुल सही है। ब ापकी मर्जी की बात है सदन में ाप अपील करें या कुछ भी करें वह आपकी ही पार्टी के सदस्य हैं आप कुछ समझा सकें तो मैं समझता हूं कि उनके प्राणों की रक्षा भी की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत मानवीय प्रश्न है। मैं माननीय आबकारी मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि 11 व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु ज्यादा व्यक्तियों की हुई है और इस समय भी सवाई मानसिंह हास्पीटल में मेरी निश्चित जानकारी के आधार पर कई लोग अभी भी भरती हैं और ऐसे लोग भरती हैं जिनके नेत्र बिलकुल जा चुके हैं आपने यहां पर यह कहा कि आबकारी विभाग बहुत तत्परता से काम कर रहा है। शीशियां पकड़ी हैं, भट्टियां पकड़ी, मैं समझता हूं कि मैं आपसे आशा नहीं करता था कि आज इस अवसर पर भी इतने लोगों की मृत्यु होने बाद भी और इतने परिवार बरबाद होने के बाद भी आप आबकारी विभाग की तारीफ करेंगे आपने सम्पूर्ण स्टेटमेन्ट में आबकारी अधिकारियों के कारनामों की तारीफ ही की है, आलोचना नहीं की है, मैं समझता हूं कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस भारतवर्ष में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने स्वयं ने यह माना है कि रेगरों की कोठी पर गैर कानूनी रूप से शराब बिकती थी। मैं पूछता हूं कि फिर आखिर वह प्रिवेंटिव फोर्स, आपका स्टाफ क्या काम करता था। क्या वह शराब बनाने वालों को मदद नहीं करता है। मैं निवेदन करूंगा कि जो 26, 27 और 28 तारीख को लोगों की जानें गई हैं, उनके लिए क्या आबकारी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है यानि उनकी किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं है। अब जो कुछ भी कार्यवाही की जा रही है, शीशियां पकड़ने की, अफीम पकड़ने की, भांग के ठेके, अफीम के ठेके पकड़ने की और दिखावे मात्र के लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अब यह भांग के ठेके, जो नाजायज शराब के ठेके पकड़े जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आबकारी विभाग का पूर्व सम्पर्क रहा है लेने देने का। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने स्टेटमेंट में एक बात और कही कि इस विभाग पर दोष लगाना अनुचित है। इतनी बड़ी बात हो गई, लोगों की मौतें हुई, हत्याएं हुई हैं, हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोगों पर और अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जांच भी नहीं कराना चाहते हैं। आप क्यों नहीं जांच कराना चाहते ? मैं निवेदन करूंगा कि इस रात्रि को मैं मौजूद था, क्या आबकारी अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं था कि वह वहां पर पहुंचते। पुलिस वाले पहुंचे लेकिन आबकारी अधिकारी रात्रि को 5 बजे तक दावत में व्यस्त रहे। मैं निवेदन करूंगा कि आबकारी अधिकारीजनों के रिश्तेदारों के शराब के ठेके हैं, स्प्रिट के ठेके हैं। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि यही नहीं, मैं आज आपको स्तीफा देने की बात नहीं कहूंगा क्योंकि आप स्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि

Page No 200

(१७१)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आबकारी अधिकारी आपको बदनाम करते हैं। वे कहते हैं कि श्रीमान चन्दनमलजी वैद हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। आबकारी अधिकारी जानते हैं कि आप उनका ट्रांसफर करेंगे नहीं। उनका ट्रांसफर हो भी नहीं सकता .....

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्रीजी को झांसे में चढ़ा रहे हो।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतनी गम्भीर बात को आप मजाक में उड़ाते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से बदनाम करते हैं आपको और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आप इनको हटा नहीं सकेंगे। मैं कहता हूं कि आप आबकारी अधिकारी को महा-आबकारी अधिकारी बनाने की चेष्टा में हैं, महा-आबकारी अधिकारी। जैसे महाराज-प्रमुख थे वैसे ही महा-आबकारी अधिकारी और एकाध प्रमोशन आप इनको और दे दें क्योंकि इनका दोष नहीं। बहुत सारी बोतलें पकड़ रहे हैं, अफीम के ठेके पकड़े हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात आपको नहीं कहनी चाहिए थी।

मैं निवेदन करूंगा कि मृतकों के जो परिवार हैं उनको आप आर्थिक सहायता देना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि जब कल रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हुआ और अपने श्रम मंत्रीजी छंगाणीजी ने जब साध्वी जो मर गई, पांच हजार देने की, मजदूर को देने की आपने घोषणा करदी। मैं समझता हूं कि इन मृतक परिवारों की पैसे से मनुष्य की कीमत नहीं तोली जाएगी। माननीय मंत्रीजी के पांच हजार रुपये से मरा हुआ व्यक्ति जीवित होने वाला नहीं है, वह तो पैसा जो कुछ मिलेगा अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं, थोड़ा सा पेट भरने के लिए अपनी व्यवसाय चलाने के लिए छोटी मोटी दुकान खोलने के काम में आएगा। उनके बच्चे, मैं समझता हूं कि कुछ उनकी आय चलायेंगे और जब वे बड़े हो जायेंगे तो फिर अपना काम चला लेंगे। इसलिए मंत्रीजी आपको उनको कुछ आर्थिक सहायता देने की घोषणा करनी चाहिए।

मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि आपको एक छोटी सी गलती की जांच कराने में कौन सी आपत्ति हो रही है। आबकारी अधिकारी कहते हैं कि उनका दोष नहीं। आप कहते हैं कि आबकारी अधिकारी का दोष नहीं। मामूली सी बात है आप सारे काण्ड की जांच करावें। मैं समझता हूं कि आज छोटी 2 चीजों की जांच होती है लेकिन यहां जब कि इतने व्यक्ति मर गए और आप कहते हैं कि 11 लोगों की जानें गईं, मैं कहता हूं कि 16 या 17 व्यक्ति मरे हैं और हॉस्पीटल में लोग अन्धे हो गए हैं, इसकी जांच करने में कोई दोष नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि जब आबकारी अधिकारी कहते हैं कि उनका दोष नहीं है तो फिर डर किस बात का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो बंका साहब से निवेदन किया हाउस में, मैं निवेदन करूंगा कि आप यहां से आते जाते रहते हैं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ये तो आपके दल के ही हैं, आप यहां से समय जाते रुकें और उनसे प्रार्थना करें, उनको मनवा सकें तो आप उनको मनायें। आप उनसे मिलकर प्रार्थना करें, यहां हाउस में प्रार्थना करने से क्या होता है। मैं समझता हूं कि वे आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी हालत खराब है, उनकी मांग है कि जांच करवानी चाहिए तो आपको उनको कुछ न कुछ आश्वासन देना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए।

और अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हत्यारा व्यक्ति है, जिसने, इस प्रकार की निर्मम हत्या करने की जिस पर जिम्मेदारी है, वह आज विधान सभा की आफिसर्स गेलरी में बैठा है। आपको चाहिए माननीय मंत्री जी कि आप तुरन्त ऐसे अधिकारी को जिसने इस प्रकार का काम किया, उसको सस्पेंड करने वाली बात नहीं है बल्कि ऐसे आबकारी अधिकारी को यहां पर गिरफ्तार करें तभी जाकर सब बातों की जांच होगी। लेकिन आज आबकारी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करके आप उसको तोफा देना चाहते हैं, उनका प्रमोशन करना चाहते हैं। मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि मेरा आबकारी अधिकारी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा उनके पद से द्वेष है क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

स्वयं उनको आगे बढ़ कर कहना चाहिए कि मेरे से भूल हुई है, मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। आफिशियल डिगनिटी व आफिशियल मान-मर्यादा इससे बढ़ेगी। इसलिए अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि मैंने जो जांच के बारे में, मृतकों के परिवारों को सहायता देने के बारे में, इनको गिरफ्तार करने और माननीय बंका साहब के बारे में मैंने जो निवेदन किया है और माननीय मंत्रीजी जिसके बारे में बड़ी विनम्रता से, हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं, कई बार स्थगन प्रस्ताव रखे, आपसे निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया, सौभाग्य की बात है कि आज आखिरी दिन में वक्तव्य तो हो गया, इसलिए मैं आपसे अन्त में यही निवेदन करूंगा कि माननीय दृष्टिकोण को समझ कर, गरीबों की भावना को समझ कर आप निर्णय करें। मैं निवेदन करता हूं कि आप इनके बारे में कोई न कोई ठोस बात कहेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्तावों पर मेरा ऐसा विश्वास लगता है कि अप्रोच में गलती हो गई। यदि माननीय आबकारी मंत्रीजी अपने को विभाग के साथ न जोड़ें तो सम्भवतः तुलनात्मक रुख ले पाते। उनसे मांग कर ली कि माननीय आबकारी मंत्री त्यागपत्र दें और इस त्यागपत्र की मांग ने मनोवैज्ञानिक रूप से माननीय आबकारी मंत्रीजी ने अपने विभाग से अपने को जोड़ दिया तो स्वयं की रक्षा में विभाग की रक्षा करने लगे, ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य मालूम पड़ता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आपको विभाग से डिसएसोशियेट कर लें और तटस्थ रुख अपना कर एक मंत्री के दायित्व को समझ कर आप उत्तर दें, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि लोगों की जानें तो गईं और अनुसूचित जाति के लोगों की गई हैं और उन्होंने अवैध शराब पिया और मरे। मरने से उनकी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मृतात्मा के प्रति जो सहानुभूति थी वह भी समाप्त हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद उनके बचे हुए खानदान के प्रति इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की भी जो सहानुभूति है, यह एक मानवीय दृष्टिकोण हो गया हैं और जब इतने लोग मरे हैं और ऐसी गन्दी बस्ती में मरे हैं और वे लोग मरे हैं पिछड़े हुए और दबे हुए लोग, जो अपने पीछे कई संतानें छोड़ गए हैं। किसी के मां है, बाप है, संतानें हैं, इनको छोड़ कर मरे हैं। उस संदर्भ में मेरा विश्वास है आप तटस्थ रह करके मानवीय दृष्टिकोण से उनके प्रति सोच सकते हैं। जब मैं सोचने की बात कहता हूं तो इसका स्रोत भी बतलाता हूं। आपने टेम्पर्स सोसायटी बनाई है। वह काम शराब बन्दी को रोकने का काम करती है और अपकी ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इधर शराब को प्रोत्साहन है और उधर शराब को रोकने की कार्यवाही आपने ले रखी है, यह विरोधाभास है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपके दिमाग में यह बात है कि हम इन मरने वालों को अगर सहायता दे देंगे तो यह हमारे लिए प्रीसीडेंस हो जाएगा। जहां कहीं मौतें अवैध शराब से होंगी, हमें सहायता देनी पड़ेगी, यह दुविधा है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने टेम्पर्स सोसायटी को एक लाख रुपया दिया पहले और शायद इस बजट में भी रखा होगा। उनसे मेहरबानी करके कह दीजिए कि यह तुम्हारे बूते का काम नहीं है। हमारा विभाग अकर्मण्य रहा है इस प्रश्न पर। आप समझा बुझा कर नहीं रोक सकते यह मेरा खयाल है। आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते। जो रकम को प्राप्त करते हैं और जो देने वाले हैं वे दोनों मिले हुए हैं। आज विभाग का नाम बदनाम है इस प्रश्न पर। आप इस प्रश्न को अपने दिमाग में मत रखिये कि यह आपका विभाग है। इन परिवार वालों को मुख्य मंत्री कोष से भी सहायता दे सकते हैं। आपके पास अनेक उपाय हैं अगर आप सहायता देना चाहें। इसलिये हमको न कहते हुए, बिना प्रीसीडेन्स कायम किये हुए एक किस्म का गुप्त दान गुप्त सहायता, इस किस्म की आप अदा कर सकें तो करें। हमें अवगत न करें, जनता को अवगत न करें और उनको सहायता पहुंचा दें तो मेरा खयाल है, एक मानवीय दृष्टिकोण की आप पूर्ति करेंगे। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह तो हो जायगा। जो आरोप आज लगाया गया है, वह बेकार लगाया गया है, और इस सम्बन्ध में जो कुछ और निवेदन करूंगा तो उससे मेरी बात को और क्षति पहुंचेगी। इस प्रश्न पर मौन रख कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यकायक आपका यह विभाग कर्मनिष्ठ हो गया है। यह विभाग कर्मनिष्ठ हो गया। इसके पूर्व छापे मारने का कोई प्रश्न नहीं था। यह विभाग जानता था कि रेगरों की बस्ती, इस संकुचित बस्ती में जो सड़ी गली है, जिसमें जाना दुरूह है, इस बस्ती पर निगाह होते हुए भी और मुख्य मंत्री ने भी कहा, यह जो आन्दोलन चल रहा है उसके पूर्व यह जानकारी थी कि वहां पर अवैध शराब बेची जा रही है। संदर्भ में कि अवैध शराब बन रही है उस प्रश्न पर नहीं जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह छापे वहां

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पर यकायक कहां से हो गये । उस वक्त तो नहीं छापे मारें गये । यह विभाग इस वक्त बड़ा कर्मनिष्ठ है, कर्तव्यपरायण है । इसके पूर्व क्या कर रहा था ? ऐसी स्थिति में देखा जाय तो मालूम होगा यह कृत्रिमता है विभाग की । इस सदन के प्रांगण पर प्रश्न आया तब यह विभाग बड़ा कर्मनिष्ठ हो गया । यही नहीं, अपने डिफेन्स की बात जनता को बताना भी शुरू कर दिया । यह आप देखिये । छापा मारा इसकी अखबारों में तस्वीर छपी है, इसमें ब्लोक छपा है । दफ्तर के अधिकारीगण खड़े हैं । यह अखबार में निकला है । एक प्रचार, प्रसार हुआ है कि उनका विभाग बड़ा कर्मनिष्ठ है । यहीं तक ही नहीं, प्रेस में जाकर वक्तव्य भी दिया है । दो-तीन अखबारों में तस्वीर छपी है । इस पर उनका निजी पैसा खर्च हुआ है । डिपार्टमेंट ने शायद यह खर्चा नहीं किया है । यह हमें बताया जा सकता है, फोटोग्राफर तस्वीर ले लेते हैं । उनका तस्वीर लेने का तरीका और होता है । उसमें अस्त-व्यवस्त सामान होता है । अस्त व्यस्त तरीके से खड़े होते हैं । लेकिन इसमें सामान पड़ा है । जिस आदमी को गिरफ्तार किया है, वह खड़ा है । उसकी तस्वीर है दूसरी तरफ अधिकारी हैं । इससे आखिर यह निष्कर्ष निकलता है केवल यह प्रचार प्रसार विभाग का है । यह खर्चा कैसे हुआ है यह सब जानते हैं । विभाग से एक्स्प्लेनेशन आप पूछेंगे तो कह देंगे हमने नहीं किया पत्रकार ने कर दिया है । मेरे खयाल से यह बात समझ में नहीं आती है । पत्रकार क्यों इतनी दिलचस्पी लेगा । सामान सामने रख कर फोटो खिचाई गई है । अगर सही फोटो होता तो वे अस्तव्यस्त हालत में होते । ऐसी स्थिति में, प्रचार प्रसार के संबंध में यह निवेदन करना है कि यह कार्य सर्विस कोड के खिलाफ भी है । इस प्रसंग में, मैं चाहता हूं कि आप इन्क्वायरी करें । प्रेस में जाकर सूचना दें, यह गलत है ।

इसके साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री बंका कांग्रेस दल के सदस्य हैं । यहां पर अनशन पर बैठे हैं । कांग्रेस दल के व्यक्ति पर, एक सद्भावना के मिशन पर बैठे हुए व्यक्ति पर आरोप लगाना और वह भी इस विभाग के माध्यम से, मेरे खयाल से वित्त मंत्री जी आप भी उचित नहीं समझेंगे । यह पेम्फलेट आपके सामने है । शायद आपने भी पढ़ा होगा । बंका की नाजायज शराब बनाने वालों के साथ सांठगांठ । जिस आर्गनाइजेशन से श्री बंका सम्बद्ध हैं, उस आर्गनाइजेशन की भी इसमें बदनामी है । इस विभाग ने अपने डिफेन्स में प्रचार प्रसार का सहारा लिया है उसकी जांच करें । कम से कम जो आरोप इस सदन के प्रांगण पर लगाये गये हैं, उसकी डिफेन्स के लिये सदन से बाहर का सहारा लिया जाये, यह एक अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता का प्रश्न पैदा होता है । इसकी आप जानकारी करें और इस के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करें ।

इसके साथ पुन: आपको निवेदन करना है कि इस प्रश्न पर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाये । प्राथमिकता के प्रश्न पर जोर देना नहीं चाहता हूं । आपने यहां पर कहा कि छापे मारे गये । इतने आदमियों को पकड़ा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि हीरालाल नाम के जिस व्यक्ति के घर पर आपने छापा मारा, उसके यहां पर बरामदगी हुई, मेरे पास उसकी यह इन्जुरी रिपोर्ट पहुंची है । यह फ्रेक्चर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उसके हाथ में है। आपके पास भी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई होगी। चूंकि यह केस कोर्ट में चला गया है इसलिये मैं इस प्रसंग में नहीं जाना चाहता हूं। जिन जिन का पिटाई हुई है, जिन जिन के फ्रेक्चर हुए हैं, उनका कोर्ट के माध्यम से मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, यह मेरे खयाल से सब जुडिस मामला है। इसलिये इन प्रश्नों पर यहां निवेदन नहीं करना चाहता हूं। इन सारे प्रश्नों के सदन्भ में आपके त्याग-पत्र देने का मामला इस सदन में उठाया गया है। माननीय सदस्य इसको विथड्रा कर लेंगे तो आशा है कि न्याय मिल जायगा। आप डिपार्टमेन्ट से एसोसिएट नहीं हो सकते, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं तो केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को मुआवजे के तौर पर प्रीसीडेन्स न डालें इस बात पर हम सहमत हो सकते हैं लेकिन जो फेमिलिज डेस्टीट्यूट हो गई हैं, उन डेस्टीट्यूट फेमिलिज को रिहेबिलिटेट करने के लिये, उनको इक्वल अमाउन्ट देना जरूरी नहीं है, हरेक को, इन्डीवीजुअल फेमिलिज की हालत को देखा जाय, अगर वे इकोनोमिकली अच्छी तरह से हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको राहत दी जाय। लेकिन जो डेस्टीट्यूट हो गई हैं, उनको दिया जाय। उस हिसाब से इसको तय किया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से सोचा जाय। हम इस हाउस के अंग हैं और माननीय सदस्यों की जो ओपीनियन है उसको भी एडजस्ट किया जाना चाहिये। यह पालिसी क्वेश्चन नहीं है मानवीय क्वेश्चन है। कोई आदमी शराब पीकर मर जाय उसको मुआवजा मिले इस तरह का प्रीसीडेन्स डालना हम भी पसन्द नहीं करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण इस तरह का हो कि इन फेमिलिज को रिहेबिलिटेट किया जाय। डाकू मर गये उनकी फेमिलिज के प्रति समाज की जिम्मेदारी है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से इस बात पर विचार किया जाकर के रिहेबिलिटेशन के रूप में सहायता की जाय। यह समाज की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चों को, बीबी को भूखों न मरने दिया जाय और यह मुआवजा या सहायता इन्डीज्युअल बेसिस पर तय करें तो मैं समझता हूं कि कोई गलत प्रीसीडेन्ट नहीं होगा और इस समस्या का समाधान होगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी घटना को अगर इस संदर्भ में देखा जाय कि रेगरों की कोठी पर जिस समय यह घटना हुई उससे 88 दिन पहले से शराब बंदी आन्दोलन चल रहा था। उस आन्दोलन के सिलसिले में विधान सभा में स्थगन प्रस्तावों द्वारा समय समय पर अथवा अन्य प्रकार से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था? तो सरकार ने यह जवाब दिया है तो यह जनतन्त्र निरर्थक है, और जिन लोगों के लिए यह कहा जा रहा है कि इस आन्दोलन के जरिये उनका हृदय परिवर्तन हो गया है इसलिए वापिस वहां पर शराब की दुकानों को बन्द कर देना चाहिए यह गलत है। बिल्कुल हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि वे लोग शराब पीते हैं। जब यह रिपोर्ट आ रही थी तो मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह इनकी ड्यूटी थी, यह इनका फर्ज था। जब सरकार यह समझती थी कि हृदय परिवर्तन की बात नहीं है और लोग

(श्री मूलचन्द सामरिया)

शराब नाजायज पी रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह सूचना मिलने के बाद जब यह पता चला कि नाजायज शराब पी जा रही है, तो क्या आबकारी डिपार्टमेंट का यह जिम्मा नहीं था कि उन लोगों के साथ सख्ती दिखाती और इन बातों को होने से रोक सकता था। सरकार का यह कहना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो पहले यह स्टेटमेंट दिया है कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है उसके इस तरह से कहना चाहते हैं कि हमें पता नहीं कि हृदय परिवर्तन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था और नाजायज शराब पीते थे तो मैं पुनः जोर देकर कहूंगा कि यह सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि उनको नाजायज शराब नहीं पीने देते। लेकिन अपनी इस घोषणा को अमली रूप पहनाने के लिए कि लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है और शराब पीते चले जा रहे हैं और इस आन्दोलन को फेल करने के लिए सरकार ने लोगों को नाजायज शराब पिलाई, इसका मुझे पूरा पूरा शक होता है। मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि डिपार्टमेंट का कोई दोष नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस आन्दोलन को फेल करने के लिए इससे अच्छा दूसरा प्रोपैगण्डा करने का मौका नहीं मिल सकता था जिसको आपने हाथ से जाने नहीं दिया।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितनी शराब की दुकानें खोली हैं सरकार ने वह हरिजन बस्तियों में खोली है। सरकार जो 15 करोड़ रुपया शराब से वसूल करती है उसमें से 10 करोड़ से ज्यादा की आमदनी इन गरीब लोगों से होती है जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने का मकान नहीं है। लेकिन यह सरकार और मंत्री महोदय बड़ी शान के साथ में यह घोषणा करते हैं कि इन लोगों का खाना छीन लें, इन लोगों के कपड़े उतारकर इनको नंगा कर दें और इधर उधर के भिखारी कर दें। यह सारे आंकड़े इसलिये हैं कि हरिजनों और आदिवासियों के हर मोहल्ले में जाकर दुकानें खोलना चाहिये। अगर यह चीज अच्छी है, बहुत ऊंची चीज है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सिविल लाइन्स में रहने वाले बेचारे गरीब लोगों समाजवादी लोगों को फिर इस सुविधा से क्यों वंचित रखा जा रहा है? सिविल लाइन्स में क्यों नहीं दुकानें खोली जाती है? देशी शराब जब अच्छी चीज है तो उनको ही क्यों पिलाई जाती है? सिविल लाइन्स के लोगों को भी इनके साथ में शरीक जरूर करें और दूसरी जगहों पर रहते हैं ऐसे गरीब लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। आप ऐसी जगहों पर दुकानें खोलें ताकि गरीब समाजवादी लोगों को अच्छी तरह से फायदा मिल सके।

मैं इसी संदर्भ में यह भी निवेदन करूंगा कि आज एक जगह नहीं है जहां इस तरह मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें नहीं खुलती हैं। ये मरने वाले 13 या 16 आदमी या कितने भी मरे हों उनसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। यह आपके कमाऊ पुत्र थे। उनके पास जो कुछ कपड़े थे, खाना था वह सब लाकर उन्होंने सरकार के खजाने में इस 12 करोड़ में शामिल करा दिया। वह लोग आज

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तक लूटकर सरकार के खजाने में अपना सब कुछ देते थे। आज उनके मरने के बाद उनकी विधवा औरतों, माता-पिता और बच्चे इनकी जो जिम्मेदारी है, हरिजन होने के नाते भी, सरकार की है। सरकार ने उनकी आदतें पटकी उनके मोहल्लों में शराब की दुकानें रखकर उनको मजबूर किया पीने को। उनकी आदत में इस प्रकार की वृद्धि करके इस हालत में पहुंचा दिया। सरकार में जरा भी मानवता है, कहीं रखती है, समाजवाद की दुहाई देती है, हरिजनों को बराबर स्थान देने की घोषणा करती है तो उनको मुआवजा दे। चूंकि आपने इनको मारा है, इनको शराब पिलाकर लूटा है। जितनी उनसे लूट की है तो उनके ब्याज के पैसों से उनके बच्चों को जिन्दा रहने के लिए दे दें। तो हरिजन होने के नाते, मानवता के नाते, सरकार चलाने के नाते, राज्य की बागडोर आपके हाथ में होने के नाते उनके बच्चों को मरने से बचाने के लिए मुआवजा देना आपका कर्त्तव्य होगा।

इसके साथ में लोगों की मांग है कि जिला आबकारी अधिकारी को हटाया जाय। जिला आबकारी अधिकारी को हटाते या सस्पेंड करते हैं तो उससे पहले मंत्री महोदय को वन-टू-थ्री होना पड़ता है, इसलिए मेरी मांग है कि वह खुद इस्तिफा दे दें। तो आबकारी अधिकारी के खिलाफ ऐसे आदेश दें उसके पहले आपका धन्धा चौपट हो जाय। इसका बड़ा महत्व है। वह जाते हैं तो आप भी जाते हैं। वह रहेंगे तो आप भी रहेंगे। उनको आप हटा नहीं सकते हैं। यह अलग बात है कि आप अकेले जा सकते हैं, और एक उदाहरण पैदा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने शराब नहीं पिलाई तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या लालबहादुर शास्त्री उस गाड़ी के ड्राइवर थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था। कई आदमी शराब से मरे थे। कई आदमी आपकी लापरवाही से मरे हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं। आपको शास्त्रीजी का उदाहरण पेश करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि बंका साहब आपकी पार्टी के आदमी हैं। वह कांग्रेस विधायक इस विधान सभा में आरम्भ में थे। उनके प्राणों को आप क्यों कसौटी पर डाल रहे हैं? आज उनके प्राण उस आग में जल रहे हैं। आप में जरा भी पार्टी के प्रति हमदर्दी हो, इस समाज के प्रति हमदर्दी हो तो उन लोगों की वाजिब मांग को मान लें। अगर उनकी वाजिब मांग को नहीं मानते हैं तो एक बहुत बुरी बात है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: अब आप वन-टू-थ्री हो जायं।

श्री मूलचन्द सामरिया: उनके आश्रितों को आप मुआवजा देते हैं तो अहसान नहीं है। मानवता का फर्ज अदा करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो मानवता से बहुत परे हो जाने की बात होगी और इस सरकार को लोग मानव कहने से कतरायेंगे और लोग शर्म महसूस करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में यह बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सही है कि लोगों ने स्वयं ने जहरीली शराब पी और मरे और मंत्री महोदय के दिमाग में यह बात आ सकती है कि शायद इस किस्म का कोई प्रीसीडेंट कायम हो जाय और इससे सरकार को आगे जाकर अडचन पड़े और हर मामले में मुआवजा या सहायता देने की मांग आ सकती है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने बयान में इस बात को कहा है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है । मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में कोई निर्णय लेने के अन्दर और लोगों को सहायता देने में और खास तौर से उन लोगों को सहायता देने में जिनके परिवार के अन्दर दूसरे आदमी कमाने वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों को सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। अगर माननीय मंत्री महोदय इस मामले को मंत्री-मण्डल की बैठक में ले जायं, और अगर किसी तरीके से समस्याओं को हल कर सकें तो मैं भी मानता हूं कि उन लोगों के बच्चों को और खासतौर से महिलाओं के लिए जो यतीम हो गये हैं, आप कृपा करेंगे, दया करेंगे। वह आपकी दया के पात्र हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिनेशराय डांगी ।

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, इस मसले पर मैंने पहले भी इस सदन में निवेदन किया था कि जो मर गये हैं उनमें कुछ फेमिलीज बहुत गरीब हैं और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनकी माली हालत ठीक हो । मैंने निवेदन किया था कि उनको आर्थिक सहायता दी जाय । उनके बच्चों को पेन्शन या छात्रवृत्ति दी जाय । इसके अलावा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जहां तक मुआवजे का प्रश्न है मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि सरकार मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है। यह इसलिए भी है कि इससे दूसरा अर्थ निकल सकता है । लेकिन यदि सरकार चाहे तो और दूसरे फण्ड्स हैं, मुख्यमंत्री के कोष का फण्ड है और सहायता का कोष है उनमें से अविलम्ब इनको सहायता दे सकती है। और जैसी उनकी हालत है उसको देखकर और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके धन राशि से या और किसी तरीके से उनको सहायता दी जाय । इसलिए मैं चाहूंगा आपकी मारफत कि माननीय मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें तरमीम की जाय ।

महादेव प्रसादजी वंका ने इस संदर्भ में अनशन किया है। हालांकि कांग्रेस के सदस्य इस समय तो वे नहीं है। लेकिन वे कांग्रेस के एम० एल० ए० दो बार रह चुके हैं। उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है । कांग्रेस दल के कई अनुसूचित जाति के सदस्य पिछले तीन-चार रोज से टाइम वे टाइम मिले हैं और उनको सान्त्वना दी है। हम लोगों का माननीय मंत्रीजी से डेपुटेशन भी मिला है, और कोशिश पूरी की है कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आये और इनको सहायता के निर्देश दिये जायं तो शायद इससे हमको काफी तसल्ली होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री वंका, चार, पांच दिन से भूख हड़ताल पर हैं । और यह सदन आज समाप्त हो रहा है । इस समय मन्त्री महोदय का यह वक्तव्य विचाराधीन

(श्री दिनेशराय डांगी)

है । मैं समझता हूं कि यह सही उत्तर भी नहीं है । उन्हें कोई निर्णायक उत्तर देना चाहिए था । सारा वक्तव्य जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे तो बहुत स्पष्ट है, नाजायज शराब पकड़ने के बारे में दुर्लक्ष्य रहा है आज कितना ही बड़े आंकड़े मन्त्री महोदय दें, इतनी बोतलें पकड़ी गईं या इतने ड्रम पकड़े गये हैं । लेकिन मंत्री महोदय ने यह एक बार भी नहीं कहा है कि जो शराब पीकर 16 आदमी मर गये । जिस प्वाइजनस् शराब पीने से इतने आदमी मर गये, क्या वह शराब मोलेसेस की बनी हुई है या स्प्रीट से बनी हुई है । डिनेचर्ड स्प्रीट पेंट के काम आती है । उसकी जांच तक इस विभाग ने नहीं करवाई है यह तो एक्साइज विभाग का काम हो सकता था । बम्बई की मिसाल को आप ले लीजिये । मोलेसेस की वाइन कभी प्वाइजनस नहीं होती है । स्प्रीट की प्वाइजनस हो सकती है उस स्प्रीट का भी एनालेसिस की जानी चाहिए थी । यह स्प्रीट से शराब निकालने का नया मामला नहीं है । किसे नहीं मालूम कि नायला की पहाड़ियों में शराब निकलती रही है । शराब बन्दी के लिए धरना दिया गया है । नशाबन्दी समिति के लोग धरना देते रहे हैं । सर्वोदय नेता गोकुल भाई भट्ट ने धरना दिया । उत्पादन जीरो डिग्री पर आ गया था । फिर वह कौन सा जादू का डण्डा था कि फुल लेबिल पर शराब चलती रही । 8 करोड़ से 12 करोड़ की आय हो गई । यह कौन से गर्व की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये यह कहा जाये कि जो लोग मर गये वह अपनी गलती से मर गये । जिस बस्ती में लोगों ने शराब पीने से घृणा की । जिस बस्ती में शराब नहीं पीने के लिए संकीर्तन किया जाता था । जिस वस्ती पर गर्व किया जाता था । उनके लिए यह कहा जाये कि वह अपनी गलती से मर गये यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । अगर इस बात की जानकारी जैसा कि मुख्यमन्त्री महोदय ने कहा था कि उस बस्ती में नाजायज शराब निकलती रही है । इसलिए डीनेचर्ड स्प्रीट के आंकड़े दिये जो आंकड़े आपने दिये हैं, उनमें डीनेचर्ड स्प्रीट के भी आंकड़े देना चाहिए था । आपने डीनेचर्ड स्प्रीट किन किन लोगों को, पेण्टर्स को, कन्टेक्टर्स को फैक्टरीज को किस किस को सप्लाई की है । आज सारा राजस्थान जानता है कि डीनेचर्ड स्प्रीट से जगह जगह बस्तियों में शराब बन रही है । आज सारा राजस्थान जानता है कि नाजायज शराब निकलती है । वह एक्साइज डिपार्टमेण्ट और एक्साइज डिपार्टमेंट के आफीसरों कि मिली भगत से निकलती है । वह एक्साइज आफिसर जो 15 वर्ष से यहां पर है । मन्त्री महोदय की हिम्मत नहीं है कि उसे हटा सकें । आज बच्चों की भूख की बात आप कहे जा रहे हैं । क्या कारण है, उनके बच्चे फटी हुई हालत के अन्दर हैं वह लोग अन्धे हो गये हैं । कुछ दिन पहले जहां कीर्तन होता था । आपकी डीनेचर्ड स्प्रीट से 16 आदमी मर गये । 16 आदमियों को मार दिया । अब विधायक आपके सामने हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाये और कहे कि आप उन पर कृपा कीजिये । उनको कुछ देने के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर ।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना से हरएक आदमी को

(श्री दीपंकर)

अफसोस हुआ है। अब सवाल यह है कि गोकुल भाई भट्ट ने जो आन्दोलन चलाया है वह कितना सफल हुआ है। सरकार ने कितना क्या किया है। इतना ही मेरा कहना है मन्त्री महोदय से कि सभी विचार उन्होंने सुन लिये हैं। उसमें जो परिवार प्रभावग्रस्त हो गये हैं, उनके बारे में मन्त्री महोदय कृपापूर्वक कोई न कोई विचार करेंगे। और इसके बारे में कोई न कोई घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि बंका जी भले ही वह अब कांग्रेस के सदस्य न हों लेकिन वह दो बार विधान सभा के सदस्य रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस है और मैं अपने दल की ओर से उनके बारे में गहरी सहानुभूति प्रकट करता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं कि सब की सहानुभूति पर अपनी भूख हड़ताल तोड़ें। मन्त्री महोदय ने भी उनसे भूख हड़ताल तोड़ने की अपील की है। मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन आखिर तक चले उससे पहले उनसे रिक्वेस्ट करने के लिये जायें और भूख हड़ताल को तुड़वायें तो यह एक बहुत अच्छा कार्य होगा। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी आखिर हरिजनों के बारे में बैठे हैं। जयपुर के ही नहीं, राजस्थान के किसी भी मुहल्ले में गन्दी शराब नहीं पहुंच सके। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह भूख हड़ताल तुड़वायेंगे। मैं कांग्रेस दल की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं। वह भूख हड़ताल को तोड़ें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : जस्ट एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, काफी मित्रों ने इस बारे में सदन के सामने अपने विचार रख दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय से कि इस पर मानवीय दृष्टि से विचार करेंगे। श्री बंका जी हमारी पार्टी के मेम्बर रहे हैं। विधान सभा के सदस्य रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम रिक्वेस्ट कर दें तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार उनके प्राण बचा सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस अवस्था में ऐसे बच्चों और औरतों की कोई गलती नहीं होती है। वह महरूम हो गये हैं, यतीम हो गये हैं। उनकी मदद करने को कम्पनसेशन देना हमारा फर्ज है। क्योंकि एक्साइज विभाग की गलती से ऐसा हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि वह यह दोनों कदम उठायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे बातें तो बहुत सी कही गई हैं लेकिन मैं सदन का बहुत समय बातों का जिक्र करके नहीं लेना चाहता हूं। केवल एक ही अर्ज करना चाहता हूं कि इस दुर्घटना के पहले भी जयपुर शहर में 1973-74 में 120 केसेज नाजायज शराब के पकड़े गये थे। यह बात नहीं है कि दुर्घटना के बाद ही सक्रिय हुए हों। प्रिवेंटिव फोर्स या आबकारी विभाग है, यह ठीक है, दुर्घटना घटती है तो उसके बाद विशेष रूप से सक्रिय होना पड़ता है। इसलिये आस पास के जिलों से निरोधक दलों को बुलाया गया, अफसरों को बुलाया गया और विशेषरूप से काम्बिंग शुरू किया गया, यह ठीक बात है। लेकिन इससे पहले भी 120 केसेज 1973-74 में जयपुर

(श्री चन्दनमल बैद)

शहर में दर्ज हुए हैं, उसमें कितनी ही कच्ची शराब पकड़ी गई, बोतलें पकड़ी गई। मैंने 30 मार्च को बयान दिया उसमें अर्ज किया है और आज भी अर्ज किया है। इसलिए यह कहना कि पहले आंख मीच कर सोते रहे और घटना होने के बाद हम सक्रिय हुए हैं, मैं समझता हूं. सही नहीं है।

दूसरी बात, जिसके बारे में मैं अर्ज करना चहाता हूं, वह यह है कि तफतीश को आबकारी विभाग नहीं कर रहा है, तफतीश पुलिस कर रही है और उस तफतीश के अन्दर अगर आबकारी विभाग के किसी आबकारी अफसर की गलती पायी जायगी। इस तरह की गलती पाई जायगी जिस गलती के कारण यह काम हुआ है तो उन लोगों को बक्सा नही जायगा, उनको सजा दी जायगी-इसमें दो राय नहीं हैं।

दो चार का पोस्ट मार्टम हुआ है, जिनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है, उनका विसेरा केमिकल एक्जामिनेशन के लिए गया है, केमिकल एक्जामिनेशन की रिपोर्ट आने के बाद में पता लगेगा कि किस प्रकार, शराब से मृत्यु हुई है, क्या चीज थी, क्या बात थी उसकी तफतीश जारी है, उसके बारे में अभी बताऊं तो उस तफतीश के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, 30 मार्च को विश्वास दिलाया था और आज भी विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जिन लोगों का कसूर पाय जायगा, जिनका दोष पाया जायगा, उनको सजा देने में सरकार हिचकिचायेगी नहीं।

तीसरी बात यह कही गई, बंका साहब अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको जाकर रिक्वेस्ट क्यों नहीं की गई। मैं समझता हूं, इस सदन के प्रांगण से बढ़ कर और महत्वपूर्ण जगह राजस्थान में दूसरी नहीं हो सकती। मैं सदन के प्रांगण-पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं समझता हूं, मैं हाइएस्ट प्लेस में बंका साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यह हाइएस्ट प्लेस है, इससे बढ़ कर सम्माननीय जगह नहीं है। यहां खड़े होकर में कह रहा हूं, आप अनशन तोड़ दीजिये। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मैं समझता हूं, इससे बढ़ कर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती।

चौथी बात यह कही गई कि जो मृतक हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाय। इसके बारे में जो मैंने बयान में कहा है, उसको दुबारा पढ़ देना चाहता हूं:

> "जहां तक मृतकों के परिवार को सहायता देने का प्रश्न है यह ऐसा सवाल है जिस पर सभी दृष्टि से विचार करना होगा और विचार करने के बाद उचित निर्णय लिया जा सकेगा।"

मैंने यह नहीं कहा कि हम कोई निर्णय ले चुके हैं लेकिन सारे पहलुओं को देख कर निर्णय लिया जायेगा। मावली से आने आले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, और भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया-इन सारे सुझावों को ध्यान में रखा जायगा और ध्यान में रखे जाने के बाद जो निर्णय लिया जायेगा वह लिया जायेगा। इसके वास्ते मैंने न कोई कमिटमेंट इस तरफ किया है, न उस तरफ किया है। इस वास्ते में प्रार्थना करूंगा कि जो स्थिति

(श्री चन्दनमल वैद)
जहां है उसको हमें अभी वहीं रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में मदद नहीं करनी चाहिए ।

एक बार फिर मैं इस सदन के मार्फत और यह हाइएस्ट जो प्लेस है उसके मार्फत बंका साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह अनशन को त्याग दें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी प्रार्थना पर पूरा ध्यान देंगे ।

इतनी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, आप पुलिस की जांच को जांच समझते हैं । मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की जांच को मैं जांच नहीं समझता। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में यह घोषणा नहीं की है कि मृतकों के परिवार को राज्य सरकार मुआवजा देगी (शोरगुल : अश्रव्य) इसमें ऐसे अधिकारी है, जो पन्द्रह साल हो गये हैं लेकिन वह आवकारी अधिकारी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं । ऐसे अधिकारियों की गलती को पुलिस जांच में छिपाया जायगा । इसलिए यह पुलिस जांच कोई जांच नहीं है (शोरगुल : अश्रव्य)...

श्री उपाध्यक्ष: इतना महत्वपूर्ण प्रश्न...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मृतकों के परिवारों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देना, मैं समझता हूं, अमानवीय है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार के दोषी अधिकारियों के दोष को छिपा रहे हैं । मैं समझता हूं कि इसकी किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जांच करानी चाहिए । पुलिस की जांच जांच नहीं है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का सन्तोषजनक उत्तर नहीं है । यह मृतकों का एक प्रकार से अपमान है, एक प्रकार से उपहास है और आवकारी अधिकारियों को शील्ड करने का तरीका है । माननीय मंत्री, जो अधिकारी यहां पन्द्रह वर्ष से बैठे हुए हैं उनका ट्रान्सफर नहीं कर सकते जांच कराने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए मैं समझता हूं, मैं और मेरे दल ऐसे माननीय मंत्री के उत्तर पर, जो अयोग्य मंत्री हैं जो आबकारी अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, जो विभाग पर नियंत्रण नहीं रख सकते, सदन से वाक आउट करते हैं ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव व श्री मनोहर लाल द्वारा सदन से वहिर्गमन करते हुए)

आप शराब पिलाते हो, आवकारी अधिकारियों को संरक्षण देते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10 बज कर 36 मिनिट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट--1

(स्थगित प्रश्न संख्या 547 की सूची)

UDAIPUR CEMENT WORKS

Month	1972		1973		1974	
	Production	Total despatches (ex-self consumption)	Production	Total despatches (ex-self consumption)	Production	Total despatches (ex-self consumption)
	MT	MT	MT	MT	MT	MT
January	15,256	15,435.30	15,361	15,206.45	14,670	14,350.80
February	16,882	18,796.45	11,431	10,653.65	17,713	17,413.45
March	20,852	22,030.70	5,639	6,254.[illegible]0		
April	20,570	20,178.65	2,442	Nil as production was low due to power cut.		
May	24,300	24,258.05	8,228	7,45[illegible].95		
June	6,920	8,158.30	10,742	13,480.50		
July	25,748	22,934.00	15,080	12,412.45		
August	14,290	14,640.60	11,705	12,262.10		
September	21,950	21,186.05	12,610	12,261.50		
October	21,502	21,143.30	15,480	15,594.05		
November	20,480	22,075.55	17,611	18,888.70		
December	12,887	14,548.75	16,660	17,470.50		
Total ..	2,21,637	2,25,375.70	1,42,989	1,41,936.55	32,383	31,764.25

BIRLA CEMENT WORKS, CHITTORGARH

Statement showing particulars of cement produced during 1972 & 1973 and supplies affected during the said two years to different categories of consumers in Rajasthan.

Month	Cement Produced		Cement Despatched					
	1972	1973	1972			1973		
			Reserved category	Free sale	Total	Reserved category	Free sale	Total
January	24524	18637	4049	6204	10253	2923	3209	6132
February	22800	17363	5505	6272	11777	2931	5308	8239
March	26480	27833	4993	6548	11591	8303	9433	17736
April	28273	19388	3140	7238	10378	8025	4249	12274
May	26540	13005	1810	6681	8491	7310	413	7723
June	27932	17231	1656	7761	9417	7142	1424	8566
July	39518	29909	3564	8569	12133	15338	1859	17197
August	35879	22426	4711	9835	14546	9854	3521	13375
September	35678	22330	5001	7995	12996	7198	2808	10006
October	39086	28636	4282	11378	15660	12870	4336	17206
November	36154	26672	4878	6499	11377	12585	5211	17796
December	40125	29400	7141	6392	13533	14317	5364	19681
TOTAL ..	382989	272830	50730	91422	142152	108796	47135	155931

(213)

216

परिशिष्ट-2

(स्थगित प्रश्न सं० 661 की सूची)

ट्रेक्टर की जिलेवार सूची

1.	जयपुर	2802
2.	अजमेर	324
3.	अलवर	1490
4.	भरतपुर	2533
5.	झुन्झुनूं	95
6.	सीकर	256
7.	सवाई माधोपुर	153
8	टोंक	141
9	जोधपुर	826
10.	पाली	653
11.	नागौर	480
12.	बाड़मेर	42
13.	जैसलमेर	28
14.	सिरोही	157
15	जालौर	213
16.	उदयपुर	532
17.	भीलवाड़ा	603
18.	चित्तौड़	229
19.	डूंगरपुर	23
20.	बांसवाड़ा	46
21.	कोटा	850
22.	बून्दी	76
23.	झालावाड़	81
24.	बीकानेर	63
25.	चूरू	132
26.	गंगानगर	6434
	कुल योग ..	19,262

परिशिष्ट-3

(स्थगित प्रश्न सं० 79 की सूची)

जयपुर शहर में सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय जो कि अधिकारियों/कर्मचारियों के मकानों में किराये पर कार्य कर रहे हैं कि सूचीः-

	कार्यालय का नाम	भवन का पता	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	किराया प्रति माह
	1	2	3	4
1.	सहायक निदेशक (मलेरिया)	मोतीडूंगरी रोड, जयपुर	डॉ० बी० एल० असावा	637
2.	राजकीय डिस्पेन्सरी	अर्जुन लाल सेठी नगर, जयपुर	श्री राम निवास गुप्ता	499
3.	स्वास्थ्य यातायात कार्यालय	रूवाई मानसिंह अस्पताल के सामने, जयपुर	डॉ० एन० डी० माहेश्वरी	598
4.	राजकीय डिस्पेन्सरी	तिलक नगर, जयपुर ।	श्री रामेश्वर पुरोहित	162
5.	अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी का स्टोर	धुलेश्वर गार्डन, जयपुर	श्री भंवर लाल सनाढ्य, सहायक अभियन्ता, पी० डी०ओ० आफिस, जयपुर ।	75
6.	जिला परिवार नियोजन संस्थान (स्टोर)	..	डॉ० के० एल० कक्कड़	300
7.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र.	भवानी सेन्टर, पुरानी बस्ती, जयपुर	डॉ० बी० के० पुरोहित	240
8.	अधिशाषी अभियन्ता, सर्वे एण्ड ड्रेनेज डिवीजन	डी 101 मीरा मार्ग, जयपुर-6	डॉ० तिवारी	325
9.	सहायक अभियन्ता, सर्वे एण्ड ड्रेनेज डिवीजन, जयपुर	डी 101, मीरा मार्ग जयपुर-6	डॉ० तिवारी	115
10.	अधिशाषी अभियन्ता सर्वे एण्ड ड्रेनेज/सहायक अभियन्ता प्रोजेक्ट सब डिवीजन I तथा II	प्लाट नं० 72, आनन्द भवन, हथरोई फोर्ट, जयपुर	श्री महेश नारायण भारद्वाज, अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई, कोटा	614

(216)

1		2	3	4
11.	अधिशाषी अभियन्ता, डी० पी०, ए० पी० डिवीजन I तथा II जयपुर	हरी कुटीर, हसनपुरा,	श्री विजय सिंह, कमान्डेंट, आर० ए० सी०, 4 बटालियन, बीकानेर ।	881
12.	उद्योग व नागरिक रसद विभाग	चौमू हाउस, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर	श्री राजेन्द्र पाल सिंह, उप-सचिव कार्मिक (क) । विभाग ।	1000
13.	,, ,, ,,	भवानी विला, सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर	,, ,, ,,	400
14.	रीजनल परिवहन अधिकारी कार्यालय	डी-42, बनीपार्क, जयपुर	श्री भोपाल सिंह	550
15.	लघु उद्योग निगम (ब्रान्च कार्यालय)	भैरव पथ, मोती डूंगरी रोड, जयपुर	श्री भवानी मल माथुर, अतिरिक्त महानिरीक्षक, आरक्षी	1,250

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वर्गीय मुख्य मंत्री की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट

816. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां की मृत्यु के कारणों की जांच कराने के लिए कोई जांच आयोग का गठन किया है ?

(2) यदि हां, तो किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया है और क्या इसकी रिपोर्ट आ गई है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी है।

(2) श्री पुरुषोत्तम दास कुदाल, सदस्य, राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर, इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

गोगुन्दा में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया

817. श्री अलखाराम (गोगुन्दा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1973 में तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को भुगतान किया गया था ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया ? मस्टररोलों के अनुसार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा फर्जी अंगूठे लगाकर राशि उठाई गई ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में तहसीलदार के खिलाफ कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा की जा रही है ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1973 में तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की मजदूरी भुगतान किया गया था। जहां तक बकाया मजदूरी का संबंध है मस्टररोलवार विवरण सड़क कार्यों के लिए 1-7-73 से 15-9-73 तक की अवधि के लिए ही जिलाधीश ने प्रेषित किया है। यह सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(2) उपरोक्त मस्टररोलों के चुकारे के संबंध में फर्जी अंगूठे लगाकर कुछ चुकारा किये जाने की शिकायत जिलाधीश को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, उदयपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह ज्ञात हो पायेगा कि क्या वास्तव में फर्जी अंगूठे लगाकर चुकारा किया गया एवं क्या फर्जी अंगूठे तहसीलदार द्वारा लगाये गये।

Page No 218

(२१८)

वर्ष 73 में सड़क कार्यों के लिये किये गये चुकारे के बाबत 1-7-73 से 15-9-73 तक के अनपेड श्रमिकों का चुकारा

क्रमांक	अनपेड श्रमिकों का नाम	निवास स्थान	अकाल राहत कार्यों का नाम	मस्टररोल की अवधि	मस्टर रोल नं०	अनपेड राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री भमरा गमेती	पाटीया	गोगुन्दा से ओगना मार्ग	दि. 1-7-73 से 15-7-73	761559	6.16
2.	श्री नवा गमेती	,,	,,	,,	761559	13.86
3.	श्री केशूराम गमेती	घाटा	,,	,,	922725	30.90
4.	श्री केशूराम गमेती	,,	,,	1-8-73 से 15-8-73	263112	5.50
5.	श्री माना गमेती	पदराडा	गोगुन्दा से डगवाल मार्ग	,,	263317	3.74
6.	श्री पद्माराम	लोहरवा	गोगुन्दा से गोगरूद पिण्डवाडा मार्ग	,,	923165	25.20
7.	श्री गुलाबसिंह	,,	गोगुन्दा से इसवाल मार्ग	16-8-73 से 31-8-73	263195	17.49
8.	श्री सोमाराम	,,	गोगुन्दा से गोगरूद, पिन्डवाडा मार्ग	,,	263817	16.20
9.	श्री रामनाथ श्री साधे	कदमाल	,,	,,	263721	80.00
10.	श्री नोना	,,	,,	,,	263696	3.87
11.	श्री मकनसिंह राजपूत	बीहेली	,,	,,	263696	5.16
12.	श्री परथानाथ जी साधू	कदमाल	,,	1-9-73 से 15-9-73	263905	20.00
					योग ..	228.08

श्री कल्याण अस्पताल, सीकर

318. श्री केशरदेव (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर के श्री कल्याण अस्पताल में मरीजों को जरूरत पड़ने पर आक्सीजन सिलेन्डर उपलब्ध नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक की सुचारु व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में ऑपरेशन के लिये जो मरीज आते हैं उनकी देखरेख नहीं होती ? अगर होती है तो उन्हीं मरीजों की जो कि डॉ. बी० बी० माथुर के बंगले पर जाकर फीस देकर भरती किये जाते हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त अस्पताल में मरीजों के जरूरत के अनुसार ब्लड ट्रान्सफूजन देने की पूर्ण व्यवस्था है। ब्लड की उपलब्धि या तो मरीजों के रिश्तेदारों के द्वारा दिये हुए खून से कराई जाती है अथवा प्रोफेशनल डोनर्स उपलब्ध होते हैं उनसे खून लेने का प्रबन्ध करा दिया जाता है।

(3) जी नहीं। मरीजों की देखरेख में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

गांवड़ा मीणा एवं गांवड़ा गूजर ग्रामों में बिजली

319. श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गांवड़ा मीणा व गांवड़ा गूजर के नाम से बिजली मन्जूर हुई थी ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, गांवड़ा मीणा के नाम बिजली स्वीकृत हुई थी और इसके बजाय गढ़ी बांदवा कर दिया है ? यदि हां, तो जिन लोगों ने यह रद्दोबदल किया है क्या उन के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गांवड़ा मीणा में कुछ कुओं पर कनेक्शन दिये हैं ? यदि दिये हैं तो किस किस को ? नामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वहां के अन्य काश्तकारों ने कुओं पर बिजली के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो कितनों ने किस किस तारीख को तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) इस पंचायत के काश्तकारों को सरकार कब तक बिजली उपलब्ध करा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ये गांव विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं किये गये।

(2) जी नहीं। गांवडा मीणा को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं किया गया था। ग्राम गढ़ी बांदवा आर० ई० सी० योजना के तहत स्वीकृत हुआ था जो

दिनांक 26-1-70 को विद्युतिकृत भी हो चुका है। चूंकि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। जिन व्यक्तियों के कुओं को कनेक्शन दिये गये हैं उनके नाम बताते हुए सूची "ए" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। माह जनवरी, 73 तक 30 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी सूची "ब" आवेदन-पत्र की तारीख बताते हुये सदन की मेज र३ ा गई है। मण्डल के आदेश संख्या 260 दिनांक 23-1-73 द्वारा अस्वीकृत ग्रामों में कनेक्शन देने की मना के कारण उपरोक्त आवेदन रद्द कर दिये हैं।

(5) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(221)

LIST 'A'

STATEMENT SHOWING CONNECTIONS RELEASED IN VILLAGE GANWADA MEENA

S. No.	Name of applicant
1.	Shri Ratan lal Seho Narain
2.	Shri Ratan lal Seho Narain
3.	Shri Ramji lal Ramphool

LIST 'B'

LIST OF CANCELLED AGRICULTURAL APPLICATIONS OF VILLAGE GAONDA MEENA.

S. No.	Date of receipt of application	Name of applicant.
1.	21-1-72	Sh. Devi Chand Meena s/o Kajodia
2.	,,	Sh. Sadu Ram s/o Ram Kumar
3.	,,	Sh. Misriya Gorkha s/o Bhura
4.	,,	Sh. Moji Meena s/o Nanga Meena
5.	,,	Sh. Shiv Lal s/o Dev Bax
6.	,,	Sh. Rokh Ram Meena s/o Shiv Chand
7.	,,	Sh. Jinsi Meena s/o Sonpal Meena
8.	,,	Sh. Jai Narain s/o Kaniya Meena
9.	,,	Sh. Bhavi Chand s/o Devi Ram
10.	,,	Sh. Kishori Meena s/o Jangliya
11.	,,	Sh. Rajmi Lal s/o Chotu Lal
12.	,,	Sh. Ratan Lal s/o Chitar Lal
13.	29.1.72	Sh. Ratan Lal s/o Sawan Meena
14.	,,	Sh. Kishori Jeewan Meena
15.	11.2.72	Sh. Hira Lal Meena.
16.	,,	Sh. Kaluwa s/o Poonam Meena
17.	,,	Sh. Jagan s/o Sona Meena
18.	,,	Sh. Atal s/o Prahalad
19.	,,	Sh. Ramdhan s/o Dubi
20.	,,	Sh. Moola s/o Khan Chand
21.	,,	Sh. Jai Narain s/o Om Kariya
22.	,,	Sh. Megha s/o Jawahar
23.	,,	Sh. Chota s/o Mukam Chand
24.	7.10.72	Sh. Moji s/o Nanga
25.	,,	Sh. Gorkha s/o Sugan Mosriya
26.	,,	Sh. Bhari Chand
27.	,,	Sh. Sundar s/o Ragnath
28.	,,	Sh. Gorkha s/o Sugan
29.	,,	Sh. Devi Chand Meena
30.	,,	Sh. Chatru s/o Daya Ram

(२२१)

मॉटेन्सरी प्रशिक्षित टीचर्स की नियुक्ति

820. जनार्दनसिंह गहलोत (गान्धीनगर, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मान्टेसरी प्रशिक्षित टीचर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में जी० ए० डी० ने 12-7-73 को स्पष्ट आदेश दे दिये हैं ? यदि हां, तो उन्हें शिक्षा विभाग नियुक्त क्यों नहीं कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 29-12-73 को विद्यालय निरीक्षक, जयपुर ने मॉन्टेसरी ट्रेण्ड महिलाओं का टीचर्स पद के लिए इन्टरव्यू लिया था ? यदि हां, तो आज तक उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि जी० ए० डी० के द्वारा प्रसारित मॉन्टेसरी ट्रेण्ड व्यक्ति जिन्होंने 1969 के बाद ट्रेनिंग पास की हो एक वर्ष का पत्राचार पाठ्यक्रम करने को कहा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्राचार-पाठ्यक्रम करने के बाद इन मॉन्टेसरी प्रशिक्षितों को बी० एस० टी०सी० के समकक्ष मानकर नौकरियां अवश्य दी जावेंगी या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में वरियता के आधार पर नियुक्तियां देने का प्रावधान है।

(2) जी हां। नियम अस्पष्ट होने के कारण नियुक्तियां नहीं की गई।

(3) जी हां। यह सही है। रिक्त पद उपलब्ध होने पर अन्य आशार्थियों के मामलों के साथ विचार किया जावेगा।

माण्डल तहसील के तालाबों को क्षति

821. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में अति वृष्टि के कारण कितने तालाब टूटे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जो तालाब टूटे हैं उनमें कितने पंचायत समिति के हैं और इनकी मरम्मत कब तक करवा दी जायगी ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग का कोई तालाब नहीं टूटा है। अलबत्ता कुछ तालाबों पर साधारण क्षति हुई है। जिनकी मरम्मत का कार्य चालू है। सूची संलग्न है।

(2) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में सिंचाई विभाग के क्षतिग्रस्त तालाबों की सूची

क्र०सं	नाम तालाब
1.	धुंधाला
2.	केरिया
3.	गाजूण
4.	सुरास
5.	गोरखिया
6.	नवलपुरा
7.	गोपाल सागर, करेड़ा

Page No 223

(223)

उप-महानिरीक्षक के पद

822. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान बना तब कितने उप-महानिरीक्षक थे और अब कितने हैं? एक उप-महानिरीक्षक पद पर मय स्टाफ के कुल कितनी धनराशि खर्च होती है? उप-महानिरीक्षक के पद वृद्धि के क्या क्या आधार और औचित्य हैं?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक पुलिस रूल्स पूरी तरह नहीं बन पाये हैं? यदि हां, तो क्यों? इस योजना पर राज्य सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान में कितने पुलिस रेंज हैं? क्या उनका वर्गीकरण नियमानुसार अपराधों की पंजिका के आधार पर किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान बनने पर पुलिस उप-महानिरीक्षकों के 6 पद थे और अब 9 पद हैं। एक उप-महानिरीक्षक पद पर मय स्टाफ के एक वित्तीय वर्ष में करीब 1,26,000 रुपयों की राशि व्यय की जाती है। उप-महानिरीक्षकों के पद वृद्धि के आधार विभिन्न क्षेत्रों की शांति व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा एवं उपयोगिता पर निर्भर करते हैं।

(2) जी, नहीं। पुलिस रूल्स 1948 व 1965 से लागू हैं परन्तु इन रूल्स को अधिक विस्तृत एवं प्रभावशाली बनाने हेतु फिर से प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस योजना पर अब तक कुल 61,016.23 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(3) राजस्थान में इस समय 5 पुलिस रेन्ज हैं और इनका वर्गीकरण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा, उपयोगिता के आधार पर किया गया है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आबू रोड को वर्षा से क्षति

823. **श्री भूराराम** (आबू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31-8-73 को बनास नदी की बाढ़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आबू रोड जलमग्न हो गया था? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की क्षति हुई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय काफी दिनों तक बन्द रहा? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस भयंकर हानि को बचाया जा सकता था? यदि नहीं, तो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापकों तथा कर्मचारियों ने इसके बचाव के लिये क्या क्या उपाय किये?

(4) क्या यह सही है कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं एक खजान्ची की लापरवाही से हजारों रुपयों की क्षति हुई? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार इस क्षतिपूर्ति का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । लगभग 38,000/- रुपया ।

(2) विद्यालय 3-4 दिन बन्द रहा। बाढ़ के पानी के साथ आई मिट्टी कमरों में भर जाने के कारण ।

(3) जी नहीं । बचाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) यह सही नहीं है। जांच कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रधानाध्यापक तथा खजांची द्वारा की गई लापरवाही की क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) भवन की क्षतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार ने 38,000 रु० की राशि आवंटित करदी है ।

सवाई माधोपुर जिले के समाचार पत्रों को विज्ञापन

824. **श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितने समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं ? उनके नाम, पते, राज्य सरकार एवं भारत सरकार से कौन कौन से समाचार-पत्र विज्ञापन के लिये स्वीकृत हैं ? 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक जनसम्पर्क निदेशालय ने कितना कितना विज्ञापन दिया है ? उपरोक्त अवधि में इन पत्रों ने कितने 2 अंक प्रकाशित किये हैं । पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत (विज्ञापन के लिये) पत्रों को विज्ञापन देने में समानता नहीं बरती गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 73 से 31 दिसम्बर, 73 तक नियमितता बनाये नहीं रखने वाले पत्रों को भी विज्ञापन दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही हैं कि जनसम्पर्क निदेशालय की असावधानी से सवाई माधोपुर जिले की स्वायत्त संस्थाओं व विभागों ने मनचाहे स्थानों का विज्ञापन देकर धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में 9 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं । इस सम्बन्ध में उनके नाम, पते राज्य सरकार एवं भारत सरकार से विज्ञापन के लिये स्वीकृति की सूचना एवं 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा दिये गये विज्ञापनों की धनराशि और इन पत्रों द्वारा प्रकाशित किये अंकों की सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) राज्य विज्ञापनों के लिये स्वीकृत समाचार पत्रों को विभिन्न श्रेणियों के आधार पर विज्ञापन देने के प्रयत्न किये जाते हैं ।

(3) जी नहीं, किसी पत्र के अनियमित होने का तथ्य स्पष्ट हो जाने पर उनका विज्ञापन स्थगित कर दिया जाता है ।

(4) स्वायत्त संस्थानों द्वारा विज्ञापन दिये जाने पर जनसम्पर्क विभाग का कोई अंकुश नहीं है । कुछ विभागों को भी विज्ञापन सीधे दिये जाने की छूट है, सरकार विभागीय विज्ञापनों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर रही है ।

(जन सम्पर्क मंत्री)

(1) सवाई माधोपुर जिले में 9 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनके नाम व पते इस प्रकार हैं:–

1 अपर इंडिया, पाक्षिक, सवाई माधोपुर।
2 निराला राजस्थान, साप्ताहिक, हिण्डौन।
3 ग्रामवाणी, साप्ताहिक, हिण्डौन।
4 प्रजाजन, साप्ताहिक, गंगापुर।
5 राजस्थानी सपूत, सप्ताहिक, गंगापुर।
6 नवअंग, पाक्षिक, सवाई माधोपुर।
7 सन ऑफ इंडिया, साप्ताहिक, हिण्डौन।
8 किसान परिवार, साप्ताहिक, गंगापुर।
9 बज्रपात, साप्ताहिक, हिण्डौन।

राज्य सरकार से अपर इंडिया पाक्षिक, निराला राजस्थान सा०, ग्रामवाणी सा०, प्रजाजन सा० और राजस्थानी सपूत सा०, समाचार पत्र राजकीय विज्ञापनों के लिए स्वीकृत हैं। भारत सरकार से एक "राजस्थानी सपूत" सा० विज्ञापनों के लिए स्वीकृत है।

1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक जन सम्पर्क निदेशालय ने इन स्वीकृत पत्रों को इस प्रकार विज्ञापन दिया है:—

1 अपर इंडिया, पा०	रु० 139 26
2 निराला राजस्थान, सा०	रु० 143.88
3 ग्रामवाणी, सा०	रु० 295.48
4 प्रजाजन, सा०	रु० 114.84
5 राजस्थानी सपूत, सा०	रु० 75.06

1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक इन पत्रों में निम्नलिखित अंक प्रकाशित किए हैं:—

1 अपर इंडिया	26
2 निराला राजस्थान	39
3 ग्रामवाणी	39
4 प्रजाजन	27
5 राजस्थानी सपूत	53

226

(जन सम्पर्क मंत्री)

(2) राजकीय विज्ञापनों के लिए स्वीकृत समाचार पत्रों को विभिन्न श्रेणियों के आधार पर निर्धारित कोटे के अनुसार विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन देने में समानता बरतने का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। फिर भी विज्ञापन के महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रसार के समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए जाते हैं।

(3) 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक जिन पत्रों का प्रकाशन नियमित नहीं रहा उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जो समाचार पत्र अनियमित पाये गये उनके मामले वर्गीकरण सलाहकार समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के निराला राजस्थान सा०, प्रजाजन सा० और ग्रामवाणी सा० पत्र अनियमित पाये गये हैं और इनके मामले भी उक्त समिति में रखे जा रहे हैं। जैसे ही इनके अनियमित होने का तथ्य स्पष्ट हो जाता है वैसे ही जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा विज्ञापन देना स्थगित कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 1974 से इन पत्रों को कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है।

(4) राजस्थान विज्ञापन नियम के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाएं जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग आदि विभाग जिन्हें विज्ञापन नियमों के अन्तर्गत सीधे विज्ञापन देने की छूट है, वे भी जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अतः जन सम्पर्क निदेशालय ने सवाई माधोपुर जिले के पत्रों को विज्ञापन देने में कोई असावधानी नहीं की है।

बारां में पोस्ट ग्रेज्युएट कॉलेज

825. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार बारां कॉलेज को पोस्ट ग्रेज्युएट कॉलेज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर समय समय पर आकर्षित हुआ और हुआ तो समय समय पर अब तक क्या क्या कदम इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं?

(2) क्या सरकार इस कॉलेज को चालू वर्ष में ही पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जावेगी? और नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) व (2) वर्ष 1973-74 की छात्र संख्या के आधार पर स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में बारां का स्थान गुणात्मक दृष्टि से पन्द्रहवां है। अतः सरकार का इस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में क्रमोन्नत करने का अभी कोई विचार नहीं है।

भदवासिया-भटियानाड़ी सड़क का कार्य

826. श्री अमृत लाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर तहसील की भदवासिया–भटियानाड़ी सड़क पर रूरल वर्क्स प्रोग्राम जो तत्पश्चात् डी० पी० ए० पी० में परिवर्तित कर दिये गये, के अन्तर्गत स्वीकृत कर वर्ष 1970-71 में निर्माण प्रारम्भ किया गया?

(2) उपरोक्त सड़क पर अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई?

(3) उपरोक्त सड़क कितनी लम्बाई की है और कितने मूल्य की निर्माण सामग्री प्रस्तावित मार्ग पर बिखरी पड़ी है जिसमें से अधिकतर चुराली गई है?

(4) क्या इस तरह प्रारम्भ कर सड़क को अधूरा छोड़ देना दुर्लभ राष्ट्रीय सम्पत्ति को अपराधपूर्ण नष्ट नहीं करना है?

(5) उपरोक्त सड़क को कब तक पूर्ण कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त सड़क पर 22,500) रु० व्यय हुआ है।

(3) यह सड़क 10 किलोमीटर लम्बी है। इस सड़क पर लगभग 20,000) रु० मूल्य की सामग्री कार्यस्थल पर पड़ी है, जिसमें से 40 प्रतिशत निर्माण सामग्री छीजत में गई है।

(4) अर्थाभाव के कारण आगे कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(5) इस सड़क में लिए 1974-75 में 50,000) रुपये का प्रावधान किया गया है, और कार्य इस साल में चालू कर दिया जायगा।

विद्यालय निरीक्षक, सीकर द्वारा अध्यापकों को सेवा से मुक्त करने के आदेश

827. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्यालय

Page No 228

(228)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निरीक्षक, सीकर ने संस्कृत में उपाध्याय की उपाधि प्राप्त 17 अध्यापकों को आगामी 24-4-74 से सेवामुक्त करने के आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अध्यापकों को किन कारणों से सेवामुक्त करने के आदेश दिये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि उन्हें अनट्रेण्ड मानकर सेवा मुक्त किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व विभागीय आदेशों के अनुसार संस्कृत में उपाध्याय एवं शास्त्री को ट्रेन्ड टीचर मान लिया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक लगभग 2 साल से राजकीय सेवाओं में है ?

उत्तर

(1) विद्यालय निरीक्षक, सीकर के पत्रांक 6771-800, दिनांक 12-3-74 द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये हैं। इन्हें 20 अप्रेल, 1974 से सेवामुक्त के आदेश दिये है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियमों में अंकित योग्यता नहीं रखने के कारण इन्हे सेवामुक्त किया गया है। यह सही है।

(3) यह सही है।

(4) यह सही है कि उक्त अध्यापक सत्र 1972-73 से कार्य कर रहे हैं। अभी दो वर्ष नहीं हुए हैं।

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर

क्रमांकः/बिनिसी/संस्था–1/74/6771–800 दिनांक 12-3-74

समस्त सम्बन्धित
सहायक अध्यापक,
रा०उ०प्र०/माध्यमिक विद्यालय,
..............................]

आपकी सेवाओं को दिनांक 20-4-74 से इस निरीक्षणालय के अधीन आवश्यकता नहीं है। अतः आपको उक्त तिथि से राज्य सेवा से मुक्त किया जाता है।

ह० गजराज जैन
12/3/74
विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, सीकर।

क्रमांक/बिनिसी/संस्था-1/74/6771-800 दिनांक 12-3-74

प्रतिलिपि प्रधानाध्यापक, रा०उ०प्रा० विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय······ को भेजकर लेख है कि नोटिस की प्रति सम्बन्धित अध्यापक को देकर प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त करलें। जिनमें से एक प्रति आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवादें तथा इन्हें दिनांक 20-4-74 को दोपहर बाद कार्यमुक्त कर अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवादें।

(2) वेतन बिल लेखन कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह० गजराज जैन
12/3/74
विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, सीकर।

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर

दिनांक 20-4-74 को हटाये गये संस्कृत अध्यापकों की सूची :--

क्र०सं०	नाम अध्यापक मय पद व शाला	नियुक्ति तिथि
(1)	श्री कृष्णदत्त शर्मा, स०अ०, कायमसर रसूलपुर	18-11-72
(2)	,, शुभकरण शर्मा, स०अ०, फागलवा	25-9-72
(3)	,, दीनदयाल इन्दौरिया, स०अ०	4-9-72
(4)	,, लालचन्द शर्मा, स०अ०, कायमसर	25-9-72
(5)	,, ओमप्रकाश शर्मा, स०अ०, पाटोदा	25-9-72
(6)	,, सत्यनारायण, स०अ०, नृसिंहपुरी	19-10-72
(7)	,, मुरलीधर, स०अ०, रींगस	25-9-72
(8)	,, कन्हैयालाल, स०अ०, बिड़ौदी बड़ी	25-9-72
(9)	,, मातादीन शर्मा, स०अ०, ढाढण	25-9-72
(10)	,, सोहनलाल, स०अ०, चुवास	4-9-72
(11)	,, हनुमानसहाय, स०अ०, दिसनाऊ	4-9-72
(12)	,, बजरंगलाल, स०अ०, जोजाद लक्ष्मण	4-9-72
(13)	,, लालचन्द, स०अ०, गोठड़ा तगेलान	25-9-72
(14)	,, पूरणमल शर्मा, स०अ०, चौकड़ी	13-9-72
(15)	,, महावीरप्रसाद, स०अ०, पालड़ी	25-9-72
(16)	,, मुरलीधर यादव, स०अ०, रामपुर दादिया	25-9-72
(17)	,, जुगलकिशोर, स०अ०, तिहावली	25-9-72

ह० विद्यालय निरीक्षक,
सीकर।

जोधपुर-बाड़मेर सड़क पर पुलों का निर्माण

828. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार जोधपुर से बाड़मेर सड़क पर बालोतरा नगर एवं सिणधरी ग्राम में पुल बनाना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने गत पच्चीस सालों में इसके निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रावधान रखे और क्या व्यय किया ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य सरकार ने इस वर्ष उक्त पुलों के निर्माण के लिए क्या प्रावधान किया ?

(3) राज्य सरकार कब तक उक्त पुलों के निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य शुरू कर देगी ?

उत्तर

(1) बालोतरा के निकट लूनी नदी पर काजवे निर्माण करा दिया गया है, तथा जोधपुर से बाड़मेर वाया वायतू, पचपदरा सीधी एवम् अपेक्षाकृत कम लम्बी सड़क निर्माण के बाद पुल निर्माण अति आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के संदर्भ में इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है ।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जयपुर शिक्षा समिति सैकेण्डरी स्कूल की जांच

829. श्री जयकिसन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शिक्षा समिति सैकेन्डरी स्कूल, जयपुर को सरकार द्वारा हस्तगत किए जाने एवं गड़बड़ घोटालों की जांच हेतु कोई ज्ञापन जनता एवं विधायकों की ओर से सितम्बर 73 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कोई कार्यवाही हुई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के अध्यापकों की ओर से भी विद्यालय में हो रहे गड़बड़ घोटालों की जांच के लिए कोई ज्ञापन मई, 73 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इस पर कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि कोई जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शिक्षा समिति सैकेन्डरी स्कूल जयपुर में 14 मई, 73 को दस अध्यापकों को सेवा से मुक्त किया गया है और विभाग ने सेवा मुक्ति के विरुद्ध कोई आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग के आदेशों का पालन हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो विभाग से आदेशों का पालन कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(स्थगित किया गया)

विद्युत् उत्पादन पर व्यय की गई राशि

830. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक विद्युत् उत्पादन के लिये राज्य में कितनी धन राशि खर्च हुई ? कृपया थर्मल, हाईडल और एटामिक एनर्जी के लिए अलग से बताएं।

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक विद्युत् वितरण लाइन पर कितनी धन राशि खर्च हुई है ?

(3) राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिदिन कितने यूनिट्स बिजली की खपत होती है, डोमेस्टिक, कॉमशियल, इन्डस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर लोड की अलग अलग जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत् मंडल के गठन (1-7-1957) से 31-3-73 तक विद्युत् उत्पादन पर थर्मल व हाईडल में क्रमश: 2499.60 व 8817.59 लाख रुपये खर्च हुए हैं। अणु-शक्ति के उत्पादन पर विद्युत् मंडल ने कोई खर्चा नहीं किया है।

(2) मंडल के गठन से लेकर 31-3-73 तक विद्युत् वितरण (प्रसारण सहित) लाइनों पर कुल 9500.89 लाख रुपये खर्च हुये हैं।

(3) बिजली की प्रतिदिन खपत के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1972-73 में समूचे राज्य में बिजली की दैनिक औसत खपत निम्न रही :—

1.	घरेलू	2,23,512 यूनिट्स
2.	वाणिज्यिक	1,76,882 यूनिट्स
3.	औद्योगिक	20,61,065 यूनिट्स
4.	कृषि	6,26,536 यूनिट्स

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्र० सं० 496 की सूची)

जिलेवार साक्षर किये गये प्रौढ़ों की संख्या

क्र०सं०	नाम जिला	साक्षर प्रौढ़ों की संख्या	
		71-72	72-73
1	अजमेर	1118	954
2	अलवर	41	211
3	बाड़मेर	41	102
4	बांसवाड़ा	1026	735
5	भरतपुर	2822	3479
6	भीलवाड़ा	1535	1842
7	बीकानेर	590	375
8	बून्दी	334	89
9	चित्तौड़गढ़	2571	1864
10	चूरू	1650	173
11	डूंगरपुर	167	..
12	गंगानगर	1739	200
13	जयपुर	1881	1460
14	जैसलमेर	..	..
15	जालोर	715	108
16	झालावाड़	570	247
17	झुन्झुनू	985	577
18	जोधपुर	869	..
19	कोटा	3245	1691
20	नागौर	1800	50
21	पाली	209	208
22	सवाई माधोपुर	186	202
23	सीकर	..	581
24	सिरोही	384	..
25	टोंक	1186	786
26	उदयपुर	2555	4390
	योग ..	28,349	20,324

परिशिष्ट-6

अ० ता० प्र० सं 501 की सूची

ANNEXURE 'क'

President :	Shri R. B. Mathur, Ajmer.
Vice-President :	Shri K. Gurnani, Ajmer.
	Shri C. L. Nanda, Ajmer.
	Shri J. K. Singhi, Jodhpur.
	Shri S. N. Bhaya, Alwar.
	Shri V. D. Sharma, Ajmer.
	Shri R. S. Hora, Kota.
Secretary :	Shri M. L. Jadan, Ajmer.
Jt. Secretary :	Shri M. M. Nath, Ajmer.
	Mrs. D. Kalagopi, Ajmer.
Treasurer :	Shri J. Massey, Ajmer.

———

234

परिशिष्ट-7

(अ० ता० प्र० सं० 505 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. of villages eletcrified in Rajasthan and their Percentage upto February, 1974.

S. No.	Name of the District.	Total No. of villages	Electrified villages.	Percentage
1.	Ajmer	950	201	21.15
2.	Alwar	1853	428	23.10
3.	Banswara	1426	131	9.19
4.	Barmer	822	47	5.71
5.	Bharatpur	1838	309	16.81
6.	Bhilwara	1500	344	22.93
7.	Bikaner	525	73	13.90
8.	Bundi	718	87	12.11
9.	Chittorgarh	2035	338	16.69
10.	Churu	843	139	16.50
11.	Dungarpur	816	105	12.87
12.	Jaipur	2694	789	29.29
13.	Jaisalmer	485	3	0.61
14.	Jalore	591	109	18.46
15.	Jhunjhunu	693	255	36.80
16.	Jhalawar	1423	207	14.60
17.	Jodhpur	716	172	24.02
18.	Kota	1860	260	14.00
19.	Nagaur	1199	286	24.10
20.	Pali	826	200	24.21
21.	Sawai Madhopur	1524	208	13.62
22.	Sikar	798	180	22.55
23.	Sirohi	417	56	13.43
24.	Sri Ganganagar	1533	329	21.39
25.	Tonk	1002	152	15.16
26.	Udaipur	3159	443	12.02
	Total ...	32241	5851	18.15

235

शुद्धि पत्र

(गुरुवार, दिनांक 11 अप्रैल, 1974)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
9	नीचे से प्रथम	मौर्य–	मोर
10	ऊपर से 9	मौर्य–	मोर
55	नीचे से 10	परिशि::ट देखिये)	परिशिष्ट 3 देखिये)
59	ऊपर से 3	को	की
146	नीचे से 8	के	में
239	ऊपर से 24	तसील	तहसील
267	,, ,, 17	क[illegible]ते	कहते
273	,, ,, 11	रमानन्द	राम.नन्द
353	,, ,, 3	अग्रवा	अग्रवाल
372	,, ,, 21	गिरधर	गिरधारी
398	,, ,, 1	समय जाते	जाते समय
400	,, ,, 7	इनने	इतने
402	,, ,, 23	व्यवस्त	व्यस्त
405	,, ,, 1	सामरड़ा	सामरिया
411	,, ,, 13	तल्ली	तसल्ली
444	अंतिम	[illegible]	शिक्षा